सत्यमेव जयते
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Government of India
Ministry of Human Resource Development

निष्ठा

विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल

NISHTHA

National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement

विद्यालय नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण पैकेज

नेतृत्व पैकेज

क्यू आर (QR) कोड से संबद्ध ई-सामग्री प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शिका

प्रत्येक अध्याय के ऊपर कोने में स्थित कोड बॉक्स को क्विक रिस्पांस कोड – क्यू आर (QR) कोड कहते हैं। यह क्यू आर कोड आपको अध्याय में दिए गए विषयों से संबंधित ई-सामग्री, जैसे ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, पाठ्य-सामग्री आदि को प्राप्त करने में सहायता करेगा। पहला क्यू आर कोड संपूर्ण ई-पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने के लिए है। बाद में प्रत्येक अध्याय में दिए गए क्यू आर कोड उस अध्याय से संबंधित ई-सामग्री प्राप्त करने में मदद करेंगे। यह कोड आपको आनंदपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेंगे।

अपने मोबाइल फ़ोन या टेबलेट द्वारा निम्नवत् चरणों का पालन करें और ई-सामग्री प्राप्त करें।

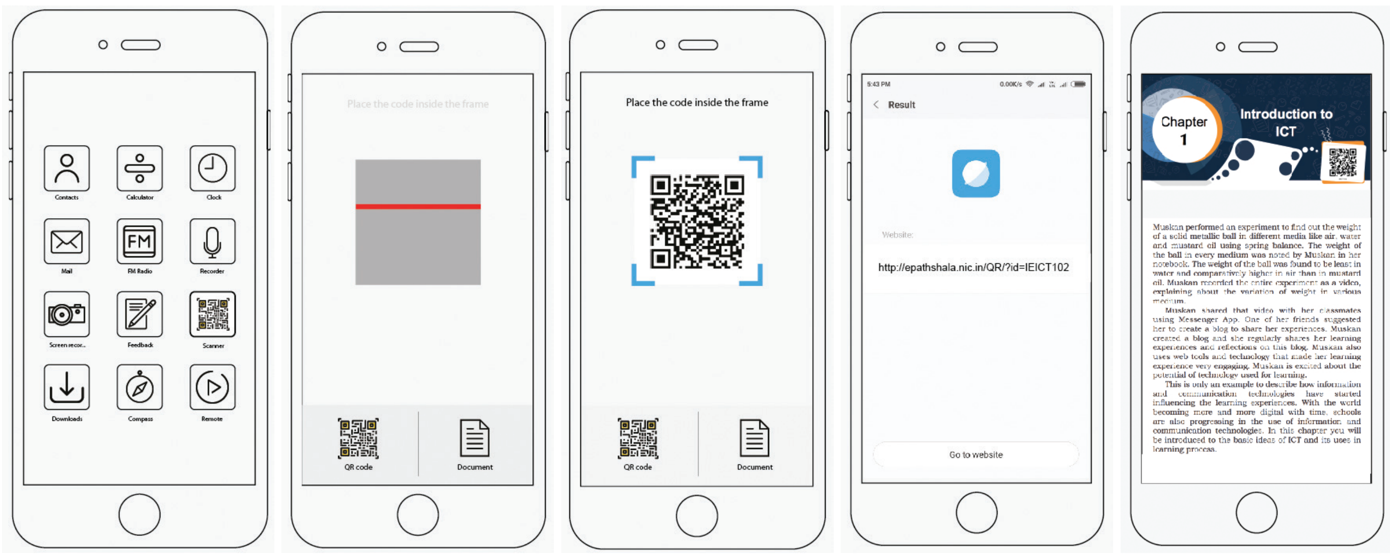

प्ले स्टोर से क्यू आर कोड स्कैनर एप इंस्टॉल करें और इसे खोलें	क्यू आर कोड स्कैनिंग विंडो को तैयार रखें	स्कैनर को क्यू आर कोड के सामने रखें	लिंक को सिलेक्ट एवं क्लिक करें	उपलब्ध ई-सामग्री का प्रयोग करें

कंप्यूटर या लैपटॉप पर ई-सामग्री प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएँ

1. फ़ायरफ़ॉक्स ( ), क्रोम ( ) आदि वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-पाठशाला वेबसाइट पर जाएँ (http//:epathshala.nic.in)।
3. 'एक्सेस ई-सामग्री' वाले बॉक्स पर क्लिक करें।
4. प्रत्येक क्यू आर कोड (0120CH01) के नीचे दिए गए अक्षरांकीय कोड को टंकित करें।
5. अब जो लिंक प्रस्तुत हुए हैं, उनके प्रयोग से ई-सामग्री खोजें।

निष्ठा

विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति
के लिए राष्ट्रीय पहल

NISHTHA

National Initiative for School Heads'
and Teachers' Holistic Advancement

विद्यालय नेतृत्व विकास पर
प्रशिक्षण पैकेज

UN80

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

नवंबर 2019 अग्रहायण 1941

PD 3T RPS

© *राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2019*

80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा गीता ऑफ़सेट प्रिंटर्स प्रा. लि., सी–90, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ़ेज़–I, नयी दिल्ली 110 020 द्वारा मुद्रित।

ISBN 978-93-5292-204-8

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमित के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट धनकल बस स्टॉप पिनहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021 फ़ोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनुप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*बिबाष कुमार दास*
सहायक उत्पादन अधिकारी	:	*अतुल सक्सेना*

आवरण एवं सज्जा

ग्राफ़िक्स सेक्शन, सी.आई.ई.टी.

आमुख

विद्यालय स्तर पर बच्चों की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में नयी परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से अनुक्रिया करने की योग्यता बढ़ाए तथा उन्हें स्वयं व दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाते हुए उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे। इस उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में पूर्व-सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों के उन्मुखीकरण के साथ उनके कौशलों को विकसित करने पर भी बल देते हैं। हालाँकि पूर्व-सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम में जो सिखाया जाता है तथा विद्यालयों में जो क्रियान्वित किया जाता है, उसमें काफी अंतर पाया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा किए गए अध्ययन बताते हैं कि अधिकांश विद्यालयों में किताबी ज्ञान केंद्रित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का ही प्रचलन है।

अतः प्रत्येक शिक्षक, विद्यालय प्रमुख तथा राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं के कुछ वर्तमान मुद्दों पर क्षमता संवर्धन की आवश्यकता को महसूस किया गया, जैसे कि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा, सीखने के प्रतिफल, विद्यालय आधारित आकलन तथा विषय विशिष्ट शिक्षणशास्त्र आदि। इस समेकित मॉडयूल को 'त्रिपुरा' राज्य में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया तथा पूरे देश में इसके क्रियान्वयन का प्रस्ताव रखा गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'समग्र शिक्षा' के 'प्रोजेक्ट एडवाइज़री बोर्ड' वर्ष 2019–20 के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तत्पश्चात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के लिए अपनाया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन. आई.ई.पी.ए., नीपा) के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर 42 लाख अध्यापकों एवं विद्यालयों प्रमुखों को प्रशिक्षित करने के लिए एम.एच.आर.डी. की पहल 'निष्ठा' विद्यालय प्रमुखों एवं अध्यापकों के समग्र विकास हेतु एक सराहनीय प्रयास है। निष्ठा के संचालन के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण पैकेज बनाए गए हैं — एक शिक्षकों के लिए तथा दूसरा विद्यालय प्रमुखों व व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए। शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में 12 मॉड्यूल्स हैं जो विभिन्न विषयों पर तैयार किए गए हैं, जैसे कि पाठ्यचर्या, विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणशास्त्र, समावेशी शिक्षा, व्यक्तिगत-सामाजिक गुण, सुरक्षित विद्यालय वातावरण, स्वास्थ्य व देखभाल, कला समेकित शिक्षा, शिक्षण-अधिगम में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), विद्यालय-आधारित आकलन, उच्च विचारात्मक कौशल, बहुभाषिकता, भाषा शिक्षणशास्त्र, गणित शिक्षणशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन तथा सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र। पैकेज को इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि मुख्य संसाधन व्यक्ति (KRPs) तथा शिक्षकों द्वारा इसका प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सके। ये मॉड्यूल्स विषय सामग्री पर केंद्रित न होकर 21 वीं सदी में दक्षताओं के शिक्षणशास्त्र पर केंद्रित हैं जिसमें स्व-अधिगम, विषयवस्तु तथा ऐसी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं जो मुख्य संसाधन व्यक्तियों (KRPs) एवं शिक्षकों को अपने सत्र एवं कक्षा की योजना बनाने में सहायक हैं।

इसके अतिरिक्त यह नेतृत्व पैकेज विद्यालयों में शिक्षकों को सहयोग देते हुए विद्यालय प्रमुखों द्वारा अकादमिक इनपुट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। शिक्षकों व विद्यालयों प्रमुखों को एक

सामूहिक मंच पर लाने की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए ही निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की गयी है। यह पैकेज राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा, नयी दिल्ली के सहयोग से तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र (एन.सी.एस.एल.) की स्थापना वर्ष 2012 में सरकारी व सहायता प्राप्त सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा विद्यालय प्रमुखों के नेतृत्व क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से की गयी थी, ताकि वे अपने विद्यालयों को 'उत्कृष्टता के केंद्र' के रूप में रूपातंरित कर सकें। केंद्र द्वारा स्व-रचित विद्यालय नेतृत्व क्षमता संवर्धन कार्यक्रम केवल एक बार के प्रशिक्षण कार्यक्रम न होकर, विद्यालय प्रमुखों के साथ एक साल तक निरंतर व गहन सलंग्नता को प्रोत्साहित करते हैं। ये कार्यक्रम विद्यालय नेतृत्व विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में उल्लेखित सात मुख्य क्षेत्रों को आधार मानते हुए बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य विद्यालय रूपांतरण हेतु विद्यालय प्रमुखों में ज्ञान, कौशल तथा दृष्टिकोण को विकसित करना है।

मैं, प्रोफ़ेसर एन.वी. वर्गीज, उप-कुलपति, नीपा का इस पैकेज को तैयार करने में नीपा टीम को दिए गए सहयोग व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इस दिशा में रा.शै.अ.प्र.प. तथा नीपा की सहभागिता विद्यालय प्रमुखों तथा शिक्षकों को एक सामान्य विचारधारा के साथ कक्षा-कक्ष परिदृश्य को सुधारने हेतु साथ मिलकर कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी।

मैं आशा करता हूँ कि यह नेतृत्व पैकेज 21वीं सदी के विद्यालयों को नेतृत्व प्रदान करने हेतु विद्यालय प्रमुखों तथा व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को एक बड़े सक्षम समूह के रूप में तैयार करने में सहायक होगा। सुधार के लिए टिप्पणियाँ व सुझाव directorncert@nic.in तथा ncsl@niepa.ac.in पर भेजे जा सकते हैं।

हृषिकेश सेनापति

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली

सितंबर, 2019

प्रस्तावना

विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणशास्त्र, दक्षता आधारित शिक्षण-अधिगम, विद्यालय आधारित आकलन आदि के महत्व एवं क्रियान्वयन को समझने के लिए, शिक्षकों का सहयोग करने की आवश्यकता महसूस की गई है। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा 2017 में कक्षा 3, 5, 8 के लिए आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणामों का जब विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि छात्रों का विभिन्न दक्षताओं पर प्रतिचित्रण उनकी उपलब्धि के स्तर में गिरावट को दर्शाता है।

शिक्षकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम, एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि न केवल विषयवस्तु और शिक्षणशास्त्र से शिक्षकों को अवगत कराता है बल्कि शिक्षा जगत से जुड़ी नयी प्राथमिकताओं और पहलों को भी साझा करता है। वर्तमान में शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा एक बार होने वाला प्रशिक्षण है, जो मुख्य रूप से केवल विषयवस्तु पर केंद्रित है। इसके अलावा, प्रशिक्षण का प्रचलित बहु-सोपानी मॉडल (cascade model of training), जब तक शिक्षकों तक पहुँचता है, तब तक जानकारी का उच्च प्रतिशत व्यय हो जाता है। परिणामस्वरूप, शिक्षक विद्यालय के क्रियाकलापों में सुधार लाने के लिए पूर्णत: पहल करने में सक्षम नहीं हो पाते। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि अन्य कार्यकर्ताओं, जैसे कि विद्यालय प्रमुखों की अपेक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया गया है एवं इस तथ्य की अनदेखी की गयी है कि वे विद्यालय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लागू करने में शिक्षकों को महत्वपूर्ण सहायता व सहयोग प्रदान करते हैं। इस कारण विद्यालय के कार्यकर्ताओं के बीच संरेखीकरण नहीं बन पाता है। इसलिए, यह महसूस किया गया कि विद्यालयी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे कि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणशास्त्र, अधिगम प्रतिफल, विद्यालय-आधारित आकलन और विषय-विशिष्ट शिक्षणशास्त्र पर प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख का क्षमता विकास अनिवार्य व आवश्यक है। इस समेकित मॉडयूल को 'त्रिपुरा' राज्य में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया तथा पूरे देश में इसके क्रियान्वयन का प्रस्ताव रखा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'समग्र शिक्षा' के 'प्रोजेक्ट एडवाइज़री बोर्ड' वर्ष 2019–20 के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तत्पश्चात मानव संधाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के लिए अपनाया गया। रा.शै.अ.प्र.प. एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के द्वारा प्रारंभिक स्तर पर 42 लाख अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों को प्रशिक्षित करने के लिए एम.एच.आर.डी. की पहल 'निष्ठा' विद्यालय प्रमुखों एवं अध्यापकों के समग्र विकास हेतु एक सराहनीय प्रयास है। निष्ठा में कई अनूठी विशेषताएँ हैं, जैसे कि विषयों एवं शिक्षणशास्त्रों का एकीकरण, सामाजिक मुद्दे, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विशेषताएँ, ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से फॉलोअप एवं सहयोग, विद्यालय आधारित आकलन एवं रा.शै.अ.प्र.प., नीपा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सी.बी.एस.ई. जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं का आपसी सहयोग एवं सहकार्यता।

विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम धरातलीय स्तर पर सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर है, फिर भी शैक्षणिक मुद्दों एवं सामाजिक चिंताओं के प्रति विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं के उन्मुखीकरण का महत्वपूर्ण तत्व अभी भी कहीं न कहीं एक कमजोर पहलू है। विद्यालय प्रमुख या प्रधानाचार्य विद्यालय का नेतृत्व तभी कर सकते हैं, जब वे शैक्षणिक मुद्दों को समझते हैं, विद्यालय के भीतर

शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ एक प्रभावी टीम बनाते हैं और विद्यालय की सीमाओं के बाहर समुदाय के साथ विद्यालय के संबंध मज़बूत करते हैं। विद्यालय प्रमुखों, संकुल, ब्लॉक और ज़िला स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच अलगाव सामने आया, जिसमें विद्यालय प्रमुखों ने महसूस किया कि विद्यालय रूपांतरण की उनकी यात्रा में व्यवस्था स्तर के कार्यकर्ताओं के सहयोग की कमी थी। परिणामस्वरूप, विद्यालय-व्यापी सुधारों को लागू करने में नेतृत्व द्वारा अंत:क्षेप के बावजूद इन परिस्थितियों ने बाधाओं के रूप में काम किया।

निष्ठा में इन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है और प्रत्येक विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को अब न केवल शैक्षणिक मुद्दों, बल्कि उन प्राथमिकताओं पर भी उन्मुखीकरण मिलेगा, जिनको विद्यालय प्रमुखों को अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। एन.सी.एस.एल, नीपा और रा.शै.अ.प्र.प. के सहयोग से विद्यालय नेतृत्व विकास हेतु पैकेज तैयार किया गया है जिसमें विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए पाँच मॉड्यूल शामिल हैं, जिनमें विद्यालय नेतृत्व, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता एवं विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें जैसे विषयों का समावेश किया गया है। नेतृत्व पर पहला मॉड्यूल एन.सी.एस.एल., नीपा द्वारा तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है— विद्यार्थी अधिगम को बढ़ाते हुए विद्यालय गुणवत्ता में सुधार के केंद्रित विज़न के साथ विद्यालयों के बदलाव हेतु विद्यालय प्रमुखों को सक्षम बनाना। रा.शै.अ.प्र.प. टीम के द्वारा चार अन्य मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं। ये सभी अभ्यास-केंद्रित मॉड्यूल्स, साझा करने एवं चिंतन-मनन हेतु अनेक अंतर्निहित अवसरों के साथ परिपूर्ण हैं। इन मॉड्यूल्स की विधि अंत:क्रियात्मक एवं अनुभवात्मक परिप्रेक्ष्य से बनायी गयी है जिसके माध्यम से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास किया गया है।

पैकेज को इस तरह से बनाया गया है कि राज्य संसाधन व्यक्ति-नेतृत्व (एस.आर.पी.एल.), विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।

प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग कैसे करें

'निष्ठा' कार्यक्रम को एक समग्र क्षमता विकास कार्यक्रम के रूप में संकल्पित किया गया है, जिसमें सभी भागीदार — अध्यापकों, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को एक छत के नीचे सम्मिलित किया गया है। यह कार्यक्रम सभी भागीदारों को उनके विद्यालयों में सकारात्मक बदलाव हेतु सहयोगी रूप से सोचने, रूपरेखा बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के साथ पारस्परिक अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को समझने में भी सक्षम बनाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ विद्यार्थी-अधिगम एवं विद्यार्थी-अधिगम प्रतिफलों के सुधार पर भी केंद्रित है। विद्यालय नेतृत्व विकास पैकेज, राष्ट्रीय संसाधन समूह (एन.आर.जी.) सदस्यों, राज्य संसाधन व्यक्ति-नेतृत्व (एस.आर.पी.एल), विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं (संकुल/ब्लॉक/ज़िला स्तर पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं) के लिए तैयार किया गया है। एस.आर.पी.एल. में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.ए.टी.), ज़िला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.), इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज़ इन एजुकेशन (आई.ए.एस.ई.), कॉलेज ऑफ़ टीचर एजुकेशन (सी.टी.ई.), ब्लाक संसाधन समन्वयक (बी.आर.सी.), संकुल संसाधन समन्वयक (सी.आर.सी.), माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों के संकाय सदस्य सम्मिलित हैं जिनको संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा चिह्नित किया गया है। निष्ठा कार्यक्रम में एस.आर.पी.एल. की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ही प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं में क्षमता का विकास करेंगे।

इस पैकेज के उद्देश्य हैं —

- विद्यार्थी-अधिगम एवं विद्यार्थी-अधिगम प्रतिफलों में सुधार को केंद्रित करते हुए विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु एस.आर.पी.एल., विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं में आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण को विकसित करना।
- अध्यापकों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से विद्यालय आधारित आकलन के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय प्रमुखों को अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना।
- प्रत्येक कक्षा में सभी मुख्य विषयों के निर्धारित अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति हेतु अध्यापकों के अकादमिक पर्यवेक्षण के लिये ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाना।
- विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के मध्य पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, जेंडर समानता एवं विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलों के महत्व और इनके बारे में समझ विकसित करना।

विद्यालय नेतृत्व विकास का यह पैकेज दो खंडों में हैं। खंड 1 में पाँच मॉड्यूल, विद्यालय प्रमुखों को उनके विद्यालयों को बदलने की प्रक्रिया में पहल एवं प्रोत्साहन हेतु एक मुख्य भूमिका निभाते हैं जिससे वे विद्यार्थी-अधिगम पर ज़ोर देने के साथ-साथ विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता के विभिन्न मानकों पर भी काम कर सकें। इस पैकेज में निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों में क्षमता विकास हेतु तैयार किए गए सामान्य एवं शिक्षणशास्त्रीय मॉड्यूल के संदर्भ भी सम्मिलित किए

गए हैं। इन मॉड्यूल की प्रासंगिकता, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकताओं के लिये अकादमिक पर्यवेक्षण की अवधारणा में निहित है।

खंड 2 कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र-योजना की रूपरेखा के बारे में बताता है। दो दिन की कार्यशाला योजना राष्ट्रीय संसाधन समूह (एन.आर.जी.) के द्वारा राज्य संसाधन व्यक्ति-नेतृत्व (एस.आर.पी.एल.) को देते हुए संपादित की जाएगी। इस बात पर भी बल दिया जाता है कि एन.आर.जी. सदस्य सभी पाँचों मॉड्यूल्स को व्यापक रूप से समझें एवं सत्र-योजना में बताए गए सत्र को लेने से पूर्व-नोट्स भी बनाएँ। इसके पश्चात जब भी एस.आर.पी.एल., प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं में क्षमता-विकास कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर संपादित करते हैं, तो उन्हें विद्यालय प्रमुखों के साथ अकादमिक नेतृत्व पर विस्तृत चर्चा करनी होती है। अकादमिक नेतृत्व की अवधारणा से अभिप्राय है कि किस प्रकार विद्यालय प्रमुख अपने अध्यापकों के साथ मिलकर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की एक गहरी समझ विकसित करते हैं एवं उस ज्ञान को विद्यार्थी-अधिगम में सुधार हेतु एवं कक्षा-कार्यों के पर्यवेक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। एस.आर.पी.एल., कार्यशाला के माध्यम से विद्यालय प्रमुखों को प्रभावी पर्यवेक्षण, विद्यालयों में अधिगम वातावरण का निर्माण एवं विद्यार्थी-अधिगम हेतु विद्यालय आधारित आकलन के लिए आवश्यक कौशल एवं दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ब्लॉक स्तर पर इस पैकेज के क्रियान्वयन के दौरान, एस.आर.पी.एल. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, जेंडर-समानता एवं विद्यालयी शिक्षा में नयी पहल करने के ज्ञान को भी सम्मिलित करते हैं। एस.आर.पी.एल. से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ सतत् एवं वृहद अधिगम हेतु वेब संदर्भों को सम्मिलित करते हुऐ विभिन्न संदर्भ सामग्री को साझा करने की भी आशा की जाती है।

पैकेज में 'सुगमकर्ता' शब्द का प्रयोग

एन.आर.जी. एवं एस.आर.पी.एल.

यह पैकेज एन.आर.जी एवं एस.आर.पी.एल. जो कि सुगमकर्ता हैं, के प्रयोग हेतु तैयार किया गया है। 'निष्ठा' हेतु 'क्षमता विकास कार्यशाला' दो स्तर पर होनी हैं। प्रथम स्तर पर 'राष्ट्रीय संसाधन समूह' के सदस्यों द्वारा 'राज्य संसाधन समूह' का क्षमता विकास होना है। 'राज्य संसाधन समूह' राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर बनाए जाएँगे। 'राज्य संसाधन समूह' में 'मुख्य संसाधन व्यक्ति' (के.आर.पी.) एवं 'राज्य संसाधन व्यक्ति-नेतृत्व' (एस.आर.पी.एल.) होंगे। दूसरे स्तर पर 'राज्य संसाधन समूह' में सम्मिलित मुख्य संसाधन व्यक्ति व राज्य संसाधन व्यक्ति-नेतृत्व मिलकर ब्लॉक स्तर पर अध्यापकों, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास करेंगे।

सुगमकर्ताओं के लिए

सुगमकर्ताओं को विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु विद्यालय नेतृत्व विकास के उद्देश्य एवं विषयवस्तु को समझने की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि सर्वप्रथम, सुगमकर्ता प्रत्येक मॉड्यूल को अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि जब कार्यशाला का आयोजन हो तो सत्र में मॉड्यूल के सभी पहलुओं के बारे में चर्चा की जा सके। सत्र-योजना में जो गतिविधियाँ दी गई हैं, वे नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आरंभिक बिंदुओं को दर्शाती हैं जो मॉड्यूल

में पूर्ण विवरण में दी गई हैं। सुगमकर्ता सत्र-योजना में दी गई गतिविधियों अथवा संबंधित मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों में से कोई भी चुन सकते हैं। वास्तव में, सत्र-योजना की गतिविधियाँ भी मॉड्यूल्स से ही ली गई हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि एस.आर.पी.एल., निष्ठा हेतु तैयार किए गए मॉड्यूल के वेब लिंक उन सभी विद्यालय प्रमुखों, अध्यापकों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रदान करें जो क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं। ऐसा करने से विद्यालय प्रमुख, अध्यापक एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता इन मॉड्यूल्स को डाउनलोड करने में समर्थ होंगे एवं अपने स्तर पर उनको पढ़ सकेंगे। ये मॉड्यूल्स स्व-निर्देशात्मक सामग्री हैं जिनको विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता अधिक स्पष्टता के लिए एवं विद्यालयों में क्रियान्वयन हेतु स्वयं पढ़ सकते हैं।

विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता कौन हैं?

विद्यालय प्रमुख से अभिप्राय है, उन अध्यापकों से जो प्रारंभिक स्तर पर (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/सयुंक्त) नामित प्रमुख पद पर हैं अथवा वरिष्ठ अध्यापक जो विद्यालय प्रमुख की भूमिका निभा रहें हों। अत: विद्यालय प्रमुख एक नियमित पदाधिकारी अथवा प्रभारी हो सकता है। व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिप्राय प्रारंभिक शिक्षा में संकुल, ब्लॉक, ज़िला स्तर पर कार्यरत शैक्षिक कार्यकर्ताओं से है। पैकेज में प्रयोग किए गए ये शब्द मात्र सूचक हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं को विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। पैकेज में प्रयोग किए गए शब्द—

सी.आर.सी. — संकुल ससांधन समन्वयक
बी.आर.सी/ए.बी.आर.सी. — ब्लॉक संसाधन समन्वयक/सहायक ब्लॉक संसाधन समन्वयक
बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ. — ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
डी.ई.ओ. — ज़िला शिक्षा अधिकारी

खंड 1—नेतृत्व संबंधित मॉड्यूल्स

इस भाग में पाँच मॉड्यूल हैं जो एस.आर.पी.एल., विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के नेतृत्व संवर्धन हेतु बनाए गए हैं। विवरण निम्न प्रकार है—

मॉड्यूल 1: विद्यालय नेतृत्व—अवधारणा एवं अनुप्रयोग

यह मॉड्यूल विद्यालय प्रमुखों, अध्यापकों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं में विद्यालय नेतृत्व पर ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण बढ़ाने हेतु विषयवस्तु के बारे में बताता है। साथ ही यह मॉड्यूल विद्यालय में अधिगम वातावरण को विकसित करने एवं अकादमिक पर्यवेक्षण के मुद्दों पर विशेष जानकारी देता है। इससे जुड़े हुए चिंतन-मनन के प्रश्न इस प्रकार हैं—

- एक प्रभावी विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या विशेषताएँ होती हैं? एक सक्रिय नेतृत्वकर्ता से क्या अभिप्राय है?
- एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की बहुमुखी भूमिकाएँ एवं दायित्व क्या हैं? विद्यालय प्रमुख के लिए अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है?

- विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए अकादमिक नेतृत्व का क्या अभिप्राय है?
- विद्यार्थी-अधिगम एवं विद्यार्थी-अधिगम प्रतिफलों को बढ़ाने हेतु विद्यालय प्रमुख, कक्षाओं की शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण किस प्रकार कर सकता/सकती है?
- विद्यार्थी-अधिगम एवं विद्यार्थी-अधिगम प्रतिफलों में सुधार हेतु विद्यालय प्रमुख किस प्रकार से विद्यालय में एक सहयोगी अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकता/सकती है?
- विद्यालय विकास योजना क्या है एवं विद्यालय के रूपांतरण हेतु इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है?

मॉड्यूल 2: पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

यह मॉड्यूल निम्न विषयों पर चर्चा करता है—

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त विकासात्मक व उचित अभ्यास एवं शिक्षणशास्त्र क्या हैं?
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों में जीवनपर्यंत अधिगम हेतु एक मज़बूत नींव बन सके एवं वे सभी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने के योग्य बन सकें?
- बच्चों की वृद्धि, विकास एवं अधिगम आवश्यकताओं के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, बाल जीवन चक्र के प्रथम छह वर्षों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?
- अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्यालय प्रमुख की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि वह पूर्व-प्राथमिक बच्चों में प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान एवं साक्षरता बढ़ाने हेतु अध्यापकों का सहयोग कर सकें?

मॉड्यूल 3: विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

यह मॉड्यूल निम्न विषयों पर चर्चा करता है—

- कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के व्यावसायीकरण से क्या तात्पर्य है?
- विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यार्थियों को पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के लिए किस प्रकार तैयार कर सकते हैं एवं 21 वीं सदी हेतु वांछित दक्षता के विकास में अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं?
- विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यालय में किन पूर्व-व्यावसायिक प्रक्रियाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो बच्चों की पढ़ाई पूर्ण होने के पश्चात, व्यावसायिक रूप से उन्हें उपलब्ध हैं?
- अपने अध्यापकों के साथ मिलकर, विद्यालय नेतृत्वकर्ता किस प्रकार अपने विद्यार्थियों को कार्य व श्रम की महत्ता को समझा सकते हैं एवं साथ ही उनमें इनके प्रति विश्वास भर सकते हैं?

मॉड्यूल 4: शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता

यह मॉड्यूल निम्न विषयों पर चर्चा करता है—

- विद्यालय एवं कक्षा प्रक्रिया में जेंडर संवेदीकरण से क्या तात्पर्य है?
- विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं अध्यापक किस प्रकार एक ऐसे विद्यालय वातावरण का निर्माण कर सकते हैं जो जेंडर समानता के आधार पर शिक्षा के प्रजातांत्रीकरण पर केंद्रित हो?
- जेंडर समानता की तर्ज पर स्वयं, शिक्षकों और कर्मचारियों के दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार के प्रारूप को बदलने में एक स्कूल नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका है?
- जेंडर समानता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय नेतृत्वकर्ता की स्वयं, अध्यापकों एवं स्टाफ के दृष्टिकोण, मान्यताओं एवं व्यावहारिक गतिविधियों के परिवर्तन हेतु क्या भूमिका हो सकती है?
- कैसे विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता नामांकन में जेंडर असमानता को कम कर सकते है एवं सभी में समान अधिगम अवसरों के वितरण को सुनिश्चित कर सकते हैं?

मॉड्यूल 5: विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें

यह मॉड्यूल निम्न विषयों पर चर्चा करता है—

- विद्यालयी शिक्षा में हुई वर्तमान पहलों को जानने की विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकताओं को क्या आवश्यकता है (परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यू.डी.आई.एस.ई.+, समग्र शिक्षा के विभिन्न घटक आदि)?
- विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु विद्यालय नेतृत्वकर्ता एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता किस प्रकार समग्र शिक्षा के विभिन्न घटकों को व्यवहार में ला सकते हैं?

खंड 2—कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र-योजना

यह भाग निष्ठा हेतु कार्यशाला कार्यक्रम के बारे में हैं जो एस.आर.पी.एल., विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को पहले चरण में एस.आर.जी. को देते हुए एन.आर.जी. संपादित करेंगे। सुझाव दिया गया है कि इस कार्यशाला के दौरान, कम-से-कम पहले दिन के पहले भाग में मुख्य संसाधन व्यक्ति (के.आर.पी.) के साथ राज्य संसाधन व्यक्ति-नेतृत्व (एस.आर.पी.एल.) भी उपस्थित रहें, ताकि वे एक व्यापक समूह के रूप में विद्यालय नेतृत्व के मुख्य पहलुओं से परिचित हो सकें। जब एस.आर.पी.एल. ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, तो वहाँ पर अध्यापकों, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक संयुक्त समूह होगा। जैसा कि पहले भी इंगित किया गया है, एस.आर.पी.एल., को मुख्य रूप से विद्यार्थी अधिगम स्तर को बढ़ाने हेतु अकादमिक नेतृत्व पर चर्चा केंद्रित करनी है, साथ ही अन्य विषयों, जैसे—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलों आदि के संदर्भ को भी उजागर करना है।

मुख्य वेब लिंक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
https://mhrd.gov.in

निष्ठा
https:/itpd.ncert.gov.in/

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी)
https:/www.ncert.nic.in/

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)
https:/niepa.ac.in/ new/

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र (एन.सी.एस.एल.), नीपा
https:/ncsl.niepa.ac.in/

विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यक्रम (एन.सी.एस.एल.)
https:/pslm.niepa.ac.in/

विकास समिति

आर.के. पाठक, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, पं. सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, रा.शै.अ.प्र.प.

इंदु कुमार, *प्रोफ़ेसर*, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

उषा शर्मा, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

एन. मैथिली, *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा, नयी दिल्ली

ए.के. राजपूत, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

एंजेल रत्नाबाई, *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

कश्यपी अवस्थी, *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा, नयी दिल्ली

चारु स्मिता मलिक, *वरिष्ठ सलाहकार*, राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा, नयी दिल्ली

पद्मा यादव, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

पिंकी खन्ना, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, पं. सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, रा.शै.अ.प्र.प.

प्रमिला तंवर, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

मामूर अली, *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

मिली रॉय आनंद, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

मोना यादव, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

रश्मि दीवान, *प्रोफ़ेसर* एवं *विभागाध्यक्ष*, राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा, नयी दिल्ली

रोमिला सोनी, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

रंजना अरोड़ा, *प्रोफ़ेसर*, पाठ्यचर्या अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

लक्ष्मीधर बेहेरा, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

वरदा एम. निकल्जे, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

वी.एस. मेहरोत्रा, *प्रोफ़ेसर*, पं. सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, रा.शै.अ.प्र.प.

सुनीता चुघ, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा, नयी दिल्ली

सुनीति सनवाल, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

सुबिता जी.वी., *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा, नयी दिल्ली

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पूरे देश में समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलों को सहयोग देने एवं साझा करने हेतु रीना रे, *सचिव*, एम.एच.आर.डी.; मनीष गर्ग, *संयुक्त सचिव*, डी.एस.ओ.ई.एंड एल., एम.एच.आर.डी.; राशि शर्मा, *निदेशक*, डी.एस.ओ.ई.एंड एल., एम.एच.आर.डी.; तारा नोरेम, *मुख्य सलाहकार*, डी.एस.ओ.ई.एंड एल., एम.एच.आर.डी., पूरबी पटनायक, *वरिष्ठ सलाहकार*, डी.एस.ओ.ई.एंड एल., एम.एच.आर.डी. और प्रज्ञा शर्मा, *यंग प्रोफ़ेशनल*, डी.एस.ओ.ई. एंड एल., एम.एच.आर.डी.; के प्रति विशेष रूप से आभारी है।

परिषद्, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तर के कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस पैकेज का डिज़ाइन एवं नेतृत्व पर मॉड्यूल तैयार करने के लिए, प्रोफ़ेसर एन.वी. वर्गीज, *उप-कुलपति*, नीपा और उनकी टीम को हार्दिक धन्यवाद देती है।

विद्यालय नेतृत्व विकास पर यह पैकेज राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा और रा.शै.अ.प्र.प. का एक सहयोगात्मक प्रयास है। परिषद् सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कुछ निजी स्कूलों, जैसे—संस्कृति स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल आदि और कुछ एन.जी.ओ., जैसे—अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और अरबिंदो सोसायटी से प्राप्त फ़ीडबैक एवं सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। इनके सुझावों ने रा.शै.अ.प्र.प. और नीपा के मॉड्यूल में सुधार लाने में मदद की है।

परिषद् इस पैकेज के आवरण आकल्पन (कवर डिज़ाइन) के लिए पवन सुधीर, *प्रोफ़ेसर* और *विभागाध्यक्ष*, डी.ई.ए.ए. की भी आभारी है।

परिषद् हिंदी अनुवाद संपादन के लिए डॉ. पवित्रा देवी, *व्याख्याता (अँग्रेज़ी)*, राजकीय इंटर कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश; डॉ. चारु स्मिता मालिक, *वरिष्ठ सलाहकार*, एन.सी.एस.एल तथा श्रीमती मोनिका बजाज, *कनिष्ठ सलाहकार*, एन.सी.एस.एल. का धन्यवाद ज्ञापित करती है। वास्तव में, समय पर दिए गए उनके सहयोग से ही इस पैकेज के हिंदी संस्करण को अंतिम रूप दिया जा सका है।

परिषद्, अतुल मिश्र, *सहायक संपादक* (संविदा); रवि रंजन सिंह, प्रूफ़ रीडर (संविदा); और सुरेंद्र कुमार, *डी.टी.पी.*; मोहम्मद आतिर, मसीहुद्दीन, सचिन तँवर एवं गिरीश गोयल, *डी.टी.पी.* (संविदा), का इस पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए आभार व्यक्त करती है। परिषद् अपने प्रकाशन प्रभाग और वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के सहयोग के लिए भी आभारी है।

विषय सूची

आमुख *iii*

प्रस्तावना *v*

प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग कैसे करें *vii*

खंड 1 — नेतृत्व संबंधित मॉड्यूल्स **1–142**

मॉड्यूल 1 : विद्यालय नेतृत्व — अवधारणा एवं अनुप्रयोग 3

मॉड्यूल 2 : पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 44

मॉड्यूल 3 : विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा 69

मॉड्यूल 4 : शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता 97

मॉड्यूल 5 : विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें 113

खंड 2 — कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना **143–176**

The journey of a thousand miles
begins with a sigle step.

— *Lao Tzu*

हज़ारों मीलों के सफ़र की शुरुआत पहले
कदम से ही होती है।

— लाओत्सु

खंड I
नेतृत्व संबंधित मॉड्यूल्स

मॉड्यूल 1 : विद्यालय नेतृत्व — अवधारणा एवं अनुप्रयोग

मॉड्यूल 2 : पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

मॉड्यूल 3 : विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

मॉड्यूल 4 : शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता

मॉड्यूल 5 : विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें

अच्छे नेता की पहचान यह है कि वह नेता तैयार करता है, अनुयायी नहीं।

—महात्मा गाँधी

मॉड्यूल
1

विद्यालय नेतृत्व — अवधारणा एवं अनुप्रयोग

UN80MD01

यह मॉड्यूल विद्यालय व शिक्षा प्रणाली, जिसका विद्यालय एक अभिन्न अंग है, के संदर्भ में नेतृत्व की अवधारणा की एक व्यापक समझ बनाने में मदद करता है। इसे विशेष रूप से प्रारंभिक विद्यालयों के प्रमुखों को नेतृत्वकर्ता एवं प्रभावी पेशेवर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ऐसे नेतृत्वकर्ता जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के उद्देश्य के साथ अपने विद्यालयों को रूपांतरण की ओर ले जा सकें। यह देखा गया है कि विद्यालय पृथक होकर काम नहीं करते हैं। भारत के शैक्षणिक प्रशासनिक ढाँचे में (देश-भर में थोड़े से बदलाव के साथ) विद्यालय एक इकाई के रूप में संकुलों में, संकुल, ब्लॉक में एवं ब्लॉक, एक ज़िले के अंतर्गत स्थित है। राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र का मानना है कि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने विद्यालय में केवल तभी पूर्ण रूप से सुधार ला सकता है, जब संकुल, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर एक अनुकूल और सहायक नेतृत्व मौजूद हो। यह मॉड्यूल वृहद रूप से विद्यालय प्रमुखों की बहु-भूमिकाओं, दायित्वों एवं 'लीडर्स इन एक्शन' की अवधारणा के साथ विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करने पर केंद्रित है। इसके अलावा, यह विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का अकादमिक नेतृत्व पर क्षमता संवर्धन भी करता है। अंत में, मॉड्यूल में एक रूपांतरित विद्यालय की कल्पना करने और सपने को वास्तविकता में बदलने की दिशा में विद्यालय प्रमुखों के लिए विद्यालय विकास योजना पर एक संक्षिप्त नोट भी है। हालाँकि मॉड्यूल मुख्य रूप से विद्यालय प्रमुखों के लिए संकल्पित किया गया है, पर इसमें व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं की नेतृत्व आवश्यकताओं का भी वर्णन किया गया है। इस मॉड्यूल की सत्र-योजना (पैकेज, खंड 2) के हर भाग में व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक अवधारणा के साथ चिंतन-मनन के प्रश्न प्रस्तुत हैं।

मॉड्यूल के उद्देश्य

विद्यालय प्रमुख सक्षम होंगे —

- विद्यालय प्रमुख से जुड़ी हुई बहु-भूमिकाओं व दायित्वों के साथ-साथ विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझने और विकसित करने में;
- विद्यालयों में विद्यार्थी अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व विकसित करने में;
- विद्यार्थियों के अधिगम के अनुकूल शिक्षण वातावरण के निर्माण के माध्यम से विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में;
- इसके अलावा व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता (सी.आर.सी./बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी./ बी.ई.ओ./ ए.बी.ई.ओ/डी.ई.ओ./डी.पी.ओ.) विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार करते हुए संकुलों, ब्लॉक एवं ज़िलों को आगे ले जाने के लिए एक साझा विज़न विकसित करने में सक्षम होंगे।

मॉड्यूल
1

नेतृत्व विकास हेतु सीखने के प्रतिफल — ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण ढाँचा

विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं हेतु अधिगम प्रतिफलों को नीचे दी गई ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की तालिका से समझा जा सकता है। यह माना जाता है कि इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय प्रमुख और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता अपने विद्यालय, संकुल, ब्लॉक और ज़िले का अकादमिक नेतृत्व करने के लिए इन ज्ञान, कौशलों व दृष्टिकोणों को विकसित करने में सक्षम होंगे। वयस्क अधिगम के संदर्भ में —

- ज्ञान का क्या तात्पर्य है? सिद्धांतों और सिद्धांत व अभ्यास की पारस्परिक अंत:क्रिया को समझने का तत्व
- कौशल से क्या तात्पर्य है? सिद्धांत या अभ्यास के क्रियान्वयन का तत्व;
- दृष्टिकोण से तात्पर्य उस परिप्रेक्ष्य से है जो एक व्यक्ति की सोच और मान्यता प्रणालियों की उपज होता है।

ज्ञान
विद्यालय नेतृत्व
पेडागॉजिकल-कंटेंट नॉलेज (शिक्षण शास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान)
अकादमिक पर्यवेक्षण
दल अधिगम
विद्यालय विकास योजना
शिक्षा में आई.सी.टी. की पहल

कौशल
विज़न का विकास
सहकार्यता
संप्रेषण
अकादमिक पर्यवेक्षण
शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के बदलाव में सहयोग देना
योजना एवं समीक्षा करना

दृष्टिकोण
पहल करना
सकारात्मक दृष्टिकोण
अग्र-सक्रियता
विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है
विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा अधिगम लेखाचित्र पर उन्नति कर सकता है

नेतृत्व — एक अवधारणा

यह भाग नेतृत्व की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताता है। इस भाग के आरंभ में स्व-प्रेरणा व अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा नेतृत्व की बुनियादी विशेषताओं पर व्याख्यान के माध्यम से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की अवधारणा को समझने के लिए प्रेरित किया गया है। ये विशेषताएँ किसी भी स्थिति में प्रयोज्य हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि एक विद्यालय के संदर्भ में या शैक्षिक पृष्ठभूमि में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका एक प्रशासक व एक प्रबंधक के अतिरिक्त भी समझने की आवश्यकता है। इन बातों पर 'लीडर्स इन एक्शन' भाग में चर्चा की गई है।

स्वयं और प्रेरणा

एक नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं की समझ अत्यंत आवश्यक है। इस समझ से आप स्वयं के दृष्टिकोण व क्षमताओं के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित होते हैं व अपने अंदर व बाहर बदलाव लाने के लिए सक्षम बनते हैं। फलस्वरूप, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। स्वयं की समझ की शुरुआत आप आत्मचिंतन के अभ्यास से कर सकते हैं, जो कि स्व-अधिगम प्रक्रिया का एक अंश है। इसके माध्यम से आप अपनी अभिरुचियों एवं क्रियाओं पर विचार-प्रश्न एवं पुनर्विचार कर सकते हैं, जो कि एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि यह प्रक्रिया आपके दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देगी जो यह कहती है कि, "हाँ ! मैं कर सकता/सकती हूँ!", विशेषतः तब जब आप एक चुनौती का सामना कर रहे होंगे। इससे आपको अपने विद्यालय के रूपांतरण में एवं एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। स्वयं की समझ व विकास से प्राप्त ज्ञान व कौशलों से आप स्वयं में बदलाव लाने व स्वयं को एक आदर्श (role model) एवं समस्या समाधानकर्ता के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाने में सक्षम होंगे। इससे आपकी, अन्य के व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

स्वयं का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवनपर्यंत चलती है। इस प्रक्रिया के अनेक पहलू हैं, जैसे कि अपने व्यवहार, सोच, ज्ञान व कौशल में बदलाव या वृद्धि लाना, एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना, स्वयं को जीवन के विभिन्न अनुभवों में रखना, स्व-अध्ययन द्वारा व्यावसायिक रूप से विकसित होना, अपने साथियों से सीखना अथवा सेवारत कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना—ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा आप स्वयं का विकास कर सकते हैं। स्वयं की बेहतरी के लिए आप जितना बदलाव लाएँगे, उतना ही अधिक विद्यालय का नेतृत्व करने के लिए आपका विश्वास बढ़ेगा। अतः इस यात्रा के आरंभ में, आप स्वयं से यह प्रश्न पूछें—

एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए वे बुनियादी विशेषताएँ क्या हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है?

एक नेतृत्वकर्ता की प्रमुख विशेषताएँ
• पहल करना, पहला कदम उठाना
• सकारात्मक दृष्टिकोण रखना
• स्व-प्रेरित होना
• दूसरों को अभिप्रेरित करना अथवा प्रभावित करना
• बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना

क्या आप सहमत हैं कि एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए व्यक्ति को पहल करने की आवश्यकता होती है? नेतृत्वकर्ता की मूलभूत विशेषताओं पर विचार कीजिए जो

आपने सूचीबद्ध की हैं। ये वो विशेषताएँ हैं जो एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में विकसित करने की आवश्यकता है।

आप अंत में दिए गए वीडियो लिंक को भी देख सकते हैं। इस वीडियो से आपने नेतृत्व की क्या महत्वपूर्ण सीख ली?

नेतृत्व कार्रवाई

प्राय: दो तरह के नेतृत्वकर्ता देखे जाते हैं — वे जिन्हें हम 'लीडर्स बाई पोज़िशन' कह सकते हैं। ऐसे लीडर्स जो किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं या जो वरिष्ठतम स्टाफ होने के कारण इस पद पर पहुँचे हैं। दूसरे, वे लीडर्स हैं जो अपने कार्यों के आधार पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता 'लीडर्स बाई एक्शन' कहलाते हैं। 'लीडर्स बाई एक्शन' सभी को एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ लेकर चलते हैं और अपने ज्ञान, कौशल और सबसे महत्वपूर्ण एक सकारात्मक एवं सक्रिय दृष्टिकोण के कारण हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऐसे लीडर्स किसी पद पर कार्यरत हों, इनकी सोच और कार्य, लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती है जिसके फलस्वरूप लोग उनका अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। एक विद्यालय प्रमुख अथवा व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में आप वरिष्ठता या अन्य कारणों से किसी पद पर कार्यरत एक नियुक्त नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। किन्तु, इसके अतिरिक्त क्या आप 'लीडर बाई एक्शन' भी हैं?

ज़रूरी है कि आप 'लीडर बाई एक्शन' भी हों जिससे कि आप अपने विद्यालय या इकाई (संकुल/ब्लाक/ज़िला) में बदलाव ला सकें। लीडर्स बाई एक्शन की कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे कि — स्व-प्रेरित होना, अन्य को अभिप्रेरित करना, पारस्परिक संबंधों का विकास करना, रचनात्मक और समालोचनात्मक चिंतन करना, निर्णय लेना और सभी को एक दल के रूप में साथ लेकर चलने की क्षमता रखना।

नेतृत्व की परिभाषा

आम बोलचाल की भाषा में नेतृत्वकर्ता, प्राधिकारी या शक्ति वाले व्यक्तियों को माना जाता है जो संगठन का नेतृत्व करते हैं।

आइए, हम 'शक्ति' (Power), 'प्राधिकार' (Authority) व 'प्रभाव' (Influence) पर गौर करें और समझने का प्रयास करें कि कैसे ये शब्द वास्तव में हमें नेतृत्व को परिभाषित या पुनः परिभाषित करने में सहायता करते हैं।

शक्ति (Power) — पुरस्कार और दंड के हथकंडों को अपनाकर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता का ही दूसरा नाम "शक्ति" है। शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं (1) बलात्मक शक्ति (2) लाभकारी शक्ति (जैसे कि पैसा या नकद) और (3) मानकीय शक्ति (मानदंड, नियमों और विनियमों संबंधी)। पूर्व में पारंपरिक राजा और वर्तमान में कुछ राजनैतिक व असामाजिक तत्व ऐसी शक्तियों का प्रयोग अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए कर सकते हैं।

प्राधिकार (Authority)—वैधानिक शक्ति है। प्राधिकार वह अधिकार है जो कि किसी वैधानिक नियम से मिला है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अफ़सरों के पास जो प्राधिकार हैं वे उनके आधार पर अपने क्षेत्र में अपना नेतृत्व स्थापित करते हैं।

प्रभाव (influence)—पुरस्कार, दंड अथवा प्राधिकार के उपायों के बिना अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता है।

आप इन सभी तीन तरीकों के संदर्भ में अपने नेतृत्व पर आत्मचिंतन कर सकते हैं।

इन सब में सबसे उपयुक्त तरीका है, बिना प्राधिकार के दूसरों को प्रभावित कर पाना व पुरस्कार और दंड के बिना विश्वास का वातावरण बनाए रखना। प्रभाव का असर प्रबल, चिरस्थायी और टिकाऊ होता है। सभी विद्यालय अथवा शैक्षणिक परिस्थितियों में उपयुक्त नेतृत्व के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है—"नेतृत्व प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है"

प्रशासन से ऊपर—नेतृत्व की ओर

विद्यालय में आपको अलग-अलग भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं। कभी तो प्रशासक की तरह संगठन के दायित्वों को देखना पड़ता है और कभी किसी कम्पनी के सी.ई.ओ. की तरह आपको विद्यालय के विभिन्न विभागों का प्रबंधन कार्य देखना होता है। कार्यों की इस चहल-पहल में आप जो खो देते हैं, वह है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सोचना और कल्पना करना कि जिन कार्यों पर आप समय दे रहे हैं क्या वे आपके विद्यालय को सुधार व रूपांतरण की दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं?

एक प्रशासक, प्रबंधक अथवा नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करने में अंतर है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और स्वयं निर्णय करें कि आप विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को कहाँ पाते हैं?

आप चित्र में देखेंगे कि जैसे-जैसे काम का क्षेत्र बड़ा होता है, वैसे-वैसे आपके काम करने की प्रकृति भी बदलती है। काम को करते समय जब आप केवल नियमों और विनियमों के भीतर कार्य करते हैं, तब आप प्रशासनिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। इस भूमिका में आपके काम का दायरा संकीर्ण होता है। यह अत्यधिक नौकरशाही संरचना में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपनी सहज स्थिति में न रह कर उच्च पदस्थों द्वारा तय की गई सीमाओं का सहारा लेना अच्छा समझता है। अधिकतर मामलों में आप निर्देशों के लिए इंतज़ार करते हैं और अपने निर्णय लेने के कौशल पर निर्भर नहीं होते।

जब आप अपने विवेक द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और विभागों की निगरानी कर अपने विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने का प्रयास करते हैं तो आप

विस्तारित सीमाओं के साथ एक प्रबंधक की भूमिका में होते हैं जो प्रशासन की तुलना में थोड़ा बेहतर है।

हालाँकि एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है—

- एक नेतृत्वकर्ता का अपना विज़न या दूर-दृष्टि होती है। वह दलों के माध्यम से विज़न के क्रियान्वयन का प्रयास करता है।
- नेतृत्वकर्ता एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो सहयोगी व मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करता है। इस कार्य के लिए वह दल बनाता है व उनका नेतृत्व करता है।
- नेतृत्वकर्ता अपने कार्यों से सहकर्मियों को प्रेरित करता है और दलों के माध्यम से सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करता है।

एक नेतृत्वकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रशासन और प्रबंधन से ऊपर उठकर बदलाव के वातावरण को बढ़ावा दे। नेतृत्वकर्ता बनने के लिए बोल्स एवं डेवनपोर्ट (1975) द्वारा प्रस्तावित मॉडल में वर्णित चार लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा।

स्रोत— "दि लीडरशिप प्रोसेस" हेरॉल्ड डब्ल्यू. बोल्स एवं जेम्स ए. डेवनपोर्ट (1975) इंट्रोडक्शन टू एडुकेशनल लीडरशिप. हार्पर और रा प्रकाशन, न्यूयार्क,पृष्ठ-158

चित्र से स्पष्ट है कि अपने विद्यालय का प्रबंधन एवं प्रशासन देखते समय आपको स्वयं से चार लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा करनी चाहिए जिससे कि आप विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकें। जब तक आप विद्यालय गतिविधियों, जैसे—विद्यार्थियों और विद्यालयों के प्रदर्शन का अभिलेख, विद्यार्थियों की उपस्थिति, विद्यालय का परीक्षाफल, शिक्षकों की नियमितता और समय बाध्यता का लेखा-जोखा रखने के साथ-साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों के सीखने-सिखाने के अवसरों पर नज़र रखते है, आप कह सकते हैं कि आप लक्ष्य एक एवं दो को प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य नेतृत्व कार्य, जैसे कि सीखने-सिखाने के विषय-विशेषज्ञ (Subject-Specialist) और संदर्भकर्ता (Resource Persons) को आमंत्रित करना ताकि शिक्षकों को समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शन मिले, पुस्तकालयों

में शिक्षकों के लिए संदर्भ-सामग्रियों और शिक्षक मार्गदर्शिका इत्यादि की व्यवस्था करना तो हम कह सकते हैं कि आप लक्ष्य 1 एवं 2 को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए हैं।

विद्यालय प्रमुख जो परिवर्तन की पहल करते हैं और नवाचारों का क्रियान्वयन करते हैं, वे लक्ष्य 3 प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने शिक्षकों और संस्था की व्यावसायिक आवश्यकताओं को इस हद तक पूरा कर लिया है कि दोनों एक-दूसरे के अनुकूल बन जाएँ और साथ-साथ उन्नति करें, वह ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने लक्ष्य 4 प्राप्त कर लिया है।

जब तक आपका प्रयास पहले दो लक्ष्यों को पाने का है, आप प्रशासक एवं प्रबंधक हैं। नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आपको सीमाओं से परे जाना होगा। नेतृत्व के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम लोग पहले तीन लक्ष्यों को प्राप्त कर नेतृत्वकर्ता होने का दावा कर सकते हैं। अधिकांश लोग प्रशासक ही बन कर रह जाते हैं और बहुत कम लोग ही चौथे लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं।

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेज पर लिंक देखें — चेंज लीडरशिप एंड स्कूल इंप्रूवमेंट

विद्यालय नेतृत्वकर्ता — बहु-भूमिकाएँ एवं दायित्व

विद्यालय के नेतृत्वकर्ता के रूप में, आपकी कई भूमिकाएँ और दायित्व होते हैं। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सात अपेक्षित भूमिकाओं और दायित्वों को नीचे दिए गए चित्र से समझा जा सकता है।

विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण

यह भूमिका, विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक प्रमुख के रूप में आपको नेतृत्व एवं शैक्षणिक संदर्भ में नेतृत्व के द्वारा परिवर्तन लाए जाने की प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता है। यह भूमिका विद्यालय के संबंध में एक

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेस पर वीडियो लिंक देखें — स्कूल एज अ लर्निंग ऑर्गेनाईजेशन

अवधारणात्मक समझ बनाती है — एक ऐसे विद्यालय की परिकल्पना जो बच्चों के वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करे, साथ ही निरंतर प्रयोगों एवं परिवर्तनों को बढ़ावा दे व स्वीकारे। इस भूमिका को समझने से आपको एक विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में नेतृत्व की चुनौतियों से जूझने व उन पर विजय पाने की समझ विकसित होगी और आप परिवर्तनकारी एजेंडा को प्राप्त करने में सफल हो पाएँगे। यह बाल केंद्रित परिवर्तन और रूपांतरण का ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने पर ज़ोर देता है जो स्वरूप से समावेशी एवं प्रगतिशील हो। विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण का विकास आप को विद्यालय की वर्तमान बुनियादी वास्तविकताओं का आकलन कर सकने व विज़न बनाने में मदद करेगा। आप सहयोगात्मक और दल-कार्य के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास के उद्देश्य से इस दृष्टिकोण को साकार करने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस भूमिका में सम्मिलित अधिगम संगठन की अवधारणा व्यापक रूप से यह बताती है कि एक विद्यालय प्रमुख को विद्यालय में परिवर्तन करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है।

स्वयं का विकास

इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य है क्षमताओं, दृष्टिकोण और मूल्यों के संबंध में स्वयं, अध्यापकों, स्टाफ एवं विद्यार्थियों में एक सकारात्मक आत्म-अवधारणा विकसित करना। इस भूमिका में, आपको स्वयं के और दूसरों के सतत अधिगम एवं विकास हेतु अवसर खोजने हैं। इसके साथ ही एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका को समझते हुए, आप को चिंतन-मनन एवं अंत:क्रिया के माध्यम से आत्म-सुधार प्रारंभ करना होगा। एक नेतृत्वकर्ता को सर्वप्रथम जीवंत नेतृत्व प्रदर्शित करने के लिए 'स्व' में निवेश करना अनिवार्य है। स्वयं के विकास को आत्म-चिंतन के द्वारा, जो कि स्व-अध्ययन का एक प्रभावी तरीका है। विकसित किया जा सकता है। माना जाता है कि क्रिया-आधारित-आत्म चिंतन का पालन करने से, विद्यालय नेतृत्वकर्ता वांछित परिवर्तन का नेतृत्व करने में सशक्त बन पाते हैं। ऐसा करने से किसी चुनौती का सामना होने पर 'हाँ, मैं कर सकता/सकती हूँ!' का दृष्टिकोण विकसित होता है, परिणामस्वरूप, स्वयं विद्यालय का रूपांतरण संभव हो पाता है। इस भूमिका को समझने से आपको विद्यालय का रूपांतरण करने के लिए ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद मिलेगी व्यावसायिक स्तर पर स्वयं के विकास की यात्रा शुरू करने के लिए नीचे दिया गया वीडियो लिंक देखें।

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेस पर वीडियो लिंक देखें — प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण

इस भूमिका का महत्व विद्यालयों की कक्षाओं की प्रक्रिया को और अधिक बाल-केंद्रित बना कर शिक्षण-अधिगम को अन्वेषण एवं सृजनात्मकता के माध्यम से रूपांतरित करना है। यह भूमिका विद्यालय प्रमुखों को शिक्षा के उद्देश्य को समझने और इन मुद्दों पर चिंतन करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि बच्चों को विद्यालय क्यों आना चाहिए, शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए जिससे छात्रों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जा सके, अधिगम वातावरण कैसा हो जिससे कि बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें। यह भूमिका बच्चों की

विकासात्मक आवश्यकताओं को जानने व विभिन्न अनुभवात्मक अधिगम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की ज़रूरतों को समझने के लिए विद्यालय प्रमुखों में संवेदनशीलता विकसित करने की कोशिश करती है। यह शिक्षण-अधिगम से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, जैसे — कक्षाओं का अवलोकन, शिक्षकों को फ़ीडबैक देना और उनके लिए एक सलाहकार एवं परामर्शदाता बनना आदि, पर एक विद्यालय प्रमुख के रूप में अपने कौशल विकसित करने पर भी बल देता है। इस भूमिका का उद्देश्य आपको शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का इस तरह से नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है, जिससे प्रत्येक बच्चा स्वयं को अद्वितीय, महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करे और स्वयं के और पर्यावरण के बारे में नयी चीज़ें सीखने के लिए हर दिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित हो।

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेस पर वीडियो लिंक देखें — स्कूल एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन

दल बनाना एवं दल का निर्माण करना

विद्यालय एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु गहनता व गंभीरता से मिलकर काम करते हैं। इसको प्रभावी रूप से करने के लिए, दल बनाना एवं उसका नेतृत्व करना, विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दल के रूप में काम करने से न केवल विद्यालय के कार्य बेहतर ढंग से संपादित होते हैं, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान और आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के नये तरीकों को सीखते हुए दल के प्रत्येक सदस्य की क्षमताओं और कौशल का निर्माण भी होता है। यह भूमिका प्रभावी दलों को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक मूल्यों और कौशलों के बारे में बताती है। आप दल गठन, सहयोग, समूह गतिशीलता, संघर्ष समाधान और प्रभावी संप्रेक्षण के लिए प्रक्रियाओं का नेतृत्व करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं और साथ ही दल के सदस्यों के व्यावसायिक विकास के अवसर भी पैदा कर सकते हैं।

नवाचारों का नेतृत्व

किसी भी संगठन में नवाचारों का नेतृत्व, समस्याओं को सुलझाने के संभावित तरीके के रूप में अथवा बदलाव लाने के रूप में देखा जा सकता है। न केवल नवाचारों का प्रयोग समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को शामिल करने और विद्यालय में समावेशी तरीकों को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। नवाचार व्यक्तियों में जोखिम लेने व चिंतनशील और दृढ़ता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह 'हाँ, मैं कर सकता/सकती हूँ!' के दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का आत्मविश्वास देता है। नवाचार के द्वारा विद्यालय में अधिगम स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए, इसे एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। विद्यालयों को अधिगम संगठनों में बदलने का बीड़ा उठाने के लिए विद्यालय में नवाचार की संस्कृति का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। शिक्षण-अधिगम और विद्यालय की प्रक्रियाओं में नवाचारों का समावेश करने से न केवल बच्चों के लिए, बल्कि शिक्षकों, माता-पिता और समुदाय के लिए भी सीखना एक आनंददायक अनुभव बन सकता है। नवाचारों के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर जाएँ।

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेस पर वीडियो लिंक देखें — नोइंग मोर अबाउट इनोवेशंस

साझेदारियों का नेतृत्व

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे अलग-अलग अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं। जब उनकी सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता है, तो वे विद्यालय से जुड़ पाते हैं और बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा सीख सके, विद्यालयों के पास माता-पिता, समुदाय और अन्य भागीदारों के साथ जुड़कर अपने विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाने का अवसर होता है। यह भूमिका आपको विद्यालय के स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी निर्मित करने में मदद करती है, जिसमें समुदाय के सदस्य, माता-पिता, अन्य विद्यालय प्रमुख और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं।

विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व

यह भूमिका विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर केंद्रित है। यह आपको संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रशासनिक नियमों और दिशानिर्देशों को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, साथ ही साथ विद्यालय के वित्त, बजट और धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में अवगत कराती है। एक विद्यालय का नेतृत्व करते हुए, भौतिक और मानव संसाधनों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र संसाधनों के प्रभावी ढंग से प्रयोग के विभिन्न आयामों के बारे में बताता है। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की यह भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको जानकारी युक्त निर्णय लेने के साथ-साथ विद्यालय के रूपांतरण का नेतृत्व करने में मदद करती है।

आपने देखा कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता की कई अपेक्षित भूमिकाएँ हैं, इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, विद्यालय में शिक्षण-अधिगम सुधार करना एवं यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा सीख सके। विद्यालय नेतृत्व एवं विद्यार्थियों के अधिगम के बीच के संबंध को गहराई से जानें—

विद्यार्थी अधिगम हेतु विद्यालय नेतृत्वकर्ता का महत्व

शिक्षक गुणवत्ता के पश्चात, विद्यालय नेतृत्व, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो विद्यार्थी अधिगम को प्रभावित करता है (रॉबिन्सन एवं अन्य, 2007)। विद्यालय नेतृत्वकर्ता शिक्षकों के प्रभावी शिक्षण हेतु उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, जैसे कि पर्याप्त संसाधनों का जुड़ाव एवं अधिगम वातावरण का निर्माण जिससे कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को अधिगमकर्ता के रूप में फलीभूत कर सके। विद्यालय नेतृत्वकर्ता, दल का निर्माण सभी विद्यार्थियों के सफल अधिगम हेतु विज़न, शिक्षकों व अन्यों में नेतृत्व के गुणों का विकास, अध्यापकों को उनकी दक्षताओं को बढ़ाने में मदद एवं विद्यालय सुधार हेतु डेटा का प्रयोग करते हैं। वे अध्यापकों को उनके शिक्षण अभ्यासों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। विद्यालय नेतृत्व का महत्व उस समय और अधिक महसूस होता है जब विद्यालय चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वयं को पाता है एवं उसमें रूपांतरण की आवश्यकता होती है। संक्षेप में सफल विद्यालय नेतृत्वकर्ता वे हैं, जो एक साझा विज़न तैयार करते हैं, अध्यापकों

एवं विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को सुधारने, अधिगम प्रतिफल प्राप्त करने एवं विद्यार्थी अधिगम को सुनिश्चित करने में दलों के साथ निरंतर प्रयासरत रहते हैं।

विद्यार्थी अधिगम पर विद्यालय नेतृत्व के प्रभाव — विभिन्न अवधारणात्मक मॉडल्स

कई शोधों के अध्ययन के पश्चात रॉबिन्सन एवं अन्य (2008) ने विद्यार्थी अधिगम पर विद्यालय नेतृत्व के प्रभाव के चार प्रकारों के बारे में बताया। ये हैं — प्रत्यक्ष प्रभाव, मध्यवर्ती प्रभाव, पारस्परिक प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव। इस भाग में हम प्रथम तीन प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे जो इस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हैं।

प्रत्यक्ष प्रभाव — इस संबंध से तात्पर्य है कि विद्यालय नेतृत्व विद्यार्थी अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है (चित्र 1 देखें)। यह प्रभाव वहाँ अधिक पाया जाता है जहाँ अध्यापकों को सहयोग एवं परामर्श देने के साथ-साथ विद्यालय नेतृत्वकर्ता स्वयं शिक्षण कार्य करते हैं। इसके अलावा, ऐसी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ जो बाल केंद्रित हों और बच्चों के सीखने को प्रभावित करती हों, उसके लिए विद्यालय प्रमुख स्वयं अधिगम हेतु सहयोगात्मक वातावरण भी बनाते हैं। इस प्रकार से विद्यालय नेतृत्व व विद्यार्थी अधिगम में प्रत्यक्ष प्रभाव का संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों के संदर्भ में विद्यालय नेतृत्वकर्ता स्वयं शिक्षण कार्य में अधिक से अधिक संलग्न हों।

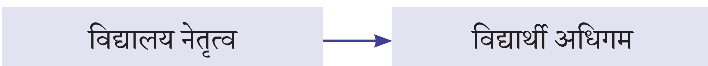

चित्र 1 — प्रत्यक्ष प्रभाव

मध्यवर्ती प्रभाव — अप्रत्यक्ष अथवा मध्यवर्ती प्रभाव में यह माना जाता है कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता, स्वयं प्रत्यक्ष रूप के अलावा एक या एक से अधिक घटकों के माध्यम से विद्यार्थी अधिगम को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय नेतृत्वकर्ता, शिक्षक गुणवत्ता के माध्यम से, विद्यार्थी अधिगम को प्रभावित करता है (चित्र 2)। अप्रत्यक्ष रूप से यह मध्यवर्ती प्रभाव तब भी देखने को मिलता है, जब कोई व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता जैसे संकुल/ब्लाक संसाधन समन्वयक विद्यालयों में शिक्षक गुणवत्ता में सुधार हेतु शैक्षणिक सहयोग प्रदान करते हैं, जिसका प्रभाव विद्यार्थी अधिगम पर पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर अधिक से अधिक निवेश करें जिससे कि वे अपने अभ्यास को बेहतर कर सकें और विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार ला सकें।

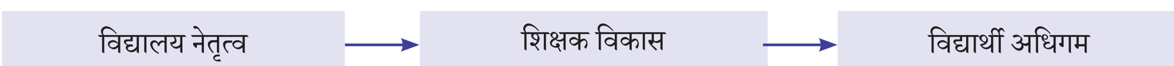

चित्र 2 — मध्यवर्ती अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव

पारस्परिक प्रभाव — इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ एक ओर विद्यालय नेतृत्व विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी-अधिगम भी विद्यालय नेतृत्व

को प्रभावित करता है। पारस्परिक प्रभाव को समझने के लिए चित्र 3 देखें। 3 (अ) और (ब) में आगे की ओर तीर का निशान दर्शाता है कि किस तरह विद्यालय नेतृत्व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी अधिगम पर प्रभाव डालता है। चित्र 1 व 2 में आप इस संबंध को समझ चुके हैं। प्रभाव की प्रक्रिया के दौरान अकसर कई प्रयासों के बाद भी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में अंतर पाया जाता है, साथ ही कुछ ऐसे विद्यार्थी पीछे छूट जाते हैं जिनका प्रदर्शन विषयवार या कक्षावार अधिगम दक्षताओं के अनुकूल नहीं होता। ऐसे में यदि विद्यालय नेतृत्व शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संग्लन है, उनको पता चलता है कि वर्तमान में जो प्रयास हो रहे हैं, वे सभी विद्यार्थियों के सीखने की गति या आवश्यकताओं से भिन्न हैं। अतः विद्यार्थी-अधिगम की बारीकियाँ और सीखने की आवश्यकताओं से विद्यालय नेतृत्व और अध्यापकों को भी प्रतिपुष्टि मिलती है कि उन्हें किस तरह से नेतृत्व व अध्यापन की नीतियों व अभ्यासों को बदलने की ज़रूरत है। इस संबंध को 3 (अ) और 3 (ब) में पीछे की ओर जाते बिंदु वाले तीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। इस दृष्टि से विद्यालय नेतृत्व व विद्यार्थी-अधिगम में पारस्परिक संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि सिर्फ़ विद्यालय नेतृत्व व शिक्षक ही विद्यार्थी-अधिगम को प्रभावित नहीं करते, अपितु इसका उत्क्रम कि विद्यार्थी-अधिगम की विशेषताएँ शिक्षण अभ्यासों व विद्यालय नेतृत्व को प्रभावित करती हैं, भी उतना ही सत्य है।

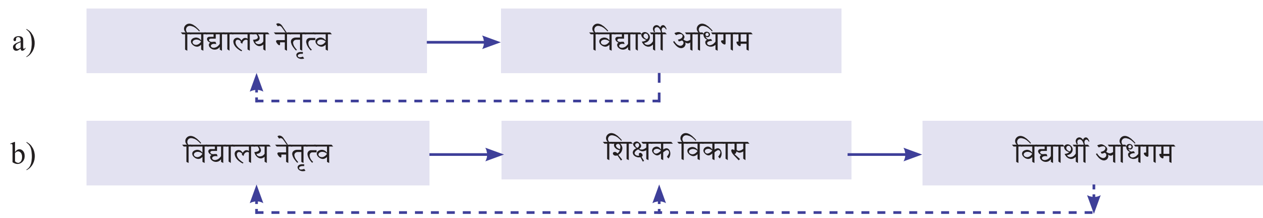

चित्र3 — पारस्परिक प्रभाव

विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व

अकादमिक नेतृत्व से तात्पर्य उस ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण से है जो कि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाता है, जिससे कि (1) विद्यार्थी अधिगम में निरंतर सुधार आ सके एवं इस प्रक्रिया के द्वारा (2) अध्यापकों का व्यावसायिक विकास भी हो सके। एक विद्यालय प्रमुख, अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा सीखने और प्रगति करने में सक्षम है और हर अध्यापक अपने शिक्षण के अभ्यासों, ज्ञान और कौशल में सुधार कर सकता है। अकादमिक नेतृत्वकर्ता, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के साथ-साथ अध्यापकों के पढ़ाने के तरीकों का समर्थन और पर्यवेक्षण भी करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक अथवा प्रारंभिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुख भी शिक्षण कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विद्यालय प्रमुख 'अध्यापक' एवं 'प्रमुख' दोनों ही भूमिकाओं को निभाते हैं। यह एक सुअवसर है क्योंकि

विद्यालय प्रमुख ही एक अध्यापक की भूमिका को समझ सकता है। वह यह भी समझ सकता है कि विद्यार्थियों की विविध पृष्ठभूमि एवं विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं से जुड़ी कौन सी शिक्षण-अधिगम चुनौतियाँ हैं जिनका अध्यापक प्रतिदिन सामना करते हैं। इसके अलावा, एक विद्यालय प्रमुख के रूप में, आपको प्रत्येक कक्षा में और सभी विषयों में समग्र शिक्षण अभ्यास में सुधार के लिए विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता और पर्यवेक्षण भी प्रदान करना होगा। एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को समझने के लिए, तीन घटकों को व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता है —

- सक्रिय अधिगम सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना
- विद्यालय प्रमुख के रूप में शिक्षण-विषयवस्तु ज्ञान को समझना
- विद्यालय में अकादमिक पर्यवेक्षण

सक्रिय अधिगम के सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना

विद्यार्थी अधिगम भयमुक्त वातावरण में संचालित होना चाहिए। विद्यालयों को विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के अवसर देने चाहिए, ताकि उनकी अधिकतम क्षमता को विकसित किया जा सके और उनमें समीक्षात्मक विचार कौशल और एक जिज्ञासु मन पनप सके। इस तरह वे कुशल नागरिक बन सकते हैं और समाज की प्रगति में सार्थक योगदान भी दे सकते हैं। इस पर सोचें कि आप एक ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण कैसे करेंगे जहाँ बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें एवं उनमें समीक्षात्मक विचार कौशल एवं जिज्ञासु मन का विकास हो सके? इसका एक उत्तर इस बात में निहित है कि उन्हें रटाया न जाए, बल्कि ऐसा अधिगम वातावरण हो जहाँ बच्चे सीखने का आनन्द लें। इस तरह की शिक्षण-पद्धति, जहाँ बच्चे केवल व्याख्यान नहीं सुन रहे होते, बल्कि उच्चतर कोटि की विचार प्रक्रिया के कार्यों में संलग्न होते हैं, उसे बाल-केंद्रित शिक्षणशास्त्र कहा जाता है। रटकर सीखना, जहाँ अध्यापक बच्चों को केवल जानकारी प्रदान करते हैं, के विपरीत, बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धति, में अध्याापक बच्चों को खोज करने, प्रक्रियाओं में भागीदारी करने एवं प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने के लिए आगे बढ़ाते हुए केवल ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।

सक्रिय शिक्षण, बाल-केंद्रित शिक्षणशास्त्र का एक घटक है जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को आनंददायक और सार्थक बनाता है। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में, आपको सक्रिय शिक्षण सिद्धांतों की गहन समझ होनी चाहिए जो किसी भी विषय क्षेत्र की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में लागू किये जा सकते हैं। आप नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर जा सकते हैं और वीडियो देखने के पश्चात सक्रिय अधिगम सिद्धांतों को पहचानने की कोशिश करें।

वीडियो से आपने जो सीखा, उसका एक नोट बनाने के बाद, निष्क्रिय और सक्रिय अधिगम के बीच अंतर को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका से अपने नोट्स की तुलना करें। इस पर विचार करें कि आप किस प्रकार अपने अध्यापकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं।

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेस पर वीडियो लिंक देखें — यंग हिस्टोरियंस

निष्क्रिय अधिगम	सक्रिय अधिगम
अध्यापक अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं।	अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं।
शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को 'बाहरी' एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है।	समीक्षात्मक विचार-कौशलों के माध्यम से शिक्षण, अधिगम, व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है।
चिंतन-मनन व स्व-अध्ययन के कम अवसर	शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार-विमर्श व चिंतन में संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व-अध्ययन और समीक्षात्मक विचार-कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्व-चिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतनयुक्त लेख लिखते हैं।
शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं।	शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों, क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्सााहित किया जाता है।
सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम-प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई 'स्थान' नहीं होता।	शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है।
शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता।	ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर
रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना।	रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण-अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल-केंद्रित, क्रियाकलाप-आधारित, सहभागी अधिगम अनुभवों, जैसे—नाटक, प्रोजेक्ट, विचार-विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मजक कार्यों के साथ शिक्षण-अधिगम को एकीकृत करना।
मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना।	सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्म निरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना।

स्रोत: *NCFTE (2009) http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/NCFTE_2010.pdf*

विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान को समझना

पिछले उप-अनुभाग में आपको शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय अधिगम सिद्धांतों के बारे में बताया गया था, जिन्हें बाल-केंद्रित शिक्षणशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस अनुभाग में आप अधिगम प्रतिफल और विद्यालय आधारित आकलन एवं शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की अवधारणा के बारे में और अधिक जानेंगे।

यह अवधारणाएँ आपको स्वयं को एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करने हेतु, वंचित ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने में मदद करेगी। सरल शब्दों में शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान शैक्षणिक सिद्धांतों (pedagogical principles) का एक संयोजन है जो किसी विषय विशेष के बारे में विशिष्ट हैं। हालाँकि, इस अवधारणा की समझ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें अध्यापकों, विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं की भी गहन समझ शामिल है। पूर्ण रूप से इस अवधारणा का प्रयोजन शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम प्रगति को लाभ पहुँचाने के लिए किया जा सकता है।

सामान्य शैक्षणिक ज्ञान

इसमें अधिगम वातावरण और निर्देशात्मक प्रणालियों, कक्षा-प्रबंधन, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन व निर्माण करने के विभिन्न तरीके (उदाहरण के लिए—सक्रिय अधिगम सिद्धांत) का ज्ञान शामिल है।

विषयवस्तु ज्ञान

इसमें विषय से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान शामिल है।

शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान

साधारणत: इसे एक विषय विशेष को पढ़ाने के अवधारणात्मक मानचित्रण के रूप में समझा जा सकता है—उस विषय विशेष के लिए निर्देशात्मक पद्धतियों और उदाहरणों का ज्ञान (ऐसे उदाहरण जो विषय संबंधित अवधारणाओं का सृजन करने व सबल बनाने में मदद करते हैं); उस विषय में विद्यार्थियों की समझ और संभावित मिथ्याबोध को दूर करने के लिए अध्यापकों द्वारा प्रश्न एवं अवधारणात्मक स्पष्टता का निर्माण करना; शिक्षण-अधिगम के दौरान विद्यार्थियों की विविध पृष्ठभूमि का ज्ञान आदि। इसके अतिरिक्त, शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु का ज्ञान विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषायी पृष्ठभूमि, रुचियों, अधिगम आवश्यकताओं और पद्धतियों, तकनीकों एवं उन उपकरणों की गहन समझ पर भी प्रकाश डालता है, जो विद्यालय एवं कक्षाओं में सकारात्मक अधिगम वातावरण को बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

विषयों के बारे में शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान के बारे में अधिक जानने के लिए, आप विभिन्न विषय क्षेत्रों पर रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल एवं वीडियो निष्ठा पोर्टल https://itpd.ncert.gov.in/ पर देख सकते हैं।

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेज पर वीडियो लिंक देखें—पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज

विषयों का शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान—

- पर्यावरण अध्ययन का शिक्षणशास्त्र
- विज्ञान शिक्षणशास्त्र
- गणित शिक्षणशास्त्र

- सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र
- भाषा शिक्षणशास्त्र

एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में, अपने विद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए, आपको विभिन्न विषय-क्षेत्रों के शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की मूलभूत समझ होना आवश्यक है। यह संभव है कि प्रारंभिक स्तर पर (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक), आपके पास सीमित संख्या में शिक्षकों वाला एक छोटा विद्यालय हो। इस स्थिति में आप अपने शिक्षकों के साथ शिक्षण कक्षाओं में अधिक समय बिताते होंगे, इसलिए आपके लिए भी हर विषय-क्षेत्र की मूलभूत समझ उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि अध्यापकों के लिए।

ऊपर दिए गए मॉड्यूल्स में आप पाएँगे कि प्रत्येक विषय के लिए कक्षावार अधिगम प्रतिफलों को परिभाषित किया गया है। अपने विद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में उपयुक्त बदलाव के फलस्वरूप विद्यार्थियों का अधिगम प्रगतिशील हो पाएगा। अधिगम का सही आकलन करने के लिए ग्रेड और अंकों से आगे बढ़ना होगा, यह पता करने के लिए कि क्या विद्यार्थी वास्तव में वह ज्ञान, कौशल और दक्षताएँ प्राप्त कर रहे हैं जो विषय विशेष के साथ अलग-अलग विषय-क्षेत्रों में भी प्रयोज्य हैं। इसके लिए, आइए हम सीखने के प्रतिफलों और विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा को समझते हैं।

सीखने के प्रतिफल (लर्निंग आउटकम) क्या हैं?

रा.शै.अ.प्र.प. ने *सीखने के प्रतिफल* को विकसित किया है जो पठन-सामग्री को रटकर याद करने पर आधारित मूल्यांकन को दूर हटाने के लिए बनाया गया है। योग्यता (*सीखने के प्रतिफल*) आधारित मूल्यांकन पर ज़ोर देकर, शिक्षकों और पूरी व्यवस्था को यह समझने में मदद की गई है कि बच्चे ज्ञान, कौशल और सामाजिक-व्यक्तिगत गुणों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन के मामले में वर्ष के दौरान एक विशेष कक्षा में क्या हासिल करेंगे। *सीखने के प्रतिफल* ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह अधिगम सवंर्धन की उन शिक्षणशास्त्रीय विधियों से समर्थित हैं जिनका क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा करने की आवश्यकता है। ये कथन प्रक्रिया आधारित हैं और समग्र विकास के पैमाने पर बच्चे की प्रगति का आकलन करने के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों तरीके से जाँच योग्य बिंदु प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के लिए सीखने के दो प्रतिफल नीचे दिए गए हैं—

- विद्यार्थी विभिन्न आयुवर्ग के लोगों, जानवरों और पक्षियों में भोजन तथा पानी की आवश्यकता, भोजन और पानी की उपलब्धता तथा घर एवं आस-पास के परिवेश में पानी के उपयोग का वर्णन करता है।
- विद्यार्थी मौखिक/लिखित/अन्य तरीकों से परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार के प्रभावों (लक्षणों/विशेषताओं/आदतों/प्रथाओं) और एक साथ रहने की आवश्यकता का मौखिक/लिखित या किसी अन्य माध्यम से वर्णन करता है।

उपर्युक्त सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से या जोड़े अथवा समूहों में काम करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और उन्हें आस-पास के परिवेश का अवलोकन और अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; उन्हें मौखिक/लिखित/चित्र/संकेतों में अपने अनुभव दर्ज एवं व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। बच्चों को बड़ों के साथ चर्चा करने और विभिन्न स्थानों पर जाने, उनकी पसंद के विषय पर उनसे जानकारी एकत्र करने और निष्कर्षों पर समूहों में चर्चा करने की अनुमति देने की आवश्यकता है।

आरंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल सभी बच्चों, जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) और वंचित समूहों से संबंधित बच्चे भी सम्मिलित हैं, को प्रभावी रूप से अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए हैं। इन्हें विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों — पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए विकसित किया गया है। सीखने के प्रतिफल सभी बच्चों, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) भी शामिल हैं, की शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं और पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं से जुड़े हैं। वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं —

- अधिगम प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें अन्य बच्चों की तरह प्रगति करने में मदद करना। बच्चों की तुलना करने से बचें।
- व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और सीखने के परिवेश में बदलाव करना।
- विभिन्न पठन क्षेत्रों में अनुकूलित गतिविधियों का प्रावधान।
- उम्र और सीखने के स्तरों के अनुरूप सुलभ पाठ और सामग्री।
- कक्षाओं का उपयुक्त प्रबंधन, जैसे — शोर, चकाचौंध आदि का प्रबंधन।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.), वीडियो या डिजिटल स्वरूप का उपयोग करके अतिरिक्त सहायता का प्रावधान।
- गतिशीलता सहायक यंत्र (व्हीलचेयर, बैसाखी, सफ़ेद बेंत), श्रवण-सहायक, ऑप्टिकल या गैर-ऑप्टिकल सहायता, शैक्षिक सहायता (टेलर फ्रेम, एबेकस आदि)।
- अन्य बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताओं और कमज़ोरियों के प्रति संवेदनशील बनाना।
- आकलन के सफल समापन के लिए उपयुक्त विधि और अतिरिक्त समय का चयन करना।
- घरेलू भाषा के लिए सम्मान और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश (जैसे — परंपराएँ और रीतिगत प्रथाएँ आदि) से जुड़ाव।

निष्ठा हेतु एन.सी.ई.आर.टी. मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षणशास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा से उद्धृत

अत: अधिगम (सीखने के) प्रतिफल कक्षावार प्रक्रिया आधारित छोटे लक्ष्य हैं जो "बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु अपेक्षित समग्र अधिगम के अनुसार बच्चे की प्रगति का आकलन करने के लिए गुणात्मक या मात्रात्मक तरीके से मापने योग्य हैं।" शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ-योजना तैयार करते समय "प्रासंगिक संसाधनों और उपयुक्त अधिगम प्रक्रियाओं" का उपयोग करें और "समावेशी कक्षा में विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अधिगम की स्थिति/अवसर प्रदान करने" के लिए प्रोत्साहित करें। हालाँकि, अधिगम प्रतिफल जिनको एक कक्षा के लिए विषयवार दर्शाया जाता है, उन्हें पृथक करके नहीं, बल्कि बच्चे की समग्र समझ हेतु संपूर्ण रूप से समझा जा सकता है।

विद्यालय प्रमुख रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार प्रारंभिक शिक्षा स्तर के सीखने के प्रतिफलों पर विस्तृत दस्तावेज़ http://ncert.nic.in/ प्राप्त कर सकते हैं। विषयवार सीखने के प्रतिफल पहले साझा किए गए मॉड्यूल्स की सूची में प्रदान किए गए हैं। प्रारंभिक स्तर के सीखने के प्रतिफलों के दस्तावेज़ में प्राथमिक स्तर पर विभिन्न भाषाओं (हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू) में गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल उल्लेखित हैं। यह दस्तावेज़ सभी हितधारकों, विशेष रूप से माता-पिता/अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय प्रबंध समिति और समुदाय के सदस्यों के लिए हैं।

आइए, विद्यालय आधारित आकलन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं—

विद्यालय आधारित आकलन क्या है?

विद्यालय आधारित आकलन शिक्षण में मूल्यांकन और मूल्यांकन के व्यापक शैक्षिक-दर्शन के भीतर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सन्निहित आकलन है। स्कूल आधारित आकलन विद्यालय में शिक्षकों द्वारा विद्यालय के विद्यार्थियों का मूल्यांकन है। यह विभिन्न विषयों में वर्ष के अंत में बच्चों के प्रदर्शन को साझा करने का एक आम अभ्यास है। ग्रेड (अंकों पर आधारित मूल्यांकन) इस बात की कोई जानकारी नहीं देते कि सीखने में क्या सामर्थ्य या अंतराल है, क्यों अंतराल है और कैसे सीखने में अंतराल को दूर किया जा सकता है। हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जब बच्चों की प्रगति को उनके सामर्थ्य और कमज़ोरियों के बारे में बताए बिना अंकों या ग्रेड के संदर्भ में उनके साथ साझा किया जाता है तो यह उन्हें ए ग्रेडर्स, बी ग्रेडर्स इत्यादि रूपों में चिह्नित (लेबल) कर देने जैसा होता है। इसके अतिरिक्त, अक्सर की जाने वाली बाहरी और केंद्रीकृत परीक्षा भी छोटे बच्चों के लिए भयावह हो सकती है।

आकलन—क्या, क्यों और कैसे?

आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है और यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने लिए उसकी मदद करना है। आकलन के 'क्यों, क्या और कैसे' को समझने के लिए, हम इस पर एक नज़र डालते हैं—

– आकलन के मापदंड क्या हैं?

– इससे कौन-सा उद्देश्य पूरा होगा?

यह उपखंड निम्न मापदंडों पर विस्तार से बात करता है — सीखने के प्रतिफल, आकलन की मुख्य विशेषताएँ और विवरण सहित इसका उद्देश्य कि कक्षा और विद्यालय आधारित आकलन रणनीतियों का उपयोग करके बच्चों के सीखने और विकास का निरीक्षण कैसे कर सकते हैं।

सीखने के प्रतिफल — आकलन के मापदंड

अधिगम के आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मापदंडों को भी समझना ज़रूरी है, जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। अधिकतर विद्यालय आधारित आकलन करने वाले हितधारक इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं क्योंकि शिक्षक, पाठ्यपुस्तकों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और पठंत अभ्यास में दिए गये प्रश्नों का उपयोग करके बच्चों का आकलन करते हैं, जबकि परीक्षा और उपलब्धि सर्वेक्षण बिना किसी स्पष्ट रूप के बहुविकल्पीय प्रश्नों का उपयोग करते हैं — दक्षताओं के बारे में तर्क पूर्ण आकलन किए बिना और यह जाने बिना कि उनमें से प्रत्येक के पीछे की सीख क्या है। प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार सीखने के प्रतिफल न केवल विभिन्न हितधारकों को ज़िला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर आलकन के मापदंडों की सूचना देते हैं, बल्कि इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों/संरक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) सदस्यों को गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित करने के अलावा ज़िम्मेदार और सतर्क होने के लिए भी पदाधिकारियों को सक्षम करते हैं। सीखने के प्रतिफल को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न हितधारकों की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को निर्देशित और सुनिश्चित कर सकते हैं।

आकलन का उद्देश्य

- **सीखने के लिए आकलन** — आकलन, शिक्षण-अधिगम का अभिन्न अंग है और शिक्षण-अधिगम के दौरान लगातार होता है। समग्र और पूर्वाग्रहों या विकृति से मुक्त होने के लिए इसे कई सबूतों पर आधारित होने की आवश्यकता होती है, जिसे सीखने के विभिन्न पहलुओं पर बच्चे को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों गतिविधियों में भाग लेने के लिए अलग-अलग स्रोतों से जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है यानी, ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा। यह शिक्षकों को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में आ रही परेशानी को समझने में मदद करता है, बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकता और सीखने की शैली के अनुसार उनके शिक्षण-अधिगम को विचार, समीक्षा और संशोधित करने में भी मदद करता है। इसमें विद्यार्थियों को शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया की योजना, हस्तांतरण और आकलन में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है और इस प्रकार इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना दोनों शामिल है।
- **आकलन ही अधिगम है** — इसके तहत शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों

को अवसर और स्थान प्रदान करना है। इसके साथ उनकी दक्षता और सीखने में आ रही परेशानी की पहचान करना आवश्यक है। उन्हें स्वयं का आकलन करने और अपने साथियों और समूह के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीखने के रूप में आकलन बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आजीवन सीखने की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। यह शिक्षण-अधिगम के दौरान भी होता है।

- **सीखने का आकलन** — इसका उपयोग पहचान किए गए पाठ्यक्रम और उद्देश्यों के आधार पर मानदंड (प्रक्रिया कौशल/सीखने के संकेतक और सीखने के प्रतिफल) के अनुसार विद्यार्थियों के सीखने को मानक करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थी के सीखने के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं पर अलग-अलग विषयों में प्रदर्शन सहित, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और समग्र तरीके से प्रेरणा, पाठ्यचर्या और पाठ्य-सहगामी क्षेत्रों में अलगाव किए बिना आकलन किया जाता है। शिक्षक व्यक्तिगत/ सामूहिक/ स्वयं या सहकर्मी आकलन की जानकारी का उपयोग करके, एकत्रित किये गए प्रमाणों के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं पर विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट बनाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक विवरणिका को बनाए रखा जा सकता है जिसका उपयोग उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में बच्चे की प्रगति को संकलित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रगति की निगरानी करने के लिए उसकी डायरी/कार्यपंजिका/बच्चे की पुस्तिकाओं पर लिखी गयी टिप्पणियों/कार्यपत्रकों/परियोजनाओं आदि को दर्ज कर सकते हैं। बच्चों को उनके सीखने और प्रगति में सुधार करने में मदद करने के लिए इसका सार्थक उपयोग करने की आवश्यकता है।”

निष्ठा हेतु एन.सी.ई.आर.टी. मॉड्यूल 4, विद्यालय आधारित आकलन से उद्धृत

आपने शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान, अधिगम प्रतिफल एवं अधिगम हेतु आकलन की अवधारणा को पढ़ा और समझा। विद्यार्थी अधिगम या विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों में सुधार तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ बाल-केंद्रित शिक्षणशास्त्र, सक्रिय अधिगम सिद्धांतों और विभिन्न विषयों के शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की गहन समझ के आधार पर क्रियान्वित नहीं की जाती। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांतों के बारे में स्वयं समझना और फिर अध्यापकों को इन पर सलाह व परामर्श देना, आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।

विद्यालय प्रमुख के रूप में आपको अन्य भूमिकाओं पर भी समान रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे कि स्वयं व शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का नेतृत्व करना, दल बनाना, नवाचारी वातावरण का निर्माण करना और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समग्र रूपांतरण प्राप्त करने के लिए अभिभावकों एवं समुदाय के साथ साझेदारियाँ बैठाना। केवल, कक्षा के भीतर शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिगम प्रतिफल प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के विकास को समग्र रूप से मार्गदर्शित

नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक प्रभावी विद्यालय दल (शिक्षक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी, विद्यालय प्रमुख एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य) जब विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार अथवा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों का विकास करने के उद्देश्य से एक विज़न के साथ काम करते हैं, तब विद्यार्थियों के समग्र विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। शिक्षण-अधिगम की प्रक्रियाओं में सामुदायिक संसाधनों को एकीकृत करने से भी विद्यार्थियों के लिए बेहतर अधिगम अनुभव प्रदान होते हैं। इसी तरह, अभिभावकों के सहयोग से विद्यार्थी-अधिगम में काफी सुधार हो सकता है। विद्यालयों में नवाचारी वातावरण का निर्माण करने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को सीखने, प्रयोग या अन्वेषण करने के लिए नये और रचनात्मक विचारों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

विद्यालय में अकादमिक पर्यवेक्षण

एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में, आपने सक्रिय अधिगम के सिद्धांत, शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान, अधिगम प्रतिफल और अधिगम हेतु आकलन के संदर्भ में बुनियादी समझ विकसित की है। एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के लिए अब अगले कदम हैं—

- पहला, स्वयं के शिक्षण कार्य में इन सिद्धांतों का प्रयोग, एवं
- दूसरा, विद्यार्थी अधिगम में सुधार के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में इन सिद्धांतों के ज्ञान और प्रणालियों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं, इस पर शिक्षकों को सलाह (coaching) एवं परामर्श (mentoring) देना।

एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका पर्यवेक्षण की होती है जिसको व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से, विद्यालयों में शिक्षकों के निरंतर विकास को प्रोत्साहित, समन्वित और मार्गदर्शित करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अकादमिक पर्यवेक्षक के रूप में विद्यालय नेतृत्वकर्ता शिक्षकों के लिए लक्ष्यों को उनके साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उनके लिए शैक्षणिक अवसरों को पैदा करने में मदद करते हैं। अकादमिक पर्यवेक्षक अभिभावकों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि समुदाय की ज़रूरतों एवं अपेक्षाओं से सरोकार करते हुए विद्यार्थियों को सार्थक शैक्षणिक अनुभव प्रदान किया जा सके। इससे विद्यार्थियों को अपने लिए किसी उपयुक्त व्यवसाय को चुनने में भी मदद मिलेगी।

यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है—

- अकादमिक मार्गदर्शन
- शिक्षकों और साथी सहयोगियों के साथ शैक्षणिक संवाद
- शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना
- आत्मचिंतन करने में शिक्षकों को सहयोग देना
- प्रगति की समीक्षा करने में सहायता करना
- शिक्षकों को ऑन-साइट सहायता प्रदान करना

विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षक के मध्य पर्यवेक्षणात्मक संबंध

यह एक व्यावसायिक, शैक्षणिक संबंध होता है, जहाँ अभ्यासकर्ता (शिक्षक) और पर्यवेक्षक (प्रमुख शिक्षक) दोनों का लक्ष्य होता है कि वे परस्पर विश्वास और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के आधार पर शैक्षणिक संबंध विकसित करें। यह एक के दूसरे से श्रेष्ठ होने के बारे में नहीं है, बल्कि दोनों ही, विद्यार्थी-अधिगम के सुधार और बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से अपने शिक्षण अभ्यास में सुधार करने की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता बन जाते हैं।

एक अकादमिक पर्यवेक्षक के कार्य

- **योजना और सुनियोजन** — पर्यवेक्षक की मूल भूमिका है शिक्षकों के साथ मिलकर, सहयोगात्मक रूप से उनके दैनिक एवं साप्ताहिक कार्यों की योजना बनाना।
- **अनुकूल वातावरण का प्रावधान** — एक पर्यवेक्षक विद्यालय का भौतिक वातावरण तैयार करने और सही जगह पर भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें बैठने की उपयुक्त जगह, हवा का आना-जाना, प्रकाश व्यवस्था, पानी की सुविधा आदि शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षकों के साथ पर्यवेक्षक भी शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रावधान करने में सहयोग देता है।
- **नेतृत्व और मार्गदर्शन** — एक पर्यवेक्षक शिक्षकों का नेतृत्वकर्ता होता है। वह शिक्षकों का नेतृत्व करता है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। वह शिक्षकों के लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारित कर उनका मार्गदर्शन भी करता है।
- **प्रेरणा** — एक पर्यवेक्षक शिक्षकों को प्रेरित करता है।
- **नयी शिक्षण पद्धतियों से परिचय कराना** — पर्यवेक्षक को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के नवीनतम ज्ञान और कौशल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उन्हें लगातार शिक्षकों के साथ साझा भी करते रहना चाहिए। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, काम करने की परिस्थितियाँ संतोषजनक होंगी, मानवीय संबंध सबल बनेंगे और विद्यार्थी अधिगम में सुधार होगा।
- **जाँचना** — प्रगति की जाँच करना, पर्यवेक्षक द्वारा निष्पादित एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें सहयोगात्मक रूप से निर्धारित लक्ष्यों के साथ शिक्षकों के वास्तविक प्रदर्शन की जाँच करना और बच्चों के अधिगम की प्रगति का आकलन करना शामिल है।

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेस पर वीडियो लिंक देखें — ऑब्ज़र्वेशन, फ़ीडबैक एवं सुपरविज़न

अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकें — पर्यवेक्षण कैसे करें?

आप अवलोकन, प्रतिपुष्टि और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझने के लिए नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर जा सकते हैं।

नीचे दो तकनीकें दी गई हैं, जो आपको एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रभावी रूप से अकादमिक पर्यवेक्षण करने में मदद करेंगी।

पूछें-वर्णन करें-पूछें — प्रतिपुष्टि द्वारा बेहतर शिक्षण अभ्यास

पूछें-वर्णन करें-पूछें की तकनीक पर्यवेक्षक को आधिकारिक भूमिका से लोकतांत्रिक भूमिका की ओर ले जाती है जिसमें पर्यवेक्षक (विद्यालय प्रमुख) एवं अभ्यासकर्ता (शिक्षक) दोनों

एक साथ सीखते हैं। भविष्य के लक्ष्यों और सुधार की योजना पर दोनों के बीच एक सामान्य सहमति होती है। यह पद्धति पर्यवेक्षक एवं अभ्यासकर्ता के बीच के शैक्षणिक संबंध को तालमेल और विश्वास की दृढ़ता देती है और एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया से अंततः अभ्यासकर्ता अपने शिक्षण-अधिगम प्रयासों को बेहतर बना पाता है। यह प्रक्रिया दो व्यक्तियों के बीच बातचीत अथवा वार्तालाप के माध्यम से की जाती है। आप इस प्रक्रिया के बारे में निम्न वेब लिंक पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं— http://pslm.niepa.ac.in/pluginfile.php/554/mod_book/chapter/102/Ask-Describe-Ask%20model.pdf (दृश्य-श्रव्य संसाधन, केस स्टडी और पठन संसाधन की सूची में भी संलग्न हैं)। इस मॉडल के संक्षिप्त चरण नीचे दिए गए हैं। यह मॉडल, अकादमिक पर्यवेक्षक के द्वारा शिक्षक की कक्षा अवलोकन के पश्चात, पर्यवेक्षक और शिक्षक के बीच अधिगम वार्तालाप पर आधारित है—

1. शिक्षक से कक्षा के दौरान किए गए शिक्षण अभ्यास का आकलन करने के लिए पूछें?
   - शिक्षक ने शिक्षण अभ्यास के क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे?
   - कक्षा में क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर हो सकता था?

   इन प्रश्नों के माध्यम से दो व्यक्तियों (पर्यवेक्षक एवं अभ्यासकर्ता) के बीच संवाद की शुरुआत होती है। पर्यवेक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न सुनिश्चित करते हैं कि अभ्यासकर्ता (शिक्षक) की बात पहले सुनी जाए। इससे शिक्षक में विश्वास पैदा होता है कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया उसके स्वयं के अधिगम और प्रगति के लिए ही है।

2. कक्षा अवलोकन के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में आपने जो देखा, उसका वर्णन करें।
   - कक्षा में आपने जो अवलोकन किया, उसके बारे में शिक्षक को बताएँ।
   - शिक्षक के स्व-आकलन पर प्रतिपुष्टि दें।
   - आपने जो देखा, उसका विवरण देने के लिए "मैंने देखा..." या "साक्ष्य के आधार पर मैंने यह पाया कि..." जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करें।
   - इस बातचीत के दौरान आलोचनात्मक भाषा के प्रयोग से बचें।
   - इससे अभ्यासकर्ता के मन में पर्यवेक्षक के प्रति एक विश्वास बनेगा कि वह कक्षा अवलोकन पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया न देकर वास्तविक कक्षा स्थिति पर बिंदु साझा कर रहे हैं। बातचीत करने के इस तरीके से अभ्यासकर्ता स्वयं के अधिगम एवं प्राप्त प्रतिपुष्टि के द्वारा प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं।
3. अंत में अभ्यासकर्ता से अपने सुधार की नीतियों की समझ के बारे में पूछें।
   - शिक्षक ने क्या सीखा है?
   - अगली बार शिक्षक, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार से बदलाव लाएँगे (यदि बदलाव लाने की आवश्यकता है) अथवा नया क्या कर सकते हैं?
   - अगले चरणों की पहचान करें और सुधार हेतु समय-समय पर अनुश्रवण करें।

यदि उपयुक्त हो तो अपने सुझाव दें, लेकिन याद रखें कि एक अकादमिक पर्यवेक्षक के रूप में आपकी भूमिका है, अभ्यासकर्ता (शिक्षक) को अपने व्यावसायिक विकास की ज़िम्मेदारी स्वयं उठानी है और स्वयं ही शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में अपने अभ्यासों को बेहतर करना है। अकादमिक पर्यवेक्षक की भूमिका सिर्फ़ एक सुगमकर्ता की है। इससे शिक्षक, विद्यालय प्रमुख (अकादमिक पर्यवेक्षक) की अनुपस्थिति में भी सीखने और प्रगति करने के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे।

लर्निंग राउंड

लर्निंग राउंड में शिक्षक और विद्यालय नेतृत्वकर्ता दोनों शामिल होते हैं जो एक दल के रूप में कक्षा अवलोकन के द्वारा शिक्षण प्रणालियों का अवलोकन करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यालय या विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम में प्रभावी व्यवस्थात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना है।

इस प्रक्रिया में अवलोकन, शिक्षण-अधिगम के किसी एक अथवा दो पहलुओं को केंद्र बना कर किया जाता है। चिह्नित किए गए केंद्रीय क्षेत्र/क्षेत्रों को आमतौर पर समस्याग्रस्त होने के रूप में पहचाना जाता है जिसे विद्यालय प्रभावी ढंग से संभाल पाने में कठिनाई महसूस करता है। उदाहरण के लिए—

- किसी एक विषय में बच्चों के अधिगम प्रतिफल में अंतर पाया जाना
- बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जाना
- शिक्षकों द्वारा उच्च एवं निम्न क्रम के प्रश्नों का प्रयोग

सभी केंद्रीय क्षेत्रों की पहचान कक्षा अवलोकन द्वारा होनी चाहिए। पर्यवेक्षकों (शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों) का दल चुने हुए विषय पर लगभग 30 मिनट का कक्षा अवलोकन कर सकता है। अपराह्न में निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है। पर्यवेक्षक वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करते हैं ताकि वे चुने हुए विषय से संबंधित जो कुछ भी अवलोकन करते हैं, उसकी एक साझा समझ का निर्माण कर सकें। वे इस निष्कर्ष का उपयोग स्वयं के अभ्यास या विद्यालय दोनों के शिक्षण-अधिगम में सुधार के लिए 'आगामी चरणों' का विकास करने के लिए कर सकते हैं।

विद्यालय स्टाफ या विद्यालय के बाहर का कोई पर्यवेक्षक नीचे दिए गए उद्देश्यों एवं भागीदारों के साथ लर्निंग राउंड्स की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं—

- स्वयं के व्यावसायिक अधिगम को विकसित करने के लिए लर्निंग राउंड्स का उपयोग करने वाले शिक्षकों का एक समूह
- विद्यार्थी अधिगम के सुधार के लिए लर्निंग राउंड्स का उपयोग करते हुए शिक्षकों और विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं का एक समूह
- विद्यालय सुधार प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए लर्निंग राउंड्स का उपयोग करते हुए विद्यालय के बाहर के विशेषज्ञों का एक समूह (जैसे व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता/ डी.आई.ई.टी./ एस.सी.ई.आर.टी. संकाय)

- किसी विद्यालय विशेष में लर्निंग राउंड में शामिल होने वाले एक से अधिक विद्यालय प्रमुखों का एक समूह—

लर्निंग राउंड्स प्रक्रिया के अंतर्गत हर कोई मिल-जुलकर पूछते हुए सीखता है। यह अपेक्षित नहीं है कि हमेशा ही समूह किसी समस्या विशेष का समाधान करेगा, बल्कि यह अपेक्षा है कि पर्यवेक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के मुद्दों से निपटने के लिए अगले चरणों के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर और नए विचारों के बारे में जानेंगे।

विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करना

विद्यालय में अधिगम वातावरण को एक ऐसे वातावरण के रूप में समझा जा सकता है जो एक खुली मानसिकता एवं ज्ञान के लिए स्वतंत्र खोज को बढ़ावा देता है एवं विद्यालय के विज़न एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साझा अधिगम को अपनाता है। एक जीवंत अधिगम वातावरण वाला विद्यालय, विद्यालय प्रमुख, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सतत अधिगम को प्रोत्साहित करता है। हालाँकि, अधिगम वातावरण के निर्माण के लिए पहला कदम विद्यालय के नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको ही उठाना होगा। सीखने, साझा करने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सुधार करने के लिए आपका दृष्टिकोण एक 'प्रेरणास्रोत' के रूप में कार्य कर सकता है जो दूसरों के व्यवहारों को प्रेरित करे और एक अधिगम वातावरण की नींव रखे। ये एक ऐसे वातावरण को विकसित करने के लिए आवश्यक है, जिसमें दल-सदस्य एक-दूसरे से और उन स्रोतों से सीखते हैं जो विद्यालय से बाहर है। इसके लिए आप निम्न कार्य कर सकते हैं—

- शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना
- अधिगम को एवं जो अधिगम में संलग्न हैं, उन्हें मान्यता देना
- प्रतिपुष्टि प्राप्त करना एवं देना
- परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना
- औपचारिक प्रक्रिया में ज्ञान और जानकारी साझा करना

इस भाग में आप अपने विद्यालय में अधिगम वातावरण निर्मित करने के लिए, चिंतन-मनन की प्रक्रिया और दल अधिगम के बारे में दो घटकों के माध्यम से और अधिक जानेंगे।

शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में—

चिंतन-मनन को आत्म-परीक्षण और आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसमें विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षकों को नियमित रूप से अपने व्यावसायिक अभ्यासों की व्याख्या और सुधार करने के लिए संलग्न रहना चाहिए। चिंतन-मनन एक महत्वपूर्ण प्रणाली या उपकरण है जिसके माध्यम से आप समीक्षात्मक रूप से अपने स्वयं के अभ्यास की जाँच कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो अपनी व्यावसायिक क्षमता पर निरंतर आत्म-चिंतन का अभ्यास करते हैं, उन्हें चिंतनशील अभ्यासकर्ता कहा जाता है। एक शिक्षक, कक्षा-प्रक्रिया के दौरान या बाद में अपने शिक्षण अभ्यास का परीक्षण, चिंतन-मनन की तकनीक के द्वारा कर सकता है—जब उसे परखना हो कि विषय संचालन के संदर्भ में क्या मान्यताएँ थी, पाठ योजना

ऑडियो-वीडियो रिसोर्सेस पर वीडियो लिंक देखें—ऑब्ज़र्वेशन, फ़ीडबैक एवं सुपरविज़न

किस प्रकार तैयार की गई थी, क्या 'व्याख्यान शिक्षण' पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था, या बच्चों की अलग-अलग सीखने की ज़रूरतों, उनकी मान्यताओं/पूर्वाग्रहों के आधार पर अलग-अलग सीखने के अवसरों को तैयार किया गया था, इत्यादि?

सतत चिंतन-मनन किसी के भी शिक्षण या नेतृत्व अभ्यास को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि आत्म-परीक्षण की प्रक्रिया पुरानी समस्याओं, चुनौतियों या पारंपरिक तरीकों से कार्य करने के प्रति नयी अंतर्दृष्टि और रचनात्मक समाधान के दरवाज़े खोलती है। चिंतन-मनन किसी की भी विश्वास प्रणालियों और मानसिक दृष्टिकोण की समीक्षात्मक रूप से जाँच करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। नीचे एक संदर्भ का ढाँचा दिया गया है जो आपको स्वयं के अभ्यास पर चिंतन की प्रक्रिया को शुरू करने में आपकी मदद करेगा।

सिद्धांत का कक्षा में ज्यों का त्यों लागू किया जाना	**अनुभव, अवलोकन और सैद्धांतिक संलग्नता पर आधारित अवधारणात्मक ज्ञान का निर्माण**
1. शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को 'बाहरी' एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है।	1. समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण, अधिगम, व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है।
2. शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं।	2. शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषय-क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है।
3. सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई 'स्थान' नहीं होता।	3. शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है।
4. शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता।	4. ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर।

स्रोत — एन.सी.टी.ई. (2009) http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/NCFTE_2010.pdf

विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों में सुधार के लिए दल अधिगम

किसी विद्यालय के स्टाफ को पहले से ही मौजूद एक दल के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जो उस विद्यालय से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने में लगा हुआ है। विद्यालय की प्रक्रियाओं में स्टाफ मीटिंग होना एक सामान्य बात है और आमतौर पर यह महीने में एक या दो बार होती है। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में, आप स्टाफ मीटिंग के माध्यम से अकादमिक परिवर्तन की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम एजेंडा आधारित और अधिगम केंद्रित शिक्षक बैठकों का संचालन करें और उन्हें विद्यालय सुधार में बाधाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में देखें। आप इन मुद्दों, जैसे — 1) कक्षा

में अध्यापकों द्वारा प्रयोग किए गए नवाचारी शिक्षण-अधिगम अभ्यास 2) विद्यार्थी अधिगम हेतु प्रयोग की जाने वाली आकलन नीति ('आकलन ही अधिगम है' की अवधारणा) और 3) विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल पर चर्चा कर सकते हैं। स्टाफ मीटिंग सभी शिक्षकों के लिए सीखने का एक अवसर है, ताकि वे एक-दूसरे के साथ शिक्षण के तरीकों एवं विद्यार्थियों के विभिन्न मुद्दों से संबंधित चुनौतियों को साझा कर सकें। साथ ही ऐसी नयी पद्धतियों को साझा कर सकें जो विद्यार्थी अधिगम को बढ़ाने पर केंद्रित हों। स्टाफ मीटिंग का उपयोग स्टाफ के बीच चिंतनशील संवाद स्थापित करने के लिए एक स्थान के रूप में भी किया जा सकता है।

प्रभावी स्टाफ मीटिंगों का संचालन करने के लिए मार्गदर्शक कदम

- स्टाफ मीटिंग के उद्देश्य को स्पष्ट करना;
- स्टाफ के साथ विचार-विमर्श करके मीटिंग के लिए एक एजेंडा तय करना;
- कुल समय कितना लगना है, यह तय करें और उसके अनुसार प्रत्येक एजेंडे के लिए मीटिंग समय निर्धारित करें;
- एजेंडा पर स्टाफ मीटिंग का नेतृत्व करना (नेतृत्वकर्ता के द्वारा), सभी सदस्यों द्वारा एकत्र किए विचारों व प्रमाणों को साझा करना, प्रमाण आधारित निर्णयों पर पहुँचना;
- मीटिंग के दौरान ही ज़िम्मेदारियाँ तय करना और लक्ष्य व उत्तरदायित्व सौंपना;
- मीटिंग के सभी सदस्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना;
- एजेंडा की नियमित रूप से जाँच करते रहना और निर्णयों की समीक्षा करना।

विद्यालय विकास योजना

विद्यालय विकास एक ऐसी योजना है जिसमें एक निश्चित अवधि में विद्यालय द्वारा निर्धारित वांछित प्रतिफलों को प्राप्त करने हेतु एक विज़न, लक्ष्य, उद्देश्य एवं रणनीतियाँ बनायी जाती हैं। यह योजना, विद्यालय प्रमुख सभी भागीदारों (शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ, अभिभावक, समुदाय इत्यादि) के साथ एकजुट होकर बनाता है व सुनिश्चित करता है कि इसमें लक्ष्य (goals) व उद्देश्य (targets) निर्धारित हों और कार्य योजना के विभिन्न चरण स्पष्ट हों। इस योजना का आशय विद्यालय को उसके विकास के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि विद्यालय विकास योजना हेतु निर्धारित उद्देश्य मापने योग्य हों जिससे कि जब योजना कार्यान्वित एवं पूर्ण की जाए तो उपलब्धियों को ठोस तरीके से सबके समक्ष रख पाएँ।

विज़न — एक प्रमुख चरण

विद्यालय के विकास हेतु दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए विज़न बनाना प्रथम चरण है। चूँकि विज़न का दायरा व्यापक होता है, यह विद्यालय विकास योजना के प्रारंभ में बनाना

आवश्यक है जिसके पश्चात ही योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा बनायी जा सकती है। विज़न को विकसित करते हुए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा —

- विज़न कथन में भविष्य के लक्ष्यों पर चिंतन या विचार होना चाहिए।
- विज़न मूल्य संचालित होना चाहिए, उदाहरण के लिए विद्यार्थियों में यह आत्मविश्वास पैदा करना कि उनमें से प्रत्येक सीखने या बेहतर प्रदर्शन कर सकने के योग्य है।
- विज़न की एक निश्चित अवधि हो, जो सामान्यतः विद्यालय के संदर्भ में 3 या 4 वर्ष हो सकती है।
- विद्यालय विकास योजना एक रूपरेखा है जो यह निर्धारित करती है कि एक संस्था को क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है और वे बदलाव कब तक लाए जा सकते हैं।

विद्यालय विकास योजना की तैयारी के तीन चरण —

विद्यालय आधारित विकास योजना की तैयारी को तीन स्तरों में बाँटा जा सकता है —

1. योजना
2. क्रियान्वयन
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

चरण 1 — समितियों/दलों का गठन

विद्यालय विकास योजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदारियों को साझा करने हेतु दलों का गठन किया जाता है। यह गतिविधि शिक्षकों, स्टाफ व विद्यार्थियों को एकजुट होकर कार्य करने योग्य बनाती है और उनकी क्षमताओं व प्रतिभाओं का इस प्रकार उपयोग करती है कि विद्यालय के प्रति अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिले। इससे ये भागीदार, विद्यालय एवं इसके विकास की ओर और नज़दीक आ जाते हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिये कम से कम चार दलों का गठन करना एक योग्य सुझाव प्रतीत होता है। निम्नलिखित दलों का निर्धारण कर सकते है —

1. योजना दल
2. कार्य दल
3. नेतृत्व दल
4. मूल्यांकन दल

चरण 2 — बेस लाइन डाटा

योजना प्रक्रिया में अनेक पहलुओं को समझने की आवश्यकता अंतर्निहित है, जैसे — विद्यालय की समझ, विद्यालय में नामांकन, भविष्य की नामांकन आवश्यकताएँ अध्यापक एवं उनकी आवश्यकता, समुदाय की समझ (जन सांख्यिकीय) इत्यादि। वर्तमान परिस्थिति में इन पहलुओं पर इकट्ठा की गयी सूचनाएँ/आवश्यकताएँ बेस लाइन डेटा कहलाती हैं। बेस लाइन डेटा से विद्यालय स्टाफ को यह पता चलता है कि उनके पास क्या है व भविष्य में वो क्या

चाहते हैं? अतः विद्यालय विकास योजना बेस लाइन डेटा व भविष्य की उपलब्धियों के बीच की दूरी को मापने में मदद करती है।

चरण 3 — विज़न का निर्माण

विज़न एवं एकत्रित बेस लाइन डेटा विद्यालय आधारित विकास योजना की तैयारी हेतु दिशानिर्देश देने में काफी उपयोगी हो सकते हैं। विज़न निर्माण हेतु आप को अपनी वर्तमान भूमिका एवं अपनी भूमिका के प्रति अपनी अपेक्षाओं पर पुन:विचार करना होगा। आप को अपने स्वयं के विज़न एवं संस्थागत विज़न में संबंध, जैसे कि "आगामी 3 वर्षों में आप स्वयं को कहाँ देखना चाहेंगे" (स्वयं का विज़न) एवं "आगामी 3 वर्षों में आप अपनी संस्था को किस रूप में देखना चाहेंगे" (संस्था विज़न) के बारे में सोचना होगा। इसके पश्चात अपने भागीदारों की सहायता से विज़न कथन का विकास करें जो कि एक सामूहिक अभ्यास होना चाहिए।

विज़न कथन के निर्माण में अनुसरण किए जाने वाले बिंदु—

- विज़न स्पष्ट हो।
- एक वाक्य अथवा संक्षिप्त अनुच्छेद का प्रयोग करें।
- सब कुछ वर्तमान काल में लिखें, जैसे कि पहले ही इसे पूर्ण कर चुके हैं।
- विज़न कथन में आपका व आपके भागीदारों का भविष्य के प्रति विश्वास एवं उचित मनोदशा झलकनी चाहिए।

चरण 4 — प्राथमिकताओं का निर्धारण

अब तक आपने विद्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित विज़न कथन का निर्माण कर लिया होगा। विज़न को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय हेतु प्रमुख प्राथमिकताओं को चुनिए। विभिन्न प्राथमिकताओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए, जिससे कि 3 वर्षों की अवधि में विज़न को प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक माह में कौन-कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं एवं प्राथमिकताओं की ज़िम्मेदारी अलग से किन-किन को दी जा सकती है, इसके बारे में भी सोचिए। प्राथमिकताओं के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं—

- सभी बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पहचानना और उनका आकलन एवं विकास करना;
- सभी अध्यापकों द्वारा बेहतर शिक्षण के लिए उनके ज्ञान व कौशलों का विकास करना;
- सभी अध्यापकों एवं विद्यार्थियों हेतु शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक एवं अधिगम केंद्रित बनाना।

चरण 5 — लक्ष्य एवं उद्देश्य

सभी भागीदारों के साथ मिलकर विद्यालय का विज़न विकसित करने के पश्चात आपको लक्ष्यों (goals) को निर्धारित करना है। यदि आपका विज़न कथन 3 वर्षों के लिए तैयार किया गया है तो वार्षिक लक्ष्य बनाना उपयोगी होगा जिसका विज़न के साथ संरेखण

(alignment) हो। ये लक्ष्य उन प्राथमिकताओं के साथ भी संरेखित होंगे जो आपने निर्धारित की हैं। एक लक्ष्य के भीतर 3/4 उद्देश्य (target) हो सकते हैं। उद्देश्य अल्पकालिक होने के साथ मापने योग्य भी होते हैं। इनकी समय सीमा 3, 5, 6 या 9 महीने हो सकती है। वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आप एक वर्ष में दो से तीन उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। रणनीतियाँ वो कार्य बिंदु हैं जो आपको उद्देश्यों (targets) को पूरा करने में सहायक होती हैं।

चरण 6 — अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र

विद्यालय विकास योजना तैयार होने के पश्चात उसका क्रियान्वयन एवं समयानुसार अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। अनुश्रवण दल निर्धारित लक्ष्यों को तय करने में/प्राप्त करने में सहायक होगा। आप विद्यालय विकास योजना की छमाही अथवा वार्षिक प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं।

विचारात्मक प्रश्न

- विद्यालय विकास योजना (एस.डी.पी.) के निर्माण और क्रियान्वयन में आप अपनी भूमिका को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे देखते हैं?
- यह प्रतिबिंबित करें कि आपका स्कूल अपनी ताकत और कमजोरियों के मामले में आज कहाँ खड़ा है? आप अपने स्कूल में किन दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं और क्यों?
- विद्यालय विकास योजना की तैयारी में कितने चरण हैं?

विद्यालय शिक्षा में आई.सी.टी. संबंधी पहल

प्रत्येक विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यालय प्रमुख की विभिन्न सबलताएँ और योग्यताएँ होती हैं। वे इन योग्यताओं का उपयोग, कार्य करने, योजना बनाने, संचालन करने, कक्षा-कक्ष प्रबंधन के मुद्दों को संबोधित करने और दिन-प्रतिदिन की सामान्य समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं। इसके अलावा, शिक्षण समुदाय एवं शैक्षणिक प्रशासकों के समक्ष कक्षा आकार, विषयवस्तु की प्रकृति, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता, भाषा एवं भौगोलिक विविधता इत्यादि से संबंधित चुनौतियाँ होती हैं। प्रत्येक शिक्षक और विद्यालय प्रमुख को अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने, नवाचार करने, दैनिक समस्याओं को हल करने और अंततः विद्यालय की प्रभावशीलता में योगदान देने हेतु सक्षम बनाना, आज के समय की मुख्य आवश्यकता है। उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.), शिक्षण-अधिगम वातावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

यूनेस्को के अनुसार, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) से तात्पर्य डिजिटल जानकारी बनाने, संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने एवं कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए तकनीकी उपकरणों और संसाधनों के एक विविध समूह से है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) में व्यक्ति को समस्त दुनिया से जोड़ने, एक-दूसरे के साथ जोड़ने, कुछ नया

करने, संवाद स्थापित करने और साथ ही शिक्षा क्षेत्र में उपलब्ध सभी संभावनाओं का उपयोग करने और यहाँ तक कि समाज में मौजूद भेदभाव को समाप्त करने की क्षमता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए, यह समझना होगा कि इसका अधिकतम उपयोग कैसे किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) पहलों पर यहाँ चर्चा की गई है।

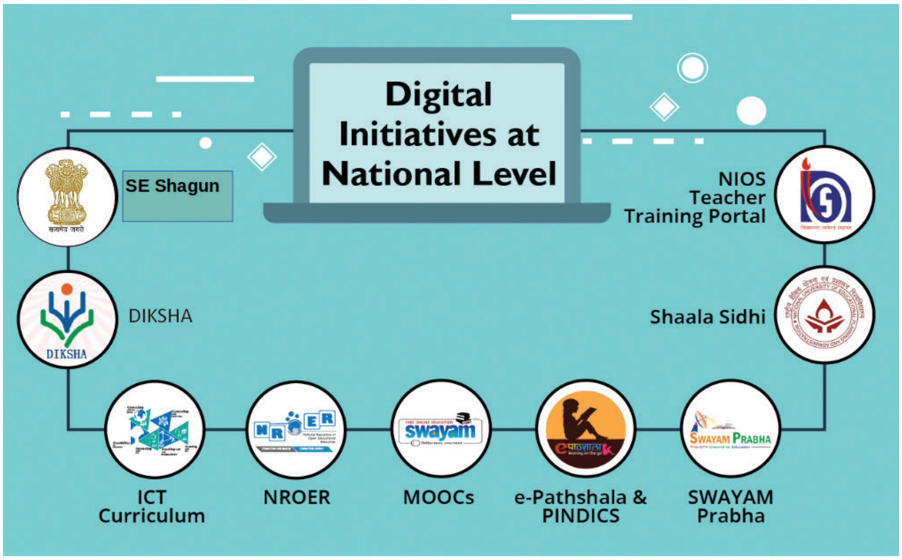

- नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपेन एजुकेशनल रिसोर्सेज (एन.आर.ओ.ई.आर.), ई-पाठशाला (वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्स) और दीक्षा जैसी पहल, चित्रों, ऑडियो, वीडियो, इंटरएक्टिव (संवादात्मक), ग्राफिक्स, एनिमेशन, डिजिटल किताबें, डिजिटल नक़्शे, समय-सारणी आदि के रूप में ओपेन एजुकेशनल रिसोर्सेज (ओ.ई.आर.) आप तक पहुँच बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। जीवनपर्यंत अधिगम और सतत व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) पाठ्यक्रम पर आधारित एम.ओ.ओ.सी. जैसी पहल ऑनलाइन के साथ-साथ मिश्रित प्रणाली से पाठ्यक्रमों की श्रृंखला प्रदान करती है। स्वयंप्रभा के तहत 24 × 7 घंटे चलने वाला डी.टी.एच. टीवी चैनल, जन समुदाय के बीच पहुँचने की एक ऐसी पहल है, जहाँ इंटरनेट की सुविधा एक चुनौती है।
- शाला गुणवत्ता (शगुन) शिक्षकों को अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करता है एवं ऑनलाइन अनुश्रवण करने का एक माध्यम है।
- जैसे-जैसे तकनीक का विस्तार हो रहा है, साइबर जगत में सुरक्षा को लेकर खतरे भी बढ़ गए हैं। यह नीति निर्माताओं, पाठ्यक्रम निर्माताओं, विद्यालय प्रशासकों और शिक्षकों का दायित्व है कि वे साइबर सुरक्षा उपायों, साइबर के नियम, साइबर कानूनों आदि के बारे में जागरूक हों और विद्यार्थियों में भी जागरूकता पैदा करें।

- हाल ही में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एल.एम.एस.) के सहयोग से लगभग 42 लाख शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित करने की पहल की गयी है जो https://itpd.ncert.gov.in/ पोर्टल पर उपलब्ध है और यह पोर्टल समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति परखेगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (आई.सी.टी.) कई संसाधन समूहों के साथ-साथ प्रशिक्षित किए जाने वाले शिक्षकों के डेटा को प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा श्रेष्ठ अभ्यासों को सभी तक पहुँचाने के अवसर प्रदान करती है।

केस स्टडीज (विस्तृत अध्ययन)

विद्यालय प्रमुख का नाम—शेवांग उरगोल, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, खार, लाहौल स्पीती, हिमाचल प्रदेश

खार (लाहौल स्पीती, हिमाचल प्रदेश) के दूरस्थ गाँव में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय ने काफी अच्छा काम किया है। विद्यालय एक पिछड़े क्षेत्र में स्थित है जो मुख्य क्षेत्र से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ भी विद्यालय प्रमुख, शेवांग उरगोल को विद्यालय की संकल्पना को वास्तविकता में बदलने से नहीं रोक पाईं। विद्यालय में हर तरह की सुविधाएँ हैं और यह अच्छी तरह से सुसज्जित है। यह एक छोटा विद्यालय है जिसमें दो ही शिक्षक हैं। विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय, शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.), गतिविधि कोना, रसोई-घर, शौचालय और खेल का मैदान है। कक्षा-कक्ष हवादार हैं और बिजली की नियमित आपूर्ति है। यह भी गौर करने वाली बात है कि विद्यालय सौर-ऊर्जा का उपयोग कर रहा है जो पर्यावरण के अनुकूल है। इस तरह की तकनीकों का प्रयोग युवा पीढ़ी को पर्यावरण को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही अधिक चिर-स्थायी पर्यावरण की दिशा में योगदान करने हेतु उनकी तर्कशीलता को प्रेरित करता है। ये सभी प्रयास विद्यालय प्रमुख द्वारा किए गए हैं, जिन्होंने विद्यालय को सुचारु रूप से काम करने वाली इकाई के रूप में बदला है।

सरकारी प्राथमिक विद्यालय, खार

श्री शेवांग ने ग्रामीणों के सहयोग से एक टीवी कक्ष बनाने में भी कामयाबी हासिल की। इस कक्ष का उपयोग विशेष रूप से विद्यार्थियों को मल्टीमीडिया के माध्यम से सिखाने के लिए किया जाता है, न कि पारंपरिक तरीके से। विद्यार्थियों को नैतिक कहानियाँ और कविताएँ भी सिखायी जाती है। इसके अलावा, विद्यार्थियों को दैनिक खबर दिखायी जाती हैं। इस कमरे में एक कंप्यूटर भी है, जिसे विद्यार्थी संचालित करते हैं और सीखने व अभ्यास के लिए प्रयोग करते हैं। पुस्तकालय को अन्य शिक्षकों के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिन्होंने पुस्तकें भी योगदान में दी हैं। सामान्यत: विद्यार्थी दोपहर के भोजन

गतिविधि कक्ष

खेल का मैदान

रसोई घर

के बाद पुस्तकालय में पढ़ते हैं। अधिगम अनुभव को रुचिकर बनाने के लिए, कक्षाओं को चित्रों और उदाहरणों के साथ चित्रित किया गया है। विद्यालय में गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं, जो छात्र/छात्राओं को खराब मौसम में भी अपनी पढ़ाई को पूरा करने में मदद करते हैं।

विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है, जिसका विद्यालय प्रमुख की पहल पर पुनःनिर्माण किया गया। श्री शेवांग की भविष्य में विद्यालय में एक ग्रीन हाउस बनाने की भी योजना है जिससे विद्यार्थियों को स्वस्थ और जैविक भोजन मिल सकेगा। विद्यालय में एक पूरी तरह कार्यात्मक और सुसज्जित रसोई-घर है जिसमें छात्र/छात्राओं के लिए पौष्टिक भोजन बनाया जाता है। यह भी बहुत अच्छी बात है कि विद्यालय न केवल विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक

शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा गतिविधि कक्ष

कक्षा-कक्ष

क्षमताओं को विकसित करने का कार्य कर रहा है, बल्कि उन्हें उचित पोषण प्रदान करके उनकी देखभाल भी कर रहा है।

तमाम विषमताओं के बावजूद विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय (एन.वी.एस.) में दाखिला दिलाने में सफलता प्राप्त की है। श्री शेवांग के अनुसार ऐसा इसलिए हो पाया, क्योंकि विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। उनके विद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ बाल-केंद्रित हैं जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों का एन.वी.एस. में प्रवेश सुनिश्चित हो पाया है।

श्री शेवांग जैसे विद्यालय प्रमुख समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने अपने निरंतर प्रयासों से विद्यालय को इस मुकाम पर पहुँचाया है। यह आधुनिक शिक्षा के प्रति उनका विश्वास ही है जो रट्टा मारकर सीखने और शाब्दिक समझ पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने परिवेश के बारे में जागरूक होने और महत्वपूर्ण अवधारणाओं का सृजन करने पर निर्भर करता है। श्री शेवांग उरिगोल ने राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा द्वारा 22–24 जनवरी 2019 को आयोजित "नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीडरशिप पाथवेज़ फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट" में भाग लिया।

क्रम सं.	वर्ष	जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चुने गए विद्यार्थियों की संख्या
1.	2009–2010	04
2.	2010–2011	02
3.	2011–2012	01
4.	2013–2014	02
5.	2014–2015	01
6.	2015–2016	01

7.	2016–2017	01
8.	2017–2018	02

विद्यालय प्रमुख का नाम — रागिनी रामचंद्र सुर्वे, ज़िला परिषद् आदर्श विद्यालय, निवाली चिपलुन रत्नागिरि, महाराष्ट्र

ज़िला परिषद् आदर्श विद्यालय, निवाली चिपलुन, रत्नागिरि, महाराष्ट्र में स्थित है, जो सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक विद्यालयों में से एक है। विद्यालय प्रमुख का विद्यालय पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। पारंपरिक रट्टा मारकर सीखने की प्रक्रिया का अनुसरण करने की बजाय विद्यालय प्रमुख रागिनी रामचंद्र सुर्वे ने प्राथमिक कक्षाओं में नवाचारी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत की। लेकिन यह उनके सहकर्मियों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता, जिन्होंने महाराष्ट्र के ब्लॉक कुमठे में व्यक्तिगत रूप से विद्यालयों का भ्रमण किया। इस भ्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम था — गतिविधि आधारित शिक्षण से अकादमिक स्टाफ को परिचित कराना। शिक्षण की यह तकनीक विद्यार्थियों को अकादमिक रूप से बेहतर परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके संज्ञानात्मक स्तर में सुधार हेतु लाभप्रद साबित हुई। इस तकनीक को शुरू करने से पहले विद्यालय प्रमुख ने अन्य भागीदारों के साथ एक बैठक की और इस अवधारणा से उनको परिचित कराया। रुचिपूर्ण बात यह है कि सभी भागीदारों ने बहुत उत्साह दिखाया और विद्यालय को रुपांतरित करने एवं गतिविधि आधारित शिक्षण तकनीकों को अपनाने में विद्यालय की मदद की। उन्होंने विद्यालय के फ़र्श को कला समेकित शिक्षण के माध्यम से अधिक रंगीन बनाने में मदद की।

विद्यालय में, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में गतिविधि आधारित तकनीकों का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है —

- कहानी, नाटकों और ड्रामा के माध्यम से विद्यार्थियों को नयी अवधारणाएँ सिखायी जाती हैं। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम संबंधित अवधारणाओं/विषयों पर नाटक प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

ज़िला परिषद् आदर्श विद्यालय, निवाली

- विद्यार्थियों को तीन शब्द दिए जाते हैं जिनसे उन्हें एक नयी कहानी बनानी होती है। यह विधि विद्यार्थियों को रचनात्मक ढंग से सोचने और स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम एवं समीक्षात्मक मनोवृति विकसित करने के योग्य बनाती है।
- विद्यार्थियों को उनकी उम्र के अनुसार वर्गीकृत कर उन्हें सरल शब्दों के प्रयोग के माध्यम से लयबद्ध कविताएँ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- विद्यार्थियों को एक शब्द दिया जाता है और उन्हें दिए गए शब्दों से संबंधित अन्य शब्दों के बारे में सोचना होता है। यह उन्हें अपनी शब्दावली को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- एक अभ्यास में विद्यार्थियों को मराठी वर्णमाला देना, उन्हें नये शब्द बनाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। यह उनकी शब्दावली में सुधार करने हेतु एक और प्रयोग है।
- गणितीय तर्कशक्ति को बढ़ाना, जिसमें शामिल हैं —
    - दिए गए अंकों से संख्या तैयार करना।
    - घटते और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लगाना।
    - संख्याओं का विस्तार।
    - सम और विषम संख्याओं को पहचानना।
    - वैल्यू का स्थान बताना।
    - संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना।
    - संख्याओं पर पासा फेंकना और उन्हें पढ़ना।
- विद्यार्थियों की अँग्रेज़ी में सुधार हेतु, उन्हें अँग्रेज़ी में प्रस्तुति (नाटक और कविता) करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- विद्यार्थियों को अपनी कलात्मक क्षमताओं को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए उनके शिल्प और कला कौशल को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियों का आयोजन विद्यालय समय-समय पर करता है।

यह बात बहुत ही रोचक है कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में माता-पिता की उत्सुक भागीदारी बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करती है। विद्यालय के कार्यों को ज़िला परिषद् के शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा समिति द्वारा काफी सराहना मिली है। ज़िला शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) के संकाय ने भी विद्यालय में परिवर्तन लाने हेतु विद्यालय प्रमुख द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में नये प्रयोगों और नवाचारों ने न केवल विद्यार्थियों को, बल्कि शिक्षकों को भी संज्ञानात्मक रूप से बढ़ने में सक्षम बनाया है।

विद्यार्थियों को अब कठिन अवधारणाओं को समझना अधिक आसान लगता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि संख्या 29 को दस-दस डंडियों के दो बंडलों का उपयोग करके और 9 अलग-अलग डंडियों को इस तरह से व्यवस्थित करके सिखाया जाता है, जो 29

संख्याएँ सीखते हुए विद्यार्थी

की संख्या बनाएँ। विभिन्न शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

इसके साथ, विद्यालय प्रमुख ने विद्यालय के बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए भी काम किया है और विद्यालय प्रबंधन को भी सुदृढ़ किया है।

विद्यालय प्रमुख को उनके अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।

श्रीमती रागिनी रामचंद्र सुर्वे ने राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र, नीपा द्वारा 22–24 जनवरी 2019 को आयोजित "नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लीडरशिप पाथवेज़ फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट" में भाग लिया।

संदर्भ

अवस्थी, के. 2017. *अकेडमिक सुपरविज़न एंड फ़ीडबैक — रीलीज़िंग द पोटेंशियल ऑफ़ फील्ड लेवल लीडरशिप*. http://ncsl.niepa.ac.in/

———. 2017. *डेवलपिंग प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज — लीडिंग टीचर्स' प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर सिस्टम लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स*. http://ncsl.niepa.ac.in/

दीवान, रश्मि. 2013. *एजुकेशनल लीडरशिप — अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क* (न्यूपा)ण्.

दीवान, रश्मि एंड पांडा, बी.के. 2013. *गाइडिंग थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ़ स्कूल डेवलपमेंट प्लान — अ हैंडबुक फॉर स्कूल हेड्स*. (न्यूपा)

मैथिली एन. 2017. "डस स्कूल लीडरशिप मैटर फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन इंडिया? ए केस स्टडी ऑफ़ सिक्किम. *इंडियन एजुकेशनल रिव्यु*. दिसंबर, 2017, पृ- 34–63 http://www.ncert.nic.in/publication/journals/pdf_files/IER_July_17.pdf

———. 2019. "गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर अचीविंग हायर क़्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन — ए स्टडी ऑफ़ सिक्किम." *इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, 65(2), अप्रैल–जून, 2019.

न्यूपा. 2014. *ए हैंडबुक ऑन स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट* (अँग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भाषाएँ). नयी दिल्ली

———. 2015. *नेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन एंड करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट* (अँग्रेज़ी, हिंदी एवं अन्य भाषाएँ). रिवाइज्ड एडिशन. नयी दिल्ली.

रॉबिंसन, वी., लॉयड, सी. एंड के.जे. रोवे. 2008. "द इम्पैक्ट ऑफ़ लीडरशिप ऑन स्टूडेंट आउटकम्स — एन एनालिसिस ऑफ़ द डिफरेंशियल इफेक्ट्स ऑफ़ लीडरशिप टाइप्स". *एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टरली*. 44 (5), 635–674.

सुबिता, जी.वी. एंड चारु स्मिता मलिक. (सं.). 2016. *रिसोर्स बुक ऑन वन मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट*, न्यूपा, नयी दिल्ली.

वेब संसाधन

टेस्स-इंडिया. ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग-लर्निंग प्रोसेस — लीडिंग टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट. https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=1911

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टुवर्ड्स प्रेपरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर. एन.सी.एफ.टी.ई. 2009. http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/NCFTE_2010.pdf

मारयेलें वेइमेर. https://www.facultyfocus.com/articles/teachingand-learning/five-key-principles-of-active-learning/ accessed on 20th May 2019

लर्निंग आउटकम्स. http://www.ncert.nic.in/pdf/Annual_report_17_18.pdf

वेबसाइट

http://ncsl.niepa.ac.in/

http://pslm.niepa.ac.in/

https://itpd.ncert.gov.in/

श्रव्य-दृश्य संसाधनों की सूची

अनुभाग	वीडियो का नाम	वेब लिंक
स्वयं एवं प्रेरणा	लीड इंडिया वीडियो	https://www.youtube.com/Watch? v=JR8i9p3pcPg&feature=youtu.be
लीडर्स इन एक्शन	चेंज लीडरशिप एंड स्कूल इम्प्रूवमेंट — रोल ऑफ स्कूल हेड	https://www.youtube.com/watch?v=hSfg6ON8iqQ&list=PLUgLcpnv1YidWTfKv5Z4E9zaskiV2ZCJf&index=4&t=0s

बहु-भूमिकाएँ और दायित्व	डेवलपिंग स्कूल एज ए लर्निंग ऑर्गनाइजेशन	https://www.youtube.com/watch?v=1NJEI6VXEQg&list=PLUgLcpnv1YidWTfKv5Z4E9zaskiV2ZCJf&index=11&t=0s
	प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान	https://www.youtube.com/watch?v=QEhOFl6d_qU&list=PLUgLcpnv1YidWTfKv5Z4E9zaskiV2ZCJf&index=9&t=0s
	स्कूल एंड परपज ऑफ एजुकेशन नोइंग मोर अबाउट इनोवेशन्स	https://www.youtube.com/watch?v=Q9zbADOKd0E&list=PLUgLcpnv1YidWTfKv5Z4E9zaskiV2ZCJf&index=13&t=0s https://www.youtube.com/watch?v=-VdNE3z13Ws&list=PLUgLcpnv1YidWTfKv5Z4E9zaskiV2ZCJf&index=8&t=0s
	लीडिंग स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप्स	https://www.youtube.com/watch?v=q5nXadLtqsk
सक्रिय अधिगम के सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना	यंग हिस्टोरियन	https://youtu.be/p9VAM8yv2Ng
विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान को समझना	पेडागॉजिकल-कंटेंट नॉलेज	https://www.youtube.com/watch?v=eE9U-WEhjMQ

अकादमिक पर्यवेक्षण के लिए तकनीक- पर्यवेक्षण कैसे करें	ऑब्जरवेशन, फ़ीडबैक एंड सुपरविज़न	https://www.youtube.com/watch?v=GoC-5llGCTw&list=PLUgLcpnv1YidWTfKv5Z4E9zaskiV2ZCJf&index=10&t=0s
अध्यापक एवं विद्यालय प्रमुख चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में	टीचर्स एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर	https://www.youtube.com/watch?v=9fihPN41RaE

यह वीडियो 'एन.सी.ई.आर.टी. ऑफिशियल' यूट्यूब चैनल पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

मॉड्यूल 2

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

UN80MD02

परिचय

सत्र 1

इस मॉड्यूल में दो सत्र हैं। सत्र 1 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में उपयोग किए गए विकासात्मक ढंग से उपयुक्त, शिक्षणशास्त्र का विवरण देता है। सत्र 2 प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के विकास से संबंधित है।

आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे विभिन्न केंद्रों, जैसे — क्रेश, डे केयर, प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल या एक बालवाड़ी आदि में जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन केंद्रों में रहने के दौरान बच्चे क्या करते हैं? क्या बच्चे इन केंद्रों में जाने की इच्छा अथवा रुचि रखते हैं और वहाँ खुश हैं? मॉड्यूल के इस सत्र में आपको पता चल जाएगा कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं और इस आयुवर्ग के साथ किस तरह के शिक्षण को अपनाने की आवश्यकता है?

मॉड्यूल के उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अंत में आप सक्षम हो पाएँगे—

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित करने में;
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करने में;
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षणशास्त्र का वर्णन करने में;
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के वर्षों में मूल्यांकन की समझ का प्रदर्शन करने में;
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में माता-पिता और समुदाय की भूमिका को रेखांकित करने में;
- बच्चों के सुचारु रूप से अगली कक्षाओं में जाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के साथ संयोजन (लिंकेज) के संबंध में।

गतिविधि — अपने प्रतिभागियों से उनके बचपन के दिनों की यादों को साझा करने के लिए कहें (एक सुखद और एक, जो बहुत सुखद न हो)। फिर इस बात पर ज़ोर देते हुए चर्चा शुरू करें कि शुरुआती वर्षों का क्या महत्व होता है और कैसे, यादें जीवन भर के लिए एक प्रभाव छोड़ जाती हैं। आप कुछ उदाहरणों का भी उपयोग कर सकते हैं कि कैसे हम अपने शुरुआती वर्षों में सीखी गई कहानियों/कविताओं को अब भी वयस्क हो जाने के बाद याद करते हैं।

परिचय

प्रारंभिक बाल्यकाल को जन्म से आठ वर्ष की आयु तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल के वर्षों में, बचपन के शुरुआती वर्ष सबसे अधिक प्राथमिकता वाले

क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। बचपन के विकास को सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिनमें वंचित समूह के बच्चे भी हों और विकलांग बच्चे भी, के स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। उनके विकास, देखभाल की ओर कदम उठाए जाएँ और उन्हें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा मिले, ताकि 2030 तक वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएँ। भारत उन 193 देशों में से एक है, जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स; एस.डी.जी.) का समर्थन किया है और उन्हें पाने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किसी भी बच्चे के जीवन-काल में जीवन के पहले छह साल बहुत 'महत्वपूर्ण' होते हैं, क्योंकि इन वर्षों में विकास किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में अधिक तेज़ी से होता है। इन शुरुआती वर्षों में सीखने के लिए मस्तिष्क सबसे अधिक लचीला और अनुकूल होता है। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में हाल में हुए शोधों के अनुसार, जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष होती है, तब तक मस्तिष्क का 90 प्रतिशत विकास हो चुका होता है। यह वृद्धि न केवल बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से प्रभावित होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभवों और वातावरण से भी प्रभावित होती है, जिनसे इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चा संपर्क में आता है, इसलिए प्रारंभिक वर्षों में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का स्थान, प्रावधान और कार्यक्रमों के रूप में प्रयास व मेहनत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को 3–6 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है (आँगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री-स्कूल, प्रीपेरेट्री, प्री-प्राइमरी, एल.के.जी., यू.के.जी. आदि जैसे किसी भी नामकरण द्वारा संदर्भित)।

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तीनों क्षेत्रों अर्थात सरकारी, निजी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकार में इसे मुख्य रूप से समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर आँगनवाड़ियों के रूप में जाना जाता है, पर 40 प्रतिशत आँगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही स्थापित किया गया है। आँगनवाड़ियों के साथ जुड़ने और उन्हें शामिल करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को आँगनवाड़ी में पूर्व-प्राथमिक घटक की समग्र ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। बड़ी संख्या में निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय हैं जो आमतौर पर कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं और हाशिए तथा वंचित तबके से आने वाले बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वर्ष 2017–18 में, कक्षा एक से पहले की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्कूली शिक्षा सातत्यक में जोड़ा गया है और इसीलिए रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा '*पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या*' और '*पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशानिर्देश*' तैयार किया गया है, जिसमें एक प्रगतिशील तरीके से पूर्व-प्राथमिक 1 और पूर्व-प्राथमिक 2 के लक्ष्यों, प्रमुख अवधारणाओं/कौशलों, शैक्षणिक प्रक्रियाओं और प्रारंभिक सीखने के प्रतिफलों को रेखांकित किया गया है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तीन से छह साल की उम्र के बीच के (विशेष आवश्यकता वाले व वंचित समूहों के बच्चों सहित) सभी बच्चों के लिए एक कार्यक्रम है। यह बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देते हुए उसके समग्र विकास पर जोर देता है, जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। यह अधितम विकास, विकास और सीखने के लिए आवश्यक आयामों पर जोर देने के साथ एक प्राकृतिक, आनंदमय और प्रेरक वातावरण प्रदान करता है जो कि गैर-औपचारिक, प्ले-वे और गतिविधि आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का निम्न स्तर पर विस्तार नहीं है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, बेहतर प्रदर्शन और बेहतर धारणा शक्ति दर के लिए अग्रणी प्रारंभिक कक्षाओं हेतु पूर्व-प्राथमिक से एक सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करता है। प्रारंभिक वर्षों के विकास संबंधी उपयुक्त अभ्यास और अनुभव बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और विकास के सभी क्षेत्रों अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा और कला और सौंदर्य की प्रशंसा में अपनी क्षमता का निर्माण करने में मदद करते हैं।

विचारात्मक प्रश्न

आपको क्यों लगता है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा एक बेहतरीन निवेश है?

अभ्यास — प्रतिभागियों को दो समूहों में विभाजित करें। शीर्षक लिखते हुए चार्ट पेपर को दो कॉलम में विभाजित करें — पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्या है और यह क्या नहीं है। दोनों समूहों को उनके उत्तरों को विचार करने और लिखने दें। प्रशिक्षक, समूहों की चर्चा और सुझावों को संचालित करता है।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए सीखने के प्रतिफल

- बच्चे अच्छे स्वास्थ्य, स्वच्छता की आदतों और साफ़ व पौष्टिक खाने की आदतों को बनाए रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं।
- बच्चे माँसपेशियों के समन्वय और बुनियादी माँसपेशियों के कौशल का प्रदर्शन करते हैं।
- बच्चे वांछनीय सामाजिक शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं और दूसरों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- ज़िम्मेदारी लेते हैं और तय करते हैं, अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़े/छोटे समूहों में एक-दूसरे के साथ सहयोग, मदद और चीज़ें साझा करते हैं और पहल करते हैं।
- बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
- बच्चे कला, संगीत, नृत्य और रचनात्मक चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं और उसमें भाग लेते हैं।
- बच्चे बातचीत में भाग लेते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, ज़रूरतों के बारे में बताते हैं और एक विचार का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में प्रेरित होते हैं।

- बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हैं और सरोकार रखते हैं।
- बच्चे प्रयोग करना पसंद करते हैं और अपने तात्कालिक भौतिक, सामाजिक और जैविक वातावरण के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं।

> 'बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं—अनुभव के माध्यम से, चीज़ों को बनाने और करने से, प्रयोग, पढ़ने, चर्चा, पूछने, सुनने, विचार करने और स्वयं को भाषण, आंदोलन या लेखन द्वारा व्यक्त करके—व्यक्तिगत रूप से और दूसरों के साथ दोनों तरह से। उन्हें अपने विकास के दौरान इन सभी प्रकार के अवसरों की आवश्यकता होती है।'
>
> *–एन.सी.एफ. 2005*

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में शिक्षणशास्त्र — बच्चे कैसे सीखते हैं?

आप पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में जान चुके हैं और यह भी कि कैसे एक गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस भाग में आप बच्चे को समग्र विकास प्रदान करने के लिए शिक्षणशास्त्र से परिचित होंगे।

खेलना

बच्चे कैसे सीखते हैं, खेलना उसका मुख्य तत्व है। खेलने को सार्वभौमिक रूप से बच्चे के सीखने के तरीके के रूप में माना जाता है। वे खेलना पसंद करते हैं और तब खुश हो जाते हैं, जब उन्हें खेलने के माध्यम से पता लगाने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चों के समग्र विकास (यानी, शारीरिक, पेशीय, सामाजिक, भावनात्मक, भाषायी, संज्ञानात्मक और रचनात्मक एवं सौंदर्य विकास), के लिए यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है, साथ ही उनके विकास का प्रतिबिंब भी है। अत: पूर्व-प्राथमिक पाठ्यक्रम खेल को एक माध्यम के रूप में महत्व देता है जो बच्चों को ज्ञान के निर्माण के लिए पर्यावरण और एक-दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करता है। खेलना, मुक्त रूप से खेलने (अपने आप, जैसा चाहे, वैसा खेलना) अथवा किसी के मार्गदर्शन में खेलने के रूप में हो सकता है। मुक्त ढंग से खेलना बच्चों द्वारा शुरू किया गया है और उसमें वयस्कों का निरीक्षण बहुत ही कम होता है, जबकि निर्देशित खेल, शिक्षक द्वारा विशेष सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। शिक्षकों को जेंडर आधारित रूढ़िवादी कथनों से बचना चाहिए, जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं/ गुड़िया के साथ नहीं खेलते हैं, आदि। बच्चों (विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित) को अपनी रुचि के क्षेत्रों को चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। सभी शिक्षण क्षेत्रों या विकास के क्षेत्रों के लिए खेल गतिविधियों की योजना बनायी जानी चाहिए और सभी बच्चों को खेल की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के लिए खेल गतिविधियाँ

शारीरिक और माँसपेशियों के विकास के लिए गतिविधियाँ

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पर्याप्त और नियमित रूप से ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए जो दिलचस्प होने के साथ-साथ, उनकी उम्र के हिसाब से उपयुक्त भी हों, जैसे कि बाहर खेले जाने

वाले ऐसे खेल जिनसे माँसपेशियों का विकास हो सके, जैसे — पकड़ना, दौड़ना, कूदना, छोड़ना, संतुलन करना आदि। बाहर खेलने के साथ-साथ, एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चे के लिए दैनिक योजना गतिविधि में सामग्री के साथ अंदर खेले जाने वाले खेलों के लिए भी समय और अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे — ब्लॉक प्ले, मैनिपुलेटिव प्ले, पेंट्स, क्ले, ब्रश, क्रेयॉन आदि के साथ कला गतिविधियाँ। इनसे माँसपेशियों का विकास होता है और यह बच्चों की रचनात्मकता, कल्पना को पोषित करने में मदद करता है साथ ही यह आँखों व हाथों के समन्वय को भी सुदृढ़ करता है। अपरिचित से परिचित और सरल से जटिल तक खेल गतिविधियाँ तथा खेल क्रियाएँ, चुनौतियों का सामना करने वाली, प्रासंगिक एवं योजनाबद्ध होनी चाहिए और साथ ही ऐसी जिन्हें कुछ प्रयासों के बाद अधिकांश बच्चे कर सकें और जो विशेष आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें।

सामाजिक-भावनात्मक विकास के लिए गतिविधियाँ

बचपन के दौरान सामाजिक और भावनात्मक कल्याण की नींव रखी जाती है। कल्याण का मतलब है— अच्छा शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य और खुशी एवं संतुष्टि की भावना। वयस्कों के साथ स्नेहमयी, प्यार भरे और सहयोग वाले रिश्ते भावनात्मक सुरक्षा, सकारात्मक आत्म-अवधारणा और दूसरों के लिए सम्मान के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब वयस्क, बच्चों के प्रति सम्मान दिखाते हैं और सकारात्मक मार्गदर्शन का उपयोग करते हैं, तो बच्चे समस्याओं को हल करना, आत्म-नियंत्रण और चीज़ों को समझने की एक सुदृढ़ भावना विकसित करना सीख सकते हैं।

मुक्त खेल की गतिविधियाँ बच्चों को निर्णय लेने और दूसरों के अधिकारों और दृष्टिकोणों को समझने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा, वे बच्चों में सामाजिक व्यवहार के विकास का समर्थन करती हैं, जैसे — अपनी बारी आने का इंतजार करना, साझा करना, दूसरों की मदद करना, खुद की और दूसरे की भावनाओं को समझना और करुणा व सहानुभूति का अनुभव करना। अपनी रुचि और पसंद के अनुसार चलने से बच्चों को आत्म-नियंत्रण, कार्य में दृढ़ता और अच्छे काम की आदतें विकसित करने में मदद मिलती है। भोजन का समय और शौचालय जाने जैसी क्रियाएँ अच्छी स्वास्थ्य आदतों को बनाने में सक्षम बनाती हैं, जैसे— हाथ धोना, पौष्टिक भोजन खाना, धीरे-धीरे खाना, साफ़ पानी पीना आदि।

रचनात्मक कला और अभिव्यक्ति के लिए गतिविधियाँ

संगीत, कला और शिल्प के माध्यम से कल्पना और रचनात्मकता विकसित करने के अवसर प्रदान करने से बच्चों में आत्म-अभिव्यक्ति, आनंद और कला, संगीत एवं गति के प्रति झुकाव पैदा करने में मदद मिलती है। जब बच्चे दूसरे बच्चों के काम को देखते हैं तो वे संस्कृति और दृष्टिकोण में अंतर की सराहना और सम्मान करना सीखते हैं।

लिखने, पेंटिंग, ड्रॉइंग, संगीत, लय या गति, क्ले मॉडलिंग के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्तियों के अवसर बच्चों को उनके आस-पास की दुनिया के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वास्तविक जीवन की वस्तुओं और घटनाओं के बारे में समझाते हैं और रचनात्मक समस्या सुलझाने के रूप में उनकी क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह की गतिविधियों से माँसपेशियों को सुदृढ़ करने के अवसर मिलते हैं जो उन्हें लिखने के लिए तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार के ठोस, प्रक्रिया उन्मुख खेल अनुभव, बच्चों को नये विचारों और सामग्रियों के साथ प्रयोग करने और उनकी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

भाषा के विकास और प्रारंभिक साक्षरता के लिए गतिविधियाँ

हमारे देश के बहुभाषी संदर्भ को देखते हुए, हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके घर की भाषा, स्कूल में शिक्षा दिए जाने वाले भाषा-माध्यम से अलग है। इनमें आदिवासी भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियाँ और अँग्रेज़ी भाषा भी शामिल है। अधिकांशत: बच्चे मौखिक अँग्रेज़ी के साथ कम या बिलकुल भी परिचित नहीं हैं। सरल डिकोडिंग के माध्यम से यंत्रवत ढंग से पढ़ना सीखने वाले बच्चों में अपने मौखिक भाषा आधार परिणामों को सुनिश्चित किए बिना पढ़ना और लिखना शुरू करना (वह भी बहुत अधिक समझ के बिना) ठीक नहीं। चूँकि सभी स्कूल विषय भाषा से जुड़े होते हैं, इसलिए इस प्रारंभिक सीखने की कमी का स्कूल में बच्चों के बाद के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस चुनौती के अलावा, हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं जिनके घर में साक्षरता का माहौल नहीं है।

बच्चे प्रभावी ढंग से संवाद करना तब सीखते हैं, जब उन्हें बात करने, सुनने, अपने अनुभवों को साझा करने और बताने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं और वयस्क एक तनावमुक्त, आलोचनात्मक रवैया अपनाए बिना उन्हें एक सहज वातावरण उपलब्ध कराते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने, तुकबंदी, संवाद बोलने और नाटक व अभिनय करने आदि जैसे अवसर प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि कक्षा का माहौल ऐसा हो जिसमें अलग-अलग रूपों में चित्र लगे हों, जैसे—कैप्शन, लेबल और निर्देश और उनके स्वयं के नाम टैग। इससे बच्चों को मुद्रण या छवियों के बारे में जागरूकता विकसित करने में मदद मिलेगी। बच्चों को ध्वनि संबंधी जागरुकता विकसित करने में मदद करने के लिए गतिविधियाँ, अर्थात वातावरण के भीतर ध्वनियों की पहचान करना या शब्दों के भीतर ध्वनियों के स्वरूप की पहचान करना, शब्दों की शुरुआत और अंत ध्वनियों की पहचान करना और बच्चों को ध्वनियों के साथ दृश्य-चित्रों या आकृतियों/अक्षरों को जोड़ना सीखने में मदद करना, ये सभी बच्चों को बाद में पढ़ना और लिखना सीखने के लिए प्रभावी माध्यम हैं। जोर से कहानी की किताबें पढ़ें (*रीड अलाउड बुक्स*) या जिन क्षेत्रों में रुचि है, उनके बारे में पढ़ने के अनुभव कॉमिक्स, पत्रिकाओं, कहानी की किताबों आदि की एक विस्तृत कड़ी को प्राप्त करने के साथ सुखद होने चाहिए। इससे *रीड अलाउड,* कहानियों को पढ़ने की स्थिति से आगे निकलते हुए, पूरी कक्षा में

शिक्षक के साथ साझा पठन के लिए समूह या व्यक्तिगत रूप से बच्चों को स्वतंत्र पाठक बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि वे प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड में आते हैं। पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित करने हेतु, शिक्षक ऐसी गतिविधियों को तैयार कर सकते हैं जो बच्चों को दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में लिखने में मदद करें, जैसे कि बच्चों के सामने खरीदारी की सूची बनाना, मित्र या माता-पिता को मेल भेजना, या एक चार्ट पेपर या ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहना। इससे बच्चों के यह समझने में मदद मिलेगी कि मुद्रित शब्द बोले गए शब्दों का लिखित रूप है।

पर्यावरणीय जागरूकता, वैज्ञानिक ढंग से सोचने और गणितीय तर्क के लिए गतिविधियाँ

बच्चे दुनिया को समझने और उसका सामना करने की स्वाभाविक जिज्ञासा और जन्मजात विज्ञान और गणित कौशल के साथ पैदा होते हैं। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है—बच्चों को उनकी धारणाओं से बँधी सोच को अधिक तथ्य आधारित समझ की ओर अग्रसर होने में मदद करते हुए, उन्हें अधिक तार्किक सोच की ओर ले जाना। यह बच्चों को भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अनुभव और बातचीत के माध्यम से दुनिया भर से संबंधित अवधारणाओं को बनाने में मदद करता है। बच्चे रंगों, आकारों, मात्राओं, सब्जियों, फलों आदि के बीच अंतर करना शुरू करते हैं और इस तरह वे प्रत्येक अवधारणा का अनुभव करते हैं। यह प्रारंभिक शिक्षा उन्हें वयस्कों के साथ अपनी बात कहने में सहायता करती है, क्योंकि बच्चा पर्यावरण को ही सीखता-समझता है। इस प्रकार भाषा भी बच्चों को अवधारणाएँ निर्मित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस तरह संज्ञानात्मक विकास अवधारणात्मक वर्गीकरण के साथ निकटता से संबंधित है (अवधारणात्मक समानताओं के आधार पर श्रेणियों का विकास)। संज्ञानात्मक कौशल, जैसे मिलान करना या तुलना पर आधारित वर्गीकरण, अवधारणाओं को परिष्कृत करने में मदद करते हैं और बच्चों को विचारशील सोच, तार्किक ढंग से परखने, याद्दाश्त व समस्या सुलझाने जैसे उच्च कोटि के संज्ञानात्मक कौशल, जो वैज्ञानिक प्रकृति का आधार हैं, का एक ठोस आधार बनाने में मदद करते हैं।

गणितीय सोच और तर्क, संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है। गणितीय सोच में वस्तुओं और उनके मात्रात्मक और स्थानिक संबंधों के बारे में उनकी विशिष्ट विशेषताओं या उनके गुणों के बारे में सोचे बिना सोचना शामिल है। इसकी शुरुआत समझना शुरू करने के साथ होती है और इन पैटर्न के आधार पर और अधिक अमूर्त अवधारणाएँ विकसित होती हैं। प्रारंभिक बचपन के दौरान, हम गणित के मूलभूत विचारों के लिए विकास का मार्ग देख सकते हैं, जो मात्रा, आकार, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, वज़न और ऊँचाई से लेकर अंकगणित या बीजगणित तक की पूर्व संख्या अवधारणाओं से लेकर आकार और अंतरिक्ष तक और ज्यामितीय विचारों तक के रूप में जाने जाते हैं। शिक्षक बुनियादी अनुभवों के रूप में पूर्व संख्या संकल्पनाओं को सिखा सकते हैं और इसके लिए आवश्यक अलग-अलग संज्ञानात्मक कौशलों, जैसे कि मिलान, वर्गीकरण आदि, जो इन

अवधारणाओं पर लागू किए जाते हैं, विस्तृत गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों को संख्याओं और आकृतियों के बारे में और अधिक जानने के लिए एक पर्याप्त वैचारिक आधार प्रदान करेगी और इससे फिर से इसी तरह की प्रक्रिया का पालन करना और बच्चों के तात्कालिक वातावरण के लिए संख्याओं या आकृतियों की संबंधित अवधारणाएँ सीखने में मदद मिलेगी।

विचारात्मक प्रश्न

1. पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के समग्र विकास के लिए गतिविधियों को तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
2. पूर्व-प्राथमिक अवस्था में स्वर संबंधी जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है?

अभ्यास— ध्वनि का पर्याय

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को दी गई ध्वनि के साथ अपने नाम की पहली ध्वनि को बदलने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, यदि ध्वनि 'म' में है तो सीमा, संजय, पंकज, मीना, ज्योति, मनोज क्रमशः मीमा, मंजय, मंकज, मीना, म्योति, मनोज आदि बन जाएँगे। फिर समूह को यह गिनने के लिए भी कहा जा सकता है कि कितने नाम अपरिवर्तित रहे हैं।

अभ्यास— प्रतिभागियों को 5–6 समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को प्रारंभिक शिक्षा का एक-एक क्षेत्र आवंटित करें और उन्हें उस विशेष शिक्षण क्षेत्र की कम से कम दो/तीन गतिविधियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करें।

सावधानी

- कोई प्रवेश परीक्षा नहीं (मौखिक, लिखित, बातचीत के द्वारा)
- कोई आधिकारिक परीक्षा नहीं
- कोई शारीरिक दंड या बाल दुर्व्यवहार नहीं

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में मूल्यांकन

मूल्यांकन का उद्देश्य— बच्चे जो जानते और समझते हैं, उसके आधार पर वे क्या बनाते हैं, लिखते हैं, आकर्षित करते हैं, कहते और करते हैं, उसका पता लगाना है। मूल्यांकन से बच्चों के सीखने और विकास की प्रगति को जानने में मदद मिलती है कि वे अब तक क्या जानते हैं और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। शिक्षा में मूल्यांकन, अवलोकन, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, बच्चों के काम के नमूने, चेकलिस्ट, पोर्टफ़ोलियो, रूब्रिक्स, स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके किया जाता है। विकास के सभी क्षेत्रों में दिन-प्रतिदिन बच्चे के अनुभवों की व्याख्या करके मूल्यांकन को विकसित करने की आवश्यकता है। पूर्व-प्राथमिक वर्षों के दौरान किया गया अवलोकन विकास संबंधी देरी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं और संभावित क्षमताओं की प्रारंभिक पहचान करने में भी मदद करता है।

माता-पिता और सामुदायिक भागीदारी

एक प्रभावशील पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाने हेतु, बच्चों के सीखने और एक समग्र एवं सहज दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बच्चे, परिवार और शिक्षकों के बीच साझेदारी होना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में जो कुछ भी हासिल किया गया है, उसे घर पर भी बल दिया जाता है। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय

और माता-पिता को बच्चे की किसी विशेष आवश्यकता या विकलांगता की स्थिति के बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए। यह विकलांगता की प्रारंभिक पहचान करने, व्यक्तिगत शिक्षण योजना विकसित करने और विशेष एजेंसियों के बारे में परिवार के सदस्यों के बताने में मदद करता है। बच्चों को जब उनके माता-पिता स्कूल छोड़ने और लेने आते हैं, तब पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि बच्चे को किसमें दिलचस्पी है और उसकी क्षमताएँ क्या हैं। साथ ही वे ये सुझाव भी दे सकते हैं कि माता-पिता घर पर किस तरह की गतिविधियाँ बच्चों के लिए संचालित कर सकते हैं। बच्चे के काम के नमूनों, प्रगति का रिकॉर्ड और विकासात्मक देरी (यदि कोई हो) को नियमित अंतराल पर बैठकों में माता-पिता के साथ नियमित रूप से साझा किया जाना चाहिए। माता-पिता स्कूल की गतिविधियों के संचालन में स्वयंसेवकों/स्रोत व्यक्तियों के रूप में शामिल हो सकते हैं, जैसे—कहानी सुनाने के सत्र, विभिन्न स्थानों की यात्राएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। जागरूकता कार्यक्रम या अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाने चाहिए।

विचारात्मक प्रश्न

- आपको क्यों लगता है कि माता-पिता की भागीदारी आवश्यक है?
- आपको क्यों लगता है कि पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए माता-पिता शामिल हो सकते हैं?

अभ्यास—अपने प्रतिभागियों को छोटे समूहों में विभाजित करें। उन्हें छोटे बच्चों के माता-पिता के महत्व के कुछ विषय चुनने दें और उन्हें किसी भी विषय, सामग्री, नीति, आवश्यक सामग्री, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, स्थल आदि के संदर्भ में माता-पिता की शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

संयोजन के लाभ

- बच्चों की भागीदारी बढ़ाना
- नामांकन और प्रतिधारण बढ़ाना
- सीखने के विभिन्न स्तरों पर उच्च उपलब्धि
- नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति को उलटना
- बेहतर स्कूल की तैयारी
- प्रभावी ढंग से संसाधन उपयोग

प्राथमिक कक्षा से संयोजन और सुगम रूपांतरण

प्राथमिक कक्षा में रूपांतरण बच्चे के लिए रोमांचक होने के साथ-साथ चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। बच्चे को नये वातावरण, नये माहौल, नयी उम्मीदों और रिश्तों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन बदलावों के लिए सभी बच्चों को सहयोग दिया जाए। रूपांतरण को सुचारु बनाने के लिए पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियमित रूप से एक-दूसरे से संवाद करना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के दौरे आयोजित किए जा सकते हैं ताकि बच्चों को नयी कक्षा के बारे में पता चले और वे बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। कक्षा 1 और 2 के लिए मुद्रण सामग्री से युक्त वातावरण, बच्चे के नाप की कुर्सियाँ, बच्चों के अनुकूल शौचालय और वॉश-बेसिन के संदर्भ में माहौल निर्मित किया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक शिक्षक को कक्षा 1 और 2 के कक्षा शिक्षकों के साथ पोर्टफ़ोलियो और मूल्यांकन रिपोर्ट साझा करनी चाहिए ताकि विभिन्न बच्चों के बारे में उसे जानकारी मिल सके।

हमारे देश में पूर्व-प्राथमिक सेवाओं की एक विस्तृत विविधता मौजूद है, जैसे कि आँगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय के साथ स्थित आँगनवाड़ियाँ, निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय इत्यादि। कुल 7,37,666 आँगनवाड़ियाँ प्राथमिक विद्यालयों में या उनके निकट में मौजूद हैं (स्रोत — यू.डी. आई.एस.ई. 2017–18)। यदि स्थान, समय, सामग्री, शिक्षणशास्त्र, संसाधन साझाकरण आदि के संदर्भ में प्रभावी संबंध स्थापित किए जाते हैं तो कोई कठिनाई नहीं आएगी और पूर्व-प्राथमिक एक बेहतरीन निवेश बन सकता है और प्राथमिक शिक्षा के लिए फ़ीडर/इनपुट के रूप में कार्य कर सकता है, साथ ही सीखने और विकास को प्रगतिशील बना सकता है।

संयोजन स्थापित करने के घटक

स्थानीय

- प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आस-पास पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान

कार्यक्रम के अनुसार

- समय के साथ तालमेल
- आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों (प्ले-वे) को बढ़ाना
- पूर्व-प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन
- आरंभिक प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व-प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण
- सामग्री, उपकरण और ढाँचागत सहूलियतें साझा करना

प्रबंधन

- समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना
- संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन
- बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे — देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा

विचारात्मक प्रश्न —

- आपको क्यों लगता है कि पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के बीच संबंध महत्वपूर्ण है?
- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के बीच संबंधों को सुचारु बदलाव के लिए कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?

अभ्यास — अपने प्रतिभागियों को छोटे समूह में विभाजित करें और उन्हें इन बातों पर विचार-विमर्श करने के लिए कहें (i) प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह-स्थित आँगनवाड़ियों के मुद्दे व सरोकार (ii) कैसे बतौर प्रशासक या प्रधानाध्यापक के रूप में वे सह-स्थित

आँगनवाड़ियों को सहयोग दे सकते हैं (iii) सह-स्थित आँगनवाड़ी या आस-पास स्थित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के होने पर प्राथमिक विद्यालय कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के बीच संबंध, बच्चों और उनके परिवारों की मदद कैसे कर सकते हैं?

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में एक दिन की समय-सारणी का एक नमूना

अब चूँकि आप पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, शिक्षणशास्त्र, माता-पिता की भागीदारी, संबंध आदि के महत्व से अवगत हो चुके हैं, निम्न दिए गए एक दिन की समय-सारणी (परिवहन के विषय पर) की मदद से आपको यह जानने में आसानी होगी कि पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रम को कैसे संपादित किया जाता है। बच्चे की एकाग्रता की अवधि को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक खेल गतिविधि को 15–20 मिनट के लिए योजनाबद्ध किया जाता है। बच्चों द्वारा आरंभ की गई और शिक्षक निर्देशित गतिविधियों के बीच एक संतुलन होता है, ताकि बच्चों को स्वायत्तता, निर्णय लेने और अपनी पसंद की गतिविधि के लिए अवसर प्रदान किए जा सकें। समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच एक संतुलन भी बच्चों को सहयोग, सीखने, समूहों में काम करने, साझा करने, अपनी बारी का इंतजार करने आदि में, मदद करने के लिए बनाया गया है। समय-सारणी में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों में जब बच्चे संलग्न हों तो उस दौरान सटीक अवलोकन किया जाना चाहिए, ताकि सही समय पर उचित सुधार किया जा सके, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएँ, रुचियाँ और सीखने की शैली अलग होती हैं।

शिक्षक निम्नलिखित गतिविधियों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं—

विषय— परिवहन के साधन	अवधि 4 घंटे
अवधि	**विवरण**
(30 मिनट)	स्वागत, अभिनंदन करते हुए, स्वच्छता जाँच (शिक्षक निर्देशित बड़ी समूह गतिविधि)
(30 मिनट)	बच्चों द्वारा आरंभ मुक्त खेल गतिविधि (चाइल्ड-इनिशिएटेड स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी) बच्चे खेलने के लिए गतिविधि क्षेत्र चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए यह गतिविधि क्षेत्र, गुड़िया क्षेत्र, रीडिंग क्षेत्र, ब्लॉक बिल्डिंग क्षेत्र, भाषा और साक्षरता क्षेत्र हो सकते हैं। अगर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में जगह कम है तो शिक्षक बारी-बारी से एक या दो गतिविधि क्षेत्र प्रदान कर सकते हैं, ताकि बच्चे छोटे समूहों में खेलने का आनंद ले सकें।
(15 मिनट)	सर्कल टाइम (घेरा समय; एक साथ घेरा बनाकर बच्चों का बैठना जिसमें वे अपनी बात कह सकते हैं)— बेझिझक होकर वार्तालाप करना (शिक्षक बड़े समूह में गतिविधि की शुरुआत करते हैं) जहाँ बच्चों को अर्धवृत्त में बैठाया जाएगा और बच्चे अपने अनुभव साझा करेंगे (उन्होंने क्या किया, वे कहाँ गए, कोई त्योहार/कार्यक्रम कैसे मनाया)

(15 मिनट)	निर्देशित बातचीत (शिक्षक बड़े समूह में शुरू करते हैं) शिक्षक और बच्चे परिवहन पर एक कविता गाते हैं। फिर शिक्षक बच्चों को इस बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि स्कूल आते समय उन्होंने किन-किन वाहनों को देखा, वे स्कूल कैसे आए, उनके माता-पिता कैसे काम पर जाते हैं। इसके बाद शिक्षक कुछ खिलौना वाहनों या वाहनों की तस्वीरें दिखाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। वह बच्चों का ध्यान डिस्प्ले बोर्ड की ओर खींचते हैं और शब्दों के नीचे अपनी उँगली लगाकर प्रत्येक वाहन के नीचे लिखे नामों को पढ़ते हैं।
(30 मिनट)	संख्यात्मक गतिविधि (शिक्षक और बच्चों द्वारा की गई पहल)— बच्चे अर्ध-वृत्ताकार घेरे में बैठते हैं और शिक्षक विभिन्न वाहनों की तस्वीरें एक सीधी पंक्ति में रखता है। बच्चे दिए गए मानदंड, जैसे कि भूमि परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन के अनुसार चित्रों को क्रमबद्ध करते हैं। पहियों या मोटर चालित या हाथ से चलने वाले वाहनों को उनकी संख्या के अनुसार भी छाँटा जा सकता है। इस गतिविधि से बच्चों को यह सीखने में मदद मिलेगी कि श्रेणियों के अनुसार कैसे वर्गीकरण किया जाए।
(30 मिनट)	लिखने को तैयार, प्रारंभिक साक्षरता, कला गतिविधियाँ (बच्चों द्वारा पहल)—बच्चों को अपनी पसंद के वाहनों के चित्र बनाने और उनमें रंग भरने और अपने चित्र के बारे में वर्णन करने के लिए कहा जाता है। बच्चे जो कुछ भी बताते हैं, उसे लिखें।
(10 मिनट)	हाथ धोने और नाश्ते का समय (30 मिनट)
(10 मिनट)	भोजन के बाद हाथ धोना
(30 मिनट)	आउटडोर खेल शिक्षक मैदान में खेलने के लिए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाते हैं। वह उन्हें दौड़ने, कूदने, झूलों, रेत आदि में खेलने का अवसर देते हैं। इससे शारीरिक पेशीय विकास में मदद मिलती है। वह सरल नियमों वाले खेल भी बच्चों के साथ खेल सकते हैं जो बच्चों को उनकी बारी आने का इंतजार करने के लिए सीखने में मदद करते हैं।
(30 मिनट)	स्टोरी मेकिंग (बच्चे की पहल, शिक्षक निर्देशित)— शिक्षक विभिन्न वाहनों की आवाज़ बनाते हैं और बच्चों से वाहन का नाम पहचानने और बताने के लिए कहते हैं। यह सुनने के कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षक फिर बच्चों को एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं "एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था। ट्रेन में एक बच्चा था जो रो रहा था।" और बच्चों से पूछते हैं कि वह अनुमान लगाएँ कि बच्चा क्यों रो रहा था और बच्चों द्वारा बताए जाने वाले वाक्यों को जोड़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों की इसमें दिलचस्पी बनी रहे, इसके लिए वह उन्हें संकेत और घटनाओं का सुराग देते हैं, ताकि कहानी आगे बढ़ सके। उसके बाद शिक्षक कक्षा में उनके साथ कविता गाते हैं।
(10 मिनट)	गुड बाय सर्कल (बड़े समूह की गतिविधि, शिक्षक द्वारा निर्देशित)— बच्चे और शिक्षक चर्चा करते हैं कि उन्होंने दिन में क्या किया और वे क्या करते हैं। बच्चे उन गतिविधियों पर विचार करते हैं और उन गतिविधियों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आयी। वे कहानी में घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं। शिक्षक बच्चों को घर जाते समय परिवहन के सामान्य साधनों का निरीक्षण करने और इसे साझा करने के लिए कहते हैं। इससे बच्चों ने स्कूल में और घर की अवधारणा पर जो सीखा है, उसके बीच एक कड़ी जोड़ने में मदद मिलती है और माता-पिता द्वारा इसे फिर से घर पर अपनाया जा सकता है।

नोट—
गतिविधियों के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की रुचि के आधार पर किसी भी गतिविधि को छोटा या बढ़ाया जा सकता है। समयावधि में एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि के लिए निष्पादन समय भी शामिल है।

के.आर.पी./शिक्षकों के लिए गतिविधियाँ

गतिविधि 1

प्रतिभागियों से अपने परिवार और आस-पास के बच्चों के साथ बातचीत के अपने अनुभवों को साझा करने के लिए कहें। उन्होंने उनकी किन विशेषताओं पर गौर किया है?

गतिविधि 2

सकल पेशीय या गतिशीलता विकास या किसी अन्य क्षेत्र के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ आयोजित की जाने वाली गतिविधि का प्रदर्शन करना और प्रतिभागियों को उन गतिविधियों को पहचानने और साझा करने के लिए कहना जिसे बच्चे उस गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे।

गतिविधि 3

प्रतिभागियों को 4 समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कम से कम 10 साक्षरता एवं संख्यात्मक खेल, कहानियाँ, कविता व गीत और रचनात्मक गतिविधियों को इकट्ठा करने के लिए कहें।

गतिविधि 4

समूह में चर्चा करें कि पूर्व-प्राथमिक को प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। दोनों के बीच मज़बूत संबंध के लिए कम से कम पाँच तरीकों का सुझाव दें।

मूल्यांकन (आत्म-परीक्षण अभ्यास)

आप व्यक्तिगत मंथन के लिए निम्नलिखित चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, संबंधित कॉलम के सामने निशान लगाएँ।

क्रम सं	विषय	हाँ	ना
1.	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित करें		
2.	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरत व महत्व का वर्णन करें		
3.	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में उपयोग किए गए शिक्षणशास्त्र का वर्णन करें		
4.	पूर्व-प्राथमिक के वर्षों में मूल्यांकन के बारे में समझ के बारे में बताएँ		
5.	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में अभिभावकों व समुदाय की भूमिका का वर्णन करें		
6.	पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के सुगम संपादन के लिए कैसे कड़ियाँ जोड़ी जा सकती हैं, इसका वर्णन करें		

आरंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता

सत्र 2

इस सत्र में आपको 'प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता क्या है' और 'कैसे', से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाने व उन्हें संचालित किए जाने, इसके बारे में पता चलेगा, ताकि पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से छोटे बच्चों का रूपांतरण प्राथमिक विद्यालय में सुगमता से हो सके। हम आपको शुरुआती साक्षरता और संख्यात्मकता पर अपने प्रतिभागियों से बात करते हुए एक नमूना व्यवहार दिखाने को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह इस उम्मीद के साथ तैयार किया गया है कि आप अपने प्रतिभागियों को उनके राज्यों में, स्कूलों में, विकास की दृष्टि से उपयुक्त प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता को समझने और लागू करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकेंगे और साथ ही यह आपके सर्वोत्तम शिक्षण कौशल को सबके सामने आने का मौका भी देगा।

सीखने के प्रतिफल

प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर इस सत्र के अंत में आप यह करने में सक्षम होंगे—

- आरंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता की महत्ता को समझने में;
- वर्तमान शिक्षणशास्त्र में सुधार करने के लिए शिक्षकों को जिस आवश्यक ज्ञान और प्रशिक्षण की ज़रूरत है, उस पर विचार करने और आरंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता का अभ्यास करने में;
- भाषा बनाने और प्रिंट के समृद्ध वातावरण के महत्व को समझने में;
- खेल आधारित विकास संबंधी उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए नियोजन गतिविधियों और अनुभवों के महत्व को समझने में।

परिचय

प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता सभी बच्चों (जिनमें विशेष आवश्यकताओं, अलग-अलग जेंडर, और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे शामिल हैं) के लिए आवश्यक कौशल हैं। बच्चे जितना अधिक अपने परिवेश में भाषा को सुनते हैं और जितना अधिक वे इसका उपयोग करने के अवसर प्राप्त करते हैं, उतना ही वे सीखते हैं कि यह कैसे काम करता है। प्रारंभिक वर्षों में भाषा के विकास के लिए पहली अनिवार्यता अनौपचारिक, सुकून भरा और प्रिंट समृद्ध वातावरण होता है। यह बच्चों को उनकी रोज़मर्रा की पृष्ठभूमि अर्थात घर और आस-पास के क्षेत्रों में निरीक्षण करने और चीज़ों के बारे में गौर करने के लिए प्रेरित करता है और मुद्रण, लेखन और पढ़ने के बारे में महत्वपूर्ण साक्षरता से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि—यह क्या है?, उस पोस्टर या कहानी की किताब के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? क्या आप मेरा नाम लिख रहे हैं? आदि। प्रारंभिक साक्षरता गतिविधियाँ बच्चों को शब्दों का अर्थ ढूँढ़ने और खुद को अभिव्यक्त

'प्रतिरूपण का साक्षरता व्यवहार' अर्थात जब बच्चे दैनिक आधार पर पढ़ना और लिखना देखते हैं।

करने में मदद करती हैं और बच्चों में पढ़ने और लिखने से पहले विकसित किए जाने वाले ये महत्वपूर्ण कौशल हैं।

भाषा के विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। प्रारंभिक वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में, इसे 'रीडिंग रेडिनेस' (पढ़ने की तत्परता) और 'राइटिंग रेडिनेस' (लिखने की तत्परता) के नाम से जाना जाता है, जिसमें पढ़ने व लिखने के शुरुआती प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

आरंभिक साक्षरता अनुभवों और गतिविधियों की योजना कैसे बनाएँ—

जब बच्चे पूर्व-प्राथमिक में आते हैं तो वे अपने साथ घर पर और अपने परिवार और समुदाय के साथ भाषा का उपयोग करने के अपने अनुभव लाते हैं। इन कौशलों को महत्व दिया जाना चाहिए और भाषा कौशल के आगे विकास हेतु शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों के परिवारों की विविधता और उनकी भाषायी पृष्ठभूमि का भी सम्मान किया जाना चाहिए और बच्चों के लिए गतिविधियों को तैयार करते समय उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बच्चों को पहले उनकी घर की भाषा या मातृभाषा में प्रवीण होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और फिर स्कूल की भाषा (क्षेत्रीय भाषा/अँग्रेज़ी) को अनौपचारिक रूप से कुछ सामान्य शब्दों में बच्चों को उजागर करके पेश किया जाता है। कभी-कभी एक परिवार में एक से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं (मातृभाषा और स्थानीय बोली के रूप में), इसलिए कई भाषाएँ बच्चों द्वारा अभिव्यक्ति करने के लिए कक्षा में स्वीकार्य होनी चाहिए। बच्चों को इन बातों का अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है—

- **मौखिक भाषा का विकास**—लोगों से संवाद करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नयी शब्दावली सुनने, बोलने और प्राप्त करने के माध्यम से भाषा का उपयोग करने के अवसर बच्चों को उनकी आवश्यकताओं, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करके प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करें, जैसे— भावनाएँ, विचार, प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए सर्कल टाइम या बड़े समूह का समय, बातचीत में भाग लें, तुकबंदी/गीत गाएँ, संगीत सुनें, कहानियाँ सुनाएँ, भविष्यवाणियाँ करें, किसी कहानी में निर्देश या घटनाओं के बारे में एक क्रम याद रखें, कहानी बनाना, मेमोरी गेम खेलना आदि। बच्चों को नृत्य या नाटक खेलने में भी शामिल किया जा सकता है जो मौखिक संचार के अलावा गैर-मौखिक संचार, जैसे— हावभाव, शरीर की भाषा, भावों के लिए अवसर प्रदान करता है।
- **शुरुआती साक्षरता और लेखन के लिए मुद्रण के बारे में जागरूकता**—मुद्रण के बारे में जागरूकता से तात्पर्य प्रिंट को पहचानने और समझने की क्षमता से है जो इसे अर्थ प्रदान करता है। अक्षरों, शब्दों, चित्रों और मुद्रित पाठ के कार्य और ये मौखिक भाषा से कैसे संबंधित हैं, इसके लिए प्रिंट जागरूकता के एक आवश्यक घटक के रूप में संकेत/लेबल का उपयोग किया जा सकता है। एक सार्थक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना

प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहला कदम है, यह एक आवश्यक कौशल और पूर्व-लेखन कौशल है। पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में बहुत सारी पुस्तकों और लिखित शब्दों के साथ प्रिंट-समृद्ध वातावरण होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कमरे में विभिन्न वस्तुओं, जैसे—दरवाजा, खिड़की और अलमारी आदि पर उन शब्दों के लेबल लगाएँ। अक्षर चुंबक रखें, फोम अक्षर और अक्षर ब्लॉक रखें।

- **पुस्तकों के साथ जुड़ाव**—पुस्तकों से परिचित कराने के लिए पृष्ठों को बदलने के लिए, चित्रों और प्रिंट को देखने के लिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध कराना एवं यह समझने के लिए कि पुस्तक क्या है और इसे कैसे उपयोग करना या पढ़ना है। पुस्तकों के साथ एक जुड़ाव बनाने से बच्चों को यह समझने में मदद मिलती है कि प्रिंट का अर्थ है— प्रिंट का पढ़ना, जो बाएँ से दाएँ, ऊपर से नीचे तक जाता है। पुस्तक में आगे और पीछे का आवरण, एक शीर्षक पृष्ठ और एक लेखक होता है, एक कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, मध्य और अंत कहाँ तक जाता है।
- **स्वर संबंधी जागरूकता**—स्वरविज्ञान संबंधी जागरूकता, वह पहचान है जो भाषा शब्दों, शब्दांशों, छंदों और ध्वनियों से बनी होती है। ध्वन्यात्मक जागरूकता का अर्थ है—बच्चे की कुशलता से काम करने, वर्गीकृत करने और प्रत्येक आवाज़ की ध्वनि को सुनने की क्षमता। शुरुआत में ज्ञान मौखिक भाषा में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ध्वन्यात्मक जागरूकता को दिखाने के लिए हो सकता है कि बच्चों को आवाज़ों को बताने वाले अक्षरों का ज्ञान न हो।
    - ध्वन्यात्मक जागरूकता के लिए बच्चों को शब्द की जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता होती है, शब्दों की अवधारणा को समझना होता है।
    - बच्चे बता सकते हैं कि कौन सा शब्द लंबा है—हाथी या बिल्ली?
    - राइमिंग (तुकांत शब्द)—एक शब्दांश के शब्दों को गाया जा सकता है। उदाहरण के लिए—कैट-बैट-रैट, मकड़ी-लकड़ी-ककड़ी (ऐसे शब्दों को सुनना जो एक समान लगते हैं और नये शब्द बनाते हैं।)
    - सम्मिश्रण—शुरुआती और अंतिम ध्वनियों को बच्चा एक साथ रख सकता है, जैसे—'ब्लै' और 'क', ब्लैक है।
    - सेगमेंटिंग (विभाजन)—बच्चा शब्द को वाक्य से तोड़ सकता है। एक शब्द में ध्वनियों की भी पहचान कर सकता है। जैसे कि वाक्य में कितने शब्द हैं— "मुझे अपने स्कूल से प्यार है"?
    - शुरुआती ध्वनियों को जानना—एक ही ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों की पहचान करना, जैसे निम्न में से कौन-से बैलून जैसे शुरू होते—रेन, सन, बैट, पानी, बत्तख, जहाज।
    - ध्वनि को हटाना—दी गई ध्वनि को हटाकर बच्चा एक शब्द कह सकता है। उदाहरण के लिए—आप बिना बी के बैट कैसे बोलते हैं? बिना म के मकान, कान बन जाता है।

- बदलना और हेर-फेर करना — बच्चा अन्य ध्वनि की आवाज़ों के साथ दूसरी ध्वनियों को बदल सकता है, जैसे — पहली ध्वनि को पी के साथ बदलकर अपना नाम बदलने के लिए कहना। उदाहरण के लिए, सीता-पीता, कुमार-पुमार।

बच्चों को जोर से पढ़ने, साथ मिलकर पढ़ने, किसी के निर्देश में पढ़ने, गायन, ध्वनि मिलान के लिए गाने, तुकबंदी और उँगलियों द्वारा अभिनय, भाषा के खेल और गतिविधियाँ, ध्वनि प्रतिस्थापन, ध्वनियों में अंतर, ध्वनि प्रतिस्थापन आदि के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा माता-पिता को बच्चों को खाने के डिब्बों, पैकेट आदि पर लगे संकेतों और चिह्नों को इंगित करके प्रिंट का निरीक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। चित्रों में विवरणों को इंगित करना चाहिए और बच्चों से उनके बारे में बात करनी चाहिए या उन्हें वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे बताएँ कि तस्वीर में क्या दिखाया गया है। हर दिन, प्राकृतिक घटना का उपयोग करते हुए जहाँ बच्चे अक्षर आकार और शब्द एवं अक्षरों की ध्वनि की तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्णमाला का उपयोग डिब्बों, वर्णमाला की किताबों और पहेलियों आदि को छाँटने के लिए किया जा सकता है।

प्रारंभिक लेखन

बच्चे पृष्ठ पर अंक या लिखकर या निशान बनाकर अपने पहले प्रयासों में अपनी अविकसित स्वर-संबंधी जागरूकता और ध्वनि ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं जिससे कोई भी अक्षर या संख्या बन जाती है। शिक्षक इस तरह से लेखन कौशल विकसित करने में बच्चों की मदद कर सकते हैं।

साझा लेखन

शिक्षक और बच्चे मिलकर कहानी या संदेश की रचना करते हैं। बोर्ड पर लिखकर शिक्षक उसका नमूना दिखाते हैं। वह कह सकते हैं कि "मुझे पता है कि 'मैट' कैसे लिखना है", लेकिन "पैट कैसे लिखें"? बच्चे अपने जवाब देते हैं। शिक्षक तब 'म' को हटाकर 'प' लिखते हैं और बोलते हैं — पी.ए.टी.।

स्वतंत्र लेखन

रोज़ लिखने के अनुभव बच्चों को शब्दों और ध्वनियों के बारे में जानने में मदद करते हैं। आमतौर पर बच्चे लेखन के विभिन्न चरणों में हो सकते हैं — कुछ लिखने की बजाय चित्र बना रहे होते हैं या कक्षा से प्रिंट की नकल कर रहे होते हैं, अन्य अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए यूँ ही कुछ अक्षर लिख रहे होते हैं। जब बच्चे कुछ अक्षर और ध्वनियाँ सीखते हैं तो यदि वे शब्द में ध्वनि को विभाजित कर पाते हैं तो वे उन्हें लिखने में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नयी-नयी वर्तनी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

एक लेखन क्षेत्र ठीक से लेबल किया हो, कक्षा में एक ब्लैक-बोर्ड या व्हाइट-बोर्ड होने से बच्चों को उनकी इच्छा को पूरी करने और लेखन के शुरुआती प्रयास, जैसे — लिखना,

चित्र बनाना, निशान लगाने में मदद मिलती है। शिक्षकों को कार्यक्रम की दैनिक अनुसूची में लेखन को शामिल करने की आवश्यकता है। पढ़ने और लिखने को कक्षा की दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएँ जैसे कि बच्चों के सामने लिखना। उन्हें यह देखने दें कि आप कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। लेखन गतिविधियों के शुरुआती प्रयास औपचारिक नहीं होने चाहिए। कहानियों के लिए, उपयुक्त शिक्षण-अधिगम सामग्री, जैसे— तस्वीरों के नकाब, ऐसे चार्ट जिन पर विभिन्न तरह के चित्र बने हों या विभिन्न विषयों पर पोस्टर, अक्षरों के कट -आउट, नाम के कार्ड, श्रेणीबद्ध कहानी की किताबें, मुद्रित अक्षर और विभिन्न गतिविधि क्षेत्रों में प्रदर्शित किए जाने के लिए लेबल, अक्षर-चित्र पहेलियाँ, फ्लैनल बोर्ड और कट-आउट, बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए। प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक ई-स्टोरी/डिजिटल गेम्स जैसी आयु उपयुक्त तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं।

विचारात्मक प्रश्न

1. भाषा सीखने में मौखिक भाषा का क्या महत्व है?
2. कौन से अलग-अलग तरीके हैं जिनसे ध्वनात्मक जागरूकता विकसित की जा सकती है?
3. लेखन में तत्परता विकसित करने के लिए एक बच्चे को क्या अवसर प्रदान किए जाने चाहिए?

गतिविधि 1

पढ़ने की तत्परता और लेखन की तत्परता के बारे में चर्चा करना— आप यह कहकर शुरू कर सकते हैं, "इस बारे में सोचते हैं कि पढ़ने से हमारे दैनिक जीवन में कैसे मदद मिलती है।" निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा को बढ़ाएँ—

- लोग क्या पढ़ते हैं?
- लोग क्यों पढ़ते हैं?
- वे लोग कौन हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं?
- हमारे लिए लेखन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

पढ़ने के व्यवहार और एक प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालें। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिक्षक/प्रतिभागी को लगे कि उसकी महत्ता है, चाहे उनकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो।

आपकी भूमिका है, प्रारंभिक साक्षरता की शैक्षणिक प्रक्रियाओं के साथ खुद को अच्छी तरह से परिचित कराना, और कैसे आप अपने प्रतिभागियों/अध्यापकों को शुरुआती वर्षों में इसका उपयोग करने में मदद करेंगे? इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, उचित शैक्षणिक प्रक्रियाओं की योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रारंभिक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कुछ शैक्षणिक प्रक्रियाएँ नीचे दी गई हैं—

- चित्र, कहानी की किताबें, भाषा के खेल, ड्रॉइंग, लिखने, पेंटिंग, उपस्थिति चार्ट पर सुबह हस्ताक्षर करने के लिए एक भाषा क्षेत्र (पढ़ने और लिखने के शुरुआती प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए) बनाने हेतु, शिक्षक साइन-इन या साइन-आउट उपस्थिति चार्ट— जो बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित करता है या लिखने का प्रयास करता है— बना सकते हैं, ताकि एक भाषा क्षेत्र निर्मित हो सके।
- कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण में इस तरह आपसी संवाद स्थापित किया जा सकता है— बातचीत करना, चीज़ों, शब्दों की दीवारों, पोस्टर आदि को लेबल करके बुलेटिन संदेश, किताबें, खुली अलमारियों/खिलौने के बक्से पर लेबल के साथ एक प्रिंट समृद्ध कक्षा (बच्चों के स्तर पर) बनाना, नोट्स, बच्चों के व्यक्तिगत फ़ोल्डर, पढ़ने और लिखने वाले बच्चों की तस्वीरें, नाम कार्ड, लिखे हुए संदेश, परिचित खाद्य पैकेट आदि प्रदर्शित किए जाते हैं।
- कहानी के अवसर (जोर से पढ़ते हुए, कक्षा के अनुसार कहानियाँ) और चित्र और कहानियों की किताबों से कविताएँ, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अलग-अलग ध्वनियों को पहचानने के लिए गतिविधियों, जैसे— शुरुआती और अंत ध्वनियों को पहचानना, चित्रों पर बात करना और चित्रात्मक किताबें, वर्क शीट्स के माध्यम से आकृतियों और प्रतीकों को अलग करना।
- उम्र का चयन करना और ऐसी किताबों का विकास करना जो बच्चों के अपने अनुभवों से संबंधित हैं।
- पूरे समूह/सर्कल समय और इसके दौरान एक किताब पढ़ना।
- यह शिक्षक और बच्चों दोनों के लिए मज़ेदार ढंग से सीखना होना चाहिए।
- एक गति से पढ़ना और लिखे हुए के नीचे उँगली रखना, ताकि बच्चे समझ सकें कि लेखन का क्या अर्थ है।
- एक साथ कहानी की किताब पढ़ना और उसे देखना, कहानी सुनाना, कहानी बनाना।
- ध्वनियों के विभाजन के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए भाषा के खेल (ध्वनियाँ, शब्दांश, शब्दों की तुकबंदी) आरंभिक और अंत ध्वनियों के साथ ध्वनि का खेल, जैसे कि आप अपने नाम में कौन सी प्रारंभिक ध्वनि सुनते हैं? (जैसे, बबिता में आरंभिक ध्वनि है— 'ब')।
- विभिन्न प्रकार के कागज़ (लाइनों वाले व बिना लाइन वाले, दोनों) और मोटे क्रेयॉन, मोटी पेंसिल, मोटे मार्कर जैसे लेखन उपकरण, प्रत्येक गतिविधि क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि कक्षा में बच्चों को उनके खेल को चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। रेत में लिखने के लिए रेत दें और अक्षरों को ट्रेस करने में मदद करें।
- कहानी की किताबों/चित्रों में चित्रों के पूरक के लिए कठपुतलियों, खिलौनों जैसी सहायक सामग्री रखें। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुचियों को पूरा करने के लिए कहानी की किताब को संशोधित करें। यदि शिक्षक प्रारंभिक शिक्षण अनुभव

को बढ़ाने के लिए और सभी बच्चों के लिए सामग्री को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए बनावट, स्पर्श सुराग या कुछ भी उपयोग करता है तो इसकी सराहना की जाती है।

- तुकबंदी, संगीत और गति सीखने में मदद करने के लिए संगीत वीडियो का उपयोग करना। की-बोर्ड पर अक्षरों को देखना और मिलान करना।

आपको अपने प्रतिभागियों को यह भी समझाना होगा कि बच्चों की शिक्षा का निरीक्षण और मूल्यांकन कैसे करें? उन्हें उदाहरण के लिए बच्चों में प्रारंभिक साक्षरता विकास के निम्नलिखित विचारोत्तेजक संकेतकों की तलाश करने की आवश्यकता है कि क्या बच्चे—

- अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करें।
- आकार, रंग और स्थिति का वर्णन करें।
- जब वे ब्लॉक बनाते हैं, तो अपने आँख-हाथ समन्वय पर नियंत्रण रखें।
- शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों को मिलाएँ।
- कविताओं/गीतों को नये शब्द प्रदान करें।
- बाएँ से दाएँ प्रिंट को देखें।
- कक्षा की गतिविधियों के दौरान निर्देशों का पालन करें।
- कहानी सुनें और कहानी के बारे में बात करें।
- पत्र, समाचार-पत्र, कहानी की किताबें, पत्रिकाएँ, खाद्य रैपर और लेबल पर ध्यान दें।

गणित की तत्परता या प्रारंभिक संख्या

छोटे बच्चे स्वाभाविक गणितज्ञ होते हैं, जो 'बड़ा' क्या है, उससे आकर्षित होते हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए 'अधिक' की चाह रखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में गणित कौशल विकसित होते हैं जो बच्चों के अनुभवों के आधार पर उनके पर्यावरण, वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ उनकी बातचीत और उनकी दैनिक टिप्पणियों पर आधारित होते हैं। जब एक झूठ-मूठ के नाटक में बच्चे नकली नोटों, नोट पैड का प्रयोग रजिस्टर के रूप में और बैलेंस स्केल का उपयोग करते हैं, तो वे गिनना शुरू कर देते हैं और विभिन्न अन्य गणितीय अवधारणाओं में संलग्न हो जाते हैं। इसी तरह, जब बच्चे एक रेत के गड्ढे में खेलते हैं और एक रेत के खेल के अनुभव के रूप में मुट्ठी भर रेत को मापते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं, उस समय वे वास्तव में आयतन और मात्रा के बारे में विचार करने में उलझे हुए होते हैं। जब ब्लॉक्स बना रहे होते हैं तो उस समय बच्चे बड़े, छोटे, लंबे जैसी शब्दावली का उपयोग करने के लिए अपने विचारों का विस्तार कर रहे होते हैं। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में ऐसे अनुभव बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और उत्साह पर बनते हैं। इसके अलावा, बच्चे, पैटर्न ढूँढ़ते हैं, मात्रा की तुलना करते हैं, एक-दूसरे के ऊपर रखकर ब्लॉक का संतुलन करते हैं। ये सभी अनुभव बच्चों को भविष्य में सफलता पाने के लिए एक ठोस आधार विकसित करने में मदद करते हैं।

अपने प्रतिभागियों को बताएँ कि गणित की तत्परता और शुरुआती गणित की गतिविधियाँ, घर पर और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों पर निर्मित होनी चाहिए। उपयुक्त गतिविधियों और उदाहरणों के साथ अपनी बातों की पुष्टि करें। गणित की तत्परता और शुरुआती संख्या के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएँ हैं—

- एक विशिष्ट मापदंड के अनुसार वस्तुओं/चित्रों का मिलान करना;
- एक आयाम के आधार पर छँटनी, समूह बनाना और वर्गीकरण करना, एक से अधिक आयामों में प्रगति करना;
- समस्या सुलझाना—पहेलियाँ सुलझाना, चित्र पहेली को पूरा करना;
- पैटर्न और आकृतियों को पहचानना और पैटर्न का विस्तार करना;
- तर्क आधारित गतिविधियाँ—किन चीज़ों का किनसे संबंध है, वाली गतिविधियाँ, पहेलियाँ;
- तुलना करना व मापना—उदाहरण के लिए संख्या (बड़ा-छोटा), वज़न (अधिक-कम), ऊँचाई (लंबा-छोटा), लंबाई (लंबा-छोटा/ठिगना), दूरी (दूर-पास) और आयतन (अधिक-कम) आदि;
- अनुक्रमिक सोच—चीज़ों के क्रम को समझना, जैसे—सबसे पहले क्या आता है। इससे क्रमिक स्थितियों को समझने का आधार बनता है।
- स्थानिक संबंध—अंदर-बाहर/नीचे-ऊपर/घुमावदार आदि अवधारणाएँ, बुनियादी गणितीय अवधारणाएँ समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आमने-सामने बातचीत—आधारभूत संख्याओं के साथ वस्तुओं का मिलान और प्रत्येक वस्तु के लिए एक गणना शब्द का उपयोग करना, स्पर्श और गिनती;
- समूह या वस्तुओं के समूह के निर्माण से शुरुआत, संख्या में प्रगति करना;
- संख्या बोध—संख्याएँ गिनना और बताना कि कितनी हैं।

पूर्व-प्राथमिक चरण में प्रारंभिक संख्या के लिए कुछ शैक्षणिक प्रक्रियाएँ नीचे उल्लिखित हैं—

प्रारंभिक संख्या को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाएँ

- संख्यात्मक तर्क को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी की पुस्तकों का उपयोग करना।
- क्रमिक संख्याओं का उपयोग करने के लिए रोज़मर्रा की स्थितियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों को समझें।
- वस्तुओं या सामग्री का प्रयोग करना, जैसे— ब्लॉक, इंटरलॉकिंग खिलौने।
- पिक्चर रीडिंग, बेमेल चीज़ के अलग करने जैसी गतिविधियों को पूरा करना, 4–5 टुकड़ों वाली पहेली को पूरा करना, भूलभुलैया, छाँटना, समूह में गतिविधियाँ (एक समय में दो-तीन विशेषताएँ)
- दिए गए अनुक्रम में पैटर्न को फिर से प्रस्तुत करना और स्वयं बनाना।

- मिलान, छँटाई वर्गीकरण, अनुक्रमण, अलग करने की गतिविधियों को क्रमबद्ध करने के लिए ठोस वस्तुओं का उपयोग करना।
- वस्तुओं को तात्कालिक परिवेश में अर्थपूर्ण तरीके से यह पता लगाने के लिए गिनना कि कितनी वस्तुएँ हैं।
- ऐसी गतिविधियाँ, जहाँ बच्चों को कप और चश्मे का उपयोग करके आकलन करने और गैर-मानक मापन करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मुट्ठी भर चीनी, चुटकी भर नमक।
- बच्चे, जहाँ वे सक्रिय रूप से भाग ले सकते हों और शिक्षक की सहायता के साथ प्रयोगों का आनंद लें (जैसे — खिलौनों को तैराना, नींबू-पानी बनाते समय चीनी को घोलना, आदि)
- जहाँ वे सुनाते हैं कि एक दिन पहले क्या हुआ था या उन्होंने अपने पसंदीदा क्षेत्र की यात्रा के दौरान क्या किया था, आदि।
- किसी खास दिन का इंतजार करते हुए दिन गिनना, जैसे कि जन्मदिन का उत्सव, कोई त्योहार। इन सबके लिए ठोस सामग्री (जैसे — टहनियाँ, डंडियाँ, चित्र, नंबर कैलेंडर) का उपयोग करना।

आपको अपने प्रतिभागियों को यह भी समझाने की ज़रूरत है कि बच्चों की शुरुआती संख्या की प्रगति का कैसे अवलोकन किया जाए। सुझाए गए संकेतक हैं —

- पर्यावरण सामग्री और वस्तुओं का उपयोग करके पैटर्न को पहचानना और बनाना।
- कहानियों/कविताओं में अनुक्रम/पैटर्न को पहचानना।
- समस्या/पैटर्न का वर्णन करने के लिए शब्दावली का उपयोग करना।
- आमने-सामने व्यवहार करते हुए छूना और गिनती करना।
- यह बताएँ कि चीज़ें कितनी समान और भिन्न हैं।
- तुलनात्मक शब्दावली का उपयोग करना (जैसे — बड़ा-छोटा, लंबा-छोटा आदि)।
- दो प्रकार की वस्तुओं के समूह की संख्या की तुलना करना।

प्रारंभिक संख्या के लिए कुछ गतिविधियों का उदाहरण—

वर्गीकरण

वर्गीकरण गतिविधि किसी भी अवधारणा के साथ की जा सकती है, जैसे कि रंग, आकार, जानवर, परिवहन आदि। उदाहरण के लिए बच्चों से सभी पीले पत्तों को एक तरफ और हरे पत्तों को दूसरी तरफ रखने के लिए कहें। आप सरल वर्गीकरण के साथ शुरू में वास्तविक वस्तुओं के साथ और धीरे-धीरे कई अन्य तरीके जैसे पिचर कार्ड, ड्रॉइंग आदि के साथ शुरू कर सकते हैं। आपको एकल मानदंडों के साथ शुरू करना होगा और धीरे-धीरे उदाहरण के लिए दो या अधिक मानदंडों पर चलना होगा। एक बच्चे को पीले और हरे रंग के कपड़े के टुकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए कहकर, दो या दो से अधिक विशेषताओं की ओर बढ़ें, उदाहरण के लिए, बड़े पीले कपड़े के टुकड़े और छोटे हरे कपड़े के टुकड़े। एक बार जब कोई बच्चा ठोस वस्तुओं को वर्गीकृत करने में सक्षम होता है, तो चित्रों और अन्य तरीकों का उपयोग करके कौशल को और मज़बूत किया जा सकता है।

तुलना और क्रमबद्धता बच्चों के सामने विभिन्न आकारों के 5–6 पत्ते रखें। बच्चों से (एक-एक करके) सबसे बड़े और सबसे छोटे पत्तों को अलग छाँटने के लिए कहें। फिर उन्हें 3 और अलग-अलग आकार के पत्ते दें और उन्हें क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहें — सबसे बड़े से सबसे छोटा। जब बच्चे 3 पत्तियों को क्रमबद्ध करने में सक्षम हो जाएँ तो पत्तियों की संख्या बढ़ाते जाएँ।
पैटर्निंग • स्थानिक तर्क और पैटर्न कौशल बनाने के लिए ब्लॉक, मोती और अन्य चीज़ों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, "रंग का उपयोग करके ग्रेडिंग और पेंटिंग गतिविधियाँ"। • पैटर्न या उसकी नकल करने की कोशिश करें। • पैटर्न को पूरा करना।
अनुक्रमिक सोच • अनुक्रमिक सोच कार्ड जिन्हें बच्चे घटनाओं के तार्किक अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। वस्तुओं या कार्ड को बाएँ से दाएँ सही ढंग से रखने को प्रोत्साहित करें। • मौखिक रूप से 1 और 10 के बीच किन्हीं तीन संख्याओं के क्रम को दोहराना। • आगे क्या आता है? — "मंकी, मंकी, बटरफ्लाई, मंकी, मंकी,..'' (बच्चा कहता है, "बटरफ्लाई")। • क्रम — चीज़ों को क्रम में रखना (सबसे बड़े से सबसे छोटा, सबसे लंबे से सबसे छोटा)
समस्या को सुलझाने का कौशल समस्या को सुलझाने की गतिविधियाँ, पूर्व-प्राथमिक विद्यार्थियों की बुनियादी समस्या सुलझाने के कौशल और हाथ व आँख के समन्वय को विकसित करने में मदद करती हैं। शुरू में सरल पहेली को पूरा करना और धीरे-धीरे मुश्किल को, उदाहरण के लिए — 2 टुकड़ों की पहेली या 5–6 टुकड़ों वाली पहेली से शुरू करें। पहेली गतिविधियों में पारंपरिक इनसेट बोर्ड्स (आकार, जानवर, परिवहन, पक्षी, फल) हो सकते हैं।

विचारात्मक प्रश्न

- बच्चे जोड़-तोड़ वाली वस्तुओं को कैसे सीखते हैं?
- क्या आप अन्य विषय क्षेत्रों में संख्यात्मक गतिविधियों को एकीकृत करते हैं? इस बात के बारे में सोचें कि आप खुशी के साथ शुरुआती संख्या में बच्चों की सीखने की योजना और सहयोग कैसे कर सकते हैं।
- आप अपने स्कूल में भाषा और शुरुआती साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए किस तरह के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या कक्षा के प्रदर्शन की योजना इस तरह बनायी गई है कि बच्चे प्रिंट देख सकें? क्या वे आँख के स्तर पर हैं? वे संख्या के प्रतीकों को कहाँ देख सकते हैं?

के.आर.पी./शिक्षक के लिए गतिविधि

गतिविधि 1

अपने प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित करें और उन्हें गतिविधियों का संचालन और अभ्यास करने के लिए सामग्री और वस्तुएँ दें। जानवरों, पक्षियों, परिवहन के विभिन्न आकारों, रंग और चित्रों की वस्तुएँ प्रदान करें। ऐसी वस्तुएँ दें, जैसे कि टहनियाँ, डंडियाँ, पेंसिल, आदि। दिए गए मानदंड, तुलना, क्रम, पैटर्न के अनुसार वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश दें। इस बात को रेखांकित करें कि कैसे प्रकृति से जुड़ी चीज़ें, जैसे— फूल, पत्ते, बीज, आदि का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। गणित को सीखने की तत्परता और प्रारंभिक गणित गतिविधियों और उनके महत्व के उदाहरण साझा करें।

गतिविधि 2

बाहर मैदान में गणित, संख्या के बारे में जानना — अपने प्रतिभागियों को दो के समूहों में विभाजित करें। एक समूह को बाहरी गतिविधियों के उदाहरणों की एक सूची बनाने के लिए कहें, जिसके माध्यम से वे प्रारंभिक गणित को बढ़ावा देंगे और दूसरे समूह को उन वस्तुओं, सामग्रियों, पुस्तकों और अन्य संसाधनों की सूची बनाने के लिए कहें जो वे गणित की तत्परता और प्रारंभिक गणित के विकास के लिए उपयोग करेंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 से 20 मिनट का समय दें। फिर दोनों समूहों को अपने काम की प्रस्तुति करने के लिए कहें।

गतिविधि 3

गणित की तत्परता और प्रारंभिक गणित के लिए प्रगति में गतिविधियाँ — पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1 में प्रगति के लिए कम से कम एक गतिविधि का प्रदर्शन करें (3 से 4 वर्ष के बच्चे) और पूर्व-प्राथमिक कक्षा 2 (4 से 5 वर्ष के बच्चों) में प्रगति के लिए अपने शिक्षकों को यह समझने दें कि किसी भी कौशल या अवधारणा पर गतिविधियों या कार्यों की जटिलता को कैसे बढ़ाया जाए। यह बच्चों की सीखने की प्रगति को समझने में मदद करेगा। यह सब वांछित प्रारंभिक सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

गतिविधि 4

पूर्व-संख्या अवधारणाओं/संख्याओं पर आधारित एक साप्ताहिक योजना बनाएँ।

मूल्यांकन (स्व-परीक्षण अभ्यास)

प्रगति कर के जब आप मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं तो आप व्यक्तिगत चिंतन, समूह चर्चा या ट्रैक करने के तरीके के रूप में निम्नलिखित चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। मॉड्यूल को

समझने के बाद, आप नीचे दी गई सूची से समझी गई वस्तुओं के सामने वहाँ निशान लगाएँ, जो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं—

क्रम सं	विषय	निशान लगाएँ
1.	आरंभिक साक्षरता व आरंभिक संख्यात्मकता के फ़ायदे	
2.	आरंभिक साक्षरता व गणित के लिए मुद्रण समृद्ध वातावरण	
3.	आरंभिक साक्षरता (अर्ली लिट्रेसी) व आरंभिक संख्यात्मकता (अर्ली न्यूमरेसी) की शिक्षणशास्त्र पद्धतियाँ	
4.	विभिन्न प्रकार के सामूहिक प्रयास	
5.	भाषा कौशल गतिविधियाँ	
6.	संख्या तत्परता गतिविधियाँ	
7.	वार्तालाप गतिविधियाँ	

संदर्भ

महिला और बाल विकास मंत्रालय. 2013. *नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी*, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रा. शै. अ. प्र. प. 2008. *पढ़ने की समझ*. नयी दिल्ली.

——— 2013. *लिखने की शुरुआत — एक संवाद*. प्रारंभिक शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली.

——— 2015. *दिशानिर्देश के लिए कार्यान्वयन अनुकरणीय, राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम ढाँचे*, नयी दिल्ली.

——— 2019. *प्री-स्कूल गाइडलाइंस फॉर प्री-स्कूल एजुकेशन*, नयी दिल्ली.

——— 2019. *प्री-स्कूल करिकुलम*, नयी दिल्ली.

सोनी रोमिला. 2005. *लिटिल स्टेप्स—रेडीनेस एक्टिविटीज फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड नंबर रेडीनेस*. प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

वेब संसाधन

प्रारंभिक शिक्षा विभाग की वीडियो फिल्म “खुला आकाश”. सी.आई.ई.टी., रा. शै. अ. प्र. प., नयी दिल्ली.
https://www.youtube.com/ watch? V = 1XjDHOrcJyw

विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

UN80MD03

इस मॉड्यूल को भारत में कार्य आधारित शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कौशल विकास के वर्तमान परिदृश्य एवं विद्यालयी व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। परिचयात्मक सत्र का प्रारंभ, प्राचीन शिक्षा प्रणाली से होता है। यह मॉड्यूल कार्य आधारित शिक्षा के महत्व पर महान दार्शनिकों, विचारकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए विचारों का वर्णन करता है। यह स्व-रोज़गार और उत्पादकता बढ़ाने वाली शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व पर जोर देता है, जिसे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित शिक्षा के विभिन्न आयोगों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। दूसरा सत्र, अपनी प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से भारत में कौशल विकास के उदाहरण के लिए परिदृश्य का वर्णन करता है। यह कौशल विकास योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकारी-निजी भागीदारी, सामान्य शिक्षा के व्यावसायिक कौशल का एकीकरण, हितधारकों के मध्य समन्वय एवं उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को समन्वित करता है। तीसरा सत्र, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में व्यावसायीकरण की पूर्ववर्ती योजना के बारे में बताता है। यह प्रशिक्षुओं को विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण के विकास और समस्याओं को समझने में मदद करेगा।

मॉड्यूल के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद विद्यार्थी सक्षम होंगे—

- भारत में कार्य आधारित शिक्षा के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को समझने में;
- भारत में कौशल विकास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने में;
- कार्य अनुभव और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों का वर्णन करने में;
- समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण का वर्णन करने में।

भारत में शिक्षा का व्यावसायीकरण, कक्षा 1 से 8 तक कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से समाज-उपयोगी उत्पादक कार्य एस.यू.पी.डब्ल्यू. (Socially Useful Productive Work, SUPW) कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई कौशल आधारित गतिविधियों से साथ प्रारंभ होता है। सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ व्यवसाय आधारित व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य दुनिया के लिए शिक्षा की प्रासंगिकता में सुधार करना या विद्यार्थियों को अधिक रोज़गारपरक बनाना है। समग्र शिक्षा (विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना) के तहत शिक्षा के व्यावसायीकरण पर चौथा सत्र कक्षा 6वीं से 8वीं तक शुरू की जाने वाली पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा तथा 9वीं से 12वीं

तक की कक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की व्याख्या करता है। यह स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रत्येक अवयवों के महत्व की समझ विकसित करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यालयी व्यावसायिक कार्यक्रम के विभिन्न घटकों या अवयवों का वर्णन करता है।

मॉड्यूल सत्र

भारत में कार्य आधारित शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण

सत्र 1

भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का संबंध वैदिक तथा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से रहा है। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी, उस समय प्रचलित विषयों से संबंधित ज्ञान और व्यावसायिक कौशल तथा जीवन कौशल सीखते थे। गुरूकुल व्यवस्था में जहाँ शिक्षकों (गुरू) ने विद्यार्थियों (शिष्यों) के साथ एक अनोखे रिश्ते को बढ़ावा दिया, वहीं विद्यार्थी भी एक कठोर अनुशासन में बँध कर शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि जीवन और कार्य की वास्तविकताओं से संबंधित थी। विद्यार्थी केवल गृहस्थ जीवन से संबंधित निर्देश नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक सेवा के माध्यम से श्रम के महत्व एवं उसकी गरिमा को जानने का पाठ भी सीखते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने प्राचीन संस्कृति के संरक्षण एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया तथा सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित किया। महान भारतीय दार्शनिक एवं विचारक, स्वामी विवेकानंद (1863–1902), रवीन्द्रनाथ टैगोर (1861–1941), अरविंद घोष (1872–1950), मोहनदास करमचंद गाँधी (1869–1948), भीमराव रामजी अंबेडकर (1891–1956) और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आदि ने शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों के विचारों और अवधारणाओं तथा विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफ़ारिशों ने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को आकार दिया, अपितु रोज़गार और राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व और आवश्यकता पर भी जोर दिया।

व्यावसायिक शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की आवश्यकता सन् 1854 में ही महसूस की गई थी, जब लॉर्ड चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच तैयार किया, जिसे भारत की शिक्षा व्यवस्था में 'वुड डिस्पैच' के नाम से भी जाना जाता है और जिसको शिक्षा के "मैग्नाकार्टा" के रूप में समझा जाता है। सामान्य शिक्षा के विविधीकरण के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता की वकालत वुड डिस्पैच द्वारा की गई थी और यह सुझाव दिया गया कि व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थाओं तथा व्यावसायिक कॉलेजों को स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा आयोग (1882), जिसे हंटर आयोग (1882) के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा शिक्षा क्षेत्र में समस्याओं की जाँच की गई और सिफ़ारिश की गई कि हाईस्कूल स्तर पर दो विशिष्ट धाराएँ होनी चाहिए—प्रथम धारा, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए तथा द्वितीय धारा, व्यावहारिक व्यवसायों हेतु तैयार करने के लिए। वुड और एबोट आयोग (1936) ने शिक्षा में मैनुअल कार्य के महत्व पर बल दिया और सुझाव दिया कि—

1. विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन हो और किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र के महत्व को कम नहीं आँका जाना चाहिए।
2. व्यावसायिक शिक्षा को साहित्यिक और विज्ञान शिक्षा के समान समझा जाए और इसका मानक बढ़ाया जाना चाहिए।
3. व्यावसायिक शिक्षा को अन्य प्रकार की शिक्षा का पूरक माना जाना चाहिए।
4. छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
5. व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो तरह के स्कूल होने चाहिए— पहला, जूनियर व्यावसायिक स्कूल तथा दूसरा, सीनियर व्यावसायिक स्कूल। 8वीं कक्षा के बाद जूनियर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा तीन वर्ष की होनी चाहिए। वहीं, सीनियर स्कूल में 11वीं कक्षा के बाद दो वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। जूनियर व्यावसायिक स्कूल को हाईस्कूल के बराबर माना जाना चाहिए और सीनियर व्यावसायिक स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज के बराबर माना जाना चाहिए।
6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास करने के बाद दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए कार्य की योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
7. व्यावसायिक स्कूल की स्थापना व्यावसायिक केंद्रों के पास की जानी चाहिए।
8. श्रमिकों को व्यावसायिक स्कूलों में प्रति सप्ताह ढाई दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें इन ढाई दिनों की पूरी मज़दूरी दी जानी चाहिए।
9. अंशकालिक स्कूलों में दिन के समय प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

सन् 1937 में महात्मा गाँधी नें आग्रह किया कि मैनुअल और उत्पादक कार्यों को परीक्षा में स्थान मिलना चाहिए। सन् 1938 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने बी.जी. खैर की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा योजना (महात्मा गाँधी की नयी तालीम) पर एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी प्रांतीय सरकारों द्वारा नयी तालीम के कार्यान्वयन की सिफ़ारिश की। महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचारों को जाकिर हुसैन समिति द्वारा व्यावहारिक रूप दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा (बुनियादी शिक्षा) को सन् 1938 में शिक्षा के प्रारंभिक चरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पैटर्न के रूप में स्वीकार किया गया।

सन् 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस बात पर बहस शुरू हुई कि देश को किस तरह की शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार को महत्व दिया जा सके और साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी को अपनाया जा सके। भारत सरकार ने शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए आयोगों की नियुक्ति भी की। मुख्यतः माध्यमिक और शिक्षक शिक्षा पर केंद्रित माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण को लेकर

सिफ़ारिश की। इसके परिणाम स्वरूप बहुउद्देशीय (Multipurpose) स्कूलों की स्थापना हुई। इन स्कूलों में कृषि, गृह-विज्ञान, व्यवसाय और वाणिज्य, ललित कला और मानविकी के क्षेत्र में एक से अधिक व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए। इसके बाद शिक्षा आयोग (1964 – 66) ने शिक्षा के पूरे क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की और शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक राष्ट्रीय पैटर्न का सुझाव दिया। यह भी सुझाव दिया गया कि व्यावसायिक शिक्षा के अलावा, स्कूलों में कार्य अनुभव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना चाहिए।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति आयोग (1968) ने इस स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (National Council of Educational Research and Training) ने सितंबर 1976 में एक दस्तावेज *उच्च माध्यमिक शिक्षा और उसका व्यावसायीकरण* शीर्षक से प्रकाशित किया। दस्तावेज में व्यावसायिक विकल्पों में लचीलापन लाने, आर्थिक गतिविधियों के ज़िला सर्वेक्षणों के माध्यम से एक ज़िला या ज़िला समूहों में व्यावसायिक अवसरों और जनशक्ति की ज़रूरतों पर आधारित कौशल का निर्धारण और विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों व करियर के लिए परामर्श तथा मार्गदर्शन का प्रावधान करने को लेकर प्रकाश डाला गया। कुछ राज्यों द्वारा सन् 1976–77 में सामान्य शिक्षा संस्थानों में +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया गया। कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों में दो साल की अवधि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में कहा गया कि, "प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से कार्यान्वित कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है।" स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए नीति दस्तावेज में उल्लेखित किया गया कि, "व्यावसायिक शिक्षा एक पृथक धारा होगी, जिसका उद्देश्य क्रियाकलापों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए व्यवसायों की पहचान करके विद्यार्थियों को तैयार करना है। इन पाठ्यक्रमों को माध्यमिक स्तर के बाद उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन योजना को लचीला बनाते हुए उन्हें 8वीं के बाद भी उपलब्ध कराया जा सकता है। सन् 1986 में शिक्षा नीति की अनिवार्यताओं को ठोस कार्यक्रमों में तब्दील करने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया था। इसमें सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तहत केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान का गठन किया जाना चाहिए, जो व्यावसायिक शिक्षा में अनुसंधान, विकास, निगरानी और मूल्यांकन जैसे कार्यों के लिए काम करे। शिक्षा प्रणाली के तृतीय स्तर पर व्यावसायिक विषयों में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कार्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों को पॉलिटेक्निक, संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विशेष संस्थानों में शुरू किया जाना चाहिए।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के *प्रोग्राम ऑफ एक्शन* (1992) में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा कार्यक्रम के व्यावसायीकरण को द्वितीयक स्तर पर सुनिश्चित

करना चाहिए। विद्यार्थियों को करियर चुनने के लिए तैयार किया जाए। इसमें व्यावसायिक हितों और अभिरुचियों के विकास पर बल दिया गया, ताकि व्यावसायिक प्राथमिकताओं का आत्म-अन्वेषण किया जा सके। साथ ही उत्पादकता और काम में भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

गतिविधि 1
समूह चर्चा

उद्देश्य

प्रतिभागियों में कार्य आधारित शिक्षा के महत्व की समझ को विकसित करना।

प्रक्रिया

- प्रत्येक समूह में तीन प्रशिक्षणार्थी हों।
- प्रत्येक समूह को कार्य आधारित शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने हेतु कहें।
- भारत की स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात की घटनाओं, जिसके कारण व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ, पर अपना ज्ञान साझा करें।

गतिविधि 2
मैं कौन हूँ?

उद्देश्य

विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानना।

प्रक्रिया

- प्रशिक्षुओं को समान सदस्य संख्या के साथ दो या दो से अधिक टीमों में विभाजित किया जाए।
- प्रत्येक टीम को व्यवसायों के कुछ नाम दिए जाएँ, जैसे— राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर (नलसाज़), घरेलू उपकरणों के लिए तकनीशियन, फ्लोरीकल्चरिस्ट, माइक्रोएरिगेशन तकनीशियन, ब्यूटीशियन, माली, सौर ऊर्जा तकनीशियन आदि।
- टीम के सदस्य अलग-अलग व्यवसायों में व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों को लिखेंगे।
- टीम का एक सदस्य आगे आएगा और एक कुशल व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य या कार्यों को बताएगा।
- टीम के अन्य सदस्य व्यवसाय के बारे में अनुमान लगाएँगे। प्रत्येक सही अनुमान के लिए अंक दिए जाएँगे।
- टीम के अन्य सदस्य फिर आगे आएँगे और खेल को जारी रखेंगे।

स्व-मूल्यांकन

1. व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति को उन्नत करने के लिए वुड और एबोट आयोग (1936) द्वारा दिए गए दो प्रमुख सुझाव क्या हैं?
2. भारत की आज़ादी से पहले और बाद में आयोगों ने व्यावसायिक शिक्षा को उचित महत्व देने की आवश्यकता क्यों बतायी?

मॉड्यूल
3

कौशल विकास का वर्तमान परिदृश्य

सत्र 2

भारत में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आकांक्षात्मक बनाया जा रहा है। कुशल श्रमशक्ति की माँग और आपूर्ति की विषमताओं को कम किया जा रहा है। स्कूलों, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से कुशल श्रमिकों के पूर्व-ज्ञान एवं कौशल को मान्यता दी जा रही है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skill Qualification Framework, NSQF) के तहत विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास पाठ्यक्रमों में श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित एवं संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा करियर मार्ग को परिभाषित किया जा रहा है।

कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति 2015 में बनायी गई। इसके साथ ही 2022 तक 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक 'कौशल भारत मिशन' की स्थापना की गई थी। राज्य में कौशल विकास के लिए एक एकीकृत रणनीति बनाने और रोज़गार बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के नेतृत्व में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जिसे 2009 में स्थापित किया गया था, नीति नियोजन, बुनियादी ढाँचे के विकास, राष्ट्रीय उपजीविका-आधारित मानकों के विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन में कौशल विकास गतिविधियों को संचालित कर रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के पास भारत सरकार द्वारा चिह्नित किए जाने वाले 20 उच्च विकास क्षेत्रों में 2022 तक 150 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है। भारत में कौशल विकास परिदृश्य की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं—

समन्वित कार्य और सुसंगति

भारत सरकार प्रमुख हितधारकों जैसे—केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और क्षेत्र आधारित कौशल परिषदों की भागीदारी के साथ कौशल विकास के लिए एक समन्वित कार्य को बढ़ावा दे रही है। देश में कौशल विकास के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 2014 में एक स्वतंत्र 'कौशल विकास और उद्यमिता' मंत्रालय बनाया गया। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गयी, जिसे 15 जुलाई, 2015 को लागू किया गया, ताकि कौशल, मानक (गुणवत्ता) और स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की चुनौतियों का सामना किया जा सके और विभिन्न

कौशल विकास कार्यक्रमों के मध्य अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। कौशल विकास में अवसरों और भागीदारी को बढ़ाने का नीतिगत उद्देश्य अधिक से अधिक सार्वजनिक वित्त-पोषण और संवर्धित संसाधन आवंटन तंत्र, व्यक्त मार्ग, प्रशिक्षण के प्रकारों का विविधीकरण, निजी प्रावधानों और गुणवत्ता प्रबंधन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल का एकीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन् 2012 में एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया। यह फ्रेमवर्क सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और स्कूल से काम करने या अग्रिम शिक्षा के लिए एक सुचारू परिवर्तन हेतु शिक्षार्थियों को निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह *सीखने के प्रतिफल* के स्तर की एक श्रृंखला के रूप में आयोजित किया जाता है, जो 1 से 10 (तालिका 1) के स्तर से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। यह स्तर सीखने की जटिलता पर निर्भर करते हैं। 1 सबसे कम जटिल है और 10 सबसे अधिक जटिल है। यह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 5) एडवांस डिप्लोमा और डिग्री, (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 6 – 10) के माध्यम से ग्रेड 9 (एन.एस.क्यू.एफ. स्तर 1) से शुरू होने वाली एक व्यापक रूपरेखा है। एन.एस.क्यू.एफ. के प्रत्येक स्तर को निम्नलिखित (तालिका 1) ज्ञान-क्षेत्र में सीखने के प्रतिफलों के विवरण के रूप में वर्णित किया गया है— (1) आवश्यक प्रक्रिया, (2) व्यावसायिक ज्ञान, (3) व्यावसायिक कौशल, (4) मुख्य कौशल, और (5) उत्तरदायित्व।

तालिका 1 — एन.एस.क्यू.एफ. स्तर का वर्णन

एन.एस. क्यू. एफ. स्तर	अपेक्षित प्रक्रिया	पेशेवर ज्ञान	पेशेवर कौशल	मूल कौशल	उत्तरदायित्व
1.	व्यक्तियों को वे प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार करना, जो नियमित आधार पर आवृत्तिमूलक हैं और जिनके लिए पूर्व में अभ्यास की जरूरत नहीं होती।	सामान्य व्यापार, पारिभाषिक शब्दावली, अनुदेशात्मक शब्दों के अर्थ व समझ से परिचित होना।	नित्यचर्या और आवृत्ति, संरक्षा और सुरक्षा उपाय करना।	पढ़ना और लिखना, जोड़-घटाना, व्यक्तिगत वित्त, सामाजिक और धार्मिक विविधता, स्वच्छता और पर्यावरण से परिचित होना।	कोई उत्तरदायित्व नहीं, सदैव सतत अनुदेशों और सघन पर्यवेक्षण में काम करना।

2.	व्यक्तियों को समझ का प्रयोग करके अधिक अभ्यास के साथ वह प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार करना, जो नियमित आधार पर आवृत्तिमूलक हैं।	सामग्री, औजार और सीमित परिप्रेक्ष्य में अनुप्रयोग, कार्य एवं गुणवत्ता का परिप्रेक्ष्य समझता।	सीमित परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया गया सीमित सेवा कौशल, औजारों का चयन व अनुप्रयोग, परिवर्तियों के बगैर पेशेवर कार्यों में सहायता करना, अच्छी और बुरी गुणवत्ता में अंतर करना।	लिखित और मौखिक संदेश प्राप्त करना और उन्हें प्रेषित करना, बुनियादी अंकगणित, व्यक्तिगत वित्त, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विविधता, स्वच्छता और पर्यावरण की समझ।	कोई उत्तरदायित्व नहीं। अनुदेशों और सघन पर्यवेक्षण में काम करना।
3.	व्यक्ति वह कार्य कर सकता है, जिसमें सीमित कार्यकलाप ही नित्यचर्या और पूर्वानुमेय हों।	रोज़गार के व्यापार में लागू बुनियादी तथ्य, प्रक्रिया और सिद्धांत।	समुचित नियम व औजार तथा गुणवत्ता की अवधारणा का प्रयोग करते हुए प्रयोगमूलक कौशल का प्रदर्शन करना, अनुप्रयोग के सीमित क्षेत्र में नित्यचर्या और आवृत्ति होना।	न्यूनतम अपेक्षित स्पष्टता के चलते लिखित और मौखिक संप्रेषण, बुनियादी अंकगणित और बीजगणितीय सिद्धांतों का कौशल, वैयक्तिक बैंकिंग सामाजिक और बुनियादी पर्यावरण की मूलभूत समझ।	सघन पर्यवेक्षण के अंतर्गत परिभाषित सीमा के भीतर स्वयं के कार्य के कुछ उत्तरदायित्व।
4.	परिचित, पूर्वानुमेय दिनचर्या, स्पष्ट विकल्प की स्थिति में कार्य करना।	ज्ञान अथवा अध्ययन के क्षेत्र का वास्तविक ज्ञान।	समुचित नियम व औजार तथा गुणवत्ता की अवधारणा का प्रयोग करते हुए प्रयोगमूलक कौशल का प्रदर्शन करना, अनुप्रयोग के सीमित क्षेत्र में दिनचर्या और आवृत्ति होना।	अपेक्षित स्पष्टता के चलते लिखित अथवा मौखिक संप्रेषण की भाषा, बुनियादी अंकगणित और बीजगणितीय सिद्धांतों का कौशल, सामाजिक राजनीतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की मूलभूत समझ।	स्वयं के कार्य और सीखने की जिम्मेदारी।
5.	सामान्य परिप्रेक्ष्य में प्रक्रियाओं के स्पष्ट विकल्प के चलते कार्य, जिसमें सुविकसित कौशल की ज़रूरत पड़ती है।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सामान्य अवधारणाओं का ज्ञान।	बुनियादी तरीके, औजारों, सामग्रियों और जानकारी का चयन करके व उसे लागू करके कार्य करने व समस्याओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित विभिन्न संज्ञानात्मक और प्रायोगिक कौशल।	वांछित गणितीय कौशल, सामाजिक, राजनीतिक और सूचना, संचार के संग्रहण और आयोजन के थोड़े कौशल की समझ।	स्वयं के कार्य और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व तथा दूसरों के कार्य व प्रशिक्षण का कुछ उत्तरदायित्व।

6.	व्यापक विभिन्न विशिष्ट तकनीकी कौशल की आवश्यकता, ज्ञान की स्पष्टता और मानक व मानक-भिन्न अभ्यासों सहित कार्यकलापों का व्यापक अभ्यास।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में बड़े परिप्रेक्ष्यों में तथ्यात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित विभिन्न संज्ञानात्मक और प्रायोगिक कौशल।	गणितीय गणना में उचित रूप से सामाजिक, राजनीतिक की समझ, डेटा एकत्र करने में यथोचित जानकारी और तार्किक संचार।	स्वयं के कार्य और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व तथा दूसरों के कार्य व प्रशिक्षण का पूरा उत्तरदायित्व।
7.	परिवर्तनीय दिनचर्या और गैर-नियमित संदर्भों को शामिल करते हुए विस्तृत विशेष सैद्धांतिक और व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में बड़े परिप्रेक्ष्यों में तथ्यात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान।	कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए अपेक्षित विभिन्न संज्ञानात्मक और प्रायोगिक कौशल।	अच्छा तर्कसंगत और गणितीय कौशल, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की समझ, सूचना प्रेषण और प्रस्तुतीकरण कौशल के संग्रहण व आयोजन में अच्छा होना।	समूह के कार्य-निष्पादन एवं विकास का पूरा उत्तरदायित्व।
8.	समस्या कम करने के लिए सृजनात्मक समाधान विकसित करने हेतु व्यापक, संज्ञानात्मक, सैद्धांतिक ज्ञान व प्रायोगिक कौशल।			स्व-अध्ययन, बौद्धिक स्वतंत्रता विश्लेषणात्मक शक्ति और अच्छे संप्रेषण का प्रदर्शन। अनिश्चित परिवर्तनों वाले कार्य/अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना, स्वयं व अन्य के विकास के लिए उत्तरदायी।	
9.	उन्नत ज्ञान और कौशल, विषय की महत्वपूर्ण समझ, नियंत्रण और नवीनता का प्रदर्शन, बड़े अनुसंधान और शोध-प्रबंधन पूरा करना।			अनिश्चित अध्ययन/कार्य स्थितियों वाले जटिल तकनीकी कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने का उत्तरदायित्व।	
10.	अनुसंधान और अध्येतावृत्ति के जरिए ज्ञान में वास्तविक योगदान के लिए उच्च विशिष्टता प्राप्त ज्ञान और समस्या समाधान का कौशल।			कार्य/अध्ययन की अनिश्चित जटिल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का उत्तरदायित्व।	

राष्ट्रीय व्यवसाय मानक

क्षमता या योग्यता एक अवलोकनीय और मापनीय ज्ञान और कौशल है। कौशल मानक और मूल्यांकन व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Vocational Education Training) की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश भर में उद्योगों या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी जाने वाली योग्यता की मान्यता कौशल मानकों और वितरण पर निर्भर करती है और

इसलिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक* (एन.ओ.एस.) का विकास किया गया। राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एन.एस.क्यू.सी.) द्वारा अन्य एजेंसियों की जाँच और समीक्षा की जाती है और उसके बाद "राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों" का दर्जा दिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (National Occupation Standards') एवं योग्यता पैक; राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर (National Qualification Register) पर उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण मानकों को विकसित करने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाए हैं। इन देशों द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित किये जा रहे है। एन.एस.क्यू.एफ के तहत योग्यता को गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता ढाँचे से जोड़ा जा रहा है।

उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण

उच्च शिक्षा को कौशल उन्मुख बनाने के लिए उच्च शिक्षा स्नातकों की रोज़गार क्षमता में सुधार करना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए कौशल को सामुदायिक महाविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में एकीकृत किया जा रहा है। एन.एस.क्यू.एफ की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिग्री कॉलेज व्यावसायिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक (बी.वोक.) की डिग्री प्रदान करते हैं। ये पाठ्यक्रम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के क्रेडिट फ्रेमवर्क अर्थात च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सी.बी.सी.एस.) से संरेखित या श्रेणीबद्ध किए जा रहे हैं। च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम (कोर, ऐच्छिक/गौण/सॉफ्ट स्किल कोर्स) में से चयन करने की सुविधा प्रदान करता है।

गतिविधि 1
वाद-विवाद

शीर्षक

स्कूली शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा की तुलना में सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक कौशल का एकीकरण एक बेहतर विकल्प है।

उद्देश्य

प्रतिभागियों को एकीकृत व्यावसायिक शिक्षा मॉडल की समझ विकसित करने की ओर उन्मुख करना।

* राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एन.ओ.एस.) प्रदर्शन के मानकों का विवरण है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्यस्थल में कार्यों को मज़बूत अंजाम देने के साथ-साथ ज्ञान और समझ के विशेष विवरण के साथ प्राप्त करना चाहिए।

प्रक्रिया

- दो समूह बनाएँ—एक सकारात्मक समूह जो विषय के समर्थन में होगा और दूसरा नकारात्मक समूह होगा, जो विषय के विपक्ष में बोलेगा।
- सकारात्मक समूह का एक सदस्य वाद-विवाद शुरू करेगा और नकारात्मक समूह के सदस्य पहले समूह के सदस्यों द्वारा दिए गए कथनों के खंडन की तैयारी करेंगे।
- दोनों समूहों के अन्य सदस्य एक-दूसरे के तर्कों का एक-एक कर खंडन प्रस्तुत करेंगे और बहस जारी रहेगी।
- निर्णायक द्वारा निष्कर्ष दिया जाएगा।

गतिविधि 2
प्रस्तुतिकरण

शीर्षक

कौशल विकास में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका

उद्देश्य

कौशल विकास कार्यक्रमों या योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं और कार्यों को समझने के लिए प्रतिभागियों को उन्मुख करना।

प्रक्रिया

- कौशल विकास में शामिल हुए मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों, एजेंसियों और संस्थानों की वेबसाइटों को देखना।
- मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों, एजेंसियों तथा संस्थानों की भूमिकाओं और कार्यों पर एक प्रस्तुति बनाना और उनके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कौशल विकास के कार्यक्रमों और योजनाओं को देखना।

स्व-मूल्यांकन

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट (80–100 शब्दों में) लिखें—

1. सामान्य शिक्षा में व्यावसायिक कौशल का एकीकरण
2. राष्ट्रीय व्यावसाय मानक
3. उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण

कार्य अनुभव और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

सत्र 3

भारतीय स्कूलों में शिक्षा के व्यावसायीकरण को अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा पहली से आठवीं) में इसे 'कार्य अनुभव' या 'सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य' के रूप में जाना जाता है, जबकि इसे कक्षा 9वीं और 10वीं में 'पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा' कहा गया है।

कार्य अनुभव कार्यक्रम

शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग, 1964 – 66) की रिपोर्ट में, "स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक स्थिति में उत्पादक कार्य में भागीदारी" के रूप में कार्य अनुभव कार्यक्रम की कल्पना की गई। यह रिपोर्ट उस कार्य अनुभव की संस्तुति करती है जिसमें उद्देश्यपूर्ण और सार्थक मानवीय कार्य शामिल हैं। अतः शिक्षा के सभी चरणों में यह एक आवश्यक घटक होना चाहिए।

शिक्षार्थियों के मन में मानवीय-कार्य, आत्मनिर्भरता, सहकारिता, दृढ़ता, मदद, कार्य-नैतिकता, व्यवहार और समुदाय के प्रति उत्पादक कार्य एवं उससे संबंधित मूल्यों के प्रति एक सम्मान का नज़रिया होना चाहिए। हालाँकि, स्कूलों में कार्य अनुभव (डब्ल्यू.ई.) या समाज उपयोगी उत्पादक कार्य (एस.यू.पी.डब्ल्यू.) एवं पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न कारणों से असंतोषजनक रहा है। इस असंतोष का कारण विद्यालयों की समय-सारणी में इसके लिए पर्याप्त समय का आवंटन न होना, पाठ्यक्रमों की गैर-परीक्षण योग्य प्रकृति, अपर्याप्त धन तथा प्रशिक्षित शिक्षकों एवं कच्चे माल की अनुपलब्धता रही है।

कक्षा 9वीं–10वीं में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना

1993 – 94 में माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की रणनीति तैयार करने के लिए जुलाई 1993 में आयोजित एक राष्ट्रीय बैठक में विचार-विमर्श के बाद एन.सी.ई.आर.टी. (रा.शै.अ.प्र.प.) ने *पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा दिशानिर्देश* नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं— (1) कार्य अनुभव के बदले पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश की जा सकती है। (2) प्रति सप्ताह न्यूनतम छह पीरियड की अवधि आवंटित की जाएगी। (3) यह केवल उन्हीं स्कूलों में शुरू किया जाएगा जहाँ +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इन चुने हुए पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नियमित बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। (4) निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के पूरा होने के पश्चात उत्तीर्ण विद्यार्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम में विपणन कौशल प्राप्त करना चाहिए। मूल्यांकन की योजना कार्य

अनुभव के समान है। 9वीं और 10वीं कक्षाओं में मूल्यांकन कार्य स्कूलों द्वारा किया जाता है। 10वीं ग्रेड में स्कूलों द्वारा दिए गए ग्रेड को पाठ्यक्रम के शीर्षक के साथ बोर्ड के प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों और विभिन्न समितियों की संस्तुतियों के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education, CBSE) ने शैक्षणिक-सत्र 1995–96 से प्रभावी अध्ययन योजना के तहत पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया। पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य हैं— (1) कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को सरल विपणन योग्य प्रशिक्षण प्रदान करना। (2) उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक रुचियों और व्यवहारों को विकसित करना और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के हिसाब से आत्म-अन्वेषण की अनुमति देना। (3) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन में विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करना। (4) विद्यार्थियों को अकादमिक शिक्षा के वांछित आयाम के रूप में कार्य-अनुभव में भागीदारी के लिए तैयार करना। (5) कार्य संस्कृति से संबंधित स्वस्थ मूल्यों को आत्मसात करना।

रा.शै.अ.प्र.प. ने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पूर्व-व्यावसायिक मॉड्यूल विकसित किए हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, जैव उर्वरक, बागवानी, मशरूम की खेती, कृमि पालन, प्रारंभिक पुस्तक रख-रखाव, शुरुआती कार्यालयी अभ्यास, टंकण, इंटरनेट कैफे, विजुअल बेसिक के साथ शुरुआत, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण, घरेलू वायरिंग, प्लंबर का कार्य, पॉवर थ्रेशर की मरम्मत और रख-रखाव, जुताई और बुवाई के उपकरण की मरम्मत और रख-रखाव, काष्ठ-शिल्प, ब्लड बैंक संचालन, बाँस कला, बाती या बत्ती बनाना, गुड़िया बनाना, ब्रेड और खमीर संबंधित उत्पादन, फलों और सब्जियों का सूखने से बचाव करना, नमक और सिरका के उपयोग से फलों और सब्जियों का संरक्षण, सौन्दर्य प्रसाधन, सॉफ्ट टॉयज, कपड़ों का उत्पादन, रंगाई तथा काष्ठ कला आदि शामिल हैं।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर केंद्र प्रायोजित योजना (1988)

10 साल स्कूल में सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ उत्पादक कौशल के विकास के लिए प्रावधान करने तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा में विकल्प के रूप में दो साल के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए सन् 1976–77 में भारत में शिक्षा का व्यावसायीकरण शुरू किया गया था। मैल्कम एस. आदिशैया की अध्यक्षता में 1978 में समिति ने सुझाव दिया कि +2 स्तर पर व्यावसायिक स्ट्रीम के पाठ्यक्रम डिज़ाइन में निम्नलिखित का समावेश किया जाना चाहिए— (1) भाषा (कुल समय का 15 प्रतिशत) (2) सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम (कुल समय का 15 प्रतिशत) (3) व्यावसायिक वैकल्पिक विषय (कुल समय का 70 प्रतिशत)

माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना की शुरुआत फरवरी, 1988 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, व्यक्तिगत रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए

विविध शैक्षिक अवसर प्रदान करना तथा कुशल श्रमशक्ति की माँग और आपूर्ति के मध्य विषमताओं को कम करना है तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कई विकल्प प्रदान करना है। इस योजना ने राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं, जिससे कि प्रशासनिक संरचना, व्यावसायिक क्षेत्र सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यपुस्तक, कार्य-पुस्तक, पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका, प्रशिक्षण मैनुअल, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मज़बूत करने, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि की व्यवस्था की जा सके। इस योजना द्वारा लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए विशिष्ट नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। 1992–93 में पूरी तरह से कार्य करने वाली इस योजना के तहत +2 स्तर पर 9,000 स्कूलों में लगभग 10 लाख विद्यार्थियों के नामांकन की क्षमता तैयार की गई थी जिसमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, गृह विज्ञान और मानविकी तथा विज्ञान और शिक्षा के छह प्रमुख क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने की सुविधाएँ दी गईं। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. पर पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने की जिम्मेदारी थी। विभिन्न समितियों/समीक्षा समूहों की सिफ़ारिशों के आधार पर योजना को संशोधित किया गया था और 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पुनः निर्मित किया गया था। 6,800 स्कूलों में सुचारु रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने में लगभग 25 साल लग गए और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रों के स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में केवल 5 प्रतिशत नामांकन किया जा सका। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यान्वयन में कई बाधाएँ शामिल थीं, जैसे — नकारात्मक छवि और कम आकांक्षात्मक मूल्य, सामान्य शिक्षा के साथ एकीकरण की कमी, कौशल की माँग और आपूर्ति के बीच बेमेल, उद्योग में व्यस्तता में कमी, गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयासों की कमी और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का अभाव, पाठ्यक्रम में रोज़गार कौशल की कमी, गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे का अनुचित संचालन, प्रौद्योगिकी और स्वचालित उद्योग के वर्तमान एवं भविष्य के कौशल की माँगों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित करने की कमी इत्यादि।

गतिविधि 1
थिंक-पेयर-शेयर

शीर्षक

कार्य-अनुभव कार्यक्रम और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा।

उद्देश्य

कार्य-अनुभव कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ विकसित करना।

प्रक्रिया

के.आर.पी. सभी प्रशिक्षुओं के लिए प्रश्न प्रस्तुत करता है, जिस पर वे एकाग्रतापूर्वक उन प्रश्नों के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और अपने नोट्स तैयार करते हैं। यहाँ निम्नलिखित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं— (1) स्कूलों में कार्य-अनुभव कार्यक्रम क्यों नहीं सफल हुआ। (2) स्कूलों में कार्य आधारित गतिविधियों की सीमाएँ क्या हैं? (3) स्कूलों में कार्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिया जाना चाहिए? (4) विद्यालयों में गतिविधि आधारित शिक्षण कैसे उपयोगी होगा? (5) कार्य-अनुभव कार्यक्रम पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा से कैसे भिन्न होता है?

10 मिनट के बाद विशेषज्ञ, प्रशिक्षुओं को किसी पास के या नियुक्त किए गए प्रशिक्षु के साथ जोड़ी बनाने और उसके द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों की प्रतिक्रिया पर एक आम सहमति उत्पन्न करने के लिए कहता है।

प्रशिक्षुओं द्वारा जोड़े में चर्चा किए जाने के बाद, विशेषज्ञ उस जोड़े को कक्षा के साथ भी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहता है।

स्व-मूल्यांकन

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी (80 – 100 शब्दों में) लिखें—

1. स्कूल में कार्य अनुभव कार्यक्रम।
2. पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा।
3. शिक्षा का व्यावसायीकरण।

समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा का व्यावसायीकरण

सत्र 4

कौशल विकास और उद्यमिता 2015 में राष्ट्रीय नीति ने अगले 5 वर्षों में 25 प्रतिशत स्कूलों में ग्रेड 9वीं से औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल को भी एकीकृत करने का लक्ष्य रखा है। सभी औपचारिक और गैर-औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दिसंबर 2018 से एन.एस.क्यू.एफ. द्वारा संरेखित करना होगा। विद्यालयी शिक्षा में नीतिगत अनिवार्यता को महसूस करते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपनाए गए कौशल विकास में निम्नलिखित मुख्य बाधाएँ और कार्यनीतियाँ शामिल हैं—

(1) अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एकीकरण।

(2) आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में कौशल माँगों के हिसाब से पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना।

(3) रोज़गार और क्षमता के साथ योग्यता को जोड़ने के लिए लचीला पाठ्यक्रम लागू करना।

(4) सक्षम शिक्षक और प्रशिक्षक तैयार करना।

(5) क्षमता आधारित शिक्षा का मूल्यांकन

(6) गुणवत्ता का आश्वासन।

इससे अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए व्यावसायिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कोई जटिल कार्यक्रम शामिल न हो।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत 6वीं से 8वीं कक्षा तक पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा को विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि सामान्य शैक्षणिक विषयों के साथ कौशल आधारित गतिविधियों से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के रूप में परिकल्पना की जा रही है। यह व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को काम की दुनिया में विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए बुनियादी कौशल आवश्यकताओं का अन्वेषण करने में उपयोगी होगी। इस तरह कार्य आधारित गतिविधियों के पीछे अंतर्निहित विचार उन्हें कक्षा 6वीं से 8वीं तक की शिक्षा में उपलब्ध योजना के अतिरिक्त बोझ के बजाय शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में बनाना है। यह न केवल पुस्तकीय ज्ञान और सैद्धांतिक ज्ञान के मध्य की सीमाओं को कम करेगा, वरन बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करेगा। इस प्रकार उन्हें भविष्य में करियर का रास्ता तय करने में सहायता मिलेगी। ये बहु-कौशल गतिविधियाँ, अन्य बातों के साथ-साथ, सरल कौशलों के विकास जैसे— सौंदर्य मूल्य, सहयोग, टीमवर्क, कच्चे माल का विवेकपूर्ण उपयोग, रचनात्मकता, गुणवत्ता चेतना आदि को भी प्रोत्साहन देंगी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विभिन्न संगठनों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का दौरा करेंगे और विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से संपर्क करेंगे। ऐसा करने से उन्हें भविष्य में रोज़गार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा।

भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत और कार्य अनुभव के शिक्षक उन विषयों से संबंधित कौशल-आधारित गतिविधियों को कराने में शामिल होंगे, जिन्हें वे पढ़ा रहे हैं। शिक्षण-अधिगम पद्धति अवलोकन और अभ्यास पर आधारित हो सकती है। डिज़ाइन, शिल्प और प्रौद्योगिकी सामान्य शिक्षा का हिस्सा बनेंगे। इससे प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या आकर्षित करने में मदद मिलेगी। विषय संबद्ध शिक्षकों को शिक्षण का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये शिक्षक गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करेंगे। इस प्रशिक्षण में सीखना, समस्या समाधान, सहकारी या टीम आधारित परियोजना, अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की आवश्यकता का पाठ, इत्यादि आते हैं। परियोजना कार्य कई क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान और कौशल को व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी भविष्य के रोज़गार के संभावित क्षेत्रों से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान और कौशल के लिए संगठनों का दौरा कर सकते हैं। विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

सरल और कठिन कौशल के व्यावसायिक मॉड्यूल, बच्चों को काम की दुनिया के आवश्यक पहलुओं को ज्ञात करने में सहयोग करेंगे। साथ-ही-साथ विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषय या करियर विकल्प के चयन में भी सहयोग करेंगे। कौशल के माध्यम से बच्चे व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्रियाशील बनने के लिए स्वभाव, दृष्टिकोण और सामाजिक क्षमताओं का विकास करेंगे। व्यावसायिक कौशल घटकों के लिए, सामान्य शिक्षा विषयों के पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों पर आधारित गतिविधियों को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक की व्यावसायिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर (कक्षा 9वीं–12वीं) में एक व्यावसायिक विषय को सामान्य शिक्षा विषयों के साथ एक अतिरिक्त या अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) में इसे अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। व्यावसायिक विषयों के पाठ्यक्रम को एक व्यवसाय या एक क्षेत्र में व्यवसाय की भूमिका के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एन.ओ.एस.) से जोड़ा जाता है। विद्यालयों द्वारा प्रत्येक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को दो व्यावसायिक विषयों में से एक को चुनने का अवसर दिया जाता है। 27 राज्यों/केंद्रशासित राज्यों में ऐसे 8, 433 स्कूल हैं, जहाँ पर समग्र शिक्षा के तहत व्यावसायिक विषयों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। 55 कार्य भूमिकाओं को 18 क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक अनुमोदित किया गया है।

इनपुट (उत्पादक सामग्री)

- आधारभूत व्यवस्था
- शिक्षक/प्रशिक्षक
- विद्यार्थी
- शिक्षण-अधिगम सामग्री

प्रक्रिया

- नामांकन
- पाठ्यक्रम आदान-प्रदान
- नौकरी पर प्रशिक्षण
- आकलन और मूल्यांकन

आउटपुट (उत्पादन)

- प्रमाणित कुशल श्रमशक्ति

क्षेत्र

कुछ ऐसे क्षेत्र, जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल, व्यावसायिक विषयों के रूप में पढ़ने का अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त करा रहे है, निम्न हैं —

क्रम सं.	क्षेत्र
1.	कृषि
2.	परिधान, रेडीमेड सामान और घरेलू फर्नीचर
3.	मोटर वाहन
4.	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ तथा बीमा
5.	सौंदर्य और कल्याण
6.	भवन और निर्माण
7.	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर
8.	स्वास्थ्य देखभाल
9.	सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) संबंधित सेवाएँ
10.	लॉजिस्टक
11.	मीडिया और मनोरंजन
12.	व्यवस्थित खुदरा
13.	प्लंबिंग (नल एवं पाइपों से संबंधित कार्य)
14.	विद्युत क्षेत्र
15.	निजी सुरक्षा
16.	दूरसंचार
17.	पर्यटन और आतिथ्य

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का परिचय

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन	राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कौशल आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित है।
आधारभूत संरचना	विद्यार्थियों के प्रभावपूर्ण व्यावहारिक प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में कक्षा-सह-प्रयोगशाला/कार्यशाला विकसित की जाती है। प्रयोगशालाएँ उपकरण और संसाधन विषय की आवश्यकताओं और वित्तीय सीमाओं पर आधारित होती हैं। प्रयोगशाला/कार्यशाला स्थापित करने के लिए उपकरण और सामग्री की सूची संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद् के साथ पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. के परामर्श से प्रदान की जाती है।
विद्यार्थियों का नामांकन	व्यावसायिक शिक्षा में विशेष समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नामांकन अभियान, विशेष सुविधाओं का प्रावधान, अभिभावकों और समुदाय आधारित संगठन के साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था का प्रावधान किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैये को दूर करने के लिए जनसंपर्क माध्यमों (समाचार, रेडियो, इंटरनेट, आदि) से व्यापक जागरूकता, प्रचार अभियान एवं रैलियाँ की जा रही हैं, जिससे युवा विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श — छात्राओं के लिए विशेष परामर्श	सत्र के साथ विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को शामिल करके विद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श अभियान का आयोजन किया जा रहा है।
व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति	व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों की मदद से संचालित किए जाते हैं। इन शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार या एन.एस.डी.सी. द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स) के साथ-साथ अतिथि शिक्षक की ज़रूरत के आधार पर की जाती हैं। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता मापदंड की सिफ़ारिश करता है। सामान्य नियमों, नियुक्ति के मानकों, सेवा शर्तों, मूल्यांकन हेतु मापदंड और प्रक्रिया, मान्यता और पुरस्कारों, इत्यादि को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

अधिगम आधारित परिणाम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम, सीखने के परिणामों पर आधारित हैं, जिसमें शामिल है — (i) रोज़गार कौशल और (ii) व्यावसायिक कौशल। रोज़गार कौशल मॉड्यूल में संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल है। संचार कौशल स्व-प्रबंधन कौशल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल उद्यमिता कौशल हरित कौशल

राष्ट्रीय विकास एजेंसी का संचालन व्यवसाय के मानक	शिक्षा के परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की भूमिकाओं के योग्यता पैक (Qualification Pack) में दिए गए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (NOSs)* पर आधारित हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम विकास संस्था	केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) द्वारा पाठ्यक्रमों के विकास का कार्य किया जा रहा है। शिक्षण सामग्री में विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक-पुस्तिकाएँ और ई-शिक्षण सामग्री शामिल हैं। इन पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.आर.ई.आर.टी.) द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तकें एन.सी.ई.आर.टी. और पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

प्रमुख पदाधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण

राज्य शिक्षा विभाग और बोर्ड के अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम	राज्य और ज़िला स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधानाचार्य और व्यावसायिक समन्वयक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित किए गए हैं।
व्यावसायिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रमुख समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नये नियुक्त हुए व्यावसायिक शिक्षकों के लिए 10 दिनों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आयोजित किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के विषयों और सामग्री से संबंधित पहलुओं पर पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और राज्य शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षाशास्त्र पर पाँच दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और क्षेत्र कौशल परिषद् के सहयोग से राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, आई.सी.टी. कौशल, उद्यमिता कौशल, हरित कौशल, व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श, आकलन और मूल्यांकन आदि विषयों पर पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षकों को शिक्षण के दौरान ई-लर्निंग सामग्री, निर्देशात्मक वीडियो फ़िल्म और परस्पर कंप्यूटर सहायक कार्यक्रमों का उपयोग करने और शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों और क्षेत्र कौशल परिषदों की सहायता से ज्ञान एवं विशिष्ट दक्षताओं के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता के विश्लेषण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्व-परीक्षण और पश्च-परीक्षण आयोजित किया जाता है।

* राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एन.ओ.एस.) व्यक्तिगत रूप से कार्यस्थल में एक कार्य/कृत्य को पूरा करने के लिए, आवश्यक जिस ज्ञान और समझ के साथ कार्य करना चाहिए, उसमें प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करता है। इन्हें एन.सी.ई.आर.टी. और पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय व्यवसाय मानक कार्यस्थल में एक समारोह को पूरा करने के दौरान किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ के साथ प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करता है।

पाठ्यक्रम का आदान-प्रदान

पाठ्यक्रम को कक्षा, प्रयोगशाला या कार्यशाला और अंतःकार्य परीक्षण में स्थानांतरित किया जा रहा है। विद्यार्थियों का उद्योगों और वास्तविक कार्यस्थलों में दौरा कराया जाता है, जिससे वे किसी भी कार्य को करने में लगने वाले वास्तविक समय को समझ सकें और इसके अनुसार काम का चुनाव कर सकें। उद्यमिता विषय पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। उद्योग और विशेष संगठन/संस्थान विशेषज्ञों, मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कौशल प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण का समर्थन करते हैं तथा साथ-ही-साथ प्रशिक्षुओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। इंटर्नशिप या कार्यस्थल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रूपांतरण का एक अभिन्न अंग है। विद्यार्थियों को कम-से-कम 80 घंटे के कार्यस्थल अधिगम या ऑन-द-जॉब लर्निंग को पूरा करने की आवश्यकता होती है।

व्यावसायिक शिक्षक को एक व्यवसाय या उद्यम को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक प्रदर्शन और संचालन के लिए संचार कौशल, आई.सी.टी. कौशल, सामान्य कौशल, व्यावसायिक कौशल और आवश्यक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के सहारे वह वास्तविक व्यावसायिक लक्ष्य या करियर प्राप्ति की ओर विद्यार्थियों को प्रासंगिक शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकता है। प्रभावी संचार क्षमता एक व्यावसायिक शिक्षक को प्रभावी ढंग से शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ्यक्रम के रूपांतरण में मदद करेगी। व्यावसायिक शिक्षकों को दृश्य-श्रव्य सामग्री के साथ प्रशिक्षण के पूरक और प्रभावी पाठ्यक्रम रूपांतरण के माध्यम से विद्यार्थी अधिगम हेतु विभिन्न अनुभव प्रदान करने के लिए निर्देशात्मक वीडियो-फ़िल्मों और कंप्यूटर सहायक कार्यक्रमों का उपयोग करना चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका और कार्य

- शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र की योजना तैयार करना।
- सामग्री ज्ञान, व्यावहारिक कौशल, संप्रेषण कौशल, प्रस्तुति कौशल, संख्यात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, शिक्षा कौशल तथा मूल्यांकन कौशल आदि दक्षताओं का प्रदर्शन करना।
- मल्टीमीडिया सहित विभिन्न प्रकार की शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करना।
- विद्यार्थियों के प्रति मूल्यों, कार्य नैतिकता और सहानुभूति का प्रदर्शन करना।
- विद्यार्थियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।

- विद्यार्थियों के सभी प्रकार के रिकॉर्ड (उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रगति रिपोर्ट, नौकरी प्रशिक्षण रिकॉर्ड, मूल्यांकन रिपोर्ट, क्षेत्र निरीक्षण रिकॉर्ड, लॉग बुक, गैर-स्कूली उपलब्धियों के रिकॉर्ड, आदि) को तैयार रखना।
- निरंतर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया प्रदान करना।
- विद्यार्थियों को सीखने और उन्हें स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करना और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
- नौकरी के दौरान प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक विद्यार्थियों की नियुक्ति में योगदान करना।
- क्रियात्मक अनुसंधान का संचालन करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना।

शिक्षार्थियों का आकलन तथा मूल्यांकन

शिक्षार्थियों द्वारा ग्रहण की गई दक्षताओं का आकलन और प्रमाणन संबंधित राष्ट्रीय और राज्य परीक्षा बोर्डों द्वारा किया जाता है। इन बोर्डों से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद् के साथ-साथ विद्यालय भी संबद्ध होते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में बाह्य आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा में ज्ञान का लिखित आकलन और रोज़गार/व्यवसाय में व्यावहारिक कौशल दोनों ही शामिल हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पोर्टफ़ोलियो तैयार करते हैं। पोर्टफ़ोलियो का मूल्यांकन परीक्षा की योजना के अनुसार किया जाता है। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा बोर्डों द्वारा प्रमाण-पत्र के अलावा, एन.एस.डी.सी. और एस.एस.सी. द्वारा एक अलग से प्रमाण-पत्र भी दिया जाता है।

शिक्षार्थियों की तीव्र गतिशीलता

व्यावसायिक शिक्षा में तीव्र प्रगति को डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के रूप में प्रस्तुत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक निरंतर पहुँच के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह स्नातक कार्यक्रम किसी भी पेशे से संबंधित कौशल का विवेकपूर्ण मिश्रण प्रदान करता है। यह डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री के लिए निकास बिंदुओं के साथ सामान्य शिक्षा की उपयुक्त सामग्री भी प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम 40:60 के अनुपात में सामान्य शिक्षा घटक और कौशल शिक्षा घटक का एक उपयुक्त मिश्रण है। विद्यालय से एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी पॉलीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर सकता है, जिसमें बैचलर ऑफ वोकेशन (बी-वोक) और मास्टर्स इन वोकेशन (एम-वोक) शामिल हैं।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण

शिक्षुता एक उद्योग/संगठन और एक कौशल सीखने वाले इच्छुक व्यक्ति के बीच का अनुबंध है कि प्रशिक्षु (प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदाता या संभावित नियोक्ता से) सीखना चाहता है। प्रशिक्षु को उनके कार्यक्षेत्र में नवीनतम अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में सिखाया जाता है। यह स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कक्षा-कक्ष से काम तक के माहौल के लिए एक संक्रमण चरण के रूप में भी कार्य करता है। प्रशिक्षु, प्रशिक्षण के दौरान सरल कौशल, कार्य संस्कृति, नैतिकता और संगठनात्मक व्यवहार भी सीखते हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training, NATS) एक वर्ष का कार्यक्रम है जो तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षुओं के लिए 126 विषय-क्षेत्र हैं, जिसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षुओं को उनके कार्यस्थल पर संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षुणता की अवधि के दौरान, प्रशिक्षुओं को एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाता है जिसे रोज़गार पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत करवाकर अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर पूरे भारत में कहीं भी नौकरी करने के लिए योग्य माना जाता है। प्रशिक्षुओं को केंद्रीय, राज्य और निजी संगठनों में प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। इनके पास उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधाएँ होती हैं।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (संशोधन 1973, 1986 और 2014 में)	प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था (उद्योग का अर्थ किसी भी उद्योग या व्यवसाय से हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से कोई भी व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय क्षेत्र शामिल हो सकता है)। अधिनियम को 1973 और 1986 में संशोधित किया गया, जिसके तहत इसके दायरे में क्रमशः स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण शामिल था। वैकल्पिक व्यापार का अर्थ है कि इसे किसी भी व्यापार या व्यवसाय या इंजीनियरिंग, गैर-इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी विषय-क्षेत्र के रूप में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। प्रशिक्षुओं की चार श्रेणियाँ हैं— व्यापार प्रशिक्षु, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु। व्यापार प्रशिक्षुओं की योग्यताएँ कक्षा 6वीं से 12वीं पास (10 + 2) प्रणाली से भिन्न होती है। प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 4 वर्ष तक होती है।
प्रशिक्षुणता अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन	प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण योजना को चार प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण क्षेत्रीय बोर्ड (बी.ओ.ए.टी.) मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शिक्षा विभाग और ज़िला शिक्षा कार्यालय विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए बी.ओ.ए.टी.एस. के साथ संपर्क स्थापित करता है।

प्रशिक्षुणता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु	अधिनियम में प्रशिक्षु के रूप में संलग्न होने के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित है और बड़े उद्योगों से संबंधित नामित ट्रेडों में यह 18 वर्ष है।
प्रशिक्षुओं की संख्या	नामित व्यापार और वैकल्पिक व्यापार के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या केंद्र सरकार निर्धारित करती है।
बुनियादी प्रशिक्षण	इस अधिनियम में कहा गया है कि पूर्व में संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले व्यापार प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला में प्रवेश से पहले बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विधेयक में निर्दिष्ट किया गया है कि इस तरह के प्रशिक्षण में किसी भी संस्थान में पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

कुछ राज्यों द्वारा दिशानिर्देशों और आदेशों के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) की स्थापना की गई है। विद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना की उचित निगरानी और मूल्यांकन के लिए एम.एच.आर.डी. द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) बनायी गई है।

उत्तीर्ण व्यावसायिक की नियुक्ति

क्षेत्रीय कौशल परिषद् के सहयोग से राज्यों द्वारा नियोक्ताओं के साथ बातचीत के लिए विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करने तथा शिक्षा और रोज़गार के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रोज़गार मेले का आयोजन किया जाता है।

शैक्षिक ऋण

व्यावसायिक प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण में ट्यूशन/पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकों की खरीद, उपकरण और सामग्री और सुरक्षा जमा शामिल है। बैंक केंद्रीय अथवा राज्य शिक्षा बोर्डों या कॉलेजों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से संबद्ध डिप्लोमा एवं डिग्री का पाठ्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए धन उपलब्ध कराता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के पाठ्यक्रमों, पॉलिटेक्निक, प्रशिक्षण भागीदारों से जुड़े हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) और क्षेत्रीय कौशल परिषद् से संबद्ध अन्य प्रशिक्षण संगठनों, राज्य कौशल परिषद् जैसे संगठन से जारी किए गए प्रमाण-पत्र; डिप्लोमा; डिग्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। एन.एस.क्यू.एफ. के अंतर्गत आने वाले किसी संगठन से पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के रूप में होना चाहिए। सहायक के तौर पर या तीसरे पक्ष के रूप में किसी की गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी के साथ माता-पिता/अभिभावक ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करेंगे, क्योंकि उधारकर्ता

और पति/पत्नी को संयुक्त रूप से माता-पिता/अभिभावक के अलावा आवश्यकताओं के अनुरूप सह-आवेदक के रूप में शामिल किया जाएगा।

गतिविधि 1
भूमिका निभाना

विषय

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का महत्व

स्थिति

एक लड़की अपना जन्मदिन मनाती है। उस दिन कुछ गड़बड़ी के कारण पूरा बाज़ार बंद था। उसके एक दोस्त ने बेकरी में वोकेशनल कोर्स किया था। उसने स्वेच्छा से लड़की के लिए एक केक तैयार किया।

प्रक्रिया

- प्रत्येक समूह में तीन विद्यार्थियों के साथ समूह निर्माण।
- भूमिका निभाने के लिए पात्रों की पहचान।
- तीन लोगों से बातचीत का काम करें।
- यह चर्चा करें कि आपने इससे क्या सीखा।

स्व-आकलन

1. किन्हीं भी तीन ऐसी चुनौतियों का वर्णन करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वह व्यावसायिक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
2. किसी व्यावसायिक शिक्षक की पाँच प्रमुख भूमिकाएँ और कार्यों के बारे में लिखें।
3. संक्षेप में (50 शब्दों में) किन्हीं भी ऐसे तीन कौशलों का वर्णन करें जो एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को व्यावसायिक ज्ञान और कौशल प्रदान करते समय दिया जाना चाहिए।

परिभाषाएँ और संक्षिप्तियाँ

व्यावसायिक शिक्षा को 'सामान्य ज्ञान, संबंधित प्रौद्योगिकियों और विज्ञानों के अध्ययन, व्यावहारिक कौशल के अर्जन, जानकारी, आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों से संबंधित आचरण और समझ के अलावा शैक्षिक प्रक्रिया के सभी रूपों और स्तरों के रूप में वर्णित किया गया है।"

(यूनेस्को)

व्यावसायिक शिक्षा के दो आयाम हैं— (1) विद्यालयी शिक्षा के दस वर्षों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ बुनियादी तकनीकी कौशल के विकास का प्रावधान और (2) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सामान्य और विशेष तकनीकी कौशल के विकास के लिए प्रावधान तथा माध्यमिकोत्तर स्तर पर व्यक्ति के रोज़गार में वृद्धि के लिए 'काम की दुनिया' तैयार करना।

(यूनेस्को, 1985)

मॉड्यूल
3

संक्षिप्त रूप	
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.एस.डी.ई.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एन.सी.ई.आर.टी.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.	पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
एन.ओ.एस.	राष्ट्रीय व्यवसाय मानक
एस.एस.सी.	सेक्टर स्किल काउंसिल
ए.टी	अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग
एन.ए.टी.एस.	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
जी.ओ.आई.	भारत सरकार

संदर्भ

अज्ञात (Anonymous). 1937. *शैक्षिक पुनर्निर्माण — हिंदुस्तानी तालीमी संघ. सेवाग्राम*, वर्धा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 1988. *माध्यमिक शिक्षा की व्यवसायिकता पर केंद्र प्रायोजित योजना*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 1992 बी. *शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986* (1992 में संशोधित). भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 1993 बी. *निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की योजना*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 1975. *10 साल के स्कूल के लिए पाठ्यक्रम — एक रूपरेखा*. नयी दिल्ली.

———. 1976. *उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और इसका व्यावसायीकरण*. नयी दिल्ली.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय. 1966. *शिक्षा और राष्ट्रीय विकास — शिक्षा आयोग की एक रिपोर्ट* 1964 – 1966, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

वेबसाइट्स

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड — http://cbse.nic.in

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय — http://mhrd.gov.in/vocational-education- overview

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय — http://www.skilldevelopment.gov.in/

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना — http://mhrdnats.gov.in/

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् — http://ncert.nic.in/

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान — http://www.nuepa.org

राष्ट्रीय योग्यता पंजीयन — http://nqr.gov.in/

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम — https://www.nsdcindia.org/

पं. सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान — http://www.psscive.ac.in/

मॉड्यूल 4

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता

UN80MD04

विविधता को पहचानना

हमें ये मानना होगा कि कक्षा में बच्चों की रूपरेखा निर्धारण में कक्षा का सामाजिक-शैक्षणिक ढाँचा, बहु-वर्गीयता, बहु-जातीयता, बहु-धार्मिकता, जेंडर विभेद के साथ ही अक्षमता (विकलांगता) महत्वपूर्ण आयाम है। इसी कारण कक्षा ऐसे अधिगमकर्ताओं से मिलकर बनी है जो विविध प्रजातीय, नस्लीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं और जेंडर इन सभी श्रेणियों के विविध स्तरों में निहित है।

कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा, अपने परिवार या समुदाय से बिना कुछ सीखे प्रवेश नहीं करता, अपितु सभी जातीय/नस्लीय, सांस्कृतिक, भाषायी, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे, पूर्व निर्मित ज्ञान लेकर विद्यालय आते हैं, जिसमें उनके अपने पारिवारिक एवं सामुदायिक वातावरण से अर्जित गृह (मातृ) भाषा एवं सांस्कृतिक मूल्य सम्मिलित हैं।

स्रोत — रिपोर्ट ऑन इनक्लूसिव क्लासरूम, सोशल इनक्लूज़न/एक्सक्लूज़न एंड डाईवर्सिटी — पर्सपेक्टिव, पॉलिसीस एण्ड प्रैक्टिसेस, केयर, देशकल सोसाइटी एंड यूनीसेफ, देशकल पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.

मॉड्यूल के उद्देश्य

यह मॉड्यूल सहायक होगा —

- शिक्षकों एवं बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर पक्षपातपूर्ण (पूर्वाग्रह) रवैये (अभिवृत्ति) एवं व्यवहार की पहचान करने में;
- विभिन्न विषयों के संव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करने में;
- कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग और उन्हें ग्रहण करने में।

मॉड्यूल
4

विषयवस्तु संबंधी संक्षिप्त परिचय

यह मॉड्यूल जेंडर एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में एक दृष्टिकोण निर्मित करता है। यह इस बात की गहन जानकारी देता है कि जेंडर को अलग-अलग विषयों में कैसे समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। मॉड्यूल शिक्षकों को जेंडर संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ को गहन करने में सहायक होगा, साथ ही उन्हें जेंडर समेकित पद्धतियाँ विकसित करने पर व्यावहारिक रूप से उपयोगी दिशानिर्देश प्रदान करेगा। मॉड्यूल में शामिल गतिविधियों का उद्देश्य कक्षा में जेंडर अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। मॉड्यूल शिक्षकों को मार्ग प्रशस्तक एवं अधिगम को सुगम बनाने वाली भूमिका में पुनर्परिभाषित करता है। शिक्षकगण अपनी सकारात्मक सोच और शैक्षणिक हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों के समाज से अर्जित जेंडर के प्रति रूढ़िवादी नज़रिए को बदल सकते हैं।

अधिगम प्रतिफल

- बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझना;
- विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रसिद्धियों की पहचान और उनके योगदान की उदाहरण द्वारा प्रशंसा करना;
- जेंडर संबंधित मौजूदा रूढ़िवादी दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह पर सवाल और गंभीरतापूर्वक जाँच करना;
- जेंडर भेदभाव के विभिन्न तरीकों को पहचानना और इस तरह के भेदभाव की प्रकृति और स्रोतों को समझना;
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को पहचानना और उनकी सराहना करना;
- विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को उपयुक्त उदाहरणों से दर्शाना;

अधिगम प्रतिफल के लिए शिक्षण

समाज निर्माण (संरचना) एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और विस्तृत सामाजिक प्रक्रियाएँ अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। सामाजीकरण और शिक्षा जैसी सामाजिक प्रक्रियाएँ भी समाज निर्माण में सहायक होती हैं। जेंडर, इस प्रकार की सामाजिक निर्मिति का एक उदाहरण है। जहाँ यौन (सेक्स) शब्द स्त्री, पुरूष और अन्य यौनिकताओं के बीच के जैविक अंतर को बताता है, वहीं जेंडर, स्त्री, पुरूष एवं ट्रांसजेंडर के बीच समाज द्वारा निर्धारित एवं विशिष्ट संस्कृति भेद है। जेंडर संबंध और प्रकार्य गतिशील हैं और सामाजिक अंत:क्रियाओं के इतिहास से प्रभावित होते हैं। ये समय और स्थान के साथ-साथ विभिन्न लोगों के समूह के बीच अलग तरह से विकसित हो सकते हैं, साथ ही अन्य कारकों, जैसे—वर्ग, धर्म, जातीयता और अक्षमता से भी प्रभावित हो सकते हैं।

हमारी जेंडर पहचान निर्धारित करती है कि हम कैसे समझे जाते हैं और हमसे एक पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर व्यक्ति से कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ये जेंडर भूमिकाएँ उचित हैं या नहीं, यहीं से तर्क-वितर्क शुरू होता है। क्या यह तथ्य सही है कि हमारे यौन (सेक्स) के आधार पर हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है और यह हमें समानता तक पहुँचने से रोकता है या क्या हमारे साथ अलग तरीके से व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से भिन्न हैं?

गतिविधि

पुरुष या स्त्री के साथ निम्नलिखित विशेषताओं का संबंध बताइए—

विशेषताएँ	स्त्री	पुरूष
आश्रित		
शक्तिशाली		
सक्षम		
भावुक		
निर्णयकर्ता		
गृहस्थ		
मुखिया		
भयभीत और बहादुर		
प्रबल		
कायर		
गपशपवादी		

यह सूची संपूर्ण नहीं है। आप इसमें और अन्य उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। यह गतिविधि पुरुषों और स्त्रियों से जुड़ी रूढ़िवादी विशेषताओं को पहचानने में मदद करती है।

गतिविधि

मुद्रित और अमुद्रित दोनों माध्यमों में जिस तरह से पुरुषों और स्त्रियों को चित्रित किया गया है, उसका विश्लेषण करें। विज्ञापनों में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को पहचानें। उन उत्पादों की सूची बनाएँ जिन्हें पुरुष और स्त्रियाँ बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया चित्रण में पुरुष और स्त्रियाँ क्या काम कर रहे हैं? क्या मीडिया में महिलाओं और पुरुषों के रूढ़िवादी गुणों पर जोर दिया जा रहा है? कुछ ऐसे मीडिया चित्रण की भी चर्चा की जा सकती है जहाँ जेंडर रूढ़ियों को तोड़ते हुए दिखाया गया है।

शिक्षक की भूमिका

औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षक अपने स्वयं के सामाजीकरण के परिणामस्वरूप जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैये को विकसित करते हैं। इसलिए सभी शिक्षकों को कक्षा में प्रवेश करते समय स्वयं के पूर्वाग्रहों को त्याग देना चाहिए। विशेषत: वह बालिकाएँ जो हाशिए पर रहने

वाली हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाएँ, वह अक्सर अपने आप को अधिगम वातावरण से दूर पाती हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक की सामग्री एवं पूर्वाग्रह/रूढ़िवादिता को पहचानने में वे असमर्थ होती हैं। उदाहरण के लिए, स्त्रियों का निष्क्रिय भूमिकाओं एवं पुरूषों का प्रगतिशील भूमिकाओं में चित्रण, जिम्मेदारियों का चयनात्मक वितरण और गतिविधियों के आवंटन में भेदभाव, अपमानजनक भाषा का उपयोग, उनके प्रति शिक्षकों का भेदभावपूर्ण बर्ताव, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। यह उनमें अलगाव की भावना पैदा करता है जो कक्षा की गतिविधियों में उनकी भागीदारी के स्तर को प्रभावित करता है। यहाँ पर शिक्षकगण एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। सीखने की स्थितियों को शिक्षार्थियों के निकटवर्ती वातावरण से निकाला एवं जोड़ा जा सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लड़कियाँ भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। शिक्षकों को पहले सभी विद्यालयी गतिविधियों में जेंडर भेदभाव की पहचान करनी चाहिए और फिर तदनुसार कक्षा में और कक्षा से बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और कार्यान्वयन करना चाहिए। इस तरह के एक प्रयास से कक्षा में एक सक्षम वातावरण तैयार होने की संभावना है। जहाँ लड़कियों सहित सभी विद्यार्थी अपने अनुभव, प्रश्न, मौजूदा पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को साझा कर सकते हैं और चर्चा एवं बहस के आधार पर उपयुक्त समाधान निकाल सकते हैं।

स्कूल में पढ़ाए जाने वाले एक पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक और उचित ज्ञान सम्मिलित होते हैं। हालाँकि, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो अनौपचारिक रूप से एक स्कूल प्रणाली में सिखाए जाते हैं जिसे 'गुप्त (हिडन) पाठ्यक्रम' कहा जाता है। इसमें व्यवहार, दृष्टिकोण और आचरण शामिल हैं जिसे विद्यार्थी विद्यालयी प्रक्रिया के दौरान अर्जित करते हैं। शिक्षकों को यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक गुप्त पाठ्यक्रम वह है जो विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरणार्थ, साथियों, शिक्षकों या अन्य वयस्कों के साथ विद्यार्थियों की बातचीत, विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर लोगों को समझने के अनुभव इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसमें वह अधिगम शामिल है जो अनायास ही कक्षा के भीतर और बाहर संपादित होता है। इसमें उन विचारों और व्यवहारों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें विद्यार्थी स्वीकार्य या अस्वीकार्य मानते हैं। इस तरह के विचार और व्यवहार आमतौर पर औपचारिक व्यवस्था के भीतर अनजाने में होते हैं और यह माना जाता है कि उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है।

जेंडर, नि:संदेह इस 'गुप्त (हिडन) पाठ्यक्रम' का हिस्सा बन जाता है और यह संगठनात्मक व्यवस्था के माध्यम से हस्तांतरित होता है जिसमें कि जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर बैठने के स्थानों का विभाजन, लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग कार्य सौंपना, दिनचर्या, अनुष्ठान और रोज़मर्रा की स्कूल गतिविधियों में अभ्यास, पुरस्कार और दंड की व्यवस्थाएँ, अलग-अलग तरीकों से लड़कों को अनुशासित करना, शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न, शिक्षक-विद्यार्थी और विद्यार्थियों की परस्पर क्रिया आदि शामिल हैं। यहाँ तक कि स्कूल में बालकों और बालिकाओं के खेलने के स्थान और उनके औपचारिक खेल भी अलग-अलग होते हैं।

क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्कूल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को हमेशा केवल लड़कियाँ/स्त्रियाँ ही गुलदस्ते क्यों देती हैं?

विषयों के आदान-प्रदान में जेंडर मुद्दों का समेकन

यह सर्वविदित तथ्य है कि जेंडर सभी विषयों में सन्निहित मुद्दा है और ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल आधार है। विभिन्न विषयों में लड़कियों और महिलाओं की अदृश्यता एवं कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने की आवश्यकता है। ज्ञान जो सभी विषयों में दिया जाता है और जिस भाषा के माध्यम से दिया गया है, उससे जेंडर की असमानता स्वाभाविक लगती है। इन असमानताओं के निवारण के लिए आलोचनात्मक तरीके से चुनौती दें, क्योंकि ऐसे ज्ञान का खंडन करना आवश्यक है।

भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन

भाषा सभी विषयों में आवश्यक है और ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल तत्व है, परिणामस्वरूप इसका जेंडर संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अतः विद्यार्थियों को भाषा के कार्यों के तरीके के प्रति संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है कि कैसे सहजता से यह सामर्थ्य भेद उत्पन्न करती है। भाषा केवल उसको उजागर नहीं करती है जो पहले से मौजूद है, बल्कि, इसके प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी आकार देती है। लिहाजा, इस भाषा का अलग तरह से उपयोग करके वास्तव में दशाओं और स्थितियों को बदला जा सकता है।

भाषा, चित्र और अन्य दृश्य उपकरण के साथ इस तरह के ज्ञान के निर्माण में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है और हमें ज्ञान के इस पहलू पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षक जेंडर निष्पक्ष भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम भाषा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि, बड़ी संख्या में ऐसे तत्व, जैसे शब्द और भाव भाषा में होते है, जो जेंडर की रूढ़ियों को बनाए रखते हैं। इसलिए कक्षा में एक जेंडर निष्पक्ष (तटस्थ) भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। हम 'आदमी' शब्द का उदाहरण लेते हैं। 'आदमी' एक सामान्य शब्द नहीं है। हमें 'आदमी' शब्द के विकल्पों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कुछ विकल्प हैं— 'मानव', 'इंसान' या 'इंसानियत'।

हमारी भाषा जेंडर समावेशी तथा जेंडर निष्पक्ष दोनों ही होनी चाहिए। भाषा में जेंडरवाद की एक सामान्य अभिव्यक्ति पुल्लिंगवाचक संज्ञाओं, जैसे—आदमी (Man), सिपाही (Police man) और पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे—उसे (Him), वह (He) का सामान्य उपयोग है। जब किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है, तब उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। सर्वनाम के अलावा, हमें जेंडर तटस्थ कोशीय शब्दों के उपयोग के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। इस प्रकार हम जेंडर (निष्पक्षता) तटस्थता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य पुरुषवाची समास, जैसे—अध्यक्ष (Chairman), वक्ता (Spokeman), विक्रेता (Salesman), अधिकर्मी (Foreman) के उपयोग को रोकना और चिह्नित पदों, जैसे—महिला चिकित्सक, महिला शिक्षक और समरूपी पदों, जैसे—महिला

और पुरुष पत्रकार, कैमरामैन/कैमरावुमन का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह श्री, श्रीमती, कुमारी जैसे सम्मानसूचक शब्द, श्री और सुश्री में बदल दिए गए जिससे कि जेंडर भूमिकाओं पर ध्यान आकर्षित न हो।

गतिविधि

नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। नीचे दिए गए स्थान में उनके जेंडर को तटस्थतापूर्वक लिखें—

- Stewardess ____________________
- Policeman ____________________
- Mailman ____________________
- Chairman ____________________
- Spokesman ____________________
- Anchor man ____________________
- Poetess ____________________
- Actress ____________________
- Man, Mankind ____________________
- Manpower ____________________
- Wife or Husband ____________________
- Mothering ____________________
- Foreman ____________________
- Salesmanship ____________________
- Housewife ____________________

चर्चा—

अनेक स्थितियों में शिक्षक/शिक्षिकाओं की भाषा/शैली 'पुरुषत्व' और 'नारीत्व' की पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्स्थापित ही करती है। भाषा का विचारों और व्यक्तिगत पहचान से गहरा संबंध है। शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा बोली जा रही भाषा कुछ इस प्रकार की सीमाएँ तय कर देती है कि लड़कियों और लड़कों में जेंडर भेद स्वयं आकार ले लेता है। नीचे दी गई स्थिति आम भारतीय समाज से ली गई है। जेंडर संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में ये किस प्रकार से और क्यों असामान्य और अटपटी है, इस पर चर्चा करें।

स्थिति—

एक परिवार के जुड़वा भाई-बहन, दसवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में एकसमान विशेष योग्यता वाले अंक लाए हैं। वे इस समय ग्यारहवीं कक्षा के भौतिकी की अध्यापिका के पास बैठे, ग्यारहवीं कक्षा में विषयों के चयन पर बातचीत कर रहे हैं—

बहन—मैम आपको तो पता है न, मुझे भौतिकी कितनी पसंद है।

भाई — हाँ मैम, कादम्बरी तो घर में छोटे-मोटे प्रयोग करती रहती है। बल्ब फ्यूज़ हो तो यही ठीक करेगी। इसे फ़िज़िक्स ही दीजिए और मुझे तो वोकेशनल स्ट्रीम में ड्रेस डिजाइनिंग में जाने दें।
शिक्षिका — कौस्तुभ, ये क्या कर रहे हो! मैरिट में आकर वोकेशलन स्ट्रीम और वो भी ड्रेस डिजाइनिंग। तुम फ़िज़िक्स में आओ और कादम्बरी को बायो लेने दो। उसमें रटकर काम चल जाता है। लड़कियाँ अच्छे से रट लेती हैं।
भाई-बहन — मैम, आप तो खुद महिला हैं और फ़िज़िक्स की टीचर भी, आपने ...
शिक्षिका — बस जैसे-तैसे कर ली। मैडम क्यूरी तो नहीं बन गई न!

रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तक *मैरीगोल्ड* (कक्षा 5) के उदाहरण

उदाहरण-1

अध्याय 'व्हू विल बी निंगथौ' में मणिपुर के एक राजा और रानी के बारे में एक कहानी है जिसके तीन बेटे और एक बेटी हैं। तीन बेटे होने के बावजूद वे अपनी बेटी को अगले वारिस के रूप में चुनते हैं और सबसे बड़े बेटे को राजा घोषित करने के पुराने रिवाज को चुनौती देते हैं।

चर्चा के बिंदु

- समाज में प्रचलित अन्य पितृसत्तात्मक मानदंड क्या हैं जो लड़कियों की स्थिति को प्रभावित करते हैं?
- क्या भौतिक गुण एक अच्छा शासक होने के लिए पर्याप्त हैं?
- क्या लड़कियाँ/महिलाएँ शक्ति और अधिकार से युक्त पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं?
- शक्तिशाली एवं निर्णय लेने की भूमिकाओं में स्थानीय स्त्रियों के उदाहरणों से अवगत कराएँ।

उदाहरण-2

आइए, *मैरीगोल्ड* (कक्षा 5, पृष्ठ 165) पर बात करते हैं

निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें —

एक दिन मीना एक आम तोड़ती है और उसे घर ले आती है। उसकी दादी राजू को बड़ा टुकड़ा देती है, क्योंकि वह एक लड़का है। मीना ने इसका विरोध किया। आखिरकार वह आम लायी थी और वह दोनों में बड़ी है। वह जोर देकर कहती है कि बड़े होने के नाते उसके हिस्से पर उसका अधिक अधिकार है। उसके पिता उसकी मदद के लिए आते हैं। वे आम को समान रूप से विभाजित करते हैं। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दें — (i) आम घर कौन लाया? (ii) मीना की दादी ने राजू को बड़ा टुकड़ा क्यों दिया? (iii) आपको क्या लगता है कि बड़ा टुकड़ा किसे मिलना चाहिए था?

चर्चा के बिंदु

- क्या आपने संसाधनों और एकांत (शारीरिक गतिशीलता, समय पर प्रतिबंध या किसी अन्य) को साझा करते हुए अपने परिवार में लड़कों और लड़कियों के प्रति कोई भेदभाव देखा है?
- क्या समाज के पुरुष सदस्यों का रूढ़ियों को तोड़ने में सक्रिय रूप से शामिल होना महत्वपूर्ण है?

सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन

सामाजिक विज्ञान, प्राथमिक स्तर से शुरू होने वाली स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में स्कूल पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक मानवीय व्यवहार का पता लगाने का प्रयास करता है जो परिवारों, समुदायों, संस्कृतियों, संस्थानों, पर्यावरण, समाज, विचार, मानदंड और मूल्यों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करना है— (क) जेंडर, धर्म, क्षेत्र, वर्ग और विकलांगता के संदर्भ में विविधता को स्वीकारना और उसका सम्मान करना तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना (ख) लोकतंत्र और निरंकुशता, सत्ता और शासन, जाति, नस्ल और गोत्र, जेंडर और पितृसत्ता, रूढ़ियों और पूर्वाग्रह आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श करना (ग) सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों/मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं, उसकी गंभीरतापूर्वक जाँच करना (घ) प्राप्त विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर प्रश्न और जाँच करना।

'जोड़ और हलचल दृष्टिकोण' कुछ प्रसिद्ध महिलाएँ जिन्होंने सत्ता का उपयोग किया, या जमीनों पर काम किया या कुछ महिलाएँ जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, उनको शामिल करना, कई बार केवल उस स्थिति को मज़बूत करने का ही काम करता है कि महिलाओं ने बहुत कम काम किया है। यह कुछ हद तक इसलिए है क्योंकि पाठ्य-कथा ने पुरुषों की भूमिका को प्रमुखता दी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को काफी हद तक हाशिए पर रखा गया है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों ने विभिन्न विषयों की चर्चा में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखा है।

सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू, गतिविधियों के माध्यम से अधिगम प्रक्रियाओं में प्रासंगिक और उपयुक्त स्थानीय सामग्री का समेकन है। अपरिचित शैक्षिक शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम सामग्री विद्यार्थियों के बीच अलगाव की भावना पैदा कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी कक्षा की गतिविधियों और चर्चाओं में भागीदारी में कमी हो सकती है। इसलिए सामग्री के प्रासंगिककरण और नवाचार शिक्षण-अधिगम सामग्री के साथ उचित निर्देशात्मक पद्धतियाँ, विद्यार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तकों से संबंध स्थापित करने, अपने अनुभवों को साझा करने और ऐसी स्थिति की पहचान करने में सक्षम बनाएँगी, जहाँ पर तर्कपूर्ण सवाल उठाए जा सकते हैं। विशेष रूप से, हाशिए पर खड़ी लड़कियों और

शिक्षार्थियों हेतु कक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर चर्चा, रूढ़िवादिता पर सवाल और सूचित विकल्प चुनने जैसी चर्चाओं के लिए लोकतांत्रिक स्थान होना चाहिए।

प्रचलित विचार, व्यवस्था (संस्था) और व्यवहारों पर प्रश्न एवं जाँच-पड़ताल

सामाजिक रूप से निर्मित मानदंडों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाना सीखना सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह बच्चों को अपने स्वयं के अनुभवों का सामना (विरोध) करने में सक्षम बनाएगा जो कि एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानसिकता की नींव रखेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षकगण इस तरह से इन बिंदुओं पर चर्चा करें, जिससे बच्चे सोचना शुरू करें और मौजूदा संस्थाओं, प्रथाओं, विचारों और व्यवहारों और उनके अतीत से जुड़ी कड़ियों पर सवाल कर पाएँ। हम जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में किस तरह से विभिन्न स्तरों, जाति, वर्ग और जेंडर के आधार पर भेदभाव हो रहा है और महिलाएँ इस तरह के मानदंडों के प्रचलन पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटी हैं।

बेगम रुकैया सखावत हुसैन, एक जानी-मानी शिक्षाविद् और साहित्यकार थीं। इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। वह रूढ़िवादी विचारों की एक निडर आलोचक थीं। इन्होंने तर्क दिया कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं द्वारा महिलाओं को नीचा स्थान दिया गया है। इन्होंने 1905 में 'सुल्ताना का सपना' शीर्षक से एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसमें सुल्ताना एक स्त्री-देश (लेडीलैंड) में पहुँच जाती है। यह स्त्री-देश (लेडीलैंड) एक ऐसी जगह है जहाँ महिलाओं को अध्ययन, काम और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी, जैसे कि बादलों से बारिश को नियंत्रित करना और हवाई कारों को उड़ाना आदि।

सामाजिक और राजनीतिक जीवन, कक्षा 7

लक्ष्मी लकड़ा, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर हैं। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली लक्ष्मी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने रेलवे बोर्ड की परीक्षा दी और अपने पहले प्रयास में इसे पास कर लिया। लक्ष्मी कहती हैं, मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं और जिस पल कोई कहता है कि यह लड़कियों के लिए नहीं है, मैं ठान लेती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँगी और इसे करूँगी।

सामाजिक और राजनीतिक जीवन, कक्षा 7

गतिविधि

1. बोर्ड पर निम्नलिखित को लिखें और बच्चों को प्रत्येक कथन पढ़ने के लिए कहें—
   - लड़कियों का शीघ्र विवाह
   - पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी हैं
   - पुरुष देखभाल करने वाले/पोषण करने वाले
   - अस्पृश्यता का चलन
   - दहेज प्रथा
   - बेटियों पर बेटों को वरीयता
   - मासिक धर्म की वर्जना
   - लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध
   - विधवाओं की पृथकता
   - लड़कियाँ परिवार की अस्थायी सदस्य हैं
2. विद्यार्थियों को ऊपर दिए गए कथनों में से एक-एक कथन चुनकर उसे उचित बॉक्स में रखने के लिए कहें—

प्रथाएँ/परंपराएँ/ मानदंड जो अभी भी प्रचलित हैं	प्रथाएँ/परंपराएँ/मानदंड जो अब प्रचलित नहीं हैं।	प्रथाएँ/परंपराएँ/मानदंड जिन्हें मैं बदलना चाहूँगा/चाहूँगी

यह गतिविधि कुछ सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं/परंपराओं और मानदंडों के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता का पता लगाने में शिक्षकों की मदद करेगी, जिसका वे अपने वास्तविक जीवन में सामना करते हैं। यह बालकों और बालिकाओं दोनों के बीच एक चर्चा उत्पन्न कर सकती है कि क्यों कुछ व्यवस्थाओं/विचारों और प्रथाओं में बदलाव की आवश्यकता है।

आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी

एन.सी.ई.आर.टी. की इतिहास की पाठ्यपुस्तक *हमारा अतीत*-3, अध्याय 4 – 'आदिवासी, दिकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना'

आर्थिक गतिविधियों में आदिवासी महिलाओं की भूमिका—शिक्षार्थियों के पर्यावरण से अधिगम स्थितियों का समेकन

'आदिवासी, दिकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना' अध्याय आदिवासी समाजों पर और औपनिवेशिक शासन से कैसे उनका जीवन प्रभावित हुआ, इस पर केंद्रित है। कभी-कभी युवा शिक्षार्थियों के लिए उन घटनाओं से तादात्म्य स्थापित करना मुश्किल हो जाता है जो सैकड़ों साल पहले घटित हुई हैं। इसलिए अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय

तक एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर हमारी पाठ्यपुस्तक वर्णन में अनदेखा किया गया है। पाठ्यपुस्तक के अलावा इंटरनेट का उपयोग और अन्य संसाधनों, जैसे—समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं और ऑडियो-विजुअल सामग्री का उपयोग, शिक्षण के दौरान इन दृष्टिकोणों को समेकित करने में शिक्षक के सहायक होंगे।

वर्णनात्मक कहानियों के साथ, स्रोत बॉक्स और दृश्य, छवियाँ, स्पष्ट तौर पर आदिवासी महिलाओं के जीवन निर्वाह क्रियाकलापों में अहम भूमिका को दर्शाती हैं।

उड़ीसा की डोंगरिया कंधा आदिवासी महिलाएँ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को करती हुई

वर्तमान में—आदिवासी महिलाएँ जैविक कृषि उत्पादन का नेतृत्व करते हुए

बुडझारन गाँव, सुंदरगढ़ में कल्याणी मिंज का सब्जी का खेत

उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले की आदिवासी महिलाएँ जैविक खेती के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती हैं। ज़िले के हज़ारों हेक्टेयर खेतों में कभी भी किसी कृत्रिम या अकार्बनिक उर्वरक का सेवन नहीं किया गया। ब्राह्मणारा गाँव की एक मेहनती किसान 'निर्मला बारला' कहती हैं कि "हम सब कुछ जैविक उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि बीज हमारे अपने खेतों में उत्पादित देशी किस्मों के हैं।" वे जैविक कीटनाशकों के रूप में नीम की पत्तियों, महुआ-रस, लहसुन, गोबर और गोमूत्र का उपयोग करते हैं।

छवि स्रोत—*https://www.lifegate.com/people/lifestyle/tribal-women-organic-agriculture-sindia*

गतिविधि — छह विद्यार्थियों का समूह

आदिवासी समुदायों की आर्थिक गतिविधियों में आदिवासी महिलाओं की भूमिका पर चित्र प्रदर्शनी

इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी आर्थिक गतिविधियों में आदिवासी महिलाओं की भूमिका के बारे में अपनी समझ का प्रदर्शन कर सकते हैं और यह भी कि यह पिछले कुछ वर्षों में कैसे विकसित हुआ है। शिक्षक निम्नलिखित चरणों के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं —

चरण 1

छह विद्यार्थियों के एक समूह को एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय को आवंटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी क्षेत्र के भील, उत्तर-पूर्व के खासी, मध्य भारत के गोंड, उत्तरी क्षेत्र के गद्दी आदि।

चरण 2

विद्यार्थियों द्वारा सामग्री का संग्रह करना। ये सामग्रियाँ (क) तस्वीरें, (ख) दृष्टांत, (ग) पोस्टर, (घ) पर्चे, (च) समाचार क्लिपिंग, और (छ) कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों पर लोकगीत इत्यादि हो सकते हैं।

चरण 3

पोस्टर बनाना (क) एक नक्शे के माध्यम से आदिवासी समूह का स्थान वर्णन (ख) पोस्टर, दृश्य एवं पाठ्यवस्तु के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए (ग) आदिवासी समुदाय की आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन एवं निरंतरता को दर्शाना।

चरण 4

पूर्ण होने के बाद चर्चा एवं कक्षा में पोस्टर प्रदर्शित किए जा सकते हैं और बाद में शिक्षकगण के नेतृत्व में चर्चा की जा सकती है।

चर्चा के बिंदु

- क्या देश में विभिन्न आदिवासी समूहों में महिलाओं द्वारा की गई गतिविधियों में कोई समानता है?
- क्या आदिवासी समूह के सदस्यों द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों में जेंडर भेद है?
- इतने वर्षों में आदिवासी महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कैसे विकसित हुई है?
- विकास ने आर्थिक प्रक्रियाओं में आदिवासी महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित किया है?

गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन

प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है लेकिन कई विद्यार्थियों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए अभी भी यह ज्ञान का एक दुर्गम क्षेत्र बना हुआ है। हमें थोड़ा कम पुरुषवाची गणित के बारे में सोचना चाहिए। यह एक सामान्य मिथक है कि गणित विषय लड़कियों के लिए नहीं बना है, इसलिए इसके शिक्षण में जेंडर भेद और रूढ़िवादिता की गुंजाइश नहीं है। इस मिथक को हमारे पाठ्यक्रम और शिक्षण के माध्यम से समाप्त करना महत्वपूर्ण है। गणित के माध्यम से यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि घर के काम भी उतने महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं और गणित के सवालों के माध्यम से दर्शाना चाहिए कि ये काम घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी हैं और उन्हें इसका वहन करना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में काम की गरिमा को समय, श्रम और ऊर्जा की खपत की गणना के अभ्यास के माध्यम से परिलक्षित किया जाना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं/बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी को बढ़ाने को महिला प्रबंधक, व्यापारी, उद्यमी, पायलट, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि के उदाहरण देकर पुनर्बलित करें। प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार है, इसे गणितीय दृष्टांतों के माध्यम से दिखाया जा सकता है।

गतिविधि 1

2011 की जनगणना से राज्य और भारत की जनसंख्या का डेटा प्रदान करें। बच्चों को इस डेटा का अध्ययन और तुलना करने के लिए कहें। अब वे विश्लेषण करें कि राज्यों और भारत में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से कम क्यों है। इस गतिविधि को कराने का उद्देश्य घटते लिंगानुपात के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना है।

गतिविधि 2

जैसा समाचार सूचना में देखा जा सकता है कि विद्यार्थी गूढ़ गणितीय गणनाओं से इतर है, और उसने महिलाओं के कम वेतन मिलने पर अपना निष्कर्ष दिया है। शिक्षक द्वारा इस तरह की प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

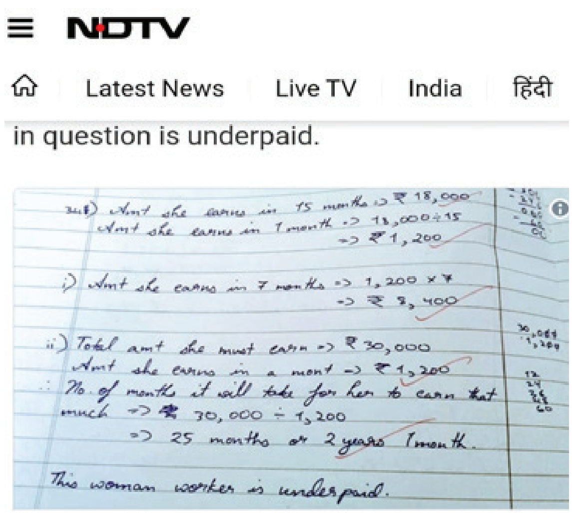

प्राथमिक स्तर पर रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों में जादुई-गणित के कई उदाहरण हैं। जिनमें महिलाओं को एक उत्पादक और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में चित्रित किया गया है, जैसे—कि उद्यमी, किसान, संपत्ति की मालकिन आदि। खाना पकाने जैसे घरेलू कामों में पुरुष-पात्रों को दिखाया गया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े हुए चित्रित किया गया है जो कि सत्ता-संबंधों पर सवाल करता है।

विज्ञान शिक्षण में जेंडर समेकन

इतिहास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की सीमित पहुँच थी। उन्हें बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से

लगभग बाहर रखा गया था। उनको हमेशा बच्चों के पालन-पोषण और घर की देखभाल से जोड़ा गया है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का योगदान भी दस्तावेज़ीकरण की कमी के कारण "इतिहास से छिपा हुआ" है। प्रौद्योगिकी के संबंध में यह आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएँ काफी पुराने ज़माने से अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के बावजूद गैर-तकनीकी होती हैं। विज्ञान की छवि को मर्दाना माना जाता है और विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के कारण लड़कियों और महिलाओं को इसमें प्रवेश करने में संकोच होता है, खासकर यदि वे तकनीकी से संबंधित हो।

विज्ञान वर्ग, जाति, जेंडर और धर्म के आधार पर पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद करते हुए तर्कसंगत सोच को विकसित करता है। विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है कि शारीरिक रूप से अंतर किसी की श्रेष्ठता या हीनता को नहीं दर्शाता है। शारीरिक विशेषताओं के कारण लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी शरीर संरचना, कार्य और आवश्यकताएँ भी समान हैं। सभी यौनों (Sexes) की आंतरिक क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए, न कि एक-दूसरे की तुलना की जानी चाहिए कि कौन कितना बेहतर है। भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और सीखने के अनुभव प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षित करने और इसके उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी रेखांकित किया जाना चाहिए।

गतिविधि

अपने क्षेत्र या राज्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की 2 सफल कहानियों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। उनसे सफलता की ऐसी कोई भी कहानी साझा करने को कहें जो उनके जीवन में आयी हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली महिलाओं ने किस-किस प्रकार के भेदभाव अनुभव किए?

5वीं कक्षा की रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्य-पुस्तक *आस-पास* में अलवर की 'डार्की माई' जैसी महिलाओं के उदाहरण शामिल हैं। इन्होंने 'तरुण भारत संघ' जैसे संगठनों की मदद से एक झील का निर्माण करके अपने गाँव में पानी की समस्या को हल करने में मदद की। एक अन्य उदाहरण झारखंड के आदिवासी समुदाय की एक महिला सूर्यमणि का है। इनके द्वारा अपने राज्य के जंगलों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

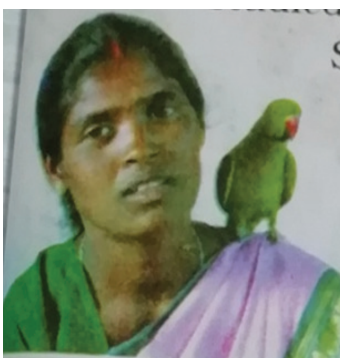

निष्कर्ष

सूर्यमणि की यात्रा

इस प्रकार, यह मॉड्यूल पाठ्यपुस्तकों और शिक्षणशास्त्र के माध्यम से जेंडर मुद्दों को समझने और जेंडर विभेदों को दूर करने में मदद करेगा। यह शिक्षकों को पाठ्य-सामग्री और पाठ्यक्रम शिक्षण में जेंडर पूर्वाग्रह के कारकों को पहचानने में सक्षम बनाएगा। साथ ही, पुरुष और महिला पात्रों को सामग्री या भूमिका आवंटन के संबंध में पूर्वाग्रहों की पहचान करेगा। भाषायी

पूर्वाग्रह का पता लगाएगा। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की पहचान करवाएगा। पठनीय और अपठनीय सामग्री में महिलाओं के चित्रण की जाँच करेगा। इस प्रकार जेंडर संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक मुद्दा है, जिसे शिक्षकों को अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में समेकित करना चाहिए। इसलिए यह मॉड्यूल जेंडर संवेदनशील शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है जो सभी जेंडरों की भूमिकाओं, जिसे वे अपने परिवारों, समुदायों और बड़े पैमाने पर राष्ट्र हेतु संपादित करते हैं, के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है।

मूल्यांकन

जेंडर रूढ़िवादिता क्या है?

अब जब आप जेंडर मुद्दों के बारे में जानते हैं, तब कक्षा में इन मुद्दों को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे?

1. आप किस तरह की शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करेंगे जो बालकों और बालिकाओं की भागीदारी को समान रूप से प्रोत्साहित करे?
2. आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें कितनी जेंडर संवेदनशील हैं?
3. क्या आप भाषा के उपयोग में जेंडर पूर्वाग्रह/रूढ़ियों की पहचान कर सकते हैं?
4. आप बालक और बालिकाओं, दोनों के विज्ञान सीखने को बढ़ावा देने हेतु क्या गतिविधियाँ सुझाएँगे?
5. गणितीय समस्याओं और अभ्यासों को पहचानें जो महिलाओं के जीवन और अनुभवों की वास्तविकता को दर्शाते हैं और उनके योगदान को भी उजागर करते हैं।

संदर्भ

रा.शै.अ.प्र.प. 1997. *पाठ्यचर्या के माध्यम से महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण—उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए एक पुस्तिका.*

———. 2006. शिक्षा के लैंगिक मुद्दों पर राष्ट्रीय फोकस समूह

———. 2013. *लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री,* खंड- I, जेंडर और समाज पर परिप्रेक्ष्य

———. 2013. *लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री,* खंड- II, जेंडर और स्कूलिंग सोसाइटी

———. 2013. *लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री,* खंड- III, जेंडर और महिला सशक्तिकरण

———. 2018. *आस-पास* (कक्षा 3–5)

———. 2018. *गणित का जादू* (कक्षा 3–5)

———. 2018. *मैरीगोल्ड* (कक्षा 3–5)

———. 2018. *आई.टी.पी.डी. पैकेज और सामाजिक विज्ञान* (माध्यमिक स्तर)

———. 2018. *हमारे अतीत* 3, इतिहास की पाठ्यपुस्तक (कक्षा 8)

———. 2018. *सामाजिक और राजनीतिक जीवन* 2. पाठ्यपुस्तक (कक्षा 8)

वेब लिंक

https://www.youtube.com/watch?v=aOLYIzJnKT4

https://www.youtube.com/watch?v=DvBksrnS1RY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=wjReU80Nx9U

https://www.youtube.com/watch?v=jV3wH0hPVRk&t=558s

https://www.youtube.com/watch?v=daaSNSV7WP4

https://www.youtube.com/watch?v=VC9YN3O0mGc

विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें

शिक्षा, मानव संसाधन विकास का मूल है जो देश की सामाजिक-आर्थिक बनावट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाती है। बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्राप्त करने के लिए एवं अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का चहुँमुखी विकास ज़रूरी है। शिक्षा की एक मज़बूत नींव के निर्माण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस मिशन के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) दो विभागों के माध्यम से काम करता है—

UN80MD05

- विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (डी.ओ.एस.ई.एल.)
- उच्च शिक्षा विभाग

जहाँ विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में विद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए ज़िम्मेदार है, वहीं उच्च शिक्षा विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था में से एक की देखभाल करता है। एम.एच.आर.डी. अपने संगठनों, जैसे—एन.सी.ई.आर.टी, एन.आई.ई.पी.ए., एन.आई.ओ.एस., एन.सी.टी.ई. आदि के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालाँकि एम.एच.आर.डी. का दायरा बहुत व्यापक है, यह मॉड्यूल डी.ओ.एस.ई.एल. द्वारा सार्वभौमिक शिक्षा और इसकी गुणवत्ता में सुधार की दिशा में हाल में किए गए प्रयासों पर केंद्रित है।

मॉड्यूल के उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अध्ययन से शिक्षार्थी—

- डी.ओ.एस.ई.एल. द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु किए गए हाल के प्रयासों जैसे—पी.जी.आई., यू.डी.ई.एस.ई.+ आदि के बारे में जागरूकता प्राप्त कर स्कूल में क्रियान्वित कर पाएँगे।
- विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'समग्र शिक्षा' के अंतर्गत उद्देश्यों और प्रावधानों को समझेंगे।
- स्कूलों में सीखने-पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के संदर्भ में पुस्तकालय की पुस्तकों के उपयोग और खेल, रसोईघर से जुड़ी बागवानी (किचन गार्डेन; पोषण उद्यान), युवा और पारिस्थितिकी क्लब आदि प्रयासों के माध्यम से बच्चों को आनंदमय एवं अनुभवजन्य अधिगम के अवसर प्रदान करेंगे।

भूमिका

1976 से पहले तक शिक्षा राज्यों की विशेष ज़िम्मेदारी थी। 1976 का संवैधानिक संशोधन, जिससे शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुई, एक महत्वपूर्ण दूरगामी कदम था। वित्तीय, प्रशासनिक और मूलभूत बदलावों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच ज़िम्मेदारी के

नए बँटवारे की आवश्यकता थी। हालाँकि इससे शिक्षा में राज्यों की भूमिका और ज़िम्मेदारी काफी हद तक अपरिवर्तित रही है, पर इसके बावजूद केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत चरित्र को मज़बूत करने, सभी स्तरों पर शिक्षण के पेशे सहित अन्य समस्त आयामों में गुणवत्ता और मानक बनाए रखने और देश की शैक्षिक ज़रूरतों के अध्ययन और निगरानी की एक बड़ी ज़िम्मेदारी स्वीकार की। देश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यू.ई.ई.) की प्राप्ति के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरुआत की, जिन्हें आम तौर पर केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) कहा जाता है। सी.एस.एस. वे योजनाएँ हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) की सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन इनका वित्तपोषण मुख्यतया केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी भी निर्धारित होती है।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए देश की मानव संसाधन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने तथा समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती है। इसके सर्वमान्य उद्देश्य हैं—गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा के साथ-साथ पहुँच बढ़ाना; वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के समावेश के माध्यम से साम्यता को बढ़ावा देना; और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

हाल ही में एम.एच.आर.डी. ने प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स (पी.जी.आई), यू.डी.आई.एस.ई.+, विद्यालय ऑडिट (शगुनोत्सव) और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) जैसे कई नये प्रयास किए हैं, ताकि 'समग्र शिक्षा' के अंतर्गत अधिगम प्रतिफलों में सुधार हेतु, प्रशासनिक/शासन के मुद्दों और शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित, विद्यालयी शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इन पहलों की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, सभी स्तरों पर समन्वय और राष्ट्रीय स्तर से विद्यालय स्तर तक संस्थानों के बीच मज़बूत संबंध पर निर्भर करती है।

समग्र शिक्षा—विद्यालयी शिक्षा के लिए समेकित योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018–19 में 'समग्र शिक्षा' का शुभारंभ किया। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम है, जिसका विस्तार विद्यालय-पूर्व से लेकर बारहवीं कक्षा तक है और इसका उद्देश्य है कि विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता, जिसे समरूप अधिगम प्रतिफलों एवं विद्यालय प्रवेश के समान अवसरों के रूप में मापा जाता है, का संवर्धन किया जा सके। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) और शिक्षक शिक्षा (टी.ई.) की तीन पूर्ववर्ती योजनाएँ समाहित हैं। परियोजना उद्देश्यों से शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था स्तर पर प्रदर्शन में सुधार के लिए विद्यालयी परिणामों के आधार पर यह योजना राज्यों के उत्साहवर्धन जैसे बदलावों को चिह्नित करती है।

इस योजना में 'विद्यालय' की परिकल्पना विद्यालय-पूर्व, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में की गयी है। योजना की

विद्यालयी बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से एक सर्वोत्कृष्ट (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

समग्र शिक्षा
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

दूरदृष्टि में शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के अनुसार विद्यालय-पूर्व से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।

एस.डी.जी. लक्ष्य 4.1 में कहा गया है कि "सुनिश्चित करें कि 2030 तक सभी लड़के और लड़कियाँ, संगत एवं प्रभावी अधिगम प्रतिफलों की ओर ले जाने वाली नि:शुल्क, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करें।" आगे एस.डी.जी. 4.5 में कहा गया है कि "2030 तक, शिक्षा में जेंडर संबंधी विकृतियों को खत्म करें तथा अति संवेदी (वल्नरेबल) लोगों, जिसमें विशेष आवश्यकता समूह और देशज समुदाय के लोगों के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों वाले बच्चे शामिल हैं, के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करें।"

आओ विचार करें

शिक्षा में जेंडर संबंधी विषमताओं को समाप्त करने से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद मिलेगी? अपने सहकर्मी के साथ अपने विद्यालय/संस्थान की कोई पहल साझा करें जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले एक विद्यार्थी ने सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की है?

योजना के उद्देश्य

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यालयों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि;
- विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और जेंडर संबंधी अंतर को कम करना;
- विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर साम्यता और समावेश सुनिश्चित करना;
- विद्यालयी शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना;
- शिक्षा के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना;
- बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आर.टी.ई.) अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता; और
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में एस.सी.ई.आर.टी./राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

योजना की विशेषताएँ

- वर्तमान स्कूलों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नतीकरण और विद्यालय विहीन क्षेत्रों में स्कूली सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच।
- बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि विद्यालय में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सके।
- पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति विद्यालय ₹ 5000 से ₹ 20,000 वार्षिक अनुदान।
- ₹ 25,000 का समग्र स्कूल अनुदान—स्कूल में बच्चों के नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाने वाला ₹ 1 लाख, जिसमें से कम से कम 10 प्रतिशत स्वच्छ कार्य योजना पर खर्च किया जाना है।
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 5000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 10,000 और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 25,000 तक की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष की दर से ₹ 3,500, जिसमें सी.डब्ल्यू.एस.एन. बालिकाओं के लिए ₹ 200 प्रति माह भी शामिल है, का आवंटन, जो कक्षा एक से बारहवीं तक दिया जाना है।
- प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष ₹ 600 की दर से वर्दी के लिए आवंटन।
- प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष ₹ 250/400 की दर से पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटन।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) का कक्षा 6–8 से कक्षा 6–12 तक उन्नयन।
- शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एस.सी.ई.आर.टी. और डी.आई.ई.टी. जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मज़बूत करना।
- स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्डों और डी.टी.एच. चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग।
- आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन सहित अधिनियम की धारा 12(1) (सी) के तहत प्रतिपूर्ति प्रदान करना।
- कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना।
- संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनज़र शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.), एल.डब्ल्यू.ई., विशेष फ़ोकस ज़िलों (एस.एफ.डी.), सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिह्नित 117 आकांक्षाशील ज़िलों को वरीयता।

आओ विचार करें

शीर्षक समग्र शिक्षा को इसकी विशेषताओं के संदर्भ में आप कैसे उचित ठहराएँगे?

इस योजना में मुख्यतया दो “T”— शिक्षक (टीचर) और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) पर ध्यान देकर, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के तहत सभी हस्तक्षेपों की कार्यनीति, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सीखने के प्रतिफलों को बढ़ाने के लिए होगी। यह योजना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लचीलापन देने का प्रस्ताव रखती है, ताकि वह परियोजना के मानकों और इसके अंतर्गत उपलब्ध समूचे संसाधनों का उपयोग कर अपनी योजना और हस्तक्षेपों को प्राथमिकताबद्ध कर सकें। इस योजना में विद्यार्थियों के नामांकन, प्रतिबद्ध देनदारियों, सीखने के प्रतिफलों और विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर निर्मित वस्तुनिष्ठ मानदंड के अनुसार धन आवंटित करना प्रस्तावित है।

स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों में अवस्थांतरण दर में सुधार करने और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए बच्चों की सार्वभौमिक पहुँच को बढ़ावा देने में, इस योजना से मदद मिलेगी। शिक्षक शिक्षा के एकीकरण से स्कूली शिक्षा में विभिन्न सहयोगी संरचनाओं के बीच प्रभावी संकेंद्रण और संयोजन में एकीकृत प्रशिक्षण कैलेंडर, शिक्षण में नवाचार, सलाह और निगरानी इत्यादि हस्तक्षेपों के माध्यम से मदद मिलेगी। यह योजना एस.सी.ई.आर.टी. को नोडल एजेंसी बनने में सक्षम बनाएगी, ताकि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ज़रूरत-केंद्रित और गतिशील बनाकर उनका संचालन और निगरानी की जा सके। यह प्रौद्योगिकी के लाभदायक फलों की प्राप्ति और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में और समाज के सभी वर्गों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाने में भी सक्षम होगी।

योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (एस.आई.एस.) के माध्यम से, विभाग द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन परिषद् और विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) है। संचालन परिषद् को वित्तीय और कार्यकारी मानदंडों को संशोधित करने और योजना की समग्र संरचना के अंदर कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को मंजूरी देने का अधिकार है। इस तरह के संशोधनों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचार और हस्तक्षेप शामिल होंगे। विभाग को एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लि. (एडसिल) के एक तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) का सहयोग प्राप्त है, जो एस.एस.ए., आर.एम.एस.ए. और टी.ई. की पूर्ववर्ती योजनाओं के टी.एस.जी. को मिलाकर बना है और यह शिक्षा की सुलभता, समानता और इसकी गुणवत्ता से संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राज्यों से, पूरे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र के लिए एक समान योजना लाने की उम्मीद की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच इस योजना के लिए निधि साझा करने की वर्तमान व्यवस्था; 8 पूर्वोत्तर राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और तीन हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड— के लिए 90:10 के अनुपात में है, जबकि अन्य राज्यों एवं विधानमंडल वाले

संघशासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 है। विधानमंडल विहीन संघशासित क्षेत्रों के लिए यह केंद्र द्वारा 100% प्रायोजित है। यह अक्टूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की युक्तिसंगतता हेतु मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफ़ारिशों के अनुसार है।

योजना के घटक

विद्यालय-पूर्व शिक्षा

समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन की रूपरेखा में कई शोध अध्ययनों में बताई गयी विद्यालय-पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को पहचाना गया है। गुणवत्ता वाली विद्यालय-पूर्व शिक्षा से न केवल स्कूलों में बच्चों की प्रगति होती है और उपलब्धि बढ़ती है, बल्कि भविष्य के विकास और सीखने की नींव रखी जाती है और सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सीखने की इच्छा विकसित होती है। इसलिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण विद्यालय-पूर्व अनुभव प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। समग्र शिक्षा के तहत, विद्यालय-पूर्व कार्यक्रम को मौजूदा ‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में आरंभिक भाषा एवं साक्षरता और आरंभिक गणना शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरह से विद्यालय-पूर्व से लेकर विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं (कक्षा 1 से 3) तक निरंतरता को मान्यता दी जाती है।

स्कूली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय-पूर्व शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? आपके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय-पूर्व शिक्षा को लागू करने की क्या चुनौतियाँ हैं?

समग्र शिक्षा द्वारा स्कूलों में विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन किया जाएगा। इसके लिए, जहाँ संभव हो वहाँ, प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में आँगनवाड़ियों को स्थापित करने और महिला एवं बाल विकास विभाग/मंत्रालय के साथ मिलकर पाठ्यक्रम विकास के लिए सहयोग प्रदान किया जायेगा। विद्यालय-पूर्व कार्यक्रम 2 साल की अवधि के लिए होगा जो 4–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए है। यू.डी.आई.एस.ई. 2015–16 के अनुसार, 41.3 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में आँगनवाड़ी केंद्र हैं। स्कूलों के साथ स्थित आँगनवाड़ियों के मामले में, जहाँ 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों को समायोजित किया जाता है, 4–6 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय-पूर्व बच्चों के रूप में माना जाएगा। यू.डी.आई.एस.ई. 2016–17 के अनुसार, प्राथमिक वर्गों वाले 12.36 लाख स्कूलों में से 2.94 लाख स्कूल, जो कुल प्रतिशत का 24 प्रतिशत है, में पूर्व-प्राथमिक अनुभाग हैं। पूर्व-प्राथमिक अनुभाग (दोनों वर्गों) में 1.36 करोड़ बच्चे नामांकित किए गए हैं, जिनमें से केवल 0.36 करोड़ सरकारी स्कूलों में हैं। जहाँ भी राज्य सरकार औपचारिक प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय-पूर्व शिक्षा प्रदान करने की इच्छा ज़ाहिर करेगी, यह योजना सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना में स्वच्छता सुविधाओं सहित सुरक्षित और निरापद बुनियादी संरचना; उपयुक्त पाठ्यक्रम, सीखने की गतिविधियों, शैक्षणिक प्रथाओं और मूल्यांकन के विकास; शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और सामुदायिक भागीदारी और सहभागिता के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इस योजना में पाठ्यक्रम विकास, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, स्कूल के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा सहयोग एवं सलाह और शिक्षण सामग्री संवर्धन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय और संकेंद्रण

सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को मज़बूत करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति स्कूल ₹ 3 लाख तक की राशि प्रदान की गयी है।

***विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत डालना — समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान* (‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’)**

‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ की गतिविधियों के पूरक के रूप में तथा सभी उम्र के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदतों को पोषित करने के लिए विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा 2018–19 के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के माध्यम से पुस्तकों का प्रावधान है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 से पता चला है कि किताबें पढ़ने से बच्चों की उपलब्धि में सुधार होता है। पहली बार, प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के स्कूलों के लिए अलग से वार्षिक पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ₹ 5,000 से ₹ 20,000 तक के पुस्तकालय अनुदान को नीचे बताए गए रूप में देने का प्रावधान किया गया है —

1. प्राथमिक विद्यालय के लिए ₹ 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए ₹ 10,000 तक
2. मिश्रित प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 13,000 तक (कक्षा 1 से 8 तक)
3. माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 10,000 (कक्षा 9 और 10)
4. कक्षा 6 से 12 तक के लिए ₹ 15,000
5. मिश्रित माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 15,000 तक (कक्षा 1 से 10 तक)
6. मिश्रित माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 15,000 तक (कक्षा 9 से 12 तक)
7. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 10,000 तक (केवल कक्षा 11 और 12)
8. मिश्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए ₹ 20,000 तक (कक्षा 1 से 12 तक)
9. ये अनुदान वार्षिक आधार पर उपलब्ध होंगे।

‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ (पी.बी.बी.बी.) में समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। प्रारंभिक कक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक पढ़ने की प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास, विकास और परिशोधन की

गतिविधि

प्रत्येक व्यक्ति को निम्न सूचियाँ बनाने के लिए कहें—

- पुस्तकों की एक सूची, जो उसने पिछले पाँच वर्षों में पढ़ी है।
- उन पुस्तकों की एक सूची जो वह सोचती/सोचता है कि बच्चे पढ़ना चाहेंगे।

दीवारों पर लगे चार्ट पेपर पर इन सूचियों को चिपकाएँ और हर किसी को इन्हें देखकर अपने विद्यालय पुस्तकालयों में बच्चों के लिए पुस्तकें इकट्ठा करने के लिए कहें।

आवश्यकता होती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि समय-समय पर पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नल्स और अन्य पठन सामग्री को मँगवा कर, पुस्तकालयों का उन्नयन किया जाए।

***समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान* (‘खेले भारत, खिले भारत’)**

स्कूलों में बच्चों और शैक्षिक प्रणालियों दोनों के लिए खेल अत्यधिक लाभकारी है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं के विकास में खेल मदद करते हैं। सामाजिक कौशल, सामाजिक व्यवहार, जीवन-शैली, आत्मसम्मान और विद्यालय उन्मुख दृष्टिकोण को तेज़ करने में भी खेल का बहुत योगदान है।

खेल के कई फ़ायदे हैं। खेलों के तहत शारीरिक गतिविधियाँ और व्यायाम दिमाग और शरीर के एकीकृत विकास में योगदान देते हैं, स्वास्थ्य के लिए एरोबिक और अनएरोबिक शारीरिक व्यायाम की भूमिका की समझ विकसित करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

यह अन्य लोगों के साथ मिलने-जुलने और संवाद करने, विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को निभाने, सामाजिक कुशलताओं (जैसे सहिष्णुता और दूसरों के लिए सम्मान) को सीखने और दलीय/सामूहिक उद्देश्यों (जैसे सहयोग और सामंजस्य) को समायोजित करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह किसी को भी भावनात्मक और मानसिक रूप से मज़बूत बनाते हैं।

पहली बार समग्र शिक्षा के तहत बच्चों के समग्र विकास के मद्देनज़र उन्हें खेल और खेलों में भाग लेने के अवसर दिए गए हैं, खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। हर सरकारी स्कूल को खेल अनुदान, प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹ 5000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विस्तृत रूप में ₹ 10,000 और माध्यमिक और उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹ 25,000 तक की धनराशि अंदर एवं बाहर खेले जाने वाले (इनडोर और आउटडोर) खेलों हेतु खेल उपकरण खरीदने के लिए प्राप्त होगी।

मिश्रित विद्यालय अनुदान

इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों के खराब हो गए स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए और अन्य आवर्ती लागत, जैसे—खेल सामग्री, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली के शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए वार्षिक आवर्ती विद्यालय

अनुदान प्रदान किया जाता है। वार्षिक मिश्रित विद्यालय अनुदान की राशि विस्तृत रूप में नीचे दी गयी तालिका में ₹ 25,000 से ₹ 100,000 के बीच विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति वर्ष बदलती रहती है—

विद्यालय में छात्रों की संख्या	विद्यालय अनुदान
≤ 100	₹ 25,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 2,500 सहित)
> 100 से ≤ 250	₹ 50,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 5,000 सहित)
> 250 से ≤ 1000	₹ 75,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 7,500 सहित)
> 1000	₹ 1,00,000 (स्वच्छ कार्य योजना के लिए कम से कम ₹ 10,000 सहित)

समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए समावेशी शिक्षा तत्कालीन एस.एस.ए., आर.टी.ई. और आर.एम.एस.ए. योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। वर्ष 2018–19 से, समग्र शिक्षा में सी.डब्ल्यू.एस.एन. सहित सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस प्रकार, यह हस्तक्षेप समग्र शिक्षा के तहत एक आवश्यक घटक है। यह घटक विभिन्न विद्यार्थियों उन्मुख गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें सी.डब्ल्यू.एस.एन. की पहचान और आवश्यकता आकलन, सहायक उपकरण एवं सामग्री, सुधारात्मक सर्जरी, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, वर्दी, चिकित्सीय सेवाएँ, शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास (टी.एल.एम.), सहायक युक्तियाँ और उपकरण, सी.डब्ल्यू.एस.एन. की प्रकृति और आवश्यकताओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण और जागरूकता पैदा करने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, अनुदेशात्मक सामग्रियों की खरीद/विकास, पाठ्यक्रम अनुकूलन पर विशेष शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशेष आवश्यकताओं वाली लड़कियों के लिए वजीफ़ा आदि शामिल हैं। इस घटक में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (6–14 वर्ष की आयु के अंदर) के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर भी ज़ोर दिया गया है।

वर्तमान में समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ सभी बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) को कक्षा 1 से 12 तक निरंतरता में शामिल करना है। कक्षा 1 से 12 तक की सी.डब्ल्यू.एस.एन. लड़कियों को प्रति माह ₹ 200 का वजीफ़ा प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। पहले यह केवल नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवंटन ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 3500 प्रति बच्चा प्रति वर्ष किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त संसाधन सहायता (विशेष शिक्षक संसाधन व्यक्तियों के वेतन हेतु वित्तीय सहायता) को

स्कूल के अंदर सी.डब्ल्यू.एस.एन. की ज़रूरतों को उचित रूप से संबोधित करने के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को दूर करना है। परिणामस्वरूप, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूद कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के मौजूदा छात्रावासों को बारहवीं कक्षा तक आवासीय और स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए बढ़ाया/परिवर्तित किया गया है।

इस योजना में छठवीं से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करने की इच्छुक 10–18 वर्ष के आयुवर्ग की वंचित समूहों की लड़कियों तक शिक्षा की सुगमता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है; विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बी.पी.एल. परिवार से सम्बंधित लड़कियों के लिए इस योग्यता में प्राथमिक से माध्यमिक और बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को यथासंभव सुचारु बनाना सुनिश्चित किया गया है।

समग्र शिक्षा की योजना में मौजूदा के.जी.बी.वी. हेतु उच्च प्राथमिक स्तर से बारहवीं कक्षा तक के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। इससे शैक्षणिक रूप से पिछड़े हर उस ब्लॉक में जहाँ किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं हैं, कक्षा 6–8 की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा हो जाएगी।

6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने की इच्छा रखने वाली 10–18 वर्ष की वे लड़कियाँ जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित हैं, इस योजना का लक्ष्य समूह हैं। भवन निर्माण के लिए गैर-आवर्ती अनुदानों के अलावा, समग्र शिक्षा में जनशक्ति लागत सहित सभी खर्चों के लिए नीचे दिए गए रूप में आवर्ती अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है—

1. छठवीं से आठवीं कक्षा के कस्तूरबा विद्यालयों के लिए प्रति वर्ष ₹ 60 लाख तक
2. कक्षा छठवीं से दसवीं तक के कस्तूरबा विद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष ₹ 80 लाख तक
3. कक्षा छठवीं से बारहवीं तक के कस्तूरबा विद्यालयों के लिए ₹ 1 करोड़ तक
4. कक्षा 9 से 12 तक केवल बालिकाओं के छात्रावास के लिए प्रति वर्ष ₹ 25 लाख तक

वर्तमान में, 2018–19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा विद्यालयों में से 4,841 कस्तूरबा विद्यालय कार्य कर रहे हैं और 5.91 लाख लड़कियाँ वर्तमान में कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकित हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान 35 नए कस्तूरबा विद्यालयों स्वीकृत किए गए हैं और 1,232 कस्तूरबा विद्यालयों का वर्ष 2018–19 के दौरान कक्षा आठवीं से दसवीं/बारहवीं में उन्नयन किया गया है।

***आत्मरक्षा प्रशिक्षण* (रक्षा)**

जेंडर आधारित हिंसा देश में किशोर लड़कियों के विकास, वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट, *क्राइम इन इंडिया* के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के दौरान जेंडर आधारित अपराधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से, जिन घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं हुई, उनके बारे में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

देश में लड़कियों के खिलाफ़ अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन-कौशल है जिससे लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी समय अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से, लड़कियों को मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मज़बूत बनना सिखाया जाता है ताकि संकट के समय वे अपनी रक्षा कर सकें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीक लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करती है और विशेषकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर को कम करने में इससे मदद मिलती है।

आत्मरक्षा तकनीकों के माध्यम से लड़कियों को अपनी मूल शक्ति बढ़ाना सिखाया जाता है। गंभीर परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती बल्कि रणनीतिक तरीके से

मारी गयी एक कुहनी, एक तेज़ झटका, एक किक या एक पंच ही किसी हमलावर को रोकने के लिए पर्याप्त है। लड़कियों को हर दिन काम में आने वाली चीज़ों, जैसे — चाबी की चेन, दुपट्टा, स्टोल, मफलर, बैग, पेन/पेंसिल, नोटबुक आदि का उपयोग अवसर के अनुरूप हथियारों के रूप में करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत, सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए ₹ 3000 प्रति माह, प्रति विद्यालय, तीन महीने के लिए दिया जाता है। यह प्रशिक्षण छठवीं से बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) में रहने वाली लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत निर्भया फंड; एवं पुलिस विभाग, होमगार्ड्स, एन.सी.सी. या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत निधि प्राप्ति हेतु प्रयास कर सकते हैं।

विद्यालय सुरक्षा

बच्चों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और शिक्षा की पहुँच ऐसे माहौल में होनी चाहिए जो बच्चों के विकास और आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित, संरक्षात्मक और अनुकूल हो। विद्यालय सुरक्षा और निरापदता को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इसे केवल संरचनागत और भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय सुरक्षा का मुद्दा शारीरिक दंड से परे, शारीरिक हिंसा, यौनिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा तक जाकर अधिक जटिल हो गया है। यहाँ तक कि कुछ चरम मामलों में तो यह मौत की ओर भी चला गया है। हाल के दिनों में स्कूलों से हत्या, हमले और बलात्कार सहित हिंसा की दुखद घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। हिंसा, अपराध, पोर्नोग्राफ़ी और मादक द्रव्यों के सेवन वाले वीडियो और इंटरनेट तक बच्चों की आसान पहुँच में लगातार वृद्धि हो रही है। ड्रग्स, शराब और सिगरेट की आसान उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। इस सबके साथ-साथ बच्चों को माता-पिता, शिक्षकों और साथियों की ओर से जबरदस्त परीक्षा तनाव और दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें निराशा, आक्रामकता व अवसाद पनप रहा है और कुछ मामलों में तो यह आत्महत्या की ओर भी ले जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यालय कर्मचारियों का दृष्टिकोण सामान्यतया कभी-कभी उदासीन हो जाता है, जो चिंता का एक प्रमुख कारण है और इसलिए विद्यालय सुरक्षा और सुरक्षा संरचना को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना की आवश्यकता है। स्कूलों को सुरक्षित और निरापद बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और परामर्शदाताओं सहित विभिन्न पणधारकों के परामर्श से एक जवाबदेह ढाँचे के साथ व्यापक दिशानिर्देश विकसित किया जा रहा है।

जागो! बदलो! बोलो!

तेलंगाना के राज्य शिक्षा विभाग ने पॉक्सो (पी.ओ.सी.एस.ओ.) अधिनियम पर पुलिस विभाग के सहयोग से बाल यौन शोषण के खिलाफ़ “जागो! बदलो! बोलो!” नामक साल भर का अभियान चलाया है। इसके तहत प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

एक आदर्श स्थिति में, हर विद्यालय में काउंसलर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, किंतु देश में प्रशिक्षित काउंसलरों की कमी के कारण वर्तमान में यह संभव नहीं है। शिक्षकों को विद्यालय के अंदर पहले चरण के काउंसलर के रूप में कार्य करने के लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है। वे अपने विद्यार्थियों की ओर से किसी भी परेशानी के संकेत या व्यवहार की पहचान करने और उनके साथ संलग्न होने के लिए स्वयं उन्मुख हो सकते हैं। इस एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को परामर्श, पॉक्सो अधिनियम, जे.जे. अधिनियम, विद्यालय सुरक्षा दिशानिर्देश, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर, शिकायतों के लिए शिकायत/सुझाव पेटिका आदि प्रावधानों की ओर उन्मुख किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में ₹ 1,000 प्रति शिक्षक प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक विद्यालय को एक सुरक्षा बोर्ड भी बनाना है, जिस पर हेल्पलाइन/आपातकालीन नंबर और व्यक्तियों के संपर्क प्रदर्शित हों। इसके लिए ₹ 500 प्रति विद्यालय दिया गया है।

रंगोत्सव

यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) की एक पहल है जो राष्ट्र के युवा शिक्षार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनायी गयी है। यह सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों का एक संकलन था और पूरे देश में स्कूलों ने इसे उत्साहपूर्वक आयोजित करते हुए इसमें भाग लिया, ताकि प्रत्येक बच्चे को विभिन्न संस्कृतियों की जीवंत सुंदरता का अनुभव हो सके। रंगोत्सव सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन 7 से 21 दिसंबर, 2018 तक इस विचार के साथ किया गया कि छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी पणधारकों के लिए हार-जीत के निर्णयों से परे, केवल उनकी भागीदारी को ही प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच प्रदान किया जा सके। रंगोत्सव के मुख्य उद्देश्य थे—

- कला और संस्कृति की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के माहौल को सीखने के एक जीवंत और आनंदपूर्ण स्थान में बदलना और छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों सहित विद्यालय समुदाय के प्रत्येक सदस्य को अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता को सामने लाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करना।
- अपनी समस्त विविधता के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन और जश्न मनाना और सभी बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार उचित जानकारी प्रदान करना, जिससे वे देश के विभिन्न रीति-रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं, भूगोल और भोजन की विविधताओं को समझ सकें और उनकी सराहना कर सकें।
- "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
- स्कूलों में सीखने के खुशनुमा माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूरे सत्र के दौरान विद्यालय दिनचर्या में कला (रंगोत्सव के बाद भी) को एकीकृत करने का नियमित अभ्यास।
- रंगोत्सव पर मिली प्रतिक्रिया, अपार और विशुद्ध रूप से स्वागत व्यक्त करती हुई थी। देश भर के स्कूलों ने विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक द्वार

खोलने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप देश भर में कलात्मक प्रतिभा का उत्सव मनाया गया।

- विद्यालय स्तर पर आयोजित भाषा संगम और अन्य गतिविधियों के अलावा रंगोत्सव के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय, राजकीय, ज़ोनल और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों, जैसे कि राष्ट्रीय बालसभा एवं एकीकरण शिविर, राष्ट्रीय स्तर लोक नृत्य, राष्ट्रीय स्तर भूमिका निर्वहन, कला उत्सव, संगीत कला संगम और अंतर-विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

विद्यालय आधारित आकलन (वार्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण)

सीखने के परिणामों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए, इस विभाग ने पहले से ही नियमित अंतराल पर, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) के संचालन की प्रक्रिया शुरू की है, जो एक बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन है। सभी पणधारकों के साथ विस्तृत और बारीकी से बातचीत के बाद यह प्रक्रिया विकसित की गयी है। 2017–18 में आयोजित एन.ए.एस. के परिणाम पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र (डोमेन) में उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, 2017 में आयोजित एन.ए.एस. के दौरान 22 लाख विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से एकत्र किए गए साक्ष्यों और तत्पश्चात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से, अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक रूपरेखा बनाने हेतु किये गए पायलट सर्वेक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के अधिगम/ प्रतिफलों के आकलन के लिए 2019 में विद्यालय आधारित आकलन (एस.बी.ए.) किया जायेगा। यह विद्यार्थियों के लिए गुणात्मक एवं भयहीन आकलन प्रक्रिया होगी, जिसे संबधित स्कूल करेंगे।

ये मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन तकनीकें, बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि अधिगम के वांछित परिणाम प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से यह दोनों मूल्यांकन एक तार्किक निरंतरता बनाते हैं और आवश्यक हैं।

यूथ क्लब और इको क्लब का गठन

स्कूलों में यूथ क्लब जीवन-कौशल विकसित करने, आत्मसम्मान का निर्माण करने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने और तनाव, शर्म व भय की नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने का एक साधन है।

स्कूलों में इको क्लब विद्यार्थियों को सार्थक पर्यावरण गतिविधियों और परियोजनाओं को शुरू करने और उनमें सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाएगा। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से विद्यार्थी, ठोस पर्यावरण व्यवहार को बढ़ावा देने के क्रम में अपने माता-पिता और पड़ोस के समुदायों को प्रभावित करने के लिए उन तक पहुँच सकते हैं। यह विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या की सीमाओं से परे पर्यावरण अवधारणाओं और संभावित कार्यों का पता लगाने के लिए सशक्त बनाएगा।

उपरोक्त के मद्देनज़र, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए यूथ और इको क्लबों का गठन किया जाएगा, जहाँ वे विद्यालय के बाद और छुट्टियों के दौरान चर्चा, संगीत, कला, खेल, पढ़ने और शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इससे विद्यालय की बुनियादी आदर्श संरचनाओं — विशेष रूप से खेल के मैदानों, खेल उपकरणों और पुस्तकालयों का समुचित सदुपयोग होगा, और इस तरह से छात्रों को वह शौक, कौशल और रुचियाँ विकसित करने में मदद मिलेगी, जो अन्यथा शायद संभव नहीं हैं।

यूथ और इको क्लब के लिए प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष ₹ 15,000 प्रति स्कूल का वित्तीय प्रावधान है, जबकि माध्यमिक स्तर पर प्रति वर्ष ₹ 25,000 प्रति स्कूल का वित्तीय प्रावधान है।

परिवहन और परिवहन सहायक सुविधा

इस योजना में, कक्षा 1–8 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए परिवहन और परिवहन सहायक (एस्कॉर्ट) सुविधा के माध्यम से, प्राथमिक स्कूलों तक बच्चों की पहुँच सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। सुदूर बस्तियों में रहने वाले बच्चों को या शहरी इलाकों में, जहाँ ज़मीन की उपलब्धता एक समस्या है या अत्यंत वंचित समूहों अथवा सी.डब्ल्यू.एस.एन. बच्चों के लिए संभवत: स्कूल तक पहुँचना आसान नहीं होता है। बहुत कम आबादी वाले, पहाड़ी/घने जंगलों/रेगिस्तानी इलाकों के साथ ही उन शहरी क्षेत्रों में बच्चों को परिवहन या परिवहन साथी (एस्कॉर्ट) सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की गई है, जहाँ भूमि की अनुपलब्धता के कारण राज्य के आस-पास के मानकों के अनुसार स्कूलों को स्थापित करने में असमर्थता होती है; साथ ही बहुत छोटी बस्तियों (दूरदराज, रेगिस्तानी/आदिवासी क्षेत्रों), जहाँ विद्यालय खोलना व्यावहारिक नहीं है, में रहने वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना और ऐसे बच्चों की विद्यालय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय की ओर से आने-जाने की मुफ़्त परिवहन सुविधा या आवासीय विद्यालय सुविधा प्रदान करना ही एकमात्र उपाय है।

बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में, जहाँ विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, कक्षा 1–8 के बच्चों या शहरी वंचित बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। पहले, एस.एस.ए. के तहत दिए जाने वाले प्रति वर्ष ₹ 3000 के वित्तीय प्रावधान को प्रति वर्ष ₹ 6000 प्रति बच्चे की औसत लागत तक बढ़ाया गया है, जिसका आधार है — दूरी, भौगोलिक परिस्थिति और प्रदान की जाने वाली परिवहन सुविधा।

नि:शुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें

आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में अनु. जाति/अनु. जनजाति/बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित सभी लड़कियों और बच्चों के लिए दो जोड़ी वर्दी का आवंटन समग्र शिक्षा के तहत ₹ 400 से बढ़ाकर ₹ 600 प्रति बच्चा, प्रति वर्ष कर दिया गया है। स्कूल की वर्दी का उद्देश्य अपनी सेवाओं का उपयोग करने वाले बच्चों में स्कूल के प्रति अपनेपन और स्वामित्व की भावना को प्रेरित करना है।

पाठ्यपुस्तकों का उचित उपयोग स्कूलों में प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक प्रमुख संकेतक है। इसलिए पाठ्यपुस्तक उत्पादन सुधार जिसमें लेआउट और डिज़ाइन, पाठ्य पृष्ठ और आवरण पृष्ठ का आकार-प्रकार, स्याही, मुद्रण और बाइंडिंग आदि से संबधित सुधार सम्मिलित हैं, का अपने आप में महत्वपूर्ण निहितार्थ है। राजकीय पाठ्यचर्या अपनाने की इच्छा वाले मदरसों सहित सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटित धनराशि को ₹ 150 से बढ़ाकर ₹ 250 प्रति वर्ष प्रति बच्चे और प्राथमिक स्तर पर ₹ 250 से बढ़ाकर ₹ 400 कर दिया गया है। शिक्षण माध्यम के रूप में राज्य भाषा व अँग्रेज़ी भाषा में आसानी से अवस्थांतरण (ट्रांजिशन) हेतु जनजातीय भाषाओं में सेतु सामग्री के बतौर तैयार की गयीं आरंभिक पुस्तकें (प्राइमर)/पाठ्यपुस्तकें कक्षा 1 और 2 के लिए अधिकतम ₹ 200 प्रति बच्चे के साथ उपलब्ध होंगी।

सी.आर.सी. को मज़बूत बनाना — सी.आर.सी. को गतिशीलता समर्थन

क्लस्टर संसाधन केंद्र (सी.आर.सी.) स्कूलों और शिक्षकों को प्रशिक्षण और ज़मीनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सी.आर.सी. को नियमित रूप से दौरे करने और विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन हेतु शैक्षणिक मुद्दों और कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है। अवसंरचना एवं सुविधाओं और प्रशासनिक पहलू को नजदीकी से जानने के लिए स्कूलों का आवधिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, शैक्षणिक और पाठ्यचर्या सहायता की एक उचित प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक उन्नयन के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके। इस संदर्भ में, प्रत्येक क्लस्टर में क्लस्टर संसाधन समन्वयक को स्कूलों का दौरा करना चाहिए और दो महीने में कम से कम एक बार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ऑनसाइट शैक्षणिक सहायता प्रदान करनी चाहिए और एम.एच.आर.डी. द्वारा निर्धारित साझा मंच पर एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

बी.आर.सी. द्वारा रिपोर्टिंग

शैक्षणिक संसाधन केंद्रों के रूप में ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बी.आर.सी.) की संभाव्यताओं को अभी तक साकार नहीं किया गया है और उनकी भूमिका और कार्यों को शैक्षिक रूप से चैनलबद्ध किया जाना है। बी.आर.सी./यू.आर.सी. को समस्याओं का अध्ययन करने और स्कूलों में शैक्षणिक मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीति तैयार करने के संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (बी.आर.पी.) को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी लक्षित समूहों अर्थात शिक्षक, प्राचार्य, ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन व्यक्ति आदि को एक ही मंच पर लाया जाएगा और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक तरह की विषयवस्तु की ओर उन्मुख किया जाएगा। निरंतर निगरानी,

अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बी.आर.पी. द्वारा स्कूलों का नियमित रूप से दौरा किया जाएगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा में पढ़ाने के दौरान प्रशिक्षण से सीखी गयी बातों का उपयोग किया जाए। रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी जो एक केंद्रीय सर्वर पर संकलित की जाएगी। यहाँ सॉफ़्टवेयर विसंगति रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई का अनुवर्तन किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) प्रशिक्षण

एस.एम.सी. सदस्यों का प्रशिक्षण क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सी.आर.सी.) द्वारा आयोजित किया जायेगा। सभी स्कूलों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तारीखों पर एस.एम.सी. की एक वर्ष में चार त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएँगी। बैठक आयोजित करने और आयोजित बैठक की रिपोर्ट अपलोड करने के साथ-साथ स्कूलों की स्थिति/गतिविधियों की रिपोर्ट भी मोबाइल ऐप पर अपलोड करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकारी स्कूलों के लिए एक विशिष्ट योजना के अधीन प्रति विद्यालय प्रति वर्ष ₹ 3,000 तक का वित्तीय प्रावधान प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर प्रदान किया जा रहा है।

समग्र शिक्षा के प्रतीक चिह्न (लोगो) का प्रदर्शन

प्रतीक चिह्न (लोगो), किसी भी योजना की दूरदृष्टि और भावना का प्रतीक है। यह परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर विद्यालय, विद्यार्थी और समुदाय के बीच एक संबंध बनाने में मदद करता है। इससे पहले, एस.एस.ए. प्रतीक चिह्न को विद्यालय की दीवारों पर चित्रित किया गया था जो समुदाय द्वारा बहुत पसंद किया गया और इससे स्कूलों की पहचान करने में मदद मिली।

इस प्रकार, सभी स्कूलों के परिसर में प्रतीक चिह्न को प्रमुखता से प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी स्कूलों को महत्वपूर्ण स्थानों जैसे विद्यालय की दीवार पर दीवार-चित्रों या प्रदर्शन बोर्ड के माध्यम से समग्र शिक्षा के प्रतीक चिह्न को योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं, जैसे मुफ़्त पाठ्य पुस्तकें, मुफ़्त वर्दी आदि के साथ प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। प्रतीक चिह्न का डिज़ाइन एम.एच.आर.डी. द्वारा साझा किया जाएगा।

विश्वसनीय आँकड़े, जवाबदेही और पुरस्कार

यू.डी.आई.एस.ई.+

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन ऑन विद्यालय एजुकेशन (यू.डी.आई.एस.ई.) में देश के सभी स्कूलों का आँकड़ा (डेटा) एकत्र किया जाता है। 2018–19 से यू.डी.आई.एस.ई. का उन्नयन (अपडेट) करने और नयी सुविधाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यू.डी.आई.एस.ई.+ (यानी, यू.डी.आई.एस.ई. प्लस) एप्लिकेशन ऑनलाइन होगा और धीरे-धीरे वास्तविक समकालीन आँकड़ा एकत्र करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आँकड़ा संग्रह के अलावा, यू.डी.आई.एस.ई.+ एप्लिकेशन में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी—

1. डेटा एनालिटिक्स और डेटा विज़ुअलाइजेशन वाला एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। इसमें बीते वर्षों के रुझान का अध्ययन करने और वृद्धि की निगरानी करने के लिए, समय श्रृंखला आँकड़ा शामिल होगा। प्रगति को प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की सहायता से देखा जाएगा।
2. सिस्टम को जी.आई.एस. मैपिंग से जोड़ा जाएगा और विद्यालय रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएँगे।
3. आँकड़ा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल ऐप सहित तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन के लिए एक अलग मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स; पी.जी.आई.)

पी.जी.आई. विद्यालय शिक्षा के 70 संकेतकों में प्रदर्शन पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

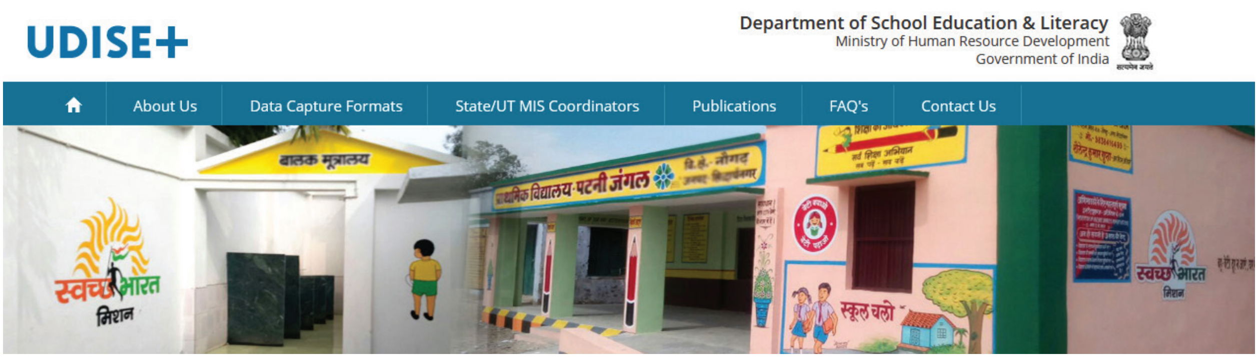

1. सूचकांक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रेड प्रदान करेगा और इस प्रकार एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एक ही ग्रेड पर रहने की सुविधा मिलेगी तथा इस तरह सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंततः उच्चतम स्तर तक पहुँच जाएँगे। पी.जी.आई. की कल्पना एक ऐसे उपकरण के रूप में की गयी है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ प्रथाओं, जैसे — शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती और स्थानांतरण, छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे।

2. पी.जी.आई. के सत्तर (70) संकेतक दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं— प्रतिफल और शासन प्रक्रियाएँ। पहली श्रेणी को चार उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जो हैं—सीखने के प्रतिफल, पहुँच के प्रतिफल, बुनियादी संरचना एवं सुविधाएँ और साम्यता (इक्विटी) प्रतिफल। दूसरी श्रेणी शासन प्रक्रियाओं के बारे में है जिसमें उपस्थिति, शिक्षकों की पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता शामिल हैं।
3. पी.जी.आई. के तहत अधिकतम प्राप्तांक 1,000 है। प्रत्येक संकेतक को 20 या 10 अंक दिए गए हैं।

शगुन पोर्टल

18 जनवरी 2017 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शगुन पोर्टल—(www.seshagun.nic.in.) का शुभारंभ किया। इसके दो मॉड्यूल हैं—(1) नवाचार भंडार (रिपॉजिटरी) और (2) ऑनलाइन निगरानी।

नवाचार भंडार (रिपॉजिटरी)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों का प्रदर्शन करते हुए विद्यालयी शिक्षा के कथानक में परिवर्तन हेतु डिजिटल भंडार बनाया गया है। इससे इन सफल प्रयासों को दोहराने और वृहद पैमाने पर ले जाने की सक्षमता आती है।

अच्छे प्रयासों का यह भंडार (रिपॉजिटरी) सकारात्मक कहानियों और विकास पर केंद्रित है जो स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में सुधार ला रहा है। इन नयी कोशिशों को प्रकरण अध्ययन (केस स्टडीज), वीडियो, प्रशंसा-पत्र (टेस्टीमोनियल्स) और तस्वीरों के रूप में प्रलेखित किया गया है।

यह डिजिटल मंच जनसाधारण, संचार मीडिया, पणधारकों और वैश्विक शिक्षाविदों के लिए है, ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में दर्ज किए जा रहे इन नवाचारी विचारों और सफलता की कहानियों के साक्षी बन सकें। राज्य सरकारों, पब्लिक स्कूलों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाने वाले नवाचारों को इस भंडार में प्रलेखित और इसके माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। शगुन भंडार में सर्वश्रेष्ठ प्रयासों पर 296 वीडियो, 269 प्रकरण अध्ययन, 151 प्रशंसा-पत्र और 4,586 तस्वीरें हैं।

वर्ष 2018–19 में, विभाग ने अपनी सभी योजनाओं और विभिन्न स्वायत्त निकायों, जैसे—एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ई.पी.ए., सी.बी.एस.ई., एन.सी.टी.ई., एन.आई.ओ.एस., के.वी.एस., एन.वी.एस. और राष्ट्रीय बाल भवन (एन.बी.बी.) की गतिविधियों को शामिल करके इस भंडार का विस्तार करने का निर्णय लिया।

ऑनलाइन निगरानी

शगुन के ऑनलाइन निगरानी मॉड्यूल राज्य-स्तरीय प्रदर्शन एवं प्रगति को प्रमुख शैक्षिक संकेतकों से तुलना करके मापते हैं जो डी.एस.ई.एल. और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के

शिक्षा विभागों को वास्तविक समसामयिक आकलन करने में सक्षम बनाता है। इसके मुख्य कार्यों में सम्मिलित है — निधि उपयोग निगरानी, प्रमुख शैक्षिक संकेतकों पर प्रदर्शन मापन, ऑनलाइन योजना और लक्ष्य निर्धारण, भौतिक लक्ष्य और परिणामों की निगरानी।

इस पोर्टल में डेटा एनालिटिक्स प्रदान किया जाता है और ग्राफ़िक्स उत्पन्न किया जाता है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति को प्रमुख पहचान मापदंडों, जैसे कि स्कूली मुख्यधारा से बाहर बच्चों की सही संख्या, सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि या कमी, सीखने के परिणामों पर खर्च और शिक्षकों के वेतन इत्यादि की तुलना में दर्शाता है।

शगुनोत्सव

एक बड़ी पहल के अंतर्गत, अगस्त–सितंबर, 2019 के दौरान देश भर के सभी सरकारी स्कूलों का दौरा और जाँच किए जाने का प्रस्ताव है। यह सभी राज्यों सहित संघ राज्य क्षेत्रों के 11.85 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, सितंबर 2019 में किया जाने वाला जनगणना आधारित लेखा परीक्षण है जिसमें लगभग 7 लाख एकाकी (स्टैंडअलोन) प्राथमिक विद्यालय भी शामिल हैं। विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता और बुनियादी संरचना का आकलन करने के लिए विभिन्न विद्यालय आधारित मापदंडों पर डेटा वर्तमान में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफ़ॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन (यू.डी.आई.एस.ई.), शगुन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (पी.एम.एस) और परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पी.जी.आई.) इत्यादि उपकरणों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। हालाँकि, वास्तव में स्कूल जाकर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। आकांक्षी ज़िलों के केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चला है कि कई स्कूलों का दौरा बिल्कुल नहीं किया जाता है या वहाँ जाने की आवृत्ति बहुत कम है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्यालय प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी की पर्याप्तता का पता लगाने के लिए विद्यालय आधारित जनगणना की कवायद करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

विद्यालय की जनगणना के लिए मापदंड यू.डी.आई.एस.ई.+, पी.जी.आई. और शगुन के माध्यम से निगरानी किए गए संकेतकों पर आधारित होंगे। अधिगम प्रतिफलों का मूल्यांकन इस आकलन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि यह एन.ए.एस./विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अगले दौर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त प्रतिपुष्टि (फ़ीडबैक) से, विद्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों की पहल हेतु व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश 25 अप्रैल, 2019 को जारी किए गए हैं।

अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देना

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

इन पुरस्कारों को 1958 में स्थापित किया गया था। 1960 के दशक के मध्य से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की तिथि 5 सितंबर, इस समारोह के लिए निश्चित हो गयी। समय के साथ, पुरस्कारों की संख्या भी बढ़कर 378 हो गयी, लेकिन यह महसूस किया गया कि ये पुरस्कार अपनी गरिमा खो रहे हैं।

वर्ष 2018 में इस योजना की संदर्शिका में प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों में किए गए बदलावों के मुताबिक कुछ संशोधन किया गया। नयी योजना पारदर्शी एवं निष्पक्ष है और पुरस्कारों में उत्कृष्टता और प्रदर्शन का निरूपण करती है।

नयी योजना की विशेषताएँ हैं—

1. www.mhrd.gov.in पर शिक्षकों से ऑनलाइन स्व नामांकन आमंत्रित करना। वेब पोर्टल का विकास भारत के प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (ए.एस.सी.आई.) द्वारा किया गया था और संपूर्ण सॉफ़्टवेयर बिना किसी गड़बड़ या शिकायत के सुचारु रूप से चला।
2. देश भर के शिक्षकों से लगभग 6,000 आवेदन प्राप्त हुए जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पहल सफल रही।
3. सभी नियमित शिक्षक पात्र थे और न्यूनतम सेवा की कोई शर्त नहीं थी। इससे मेधावी युवा शिक्षक आवेदन करने में सक्षम हुए।
4. पुरस्कारों की संख्या को 45 कर दिया गया जिससे पुरस्कारों की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ी है।
5. अंतिम चयन में किसी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या संगठन का कोटा नहीं था। इसने उन्हें पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने को प्रोत्साहन दिया।
6. राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र ज्यूरी ने अंतिम चयन किया। ज्यूरी ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों द्वारा अग्रेषित 152 उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा की। प्रत्येक नामांकित व्यक्ति ने ज्यूरी के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसके आधार पर अंतिम मूल्यांकन किया गया और शिक्षक पुरस्कार के लिए 45 नामों की सिफ़ारिश की गयी।

माननीय प्रधानमंत्री ने 4 सितंबर, 2018 को अपने आवास पर पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ बातचीत के बारे में ट्वीट भी किया।

जहाँ झारखंड के अरविंद जजवारे और महाराष्ट्र के विक्रम अडसुल जैसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने विद्याालय छोड़ने की दर कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए आनंदमयी अधिगम प्रणाली का अभ्यास किया, वहीं गुजरात के राकेश पटेल और राजस्थान के इमरान खान ने आई.सी.टी. और बच्चों के साथ मित्रवत गतिविधि आधारित शिक्षा से अपने स्कूलों को सीखने के घरोंदों में बदला। कर्नाटक की शिक्षिका शैला आर.एन. ने विद्यार्थियों के लाभार्थ विद्यालय के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाया, जबकि सिक्किम से कर्मा चोमू भूटिया ने नामांकन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 5 सितंबर, 2018 को विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किए। समारोह के दौरान प्रत्येक पुरस्कार विजेता की उपलब्धियों पर फ़िल्में भी दिखायी गयीं।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2016–17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एस.वी.पी.) को ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पहल के अगले कदम के रूप में स्थापित किया। ये पुरस्कार स्कूलों में स्वच्छता के प्रति दीर्घकालिक स्थिरता और व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार स्कूलों में पानी, स्वच्छता और सफ़ाई के प्रयासों में उत्कृष्टता को पहचानने, प्रेरित करने और खुशी मनाने

की एक पहल है। स्कूलों ने स्वेच्छा से पुरस्कारों के लिए एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017–18 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों के लिए भी खुला था।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017–18

एस.वी.पी. 2017–18 को स्कूलों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017–18 के लिए 6,15,152 स्कूलों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया, जो पिछले वर्ष भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या के दोगुने से अधिक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों पर विचार के लिए 727 स्कूलों को चुना गया। सत्यापन और पूरी तरह से छानबीन के बाद शीर्ष 52 स्कूलों को एस.वी.पी. 2017–18 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर, 2018 को आयोजित समारोह के दौरान शीर्ष चार राज्यों अर्थात पुदुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात व आंध्र प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ 9 ज़िलों अर्थात पांडिचेरी, श्रीकाकुलम, चंडीगढ़, हिसार, कराईकल, लातूर, नेल्लोर, दक्षिण गोवा और वड़ोदरा को मान्यता प्रमाण-पत्र दिए गए।

पुरस्कारों के लिए चयन पद्धति

पुरस्कारों के लिए स्कूलों का चयन पाँच उप-श्रेणियों—(i) जल, (ii) शौचालय, (iii) साबुन से हाथ धोना, (iv) संचालन और रख-रखाव, (v) व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को मान्यता प्रमाण-पत्र के साथ विद्यालय में स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति को बनाए रखने और सुधारने के लिए अतिरिक्त विद्यालय अनुदान के रूप में ₹ 50,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में भाग लेने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्यों और शीर्ष ज़िलों को भी मान्यता सम्मान मिला।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयोग

नली कली, कर्नाटक

कई कक्षाओं के बच्चों के लिए नली कली का अर्थ है कि वे एक आनंदमय और रोमांचक वातावरण में पढ़ना, लिखना और अपनी रचनात्मकताओं के बारे में जानना सीख रहे थे। 2009–10 में, नली कली को कक्षा 1 और 2 के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित सभी कन्नड़ माध्यम के स्कूलों में शुरू किया गया था। इसमें छात्र सीखने की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं; शिक्षकों के बोझ में कमी आती है; कक्षा में अधिकतम मेल-जोल होता है; और परीक्षा का कोई डर/चिंता नहीं होती। बच्चों की प्राकृतिक वृत्ति जैसे कि जिज्ञासा, गत्यात्मकता और अन्वेषण को प्रदर्शन एवं भावी विकास के लिए जगह मिल पाती है। कक्षा में पढ़ाने की नली कली पद्धति न केवल शिक्षक को अधिक स्वायत्तता देती है, बल्कि बच्चे के लिए एक दोस्ताना और आनंदमय तरीके से सीखने का सही माहौल भी बनाती है। शिक्षण एक संवादात्मक तरीके से उम्र और दक्षताओं के अनुसार आयोजित समूहों में व्यवस्थित रूप से होता है। जब बच्चे एक समूह की योग्यता में महारत हासिल करते हैं, तो वे अगली योग्यता सीखने के लिए दूसरे समूह में चले जाते हैं। शिक्षण; गीत, खेल, सर्वेक्षण, कहानी, शैक्षिक खिलौनों के उपयोग और शिक्षण-अधिगम सामग्री के माध्यम से होता है, जो शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाया जाता है। जब छात्रों को समूहीकृत किया जाता है और सीखना गैर-औपचारिक तरीके से होता है तो ज़ाहिर है कि इस सीखे हुए को वे लंबे समय तक याद रख सकेंगे। सीखने के भार में कमी और सीखने के न्यूनतम स्तर पर महारत हासिल करना ही इस अवधारणा का मूल है।

गणित कलिका आंदोलन (जी.के.ए.), कर्नाटक

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बीच गणित के कक्षा अध्यापन को सुगम बनाने के लिए एक गणित शिक्षण आंदोलन कार्यक्रम—गणित कलिका आंदोलन (जी.के.ए.) की शुरूआत की गयी है। गणित को व्यापक रूप से एक मूलभूत अनुशासन माना जाता है, जिस पर भविष्य में विद्यालय में बहुत कुछ सीखना निर्भर करता है। यह एक मॉडल समर्थन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गणितीय अवधारणाओं को रटने के बजाय उन्हें करके सीखने और दोस्तों के साथ सामूहिक रूप से गतिविधि आधारित रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके सीखने को बढ़ावा देना है। यह विचार की स्पष्टता और दिन-प्रतिदिन के जीवन में गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। इस कार्यक्रम को स्कूलों में गणित शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) और सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके लागू किया गया है। इन टी.एल.एम. को कर्नाटक राज्य पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं के सीखने की सुविधा के लिए बनाया गया है। सीखने के परिणामों को मापने के लिए टैबलेट पर एंड्रॉइड आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह पहल गणित सीखने के परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में वृद्धि करती है।

गतिविधि आधारित अधिगम (ए.बी.एल.), तमिलनाडु

ए.बी.एल. (एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग) को अनिवार्य रूप से कक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है जो एक रोचक और अंतःसंवादी (इंटरैक्टिव) तरीके से व्यक्तिगत रूप से सीखने में सक्षम बनाता है। यह एन.जी.ओ. ऋषि वैली रूरल एजुकेशन सेंटर के मॉडल पर आधारित है जो खुशी से सीखने के कार्यक्रमों और गहन शिक्षक प्रशिक्षण के साथ अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है। कक्षा के ए.बी.एल. शिक्षक में अधिगम सुकारक के रूप में आमूलचूल बदलाव आ गया है। अब वह कक्षा में व्याख्यान नहीं देता या एक ही तरीके से पूरी कक्षा को सीखने का निर्देशन नहीं करता है। ए.बी.एल. कक्षाओं में, बच्चे अपने सीखने के स्तर के अनुसार एक साथ बैठते हैं, भले ही उनकी आयु ग्रेड के अनुसार उपयुक्त न हो।

ए.बी.एल. कक्षा में विभिन्न प्रकार के कार्ड और सामग्रियाँ हैं, जो विभिन्न स्तरों की दक्षताओं में बच्चों के बीच सीखने की संरचित प्रक्रिया को सक्षम करते हैं। दिन के लिए अपना गतिविधि कार्ड चुनने से लेकर अपनी उपस्थिति तक को चिह्नित करने तक, बच्चे कम उम्र में स्वतंत्र निर्णय लेना सीखते हैं।

सपनों की उड़ान कार्यक्रम — मोबाइल विद्यालय (उत्तराखंड) के माध्यम से स्कूली बच्चों को शिक्षित करने की पहल

शिक्षा के अधिकार के पूर्वावलोकन के तहत बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा की पहुँच का विस्तार करने के लिए, मोबाइल स्कूल-बहुउद्देशीय वाहनों का उपयोग आम जनता के बीच जागरूकता और प्रेरक अभियानों का विस्तार करके मोबाइल स्कूलिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया गया है। इन वाहनों को, परामर्श और जागरूकता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न शिक्षण उपकरण, मल्टीमीडिया प्रणाली और योग्य संसाधन व्यक्तियों के सहयोग से प्रदान किया जा रहा है। कभी विद्यालय नहीं जा सकने वाले बच्चों की पहचान और उन्हें मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ना, इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए ऐसे बच्चों की पहचान हेतु विशेष अभियान चलाकर और उनके लिए उचित आयु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, उन्हें आस-पास के स्कूलों में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया गया है। इससे बच्चों की अस्थिर आबादी को स्कूलों की ओर आकर्षित करने और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को प्रेरित करने में मदद मिली है।

बहुभाषी शिक्षा (एम.एल.ई.), ओडिशा

बहुभाषी शिक्षा, उपयुक्त संज्ञानात्मक और तर्क कौशल विकसित करने का एक संरचित कार्यक्रम है जो बच्चों को अपनी मूल भाषा, राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषाओं में समान रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है और इसकी शुरुआत मातृभाषा से होकर, दूसरी (ओड़िया) और फिर तीसरी भाषा (अँग्रेज़ी) में अवस्थांतरण के साथ समाप्त होती है। ओडिशा में बच्चों को ओड़िया भाषा सिखायी जाती है, जो उन कई आदिवासी बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है जिनकी मातृभाषा ओड़िया नहीं है। पाठ्यपुस्तकों का संदर्भ भी आदिवासी बच्चों के लिए अपरिचित है, जो उन्हें कक्षा शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को पूरी

तरह से समझने में असमर्थ बनाता है, जिसका प्रतिधारण (रिटेंशन) और सीखने के प्रतिफलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (एम.एल.ई.) कार्यक्रम में, स्कूली शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और धीरे-धीरे अतिरिक्त भाषाओं में स्थानांतरित होती है। प्रारंभिक ग्रेड में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से बच्चों में शिक्षा की मज़बूत बुनियाद स्थापित होती है क्योंकि शिक्षा का माध्यम वही भाषा है जिससे बच्चा भलीभाँति परिचित है। साथ ही वह ज्ञान और अनुभव जो वे कक्षा में लाते हैं, उसे पाठ्यचर्या से जोड़ा जाता है, जिससे उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। एम.एल.ई. कार्यक्रम 17 आदिवासी बहुल ज़िलों में 21 आदिवासी भाषाओं के विभिन्न स्कूलों में चल रहा है।

प्रज्ञा — गुजरात का गतिविधि आधारित शिक्षण मॉडल

भावनगर के दक्षिणामूर्ति विद्यालय में स्व. गिजुभाई बधेका द्वारा किए गए काम के कारण, गतिविधि आधारित खुशी-खुशी शिक्षा, एक अवधारणा के रूप में राज्य में बहुत गहरी जड़ जमा चुका है। यहाँ तक कि प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को इसी शिक्षाशास्त्र के साथ विकसित किया गया था। हालाँकि, शगुनोत्सव 1 (वर्ष 2009) में देखा गया था कि कक्षा 5 के बाद भी कई बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक योग्यता के बुनियादी कौशल की कमी थी। समस्या का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि राज्य को ऐसे शिक्षा विज्ञान की ज़रूरत है जिसमें सीखने की गारंटी दी जाए। राज्य स्तरीय शिक्षाशास्त्र कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षाशास्त्र मॉडलों पर चर्चा की गयी और यह तय किया गया कि ए.बी.एल. कार्यप्रणाली और मज़बूत हो। तदनुसार, ऋषि वैली मॉडल (एम.जी.एम.एल.) को अपनाया गया। राज्य ने एम.जी.एम.एल. पद्धति में संशोधन किया और ए.बी.एल. प्रज्ञा (प्रवृत्ति द्वारा ज्ञान) पद्धति सामने आयी। राज्य स्तरीय कोर टीम का गठन किया गया और इस दल को अन्य राज्यों में एम.जी.एम.एल. जैसी कार्यप्रणाली अपनाने वाले स्कूलों की कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। फिर इस कोर टीम ने यूनिसेफ के सहयोग से ए.बी.एल. प्रज्ञा पद्धति के लिए नयी सामग्री विकसित की। ए.बी.एल. प्रज्ञा पद्धति में प्रत्येक अवधारणा के लिए सीखने का चक्र (परिचय-अभ्यास-मूल्यांकन) सुनिश्चित किया गया है।

पहल का विवरण

- सामग्री छोटी गतिविधियों में विभाजित है और प्रत्येक गतिविधि के लिए विशिष्ट कार्ड है।
- सामग्री अनुक्रमिक सीढ़ी के रूप में आयोजित की गयी है, जिसके माध्यम से बच्चे स्वयं प्रगति करते हुए, एक के बाद एक गतिविधि को पूरा करते हैं।
- बच्चों को चार अलग-अलग प्रकार के समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। बच्चा अपनी प्रगति के अनुसार समूह को व्यक्तिगत रूप से बदलता रहता है।

- तीन प्रकार के अंतःसंवाद (इंटरैक्शन) (शिक्षक-बालक, बालक-बालक, बालक-सामग्री) सुनिश्चित किए जाते हैं।
- प्रत्येक बच्चे द्वारा सभी अवधारणाओं के लिए सीखने के चक्र (अवधारणा, अभ्यास और मूल्यांकन के परिचय) को पूरा करने के बुनियादी नियम को बनाए रखा जाता है।
- सतत मूल्यांकन प्रज्ञा का एक अंतर्निर्मित हिस्सा है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन अनुक्रमिक सीढ़ी पर उसके आगे बढ़ते जाने की एक सतत प्रक्रिया के रूप में किया जाता है।

प्रभाव

बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हुआ है। किए गए तीन प्रमुख अध्ययनों से पता चला है कि प्रज्ञा स्कूलों के विद्यार्थियों ने गैर-प्रज्ञा स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। पहला शोध 'प्रथम' द्वारा आयोजित किया गया था, एक अन्य शोध यूनिसेफ़ और 'शिक्षा पहल' द्वारा आयोजित किया गया था और तीसरा शोध गुजरात सरकार के मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया था। एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि प्रज्ञा कक्षा एक समावेशी कक्षा है क्योंकि गतिशील समूह रोटेशन प्रणाली प्रत्येक बच्चे को सभी बच्चों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करती है।

एक प्रमुख लाभ के रूप में सीखने की उपलब्धि के अलावा, निम्नलिखित लाभ भी देखे गए हैं—

- निजी विद्यालय इस शिक्षण दृष्टिकोण से प्रेरित हुए हैं और इसे अपने विद्यालयों में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।
- अंतःसंवाद (इंटरैक्टिव) और नवाचारी शिक्षण, बोलने, सुनने और रचनात्मक सोच के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है जिससे भाषा के उपयोग में आत्मविश्वास और प्रवाह विकसित होता है
- यह बच्चों को अनुभव और बिना बोझ के सीखने का मौका देता है।
- बच्चे को विभिन्न परियोजना कार्यों और क्षेत्रीय कार्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है।
- बच्चे को कुछ बनाने और उसे प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं।

यह कार्यक्रम वर्ष 2010 में 256 स्कूलों में शुरू किया गया था। धीरे-धीरे यह कार्यक्रम वर्ष 2017–18 तक लगभग 22,000 स्कूलों में पहुँच गया। फिर कुछ संशोधनों के साथ, प्रज्ञा ने वर्ष 2018–19 में राज्य भर के सभी स्कूलों में प्रवेश किया।

दोपहर का भोजन (मिड-डे मील)— नये तरीके

नामांकन, उपस्थिति और अवधारण को बढ़ाने और एक साथ बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से, 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एन.पी.–एन.एस.पी.ई.) शुरू की गयी

थी। 2008–09 में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार हुआ और इस योजना का नाम बदलकर 'विद्यालयों में मिड-डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मिड-डे मील स्कीम (एम.डी.एम.एस.) के नाम से जाना जाता है। एम.डी.एम.एस. में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एस.टी.सी.) और मदरसों व मकतबों में पहली से आठवीं कक्षा तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की जाती है।

मध्याह्न भोजन योजना का एक उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना और और भारत में अधिकांश बच्चों में उनकी उस समस्या का समाधान करना है, जिसका नाम है — भूख। एम.डी.एम. दिशानिर्देशों में सुझाया गया है कि बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरणों में क्रमशः 450 और 700 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए।

वर्ष 2018–19 के दौरान, 11.34 लाख पात्र विद्यालयों में कक्षा 1–8 में पढ़ने वाले 9.17 करोड़ बच्चे इस योजना के अंतर्गत शामिल हुए थे।

विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना

विद्यालय पोषण उद्यान (स्कूल न्यूट्रिशन गार्डेन, एस.एन.जी.) एक ऐसा स्थान है, जहाँ मिड-डे मील में उपयोग के लिए विद्यालय परिसर में जड़ी-बूटियों, फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। विद्यालय पोषण उद्यान विकसित करने का उद्देश्य कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद करना है और बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ स्वयं कार्य करने का अनुभव देना है। विद्यालय पोषण उद्यान स्थापित करने के लिए भूमि के बड़े टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ तक कि बक्सों में सब्जी/फलों को उगाने के लिए छत का उपयोग भी किया जा सकता है। जहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पौधों को छोटे बक्सों, डिब्बे, जार, मिट्टी के बर्तनों, लकड़ी की पेटी, सिरेमिक सिंक, भोजन के डिब्बे और आटा बैग आदि में भी उगाया जा सकता है।

विद्यालय पोषण उद्यान में उगायी गयी सब्जियों, फलों का सेवन पूरी तरह से मिड-डे मील के तहत किया जा सकता है, जिसमें तना (केला, लौकी, कद्दू), पत्तियाँ (धनिया, पुदीना, पालक), फूल (कद्दू का फूल, मोरिंगा) शामिल हैं। राज्य में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि/उद्यान, खाद्य और पोषण बोर्ड, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना की जा सकती है।

मध्याह्न भोजन योजना में अभिनव हस्तक्षेप के अंतर्गत फ्लेक्सी फंड घटक के तहत, केंद्र और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझाकरण के आधार पर बीज, उपकरण, खाद आदि की खरीद के लिए ₹ 5000 प्रति स्कूल पोषण उद्यान की राशि का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, मौजूदा दिशानिर्देशों में मामूली संशोधनों के साथ योजना को लागू करने का अधिकार ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली ज़िला स्तरीय समिति को सौंप दिया गया है। समिति प्रति विद्यालय पोषण उद्यान बीज के लिए ₹ 5000 की कुल औसत राशि के अंदर

स्कूल की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि को तर्कसंगत बना सकती है और आवंटित कर सकती है। बीज/पौधे, कृषि/बागवानी विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एम.एन.आर.ई.जी.एस.) ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ स्कूलों में परिसर की दीवारों के निर्माण, ज़मीन को समतल करने आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के कार्यक्रम कार्यान्वयन की एक संदर्शिका— मास्टर परिपत्र— के अनुसार कार्य किया जा सकता है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आइटम मनरेगा के माध्यम से सहायता के लिए स्वीकार्य हैं। छोटे लेख के साथ स्कूल पोषण उद्यान (उच्च परिभाषा) की तस्वीरें एम.डी.एम.– एम.आई.एस. पोर्टल पर त्रैमासिक आवृत्ति में अपलोड की जा सकती हैं।

तिथि भोजन

तिथि भोजन एक पहल है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय द्वारा त्योहारों, सालगिरह, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय महत्व के दिनों जैसे विशेष अवसरों पर पूर्ण भोजन या अतिरिक्त चीज़ें प्रदान की जाती हैं। इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि तिथि भोजन मिड-डे मील का विकल्प नहीं है और यह केवल पूरक है या पूरक मिड-डे मील है। एम.एच.आर.डी. द्वारा पहले से ही तिथि भोजन पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। तिथि भोजन की अवधारणा को असम (संप्रति भोजन), आंध्र प्रदेश (विंदु भोजनम), दादरा और नगर हवेली (तिथि भोजन), दमन और दीव (तिथि भोजन), गुजरात (तिथि भोजन), हरियाणा (बेटी का जन्मदिन), कर्नाटक (शालगी नावु नीवु), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (स्नेह भोजन), चंडीगढ़ (तिथि भोजन), पुदुचेरी (अन्न धानम), पंजाब (प्रीति भोजन), राजस्थान (उत्सव भोज), तमिलनाडु (नाल विरुंधु) और उत्तराखंड (विश्व भोज) आदि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सम्मिलन

एम.डी.एम. के स्वास्थ्य और पोषण घटक के लिए मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। इसके तहत—

1. प्रारंभिक कक्षाओं 1–8 और 6–14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के तहत की जा रही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है।
2. सूक्ष्म पोषक तत्व, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रदान किए जाते हैं। हर सप्ताह आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम (डब्ल्यू.आई.एफ.एस.) के तहत बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) टैबलेट भी प्रदान किए जाते हैं।
3. बच्चों को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस (नेशनल डिवर्मिंग डे; एन.डी.डी.) पर माह में दो बार कृमिनाशक दवा (एल्बेंडाजोल-400) प्रदान की जाती है।

खाना पकाने की प्रतियोगिता

मध्याह्न भोजन के लिए खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2019–20 के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। खाना पकाने की प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बावर्ची तथा सहायकों (कुक-कम-हेल्पर्स) को केवल सब्जियों यानी तने, पत्तियों, छिलकों आदि का उपयोग करके सर्वोत्तम व्यंजनों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है; सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत खाद्य आदतों के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य मदों के साथ मध्याह्न भोजन की तैयारी पर ज़ोर देना; मध्याह्न भोजन की तैयारी में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना; प्रतियोगिता के लिए निर्णायकों के रूप में स्कूली बच्चों (प्राथमिक कक्षाओं में से एक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में से एक) को जोड़ना क्योंकि वे मिड-डे मील के अंतिम लाभार्थी हैं। इसके अलावा पोषण विशेषज्ञ खाना पकाने की प्रतियोगिता से भी जुड़े हो सकते हैं। विजेताओं को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत और औपचारिक रूप से सम्मानित किया जायेगा।

समग्र शिक्षा, एम.डी.एम. और कुछ सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन

प्रत्येक विद्यालय के प्रमुखों और शिक्षकों को छात्रों के लाभार्थ विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समग्र शिक्षा, एम.डी.एम. जैसे प्रावधानों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए विद्यालय स्तर की योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है। उन्हें इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपने विद्यालय की गतिविधियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें यह भी योजना बनाने की आवश्यकता है कि इनमें से कुछ प्रावधानों को कक्षा की प्रक्रिया में कितनी अच्छी तरह से एकीकृत किया जा सकता है या ये कक्षा प्रक्रियाओं को मज़बूत करने के लिए कैसे सहायता प्रदान करेंगे—जैसे कि इको क्लब, यूथ क्लब, पुस्तकालय आदि।

गतिविधि

प्रत्येक समूह में 6 प्रतिभागियों के छोटे समूह बनाएँ और उनसे इन पहलों और समाधानों के कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने और इन चुनौतियों को दूर करने का हल प्रस्तुत करने के लिए कहें।

खंड 2
कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना

बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए, पर उन्हें खुद को शिक्षित करने के लिए भी छोड़ दिया जाना चाहिए।

— *एर्नेस्ट डीम्नेट*

कार्यशाला अनुसूची एवं सत्र योजना

UN80MDSE02

विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के क्षमता विकास हेतु कार्यशाला अनुसूची

पाँचवाँ दिन

सत्र	सत्र का नाम	अवधि
मॉडयूल 1: विद्यालय नेतृत्व — अवधारणा एवं अनुप्रयोग		
10:00 am – 11:00 am	नेतृत्व — एक अवधारणा	60 मिनट
11:00 am – 11:15 am	चाय-अंतराल	15 मिनट
11:15 am – 01:00 pm	विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व	115 मिनट
01:00 pm – 02:00 pm	भोजनावकाश	
02:00 pm – 03:15 pm	विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करना	75 मिनट
03:15 pm – 03:30 pm	चाय-अंतराल	15 मिनट
मॉडयूल 2: पूर्व-प्राथमिक शिक्षा		
03:30 pm – 05:30 pm	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा	120 मिनट
05:30 pm – 06:00 pm	प्रतिपुष्टि	30 मिनट

छठवाँ दिन

सत्र	सत्र का नाम	अवधि
मॉडयूल 3: विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा		
09:30 am – 11:00 am	पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा	90 मिनट
11:00 am – 11:15 am	चाय-अंतराल	15 मिनट
मॉडयूल 4: शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता		
11:15 am – 01:15 pm	शिक्षण प्रक्रियाओं में जेंडर आयाम	90 मिनट
01:15 pm – 02:00 pm	भोजनावकाश	
मॉडयूल 5: विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें		
02:00 pm – 03:00 pm	विद्यालय शिक्षा में पहल	60 मिनट
03:00 pm – 03:15 pm	चाय-अंतराल	15 मिनट

समेकन – विद्यालय में गुणवत्ता सुधार एवं विद्यालय आधारित आकलन हेतु नेतृत्व		
03:15 pm – 04:45 pm	विद्यालय में गुणवत्ता सुधार एवं विद्यालय आधारित आकलन हेतु नेतृत्व	90 मिनट
04:45 pm – 05:15 pm	कार्यशाला का समापन	30 मिनट

पाँचवाँ दिन

सत्र का पाँचवाँ दिन विद्यालय नेतृत्व की अवधारणा को समझने के साथ शुरू होता है जिसमें 'लीडर इन एक्शन' बनने के लिए आवश्यक विशेषताएँ शामिल हैं और प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और दायित्वों पर दृष्टिकोण विकसित करना है। विद्यालय प्रमुख की विभिन्न भूमिकाओं एवं दायित्वों को समझने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा और पाठ्यक्रम के ढाँचे (नीपा, 2015) के परिप्रेक्ष्य को, बुनियादी स्तर पर विद्यालय प्रमुखों की वास्तविक भूमिकाओं के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। यह माना गया है कि विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के संदर्भ में विद्यालय प्रमुख की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक 'अकादमिक नेतृत्वकर्ता' के रूप में होती है। इस ढाँचे के अंतर्गत सत्रों का उद्देश्य, शैक्षणिक सहायता और निरीक्षण प्रदान करने द्वारा विद्यालय प्रमुखों का नेतृत्व क्षमता संवर्धन है जो विद्यालय आधारित आकलन को सुदृढ़ करता है। अंत में, सत्र एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है कि कैसे एक विद्यालय प्रमुख विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकता है जिसमें विद्यार्थी अधिगम में सुधार करने के लिए चिंतनशील अभ्यास और दल अधिगम जैसे पहलुओं पर ज़ोर दिया गया है। सत्र का अगला भाग, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर डिज़ाइन किया गया है, जो 4–6 वर्ष के आयुवर्ग की शैक्षणिक प्रक्रियाओं पर पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में विद्यालय प्रमुख की भूमिका पर ज़ोर देते हुए 'समग्र शिक्षा' के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विद्यालय प्रमुख का महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कक्षाओं के साथ पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के एकीकरण का नेतृत्व करना है। सत्र इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं कि विद्यालय प्रमुख कैसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच प्रारंभिक साक्षरता एवं प्रारंभिक संख्यात्मक कौशल बढ़ाने हेतु शिक्षकों को उचित दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल दे सकते हैं। पाँचवे दिन का समापन प्रतिपुष्टि से होता है।

सत्र क्रमांक	सत्र का नाम	सत्र का नाम	समय (मिनट)
1.	विद्यालय नेतृत्व— अवधारणा एवं अनुप्रयोग	नेतृत्व— एक अवधारणा	60
2.		विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व	115

3.		विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करना	75
4.	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा	120
5.		प्रतिपुष्टि	30

मॉडयूल 1: विद्यालय नेतृत्व — अवधारणा एवं अनुप्रयोग

नेतृत्व — एक अवधारणा

सत्र 1		
	गतिविधि	**समय (मिनट)**
1.	लीडर्स इन एक्शन — मेरा विद्यालय मेरी पहल	45
2.	विद्यालय नेतृत्वकर्ता — बहु-भूमिकाएँ एवं दायित्व	15

गतिविधि 1
लीडर्स इन एक्शन — मेरा विद्यालय मेरी पहल

विधि

बड़े समूह में चर्चा — व्यक्तिगत चिंतन-मनन, बड़े समूह में चर्चा

सुझाए गए चरण

- ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए सत्र का आरंभ करें जो किसी नेतृत्वकर्ता के पद पर न होने के बावजूद नेतृत्वकर्ता रहे हैं (इन उदाहरणों में आपके राज्य या पड़ोस के ऐसे विद्यालयों के उदाहरण शामिल होने चाहिए, जिसे प्रतिभागी आसानी से पहचान सकें)
- विद्यालय प्रमुखों की केस स्टडीज (विद्यालय नेतृत्वकर्ता मॉड्यूल 1 में दी गई हैं) साझा करें, जैसे — श्री छेवांग उरिगल, विद्यालय प्रमुख, सरकारी सरकारी प्राथमिक विद्यालय, हिमाचल प्रदेश और सुश्री रागिनी सुर्वे, विद्यालय प्रमुख, ज़िला परिषद् सरकारी प्राथमिक विद्यालय, रत्नागिरि, महाराष्ट्र। (दोनों विद्यालय प्रमुखों ने आधारिक संरचना के विकास, विद्यार्थी अधिगम के अवसर, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का रूपांतरण एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के माध्यम से अपने विद्यालयों में बदलाव की शुरुआत की और अनुकरणीय नेतृत्व अभ्यास क्षमताओं का परिचय दिया)
- प्रतिभागियों को नीचे दिया गया टेम्पलेट (खाका) वितरित करें और उनसे प्रत्येक कॉलम में कम से कम चार बिंदु लिखने के लिए कहें।

आपके विद्यालय की प्रमुख चुनौतियाँ	बदलाव के लिए आपके द्वारा की गयी पहल
आपके विद्यालय के संदर्भ में किन रणनीतियों ने काम किया और उनसे आपने क्या सीखा	आपके विद्यालय के संदर्भ में किन रणनीतियों ने काम नहीं किया और उनसे आपने क्या सीखा

- प्रत्येक प्रतिभागी को यह अभ्यास व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए|
- सुगमकर्ता A4 साइज़ का कागज़ वितरित कर, प्रतिभागियों को उस पर अपना नाम, विद्यालय का नाम और पूरा पता लिखने के लिए कहें।
- नोट्स बनाने के बाद, सुगमकर्ता प्रतिभागियों को बड़े समूह में चर्चा करने के लिए कह सकते हैं।
- सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों से उनके लेख एकत्र करें।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

1. एक प्रभावपूर्ण नेतृत्वकर्ता की क्या विशेषताएँ होती हैं?
2. 'लीडर इन एक्शन' के रूप में आप स्वयं को कैसे विकसित कर सकते हैं?
3. एक नेतृत्व की भूमिका को प्रशासक और प्रबंधक की भूमिका के अतिरिक्त कैसे समझा जा सकता है?
4. नेतृत्व को मात्र ताकत या सत्ता का उपयोग करने के बजाय, किसी को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्यों माना जाता है?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
आप स्वयं को संकुल/ब्लॉक/ज़िला के विद्यालयों के नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे देखते हैं?
आपको क्या लगता है कि सी.आर.सी./बी.आर.सी/ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ. के रूप में आप में कौन-कौन सी नेतृत्व क्षमताएँ हैं?

सुगमकर्ता के लिए

सुगमकर्ता चर्चा के दौरान सामने आयी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ बेहतरीन प्रणालियों को साझा करते हुए प्रश्न कर सकते हैं। बाद के चरण में सुगमकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक कागज़ के पन्ने पर जो लिखा है, उसे पढ़ें और प्रतिभागियों की कुछ सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों का एक पावर-पॉइंट प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) बना कर, प्रतिभागियों के साथ उसे साझा करे। प्रतिभागियों द्वारा साझा की गयी अच्छी पहल को मान्यता दी जानी चाहिए और जो प्रतिभागी कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास साझा नहीं कर पाते हैं, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे अपने विद्यालयों को बेहतर बना सकें।

प्रमुख संदेश
• नेतृत्व केवल पद से न होकर कुछ करके दिखाने से होता है। • नेतृत्व करने का अर्थ है— अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलना और बदलाव की एक नयी कहानी लिखना। • नेतृत्व करने का अर्थ है— एक बेहतर ढंग से बनाए लक्ष्य या व्यापक विज़न को साकार करने की दिशा में सबको साथ लेकर आगे बढ़ना।

गतिविधि 2
विद्यालय नेतृत्वकर्ता — बहु-भूमिकाएँ और दायित्व

विधि

बड़े समूह में चर्चा

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता, विद्यालय प्रमुखों के द्वारा किए गए प्रयासों को उनकी बहु-भूमिकाओं के साथ जोड़ते हैं।
- बहु-भूमिकाओं को चिह्नित करते हुए सुगमकर्ता को विद्यालय नेतृत्व विकास और उसके सात प्रमुख क्षेत्रों पर *राष्ट्रीय पाठ्चर्या की रूपरेखा* को विद्यालय प्रमुखों की अपेक्षित भूमिकाओं के साथ जोड़ना होगा।
- सुगमकर्ता परिवर्तन और समग्र विद्यालय विकास के लिए प्रत्येक मुख्य क्षेत्र या भूमिका के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं।
- सुगमकर्ता को विद्यालय प्रमुख को अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में संदर्भित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे ये समझ सकें कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की है।

विद्यालय प्रमुख की अपेक्षित बहु-भूमिकाएँ एवं दायित्व

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

- आप अपने दिन का अधिकांश समय कैसे व्यतीत करते हैं? नेतृत्व करते हुए? पर्यवेक्षण करते हुए? प्रशासन करते हुए? या किसी अन्य तरह?
- आपको क्या लगता है कि आपकी भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका विद्यार्थी अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करती है?
- क्या आपको लगता है कि अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य करते हुए समय का कुशल प्रबंधन आपके विद्यालय को बेहतर बनाने में मदद करेगा?
- विद्यार्थी अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी क्या भूमिका है?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक संदर्भ में नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी कौन सी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है?
एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते, विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल में सुधार हेतु अपनी भूमिका का क्रियान्वयन करने के लिए आप किन तीन रणनीतियों को शामिल करेंगे?

प्रमुख संदेश

- विद्यालय का विकास, कोष के उपयोग और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त एक व्यापक क्षेत्र है।
- नेतृत्व का अर्थ है— बहु-भूमिकाओं एवं दायित्वों में अपनी प्राथमिकताओं को तय करना और उन पर कार्य करना।
- विद्यालय नेतृत्व से अभिप्राय है— शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का अकादमिक पर्यवेक्षण के द्वारा नेतृत्व करना और विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु अधिगम वातावरण का निर्माण करना।

विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व

सत्र 2		
क्रम सं.	**गतिविधि**	**समय (मिनट)**
1.	सक्रिय अधिगम के सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना	30
2.	विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान को समझना	30
3.	विद्यालय में अकादमिक पर्यवेक्षण	50

गतिविधि 1
सक्रिय अधिगम के सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना

विधि

वीडियो आधारित बड़े समूह में चर्चा

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता बड़े समूह में 'युवा इतिहासकारों' पर वीडियो दिखाते हैं। मॉड्यूल में वीडियो स्रोत प्रदान किया गया है।
- सुगमकर्ता शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर वीडियो का संदर्भ लेते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं और प्रतिभागियों से विचारात्मक प्रश्न पूछते हैं।
- सुगमकर्ता की भूमिका वीडियो से सक्रिय शिक्षण-अधिगम के सिद्धांतों को चर्चा के माध्यम से उजागर करने की है।
- सक्रिय शिक्षण-अधिगम की विशेषताओं को बोर्ड पर सूचीबद्ध करने के बाद, सुगमकर्ता मॉड्यूल 1, भाग 5.1 में दी गई तालिका पर चर्चा करते हैं। तालिका बाल-केंद्रित शिक्षणशास्त्र के दृष्टिकोण से निष्क्रिय एवं सक्रिय शिक्षण-अधिगम की विशेषताओं को दर्शाती है।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

1. वीडियो से आपने क्या सीखा?
2. शिक्षण-अधिगम की इस पद्धति में शिक्षक की क्या भूमिका परिलक्षित होती है?
3. इतिहास रचने की प्रणाली का संचालन करने के लिए शिक्षक द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार तैयार किया गया था?
4. विद्यार्थियों की आपसी बातचीत की तुलना में शिक्षक की बातों पर कितना ध्यान दिया गया था?
5. वीडियो में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों द्वारा कौन-कौन से कौशल और व्यवहार अर्जित किए गए?
6. इस विशेष शिक्षण पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों की किस संज्ञानात्मक आवश्यकता को पूरा किया जा रहा था?
7. विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में, क्या आपने कभी अपने विद्यालय में बाल-केंद्रित शिक्षणशास्त्र तकनीकों का प्रदर्शन शिक्षकों के लिए किया है?
8. किस तरह से आप अपने विद्यालय में शिक्षकों को नवाचारी शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
कक्षा की प्रक्रियाओं में सक्रिय शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करने के महत्व के बारे में आप विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को कैसे प्रेरित करेंगे?

प्रमुख संदेश
• शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग करने से कक्षा शिक्षण आनंदमय बनती है।
• इसका प्रयोग बच्चों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
• सक्रिय अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग, विद्यार्थी अधिगम के आकलन के रूप में एक उपयोगी साधन की तरह किया जा सकता है।

गतिविधि 2
विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान को समझना

विधि

समूह गतिविधि — बड़े समूह में चर्चा

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए विद्यालय प्रमुखों की भूमिका का उल्लेख इस सत्र के संदर्भ में निर्धारित करते हैं।
- सुगमकर्ता प्रतिभागियों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अनुसार विद्यार्थी कैसे सीखते हैं और अधिगम के प्रतिफलों तथा विद्यालय आधारित आकलन से क्या तात्पर्य है? प्रतिक्रियाओं पर सुगमकर्ता द्वारा अवधारणाओं की वैचारिक स्पष्टता प्रदान की जाती है (मॉड्यूल 1 में भाग 5.2 देखें)।
- इसके बाद सुगमकर्ता अधिगम प्रतिफलों एवं आकलन नीतियों की अवधारणा को इस समझ के साथ जोड़ते हैं कि इनको तभी साकार किया जा सकता है, जब शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ सक्रिय अधिगम सिद्धांतों एवं शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान पर आधारित हों।
- सुगमकर्ता, शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की अवधारणा की संक्षिप्त जानकारी देते हैं, जो किसी विषय विशेष को पढ़ाने का एक अवधारणात्मक मानचित्रण है। साथ ही इसका संबंध विषय विशेष से सबंधित निर्देशात्मक नीतियों एवं उदाहरणों के संग्रह से है। इसमें विद्यार्थियों के पूर्व-ज्ञान एवं विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं की समझ भी निहित है।
- विद्यालय प्रमुखों को शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की जानकारी आवश्यक है, यदि उन्हें बेहतर अकादमिक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना है
- गतिविधि के अगले चरण में विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के छोटे समूह बनाए जाते हैं। सात समूह बनाए जा सकते हैं— समूह

1- विद्यालय आधारित आकलन, समूह 2- अधिगम प्रतिफल, समूह 3- विज्ञान शिक्षणशास्त्र, समूह 4- भाषा शिक्षणशास्त्र, समूह 5- गणित शिक्षणशास्त्र, समूह 6- सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र एवं समूह 7-पर्यावरण अध्ययन शिक्षणशास्त्र। प्रत्येक समूह में, विषय विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का मिश्रित प्रतिभाग होना आवश्यक है।

- अगले चरण में शिक्षक, विद्यालय प्रमुखों को, उनके विशेष समूह को दिए गए मॉड्यूल/थीम से प्राप्त सीखों पर जानकारी देने के साथ उनका उन्मुखीकरण करते हैं। यह ध्यान दिया जाए कि प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का उपरोक्त मॉड्यूल्स पर क्षमता संवर्धन किया जा चुका है।
- बड़े समूह में चर्चा के दौरान प्रत्येक समूह के विद्यालय प्रमुख प्रतिनिधि प्रस्तुति के माध्यम से इन बिदुंओं पर विचार प्रकट करते हैं—
  - कैसे वे विषय विशेष में शिक्षकों के अकादमिक पर्यवेक्षण के लिए समूह चर्चा से प्राप्त नये ज्ञान का उपयोग करेंगे, एवं
  - अधिगम सीखने के प्रतिफल और विद्यालय आधारित आकलन की समझ को अपने विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने में कैसे प्रयोग करेंगें (वे समूह जिन्हें अधिगम प्रतिफल तथा विद्यालय आधारित आकलन के बारे में चर्चा करने को दी गई थी)|

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान के बारे में आप कितना जागरूक हैं? (आपको इसकी आवश्यकता अपने संकुल/ब्लॉक/ज़िला आकलन के दौरान विद्यालय/कक्षा-कक्ष अवलोकन में पड़ेगी)
पाठ्यक्रम, बाल-केंद्रित शिक्षणशास्त्र, विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं संकल्पनाओं पर आप किस तरह से जानकारी प्राप्त कर अपनी समझ को विस्तृत करेंगे?

सुगमकर्ता के लिए

- समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम— निष्ठा, के दौरान विभिन्न मॉड्यूल पर शिक्षकों के क्षमता संवर्धन का उल्लेख कर सकते हैं। सामान्य और विशिष्ट दोनों मॉड्यूल वेब लिंक https://itpd.ncert.gov.in/ के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- निष्ठा के तहत विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को एक ही मंच पर लाया गया है जिससे कि दोनों भागीदार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ अधिगम प्रतिफल और विद्यालय आधारित आकलन की साझा समझ विकसित कर सकें।
- शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए मॉड्यूल 1 भाग 5.2 पढ़ें।

प्रमुख संदेश
• विद्यालय प्रमुख होने के नाते कक्षा 1 से 8 (यदि आप एक प्राथमिक मुख्य शिक्षक हैं तो कक्षा 1 से 5) के विभिन्न विषयों से सबंधित शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की समझ विकसित करना महत्वपूर्ण है।
• एक अकादमिक पर्यवेक्षक बनने के लिए विद्यालय प्रमुख के पास विभिन्न विषय-क्षेत्रों से संबधित शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान की समझ होनी चाहिए।

गतिविधि 3
विद्यालयों में अकादमिक पर्यवेक्षण

विधि

समूह गतिविधि— बड़े समूह में साझा करना और चर्चा करना

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता, एक अकादमिक पर्यवेक्षक के कार्य और उसकी तकनीकों की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देकर सत्र का संदर्भ निर्धारित करता है (मॉड्यूल 1 में भाग 5.3 देखें)।
- समूह गतिविधि – सुगमकर्ता इससे पहले सत्र में बनाए गए समूहों के साथ इस गतिविधि को जारी रख सकता है।
- इस बार विद्यालय प्रमुख, समूह प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे।
- समूह में विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/प्रारंभिक कक्षाओं वाले विद्यालयों के लिए 'अकादमिक पर्यवेक्षण' शीर्षक से एक साप्ताहिक अनुसूची तैयार करनी है। तालिका के रूप में एक उदाहरण नीचे दिया गया है।
- साप्ताहिक अनुसूची में, प्रतिभागियों को अकादमिक पर्यवेक्षण का 'कब, क्या और कैसे' का उल्लेख करना है।
  - **कब** – विद्यालय प्रमुख अवलोकन के लिए किसी विशेष कक्षा में कब-कब जाएँगे?
  - **क्या** – शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रधान शिक्षक क्या निरीक्षण करेंगे?
  - **कैसे** – विद्यालय प्रमुख कक्षा के दौरान या बाद में विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन हेतु किस तरह की विधियाँ अपनाएँगे या कक्षा के बाद शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर शिक्षक (शिक्षकों) को कैसे प्रतिपुष्टि देंगे।
- समूह के कार्य के पश्चात विद्यालय प्रमुख बड़े समूह में अपनी कार्य-योजना साझा करते हैं।
- साप्ताहिक अनुसूची में विद्यालय प्रमुख, शिक्षकों के बीच सहकर्मी अधिगम (peer learning) के लिए एक या दो दिन आवंटित कर सकते हैं।

साप्ताहिक दिन	आवृत्ति	मैं किस प्रकार से अवलोकन करूँगा/करूँगी? (विशिष्ट व सामान्य अवलोकन)	मैं किन तकनीकों के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्रक्रिया को संपन्न करूँगा/करूँगी?	मैं किन तकनीकों के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्रक्रिया को संपन्न करूँगा/करूँगी?

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

1. शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए आप कक्षाओं का अवलोकन कैसे करेंगे?
2. आप कक्षा में शिक्षक का उसके शिक्षणशास्त्र-विषयवस्तु ज्ञान के संदर्भ में कैसे अवलोकन करेंगे? क्या शिक्षक, 'निष्ठा' के प्रशिक्षण में सीखी गई नयी विधियों को कक्षाओं में लागू कर रहे हैं?
3. कक्षा प्रक्रियाओं के दौरान शिक्षक सक्रिय अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग कितना कर पा रहे हैं?
4. कक्षा की प्रक्रियाओं के दौरान और बाद में विद्यार्थी अधिगम के आकलन के लिए शिक्षक द्वारा तैयार किए गए आकलन के तरीके क्या हैं?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
संकुल/ब्लॉक/ज़िला स्तर पर अकादमिक पर्यवेक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका है?
विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु आप अपने संकुल/ज़िला/ब्लॉक में विद्यालय प्रमुख व शिक्षकों को कैसे प्रेरित करेंगे?

सुगमकर्ता के लिए

सुगमकर्ता को इस सत्र को एक विद्यालय प्रमुख की बहु-भूमिकाओं एवं दायित्वों के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत करना है, ताकि इस बात पर ज़ोर दिया जा सके कि विद्यालय प्रमुख को

सामान्य रूप से अन्य भूमिकाओं को भी निभाने की आवश्यकता है। इन भूमिकाओं में सम्मिलित है—स्वयं एवं शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, दल का नेतृत्व, नवाचार की संस्कृति का निर्माण एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समग्र परिवर्तन लाने के लिए अभिभावकों तथा समुदाय के साथ साझेदारियों का नेतृत्व। जब तक शिक्षकों और विद्यार्थियों के विकास की समग्र रूपरेखा नहीं बनती, तब तक केवल कक्षा के भीतर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बदलाव लाने से परिणाम नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए, एक प्रभावी विद्यालय दल (शिक्षक, गैर-शैक्षणिक कार्यकर्ता, विद्यालय प्रमुख एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य) जब विद्यार्थी अधिगम में सुधार लाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के व्यक्तिगत-सामाजिक गुणों एवं अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास, एक विज़न के रूप में करता है, तब बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में सामुदायिक संसाधनों को समेकित करने जैसी नीतियाँ विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकती हैं। इसी तरह, अभिभावकों के सहयोग से विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में काफी सुधार हो सकता है। विद्यालय में नवाचारों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने से शिक्षकों और विद्यार्थियों में सीखने, प्रयोग एवं अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। वे नये और रचनात्मक विचारों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाएँ सिर्फ़ कक्षा के भीतर होने वाली गतिविधियाँ ही नहीं हैं, अपितु विद्यालय से जुड़ी हुई हर प्रक्रिया का प्रभाव विद्यार्थियों के अधिगम एवं उनके समग्र विकास पर पड़ता है।

विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करना

सत्र 3		
	गतिविधि	**समय (मिनट)**
1.	चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक व विद्यालय प्रमुख	30
2.	विद्यार्थी अधिगम प्रतिफल में सुधार हेतु दल अधिगम	45

गतिविधि 1
चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक व विद्यालय प्रमुख

विधि

बड़े समूह में चर्चा एवं व्यक्तिगत गतिविधि

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता मॉड्यूल में दिए गए ग्राफ़िक को दिखाते हैं (मॉड्यूल 1 में भाग 6.1 देखें)। इस ग्राफ़िक में शिक्षण अभ्यासों व उनके प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण के दो पहलू दिए गए हैं।

- सुगमकर्ता, प्रतिभागियों को ग्राफ़िक पर समूह में विचार करने के लिए कहते हैं। प्रतिभागी दो विचारधाराओं के बीच के अंतर को समझने के अपने प्रयास सभी के साथ साझा करते हैं— एक विचारधारा जो मानती है कि 'ज्ञान' दिया जाता है और उसे एकतरफा रूप से शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाना चाहिए। दूसरी विचारधारा, अनुभव के आधार पर अपनी समझ विकसित करने हेतु कक्षा में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती है, जिसे विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन के पश्चात शिक्षकों द्वारा समर्थित या संशोधित किया जा सकता है।
- इस ग्राफ़िक को ध्यान में रखते हुए सुगमकर्ता, शिक्षकों/विद्यालय प्रमुखों को अपने शिक्षण अभ्यास पर विचारात्मक प्रश्न करने के लिए कहते हैं।
- इसके बाद सुगमकर्ता, आत्म-चिंतन को एक रणनीति या साधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से प्रतिभागी स्वयं के द्वारा किए गए व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक अभ्यासों पर चिंतन-मनन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षा पर आत्म-चिंतन करने की प्रक्रिया (मॉड्यूल 1 में भाग 6.1 देखें)। इसके अलावा, विद्यालय प्रमुख, विद्यालय से संबधित किसी भी घटना पर आत्म-चिंतन कर सकते हैं। जैसे, हो सकता है कि एक विद्यालय प्रमुख समुदाय के सदस्यों के साथ कार्य करने के दौरान किसी विशेष चुनौती से जूझ रहा है जिसके कारण विद्यालय के संचालन में बाधाएँ पैदा हो रही हैं। चिंतन-मनन के माध्यम से विद्यालय प्रमुख उन कारणों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं जिनकी वजह से समुदाय के साथ सहयोग लेने में असफलता मिल रही है। वे नयी रणनीतियों के बारे में भी सोच सकते हैं जो कारगर तरीके से समुदाय को प्रभावित कर पाएँगी।
- सुगमकर्ता को इस बात पर ज़ोर देना है कि निरंतर विचारात्मक प्रश्न अथवा आत्म-चिंतन करने से व्यक्ति को शिक्षण या नेतृत्व अभ्यासों में सुधार हेतु मदद मिलती है। पुरानी समस्याओं और वर्तमान चुनौतियों का समाधान अथवा पारंपरिक विधियों को नये ढंग से गढ़ने के तरीके, आत्म-परीक्षण की प्रक्रिया से संभव हो पाते हैं। चिंतन-मनन के माध्यम से नयी अंतर्दृष्टि और रचनात्मक समाधान भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे स्वयं की धारणाओं एवं मानसिक दृष्टिकोणों का समालोचनात्मक ढंग से परीक्षण करने में सहयोग मिलता है।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

- चिंतन-मनन से आप क्या समझते हैं? यह आपके विद्यालय के संदर्भ में कैसे सहायक होगा?
- क्या आपने पहले कभी चिंतन-मनन किया है? क्या विधि रही है?
- अपने विद्यालय में आप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सुधार हेतु चिंतन-मनन की तकनीक को कैसे अपनाएँगे?
- एक विद्यालय प्रमुख के रूप में आप अपने शिक्षकों को चिंतनशील अभ्यासों को अपनाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे?

- एक विद्यालय प्रमुख के रूप में आप किस तरह से अपने नेतृत्व करने के तरीकों में सुधार लाने हेतु चिंतन-मनन का प्रयोग करेंगे?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
अपनी भूमिकाओं के उद्देश्यों पर आप कितनी बार चिंतन-मनन करते हैं?
एक सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ. के रूप में आप स्वयं में सुधार लाने हेतु चिंतन-मनन को एक सार्थक साधन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे?

सुगमकर्ता के लिए

चिंतनशील अभ्यास विद्यालयों में एक जीवंत वातावरण बनाने के लिए हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रमुख संदेश
• चिंतन-मनन, किसी व्यक्ति के लिए अपनी धारणाओं, दृष्टिकोण, ज्ञान व कौशलों के स्तर का परीक्षण कर उसे संशोधित या उन्नत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
• चिंतनशील अभ्यास में संलग्न विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों के विद्यालयों की सीखने की संस्कृति में काफी सुधार हो सकता है।

गतिविधि 2
विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों में सुधार हेतु दल अधिगम

विधि

सुगमकर्ता द्वारा संचालित रोल प्ले एवं बड़े समूह में चर्चा

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता, विद्यालय के अकादमिक परिवर्तन के विषय पर आधारित एक अनुकरणीय स्टाफ मीटिंग आयोजित करने की योजना बनाते हैं। वह 10–12 प्रतिभागियों को स्टाफ मीटिंग पर एक रोल प्ले आयोजित करने हेतु स्वेच्छा से भूमिका निभाने के लिए कहते हैं। सुगमकर्ता एक प्रारंभिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुख की भूमिका निभाएँगे और प्रतिभागियों को विभिन्न प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा शिक्षकों की भूमिका निभानी होगी।
- प्री-रोल प्ले अभ्यास के रूप में, सुगमकर्ता, प्रतिभागियों से जो शिक्षकों की भूमिका में हैं, काल्पनिक डेटा बनाने के लिए कहते हैं, जो संबधित होगा— 1) उनके द्वारा कक्षा में अपनाये जा रहे नवाचारों से 2) विद्यार्थी अधिगम में प्रयोग की जाने वाली आकलन रणनीतियों से एवं 3) दो सीमाओं के अंतराल पर स्थित विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल से (वे विद्यार्थी जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं)।

- सुगमकर्ता तैयारी के लिए 15 मिनट देते हैं। शेष प्रतिभागी तैयारी में भूमिका निभाने वाले प्रतिभागियों की मदद करते हैं।
- 15 मिनट के बाद सुगमकर्ता एक अनुकरणीय स्टाफ मीटिंग आयोजित करते हैं।
- मीटिंग, सुगमकर्ता (जो विद्यालय प्रमुख की भूमिका निभा रहा है) द्वारा स्वागत से प्रारंभ होती है जो विद्यार्थी अधिगम की वृद्धि हेतु विद्यालय के विज़न को सभी के साथ साझा करते हैं और शिक्षकों को इस बारे में अपनी राय बताने के लिए कहते हैं|
- इसके बाद सुगमकर्ता, शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अपनाये गए आकलन की (नयी) रणनीतियों को साझा करने के लिए कहते हैं। साथ ही दो समय सीमाओं के अंतराल पर स्थित विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफलों की तालिका भी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह संभव है कि कुछ शिक्षक, डेटा के माध्यम से विद्यार्थी अधिगम में सुधार न हो पाने की स्थिति को सब के सामने रखते हैं जिसका हल सामूहिक रूप से स्टाफ मीटिंग में किया जाता है।
- सुगमकर्ता का प्रयास स्टाफ मीटिंग के संचालन को इन मुद्दों पर केंद्रित करना है— शिक्षण अभ्यासों को साझा करना, विद्यार्थी आकलन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा, अधिगम प्रतिफलों की संप्राप्ति के लिए रणनीतियाँ बनाना।
- सुगमकर्ता को इस बात पर ज़ोर देना होगा कि स्टाफ मीटिंग सभी शिक्षकों के लिए सीखने का एक अवसर है। शिक्षण अभ्यासों से संबधित चुनौतियों को एक-दूसरे के साथ साझा करना, विद्यार्थियों से संबंधित विविध मुद्दों पर बात करना, उनकी अधिगम आवश्यकताओं पर चर्चा करना एवं सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को एक-दूसरे के साथ साझा करना। स्टाफ मीटिंग, शिक्षकों के बीच चिंतनशील संवाद के अवसर उत्पन्न करने के रूप में भी की जा सकती है। अत: स्टाफ मीटिंग शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए भी उपयोगी है।
- यह एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ विद्यालय प्रमुख किसी भी नयी शिक्षण-अधिगम पद्धति को प्रदर्शित कर सकते हैं या विद्यार्थी अधिगम के अनुभवों को बेहतर बनाने हेतु नवाचारी प्रयोगों पर श्रव्य-दृश्य संसाधनों को भी दिखा सकते हैं।
- रोल प्ले के दौरान, स्टाफ मीटिंग का समापन एक फॉलो-अप योजना के साथ होता है जिसमें आपसी सहमति से यह निर्णय लिया जाता है कि 15–20 दिन बाद शिक्षण अभ्यासों से जुड़ी आकलन रणनीतियों एवं विद्यार्थी अधिगम में सुधार के संबंध में योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। अगली मीटिंग में प्रत्येक कक्षा शिक्षक के द्वारा किए गए अभ्यासों को व्यक्त करने के अवसर दिए जाएँगे।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

- एक विद्यालय प्रमुख के रूप में विद्यार्थी अधिगम एवं अधिगम प्रतिफलों को बेहतर बनाने की आपकी क्या योजना है?
- शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं एवं विद्यार्थी अधिगम के आकलन को प्रक्रिया आधारित बनाने के लिए आप शिक्षकों का सहयोग कैसे करेंगे?

- आप विद्यार्थी अधिगम की प्रगति को कैसे मापेंगे (गुणात्मक एवं संख्यात्मक)?
- अपने विद्यालय में विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु आप और क्या तरीके अपना सकते हैं? (संकेत — शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, विद्यालय समुदाय संबंधों को मज़बूत बनाना, आस-पास के विद्यालयों से सीखना, शैक्षणिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को ले जाना, प्रयोग के लिए बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करना, अंतर-विद्यालयी यात्राएँ, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करना इत्यादि)।

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षक, विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहें, इसके लिए आपकी क्या भूमिका होगी?
विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु उपलब्ध, संकुल/ब्लॉक/ज़िले स्तर पर, मीटिंग के मंच का आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे?
अपने संकुल/ब्लॉक/ज़िला के शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों के बीच सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने की आपके पास क्या योजना है?

सुगमकर्ता के लिए

इस बात पर ज़ोर दें कि एक साझा विज़न निर्मित करने और विद्यालय में एक जीवंत अधिगम संस्कृति के निर्माण हेतु दल अधिगम के अवसर प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है। मॉड्यूल 1 भाग 6.2 में प्रभावी स्टाफ मीटिंग करने के लिए मार्गदर्शन के बिंदु दिए गए हैं।

प्रमुख संदेश
• एक विद्यालय प्रमुख को विद्यालय में एक अनुकूल अधिगम संस्कृति बनानी होगी। • स्टाफ मीटिंग, विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों, दोनों के लिए विद्यार्थी अधिगम में सुधार एवं अकादमिक पर्यवेक्षण पर रणनीतियाँ व योजना बनाने हेतु एक प्रभावी मंच है।

मॉड्यूल 2: पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

सत्र 4		
	गतिविधि	समय (मिनट)
1.	प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुखों के द्वारा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का नेतृत्व करना	60
2.	पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभिक साक्षरता व संख्यात्मक गतिविधियों का नेतृत्व करना	60

गतिविधि 1
प्राथमिक/प्रांरभिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुखों द्वारा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का नेतृत्व करना

विधि

बड़े समूह में — चर्चा-समूह गतिविधि-बड़े समूह में चर्चा पठन सामग्री

सुझाए गए चरण —

- सुगमकर्ता, विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को विचारात्मक प्रश्न (1–3) पर विचार करने के लिए कहते हैं। वे इस प्रश्न के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं?
- प्रतिक्रियाँ प्राप्त करते समय, सुगमकर्ता, कुशलतापूर्वक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से संबधित सामग्री को एकीकृत करते हैं और यह भी बताते हैं कि यह स्तर महत्वपूर्ण क्यों है?
- इसके बाद, सुगमकर्ता, प्रतिभागियों को 6 के समूहों में बैठने के लिए कहते हैं और सवाल पूछते हैं कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं?
- अलग-अलग समूह, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से संबधित शारीरिक एवं गति विकास, सामाजिक-भावनात्मक विकास, रचनात्मक कला एवं अभिव्यक्ति, भाषा विकास, प्रारंभिक साक्षरता, पर्यावरण जागरूकता एवं गणितीय तर्क की संभावित गतिविधियों और शैक्षणिक प्रणालियों पर चर्चा करते हैं।
- छोटे समूहों में कार्य के पश्चात, अलग-अलग समूह ऊपर दिए गए 7 क्षेत्रों पर अपनी गतिविधियों को साझा करते हैं। प्रस्तुतिकरण के दौरान, सुगमकर्ता बोर्ड पर उन कारकों को सूचीबद्ध करते हैं, जिन्हें पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के समग्र विकास के लिए गतिविधियों की रूपरेखा बनाने हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- सुगमकर्ता पूर्व-प्राथमिक बच्चों के लिए आकलन के महत्व और तरीकों पर चर्चा करते हैं।
- इसके बाद, सुगमकर्ता विद्यालय प्रमुखों से 4–6 चिंतन-मनन के प्रश्न पूछते हैं। जब प्रतिभागी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा के बीच संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीति साझा करते हैं, सुगमकर्ता उन बिंदुओं को बोर्ड पर लिखते हैं और मॉड्यूल की संदर्भ सामग्री के साथ प्रतिक्रियाओं को जोड़ते हैं।
- सुगमकर्ता, "पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में एक दिन" का उदाहरण प्रतिभागियों से साझा करते हैं जैसा कि मॉड्यूल में दिया गया है।
- विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता ऊपर दिए गए उदाहरण को पढ़ते हैं। यदि कागज़ीय प्रति अनुपलब्ध है, तो सुगमकर्ता कंप्यूटर पर नमूना दिखा सकते हैं।
- यदि समय बचता है, तो सुगमकर्ता प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित कर सकते हैं और उन्हें अन्य विषयों के आधार पर पूर्व-प्राथमिक कक्षा में एक दिन के कार्यक्रम का एक संक्षिप्त नमूना विकसित करने के लिए कह सकते हैं।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्या है?
2. आपको क्यों लगता है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में निवेश समझदारी है?
3. समग्र शिक्षा की नयी योजना में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की क्या प्रासंगिकता है?
4. एक विद्यालय प्रमुख/व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में, आप पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के बीच संबंध को किस तरह से महत्वपूर्ण बता सकते है?
5. एक-दूसरे के साथ सीखने हेतु एक ही मंच पर पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को लाने में एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में आप क्या करेंगे?
6. पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक कक्षाओं के बीच मज़बूत संबंध बनाने के लिए विद्यालय प्रमुख की क्या नीतियाँ हो सकती है (मॉड्यूल 2 का संदर्भ लें)?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
आप किस तरह से यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके संकुल/ब्लॉक/ज़िला में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के बीच एक सुदृढ़ संबंध कायम हो सके?

सुगमकर्ता के लिए

विषय की गहन जानकारी प्राप्त करने और यह देखने के लिए कि मॉड्यूल में उल्लेखित सभी बिंदु पूरी तरह से शामिल कर लिए गए हैं, सुगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़े। मॉड्यूल के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए मॉड्यूल से अतिरिक्त गतिविधियाँ चुन सकते हैं।

प्रमुख संदेश

- बच्चे जीवनपर्यंत सीख सकें, इसके लिए विद्यालय प्रमुखों को शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना आवश्यक है जिससे कि वे पूर्व-प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के समग्र विकास हेतु उपयुक्त विकासात्मक प्रणालियाँ विकसित कर सकें।
- इस प्रयास में व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रमुख शिक्षकों व शिक्षकों को सहयोग देना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संकुल/ब्लॉक/ज़िले में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्रभावी ढंग से प्राथमिक विद्यालय से जुड़े।

गतिविधि 2
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभिक साक्षरता व संख्यात्मक गतिविधियों का नेतृत्व करना

विधि

बड़े समूह में— चर्चा-समूह गतिविधि-बड़े समूह में चर्चा

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता पहले भाग के प्रमुख बिंदुओं का सारांशीकरण करके इस गतिविधि का संदर्भ निर्धारित करते हैं। इसके बाद वे चिंतन-मनन के प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं (1–3)|
- प्रतिभागी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और मॉड्यूल से संकेत लेते हुए सुगमकर्ता पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की शैक्षणिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रारंभिक साक्षरता पर बड़े समूह में चर्चा करते हैं। सुगमकर्ता मौखिक भाषा के विकास पर प्रकाश डालते हैं, प्रारंभिक साक्षरता और लेखन के लिए जागरूक करते हैं, ध्वनात्मक विज्ञान एवं बच्चों का पुस्तकों के साथ लगाव, इन सभी को प्रारंभिक साक्षरता के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के रूप में प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उपरोक्त प्रक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए, सुगमकर्ता को मॉड्यूल में वर्णित सभी बिंदुओं को शामिल करने की आवश्यकता है। इस समय, सुगमकर्ता प्रतिभागियों से 4–5 विचारात्मक प्रश्न पूछते हैं।
- सुगमकर्ता प्रतिभागियों को दो समूहों में विभाजित करते हैं
- समूह गतिविधि— दोनों ही समूह विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के मिश्रित प्रतिभागियों से बनाए जाते हैं। एक समूह, प्रारंभिक साक्षरता और दूसरा समूह, प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों व नयी रणनीतियों पर काम करता है।
- समूहों के विचार-मंथन के बाद सुगमकर्ता पहले समूह को प्रस्तुति देने के लिए कहते हैं, साथ ही मॉड्यूल से प्रारंभिक साक्षरता बढ़ाने हेतु योजनाओं एवं अवसरों को प्रतिभागियों द्वारा साझा किए जा रहे बिंदुओं में जोड़ते हैं। जब दूसरा समूह प्रस्तुति देता है, सुगमकर्ता मॉड्यूल से प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान बढ़ाने के लिए योजनाओं एवं अवसरों को सूची में जोड़ते हैं।
- सुगमकर्ता, विशेष रूप से, प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान के लिए कुछ गतिविधियों के उदाहरणों के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये वर्गीकरण, तुलना, नमूने, अनुक्रमिक सोच और समस्या सुलझाने के कौशलों से संबधित हैं।
- अंत में, सुगमकर्ता इस बात पर चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक साक्षरता और प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान के सापेक्ष बच्चों की प्रगति का आकलन कैसे करें।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के शिक्षणशास्त्र से आप क्या समझते हैं?
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के लिए सीखने के दो तरीके क्या हैं? (संकेत— प्रारंभिक साक्षरता और प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान)
- वे कौन सी विशिष्ट गतिविधियाँ हैं जो पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए प्रारंभिक साक्षरता कौशल विकसित करने के लिए आयोजित की जा सकती हैं?
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान को दैनिक जीवन से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है?

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान एवं कौशलों को विकसित करने हेतु हम किस प्रकार के सीखने के अवसर प्रदान कर सकते हैं?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
पर्यवेक्षण के दौरान संकुल/ब्लॉक/ज़िला में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय बच्चों को दी गई प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के अवसरों के संदर्भ में आप क्या अवलोकन करेंगे? आप शिक्षकों का समर्थन कैसे करेंगे?

सुगमकर्ता के लिए

विषय की गहन जानकारी प्राप्त करने और यह देखने के लिए कि मॉड्यूल में उल्लेखित सभी बिंदु पूरी तरह से शामिल कर लिए गए हैं, सुगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़े। मॉड्यूल के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए मॉड्यूल से अतिरिक्त गतिविधियाँ चुन सकते हैं।

प्रमुख संदेश

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अवस्था एवं शिक्षणशास्त्र प्रक्रियाओं के अनुकूल उपयुक्त सीखने के अवसर प्रदान करने की ज़रूरत है।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के कौशलों को विकसित करने हेतु विद्यालय में प्रमुख शिक्षकों और शिक्षकों को मिलकर किन योजनाओं को बनाना चाहिए जो पूर्व-प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ने में मदद करे।

प्रतिपुष्टि

सत्र 5		
	गतिविधि	**समय (मिनट)**
1.	प्रतिपुष्टि	30

गतिविधि— प्रतिपुष्टि

विधि

बड़े समूह में चर्चा

सुझाए गए चरण—

- सुगमकर्ता प्रतिभागियों के एक घेरे या अर्ध-घेरे में बैठने की व्यवस्था करते हैं।

- सुगमकर्ता प्रतिभागियों को आराम से बैठने और कुछ सेकेंड के लिए आराम करने को कहते हैं।
- सुगमकर्ता निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं—
  - दिन के अंत में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? (महसूस करने पर ज़ोर)
  - आज की कार्यशाला से आपने क्या सीखा?
  - विद्यालय/इकाई (संकुल/ब्लॉक/ज़िला) में वापस जाने पर कौन से तीन मुख्य पहलुओं पर आप काम करना शुरू करेंगे?
  - इस कार्यशाला को अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर अनुभव बनाने हेतु आप कल क्या करेंगे?

सुगमकर्ता के लिए

पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर प्रतिभागी इस प्रश्न का उत्तर, उन्होंने क्या सीखा है, के संबंध में देते हैं। इसके बजाय उनसे पूछें कि वे दिन की समाप्ति पर कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रतिक्रियाओं को आने दें—प्रोत्साहित, प्रेरित, उदास, ताज़ा आदि। सुगमकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिभागी अधिकतम संख्या में प्रतिक्रिया दें। भावनाओं को साझा करने से प्रतिभागियों को आराम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने दिन भर की कार्यशाला में क्या सीखा, का पुनर्कथन करने में मदद मिलेगी। प्रतिभागियों ने जो सीखा, वह सुगमकर्ता के लिए भी एक प्रतिपुष्टि समान है जिससे उन्हें अपने कार्य को और बेहतर करने में सहायता मिलेगी। सुगमकर्ता, शेष प्रश्नों के भी उत्तर माँग सकते हैं और दिन का समापन कर सकते हैं।

छठवाँ दिन

छठवाँ दिन, विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा से प्रारंभ होता है। इस सत्र को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने के लिए विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के उन्मुखीकरण के लिए बनाया गया है। पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 6–8 तक के लिए क्रियान्वित करने की योजना है। शिक्षा अध्ययन की विद्यमान योजना में अलग से जोड़ने के बजाय पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में कार्य-आधारित गतिविधियों के एकीकरण के रूप में संकल्पित किया गया है। इसके अलावा इससे संबधित मॉड्यूल भारतीय संदर्भ में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल आधारित विकास पर व्यापक जानकारी देता है। अगला सत्र, कक्षा और विद्यालय की प्रक्रियाओं में लैंगिक रूढ़िवादिता (जेंडर स्टीरियोटाइप) की पहचान करने और उनसे संबंधित प्रश्न करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त यह सत्र विभिन्न विषयों में शिक्षण के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने में शिक्षकों का समर्थन करने हेतु विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को उन्मुख करता है। अगला

सत्र, एम.एच.आर.डी. द्वारा विद्यालय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के उद्देश्यों और मानदंडों के साथ स्वयं को उन्मुख करने के लिए विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। अंतिम सत्र, विद्यालय प्रमुखों को निष्ठा के तहत दो दिवसीय कार्यशाला के अधिगम को समेकित करने में मदद करता है। दो दिनों में प्राप्त किए गए ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण विद्यालय गुणवत्ता एवं विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु विद्यालय आधारित योजना का आधार बनते हैं।

सत्र	सत्र का नाम	समय (मिनट)
1.	विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा	90
2.	शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम	90
3.	विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें	60
4.	समेकन — विद्यालय में गुणवत्ता सुधार एवं विद्यालय आधारित आकलन हेतु नेतृत्व	90
5.	कार्यशाला का समापन	30

मॉड्यूल 3 — विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

सत्र 1		
	गतिविधियाँ	समय (मिनट)
1.	कार्य अनुभव कार्यक्रम और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की समझ को विकसित करना	60
2.	पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा उच्च प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालयों में लागू करना	30

गतिविधि 1
कार्य अनुभव कार्यक्रम और पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की समझ को विकसित करना

विधि

विचार करें-जोड़ी बनाएँ-साझा करें

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता प्रतिभागियों (विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं) से चिंतन-मनन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं।
- प्रतिभागी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं।

- 15 मिनट के बाद, सुगमकर्ता प्रतिभागियों को अन्य प्रतिभागियों के साथ जोड़ी बना कर एक या एक से अधिक ठोस उत्तर पर सहमति बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- जोड़ी साझाकरण बड़े समूहों में विचारों को साझा करने की ओर जाता है।
- बड़े समूह में प्रतिक्रियाएँ लेते समय सुगमकर्ता, मॉड्यूल में शामिल विषयों, जैसे— भारत में कार्य आधारित शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कौशल विकास, सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशलों का समेकन, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 6–8 में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा एवं अन्य संबंधित विषयों के माध्यम से पूर्व-व्यावसायिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ को समझाते हैं।

विद्यालय प्रमुख के लिए विचारात्मक प्रश्न

1. कार्य आधारित शिक्षा पर भारत में विभिन्न शिक्षा आयोगों द्वारा दिए गए प्रमुख बिंदु क्या हैं?
2. विद्यालयों में कार्य अनुभव कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं?
3. विद्यालयों में कार्य अनुभव कार्यक्रमों की आवश्यकता के पक्ष/विपक्ष पर अपनी प्रतिक्रिया दें?
4. विद्यालयों में कार्य आधारित अनुभव की सीमाएँ क्या हैं?
5. कार्य अनुभव कार्यक्रम, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है?

सुगमकर्ता के लिए

विषय की गहन समझ विकसित करने और यह देखने के लिए कि मॉड्यूल में उल्लेखित सभी बिंदु पूरी तरह से शामिल कर लिए गए हैं, सुगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा पर मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ें। मॉड्यूल के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए सुगमकर्ता मॉड्यूल से अतिरिक्त गतिविधियाँ चुन सकते हैं।

गतिविधि 2
उच्च प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का नेतृत्व करना

विधि

समूह गतिविधि-बड़े समूह में साझा करना

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता सामान्य अकादमिक विषयों, जैसे — विज्ञान, भाषा इत्यादि के साथ कौशल आधारित गतिविधियों को जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा के अन्तर्गत छठवीं से लेकर आठवीं तक की कक्षाओं में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा का संदर्भ देते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं।

- प्रतिभागियों (विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं) को समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह को कहा जाता है वे किसी भी विषय में बच्चों के लिए कार्य-आधारित गतिविधियों का निर्माण करें। ये गतिविधियाँ उपयोगी कार्य हेतु आधारभूत कौशलों की आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए।
- सुगमकर्ता, समूहों को चयनित विषयों में कार्य आधारित गतिविधियों की रूपरेखा बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव दे सकते हैं, जैसे — व्यावहारिक अधिगम, समस्या समाधान, दल आधारित प्रोजेक्ट, बहु-रूपी अभिव्यक्ति के अवसर एवं अलग-अलग विषयों से संबंधित ज्ञान एवं कौशल के प्रयोग वाले प्रोजेक्ट।
- कार्य-आधारित गतिविधियाँ तैयार कर लेने के पश्चात सुगमकर्ता प्रत्येक समूह को बड़े समूह में प्रस्तुति देने के लिए कहते हैं।
- अंत में सुगमकर्ता व्यावसायिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम, एक व्यावसायिक शिक्षक की भूमिका एवं कार्य और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न अवसर जो बच्चों के लिए उपलब्ध हैं, के बारे में प्रतिभागियों को व्यापक ज्ञान देते हैं।

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
आपके संकुल/ब्लॉक/ज़िले की विद्यालयी प्रक्रियाओं में पूर्व-व्यावसायिक अवसर समेकित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ. के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी?
अपने संकुल/ब्लॉक/ज़िले के विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को आप किस प्रकार सहयोग देंगे?

सुगमकर्ता के लिए

विषय की गहन समझ के लिए और यह देखने के लिए कि मॉड्यूल में उल्लेखित सभी बिंदु पूरी तरह से शामिल कर लिए गए हैं, सुगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि वे पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा पर मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ें। मॉड्यूल के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए मॉड्यूल से अतिरिक्त गतिविधियाँ चुन सकते हैं।

प्रमुख संदेश
• पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा में निहित विचार है, कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक की शिक्षा अध्ययन की विद्यमान योजना में एक पृथक पहलू जोड़ने के बजाय शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ कार्य आधारित क्रियाकलापों को समेकित करना। • अपने विद्यालय में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों को समेकित करना सभी विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है।

मॉड्यूल 4 — शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम

सत्र 2		
	गतिविधियाँ	समय (मिनट)
1.	अधिगम प्रक्रियाओं एवं व्यवहार में समानता को बढ़ाने के लिये लैंगिक रूढ़िवादिता (जेंडर स्टीरियोटाइप) पर चर्चा करना	60
2.	विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर संवेदनशीलता को प्रमुखता देते हुए नेतृत्व करना	30

गतिविधि 1
अधिगम प्रक्रियाओं एवं व्यवहार में समानता को बढ़ाने के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता (जेंडर स्टीरियोटाइप) पर चर्चा करना

विधि

बड़े समूह में विचारात्मक प्रश्न

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता के तहत के विषय पर मॉड्यूल के बारे में जानकारी देते हैं और प्रतिभागियों से विचारात्मक प्रश्न के तहत प्रश्न 1–3 पूछते हैं।
- प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, सुगमकर्ता उन्हें निम्न तालिका दिखाते हुए एक गतिविधि करने को कहते हैं। बड़े समूह में प्रतिभागियों को तालिका में दी गई विशेषताओं को पुरुष या महिला के साथ आम बोलचाल के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है।

विशेषताएँ	पुरुष	महिला
निर्भर होना		
शक्तिशाली		
योग्य/दक्ष		
भावुक		
निर्णयकर्ता		
घर संभालने वाला		
नेतृत्वकर्ता		
भयभीत		

बहादुर		
प्रभावशाली		
डरपोक		
गप्प लड़ाना		

यह सूची संपूर्ण नहीं है, सुगमकर्ता और अधिक उदाहरण जोड़ सकते हैं। यह गतिविधि पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी रूढ़िवादी विशेषताओं को पहचानने में मदद करती है।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर तालिका में दी गई जेंडरगत विशेषताओं के मुद्दे पर निम्न प्रश्नों के साथ चर्चा करते हैं, जैसे — आपको क्या लगता है कि कब किसी विशेषता को आम बोलचाल में हम महिलाओं से अधिक जोड़ते हैं, बजाय पुरुषों के? वह प्रतिभागियों के साथ इसके कारणों का पता लगाते हैं।

अंत में सुगमकर्ता, कक्षा और विद्यालयी प्रक्रियाओं में व्याप्त जेंडर रूढ़िवादिता को पहचानने में विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को उनकी भूमिका के बारे में बताते हैं। सुगमकर्ता विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं से विचारात्मक प्रश्न 4 पूछते हैं एवं प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर गतिविधि को समेकित करते हैं।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

1. जेंडर और सेक्स (लिंग) में क्या अंतर है?
2. जेंडर रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं?
3. किस हद तक दूसरों से किया गया हमारा व्यवहार उनके जेंडर अथवा लिंग (सेक्स) के आधार पर होता है?
4. एक विद्यालय प्रमुख के रूप में अपने स्वयं के एवं शिक्षकों के व्यवहार पर विचारात्मक प्रश्न करें कि क्या अक्सर आप या दूसरे, जेंडर आधार पर भेदभाव करते हैं? ऐसी स्थिति में आपने क्या किया या भविष्य में क्या करेंगे?

सुगमकर्ता के लिए

विषय की गहन समझ विकसित करने और यह देखने के लिए कि मॉड्यूल में उल्लेखित सभी बिंदु पूरी तरह से शामिल कर लिए गए हैं, सुगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता पर मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ लें। मॉड्यूल के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए मॉड्यूल से अतिरिक्त गतिविधियाँ चुन सकते हैं।

प्रमुख संदेश

- यह महत्वपूर्ण है कि स्वयं को सम्मिलित करते हुए सभी भागीदारों के व्यवहार व कार्यों में जेंडर रूढ़िवादिता की पहचान करें व ऐसी सोच पर प्रश्न करें।
- विद्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व है कि वह कक्षा एवं विद्यालय की प्रक्रियाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे और जेंडर समानता लाने के लिए एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे।

गतिविधि 2
विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर संवेदनशीलता को प्रमुखता देते हुए नेतृत्व करना

विधि

बड़े समूह में विचारात्मक प्रश्न

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। इस भाग में, सुगमकर्ता एक गतिविधि करवाते हैं जिसमें प्रतिभागी भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय शिक्षण के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता पर समूहों में काम करते हैं।
- सुगमकर्ता प्रतिभागियों के चार समूह बनाते हैं।
- मॉड्यूल में, प्रत्येक विषय क्षेत्रों के तहत गतिविधियाँ दी गई हैं। सुगमकर्ता, प्रतिभागियों के लिए इन गतिविधियों को चुन सकते हैं और प्रत्येक समूह को जेंडर समानता की दृष्टि से विषय को पढ़ाने की वर्तमान प्रणालियों को जाँचने का कार्य देते हैं वे समूहों में 3–4 ऐसी पद्धतियों के बारे में चर्चा करने को कहते हैं जिनके द्वारा इन विषयों का शिक्षण अधिक जेंडर संवेदनशील हो सके। बड़े समूह में विद्यालय प्रमुख नयी पद्धतियों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें उन्होंने शिक्षकों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तैयार किया है।
- सुगमकर्ता इस भाग को आगे बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए चिंतन-मनन के प्रश्नों की मदद ले सकते हैं।

विद्यालय प्रमुखों के लिए विचारात्मक प्रश्न

1. यह किस प्रकार जाना जा सकता है कि किसी एक विशेष लिंग के साथ मौखिक बातचीत अथवा लिखित पाठ (विषयों) में भेदभाव या गलत व्यवहार किया जा रहा है?
2. आप कक्षा और विद्यालय की प्रक्रियाओं में इस तरह के मुद्दों का समाधान कैसे करेंगे?
3. आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें क्या लैंगिक अनुक्रियात्मक हैं?
4. आप और आपके शिक्षक, कक्षा की प्रक्रियाओं/गतिविधियों को जेंडर समावेशी कैसे बनाएँगे?

व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
एक जेंडर संवेदी कार्यकर्ता के रूप में अपनी स्वयं के व्यावसायिक अभ्यासों पर चिंतन करें। सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ. की भूमिका में आप और अधिक जेंडर संवेदी कैसे बन सकते हैं?
अपने अगले भ्रमण में संकुल/ब्लॉक/ज़िले के विद्यालय व कक्षा में जेंडर समानता से संबंधित किन पहलुओं पर आप अवलोकन और पर्यवेक्षण करेंगे?

सुगमकर्ता के लिए

विषय की गहन समझ विकसित करने और यह देखने के लिए कि मॉड्यूल में उल्लेखित सभी बिंदु पूरी तरह से शामिल कर लिए गए हैं, सुगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता पर मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ लें। मॉड्यूल के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए मॉड्यूल से अतिरिक्त गतिविधियाँ चुन सकते हैं।

प्रमुख संदेश
• कक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को अधिक जेंडर संवेदी बनाने और विषयों के पढ़ाने के दौरान, प्रासंगिक उदाहरणों का प्रयोग करने के लिए, विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे शिक्षकों को सहयोग दें।
• यह समझना आवश्यक है कि जेंडर समानता/असमानता किसी व्यक्ति के लिंग से पृथक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से बनायी गई अवधारणा है।
• जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ है — महिलाओं, पुरुषों और अन्य लिंग (ट्रांसजेंडर), तीनों की समस्याओं के बारे में जागरूक होना और यह देखना कि इनमें से किसी भी लैंगिक वर्ग के साथ कोई भेदभाव न किया जाए।

मॉड्यूल 5 — विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें

सत्र 3		
	गतिविधि	**समय (मिनट)**
1.	एम.एच.आर.डी. द्वारा विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें पर विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास	60

गतिविधि 1
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलों पर विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास

विधि

बड़े समूह में साझा करना— क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत नोटिंग-विकास कार्य योजना

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता बड़े समूह में प्रतिभागियों (विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं) से यह पूछते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि वे गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एम.एच.आर.डी. की योजनाओं और पहलों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं।

- प्रतिक्रियाओं के आधार पर, सुगमकर्ता विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, एम.एच.आर.डी. की व्यापक पहलों, जैसे — समग्र शिक्षा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पी.जी.आई.), यू.डी.आई.एस.ई.+, शगुनोत्सव, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) का परिचय देता है। यह 10 –15 मिनट में समाप्त हो सकता है।
- इसके बाद, सुगमकर्ता प्रतिभागियों को योजनाओं/पहलों के विभिन्न घटकों में से प्रत्येक पर व्यक्तिगत नोटिंग के लिए कहता है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा होनी आवश्यक है।
- सुगमकर्ता प्रतिभागियों को सफेद ए-4 शीट वितरित कर सकते हैं और उन्हें एक प्रारूप बनाने के लिए कह सकते हैं, उदाहरण के लिए — नीचे दी गई तालिका। साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रतिभागी उसमें और अधिक पंक्तियों व स्तंभों को जोड़ सकते हैं।
- मॉड्यूल में दी गई प्रत्येक पहल और पहलवार घटकों पर सुगमकर्ता उद्देश्य, प्रक्रिया, मानदंड, अनुदान आदि का विवरण देता है। प्रतिभागी तालिका में नोट करते हैं जिसे वे अपने साथ विद्यालयों/इकाइयों (संकुल/ब्लॉक/ज़िला) में ले जा सकते हैं और क्रियान्वयन के लिए अपने कार्यालय में रख सकते हैं।

पहल	घटक	घटक के उद्देश्य	मानक/अनुदान	
समग्र शिक्षा	पूर्व-प्राथमिक	घटक	घटक के उद्देश्य	मानक/अनुदान
	पुस्तकालय अनुदान			
	खेल अनुदान			
	समेकित शिक्षा			
	के.जी.बी.वी.			
	आत्म-रक्षा प्रशिक्षण			
	विद्यालय सुरक्षा			
	रंगोत्सव			
	ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड			
	विद्यालय आधारित आकलन			
	यूथ क्लब			
	इको क्लब			
	यातायात व अनुरक्षण सुविधा			
	यूनिफॉर्म एवं पाठ्यपुस्तकें			
	ब्लॉक व संकुल संसाधन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण			

	एस.एम.सी.			
	समग्र शिक्षा का प्रतीक चिह्न			
यू.डी.आई.एस.ई.+				
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स				
शगुनोत्सव				
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार				
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार				
मध्याह्न भोजन — नयी प्रणालियाँ				
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास — समग्र शिक्षा				

इसके बाद सुगमकर्ता, प्रतिभागियों से एक व्यक्तिगत कार्य योजना बनाने के लिए कहता है जिसे कि वे अपने (विद्यालय/संकुल/ब्लॉक/ज़िला) में क्रियान्वित करेंगे। प्रतिभागियों द्वारा एक संक्षिप्त कार्य योजना लिखे जाने के बाद, सुगमकर्ता कुछ प्रतिभागियों को अपनी योजना को बड़े समूह में साझा करने के लिए कह सकते हैं।

व्यवस्था स्तरीय कार्यकताओं के लिए विचारात्मक प्रश्न

सी.आर.सी/बी.आर.सी./ए.बी.आर.सी/बी.ई.ओ./ए.बी.ई.ओ./डी.ई.ओ.
आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके संकुल/ब्लॉक/ज़िले में विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलों का क्रियान्वयन हो?

सुगमकर्ता के लिए

सुगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलों पर मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ें और सत्र लेने से पहले प्रत्येक घटक पर विस्तृत नोट तैयार करें।

प्रमुख संदेश

- विद्यालय प्रमुख और व्यवस्था स्तरीय कार्यकताओं, दोनों के लिए विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSE&L), एम.एच.आर.डी. की मुख्य पहलों की व्यापक जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि वे विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दों और उनसे जुड़े अवसरों को समझ सकें।
- विद्यालय प्रमुख एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को विद्यालय शिक्षा में पहलों पर आधारित कार्य योजना को निर्मित करने और विद्यालय/इकाईयों (संकुल/ब्लॉक/ज़िले) में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

समेकन — विद्यालय आधारित आकलन (एस.बी.ए.) और विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु

सत्र 4		
	गतिविधि	**समय (मिनट)**
1.	समेकन — विद्यालय आधारित आकलन और गुणवत्ता सुधार हेतु नेतृत्व — एक कार्य योजना निर्मित करना	90

गतिविधि
समेकन — विद्यालय आधारित आकलन और गुणवत्ता सुधार हेतु नेतृत्व — एक कार्य योजना निर्मित करना

विधि

सामूहिक गतिविधि — बड़े समूह में साझा करना

सुझाए गए चरण

- सुगमकर्ता प्रतिभागियों को पाँच समूहों में बैठने के लिए कहते हैं।
- प्रत्येक समूह को पाँच में से किसी एक मॉड्यूल — विद्यालय नेतृत्व, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता एवं विद्यालयी शिक्षा में नयी पहलें — के प्रमुख अधिगम पर चर्चा करने के लिए कहा जाता है।
- छोटे समूहों में संक्षिप्त चर्चा के बाद, समूह के प्रतिनिधि (विद्यालय प्रमुख) बड़े समूह में साझा करते हैं। समूह के प्रतिनिधि को विद्यालय नेतृत्वकर्ता के दृष्टिकोण से अपने प्रमुख अधिगमों को प्रस्तुत करना है कि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने विद्यालय का अकादमिक सुधार, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का समेकन, विद्यार्थियों को पूर्व-व्यावसायिक अवसरों को प्रदान करना, विषय शिक्षण में जेंडर संवेदनशीलता एवं विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न पहलों के क्रियान्वयन की दिशा में किस प्रकार नेतृत्व करेंगे।
- सुगमकर्ता, व्यवस्था स्तरीय कार्यकताओं के प्रतिनिधियों को भी बड़े समूह में अपने अधिगम को साझा करने के लिए कहते हैं कि वे गुणवत्ता सुधार के विज़न को साकार करने के लिए अपने विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को किस प्रकार सहायता देंगे।
- सुगमकर्ता, विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के अलग-अलग समूह बना सकते हैं। विद्यालय प्रमुखों के 4 से 5 समूह एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के उनके क्षेत्र के संचालन के अनुसार (संकुल/ब्लॉक/ज़िला) समूह बनाए जा सकते हैं।
- समूह विद्यालय आधारित आकलन और विद्यालय गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न घटकों हेतु अंत:क्षेप को एकीकृत करने के उद्देश्य से विद्यालय के विकास के लिए एक कार्य

योजना पर चर्चा करते हैं और उसे बनाते हैं। व्यवस्था स्तरीय कार्यकताओं के समूह क्रमशः विद्यालय विकास योजना, संकुल विकास योजना, ब्लॉक विकास योजना और ज़िला विकास योजना बनाते हैं।

- विद्यालय/संकुल/ब्लॉक/ज़िले की विकास योजना बनाते समय, संबंधित विद्यालयों/शैक्षिक इकाइयों को गुणवत्ता सुधार लाने के लिए एक विज़न एवं लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- समापन के दौरान, सुगमकर्ता, रिकॉर्ड रखने एवं निष्ठा के साथ साझा करने हेतु विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकताओं द्वारा बनायी गई योजनाओं की एक प्रति ले सकते हैं।

सुगमकर्ता के लिए

विद्यालय विकास योजना पर एक संक्षिप्त नोट मॉड्यूल 1 (भाग 7 देखें) में दिया गया है। इस सत्र को करने से पहले सुगमकर्ता को यह भाग पढ़ने की आवश्यकता है।

कार्यशाला का समापन

सत्र 5		
	गतिविधि	**समय (मिनट)**
1.	समापन	30

गतिविधि
कार्यशाला का समापन

गतिविधि

व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि और समापन

सुझाव गए चरण

- सुगमकर्ता, प्रतिभागियों को एक वृत्त या अर्ध-वृत्त में बैठाने की व्यवस्था करते हैं।
- प्रतिभागियों को आराम से बैठने और कुछ क्षणों के लिए विश्राम करने के लिए कहते हैं।
- सुगमकर्ता, प्रतिभागियों से कार्यशाला पर प्रतिपुष्टि देने का आग्रह करते हैं और सुधार के लिए सुझाव भी माँगते हैं।
- आयोजन अधिकारी समापन समारोह की औपचारिकताएँ पूरी करते हैं।

प्यारे बच्चो!

यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा न लगे तो, आप चुप न रहें। आप

1. स्वयं को इसका दोष न दें;
2. इस बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बताएँ जिस पर आप भरोसा करते हो;
3. आप **पॉक्सो ई.बॉक्स** के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस बारे में सूचित कर सकते हैं।

जब आपको कोई अनुचित ढंग से स्पर्श करता है तो आपको बुरा लग सकता है, आप दुविधाग्रस्त और असहाय अनुभव कर सकते हैं

आपको ''बुरा'' अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है

इस बटन को दबाएँ

पॉक्सो ई.बॉक्स NCPCR@gov.in पर उपलब्ध है।

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आप मुसीबत में हैं अथवा दुविधाग्रस्त हैं अथवा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा संकट में हैं अथवा किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं...

1098 पर कॉल करें...क्योंकि कुछ अच्छे नंबर जीवन बदल देते हैं।

चाइल्ड लाइन 1098 – विपत्ति में बच्चों के लिए 24 घंटे नि:शुल्क राष्ट्रीय आपातकालीन फ़ोन सेवा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फ़ाउंडेशन की पहल है।

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

UN 80

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5292-204-8